ISSN 0972-5636

भारतीय आधुनिक शिक्षा

वर्ष 44 अंक 3 जनवरी 2024

पत्रिका के बारे में

भारतीय आधुनिक शिक्षा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की त्रैमासिक पत्रिका है, जो यू.जी.सी. की केयर (कंसोर्टियम फ़ॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स— के.ए.आर.ई.) पत्रिकाओं की सूची में सूचीबद्ध है। यह पत्रिका शिक्षाविदों, शैक्षिक प्रशासकों, शिक्षक-प्रशिक्षकों, शिक्षकों, शोधार्थियों, विद्यार्थी-शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को विद्यालयी शिक्षा एवं अध्यापक शिक्षा पर अपने मौलिक शैक्षिक विचार रखने का एक मंच प्रदान करती है। लेखकों द्वारा भेजे गए सभी लेखों, शोध पत्रों, पुस्तक समीक्षाओं आदि का प्रकाशन से पूर्व समकक्ष विद्वानों द्वारा पूर्ण निष्पक्षतापूर्वक पुनरीक्षण किया जाता है। इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य विद्यालयी शिक्षा एवं अध्यापक शिक्षा के विभिन्न आयामों में, विशेषकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में, विद्यालयी शिक्षा एवं अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देना है। इस पत्रिका का एक अन्य उद्देश्य मौलिक एवं समीक्षात्मक चिंतन को भी प्रोत्साहित करना है।

लेखकों द्वारा व्यक्त किए गए विचार उनके अपने हैं। अतः ये किसी भी प्रकार से परिषद् की नीतियों या संपादकीय समिति के विचारों को प्रस्तुत नहीं करते हैं।

© 2025*. पत्रिका में प्रकाशित लेखों का रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा सर्वाधिकार सुरक्षित है, परिषद् की पूर्व अनुमति के बिना, लेखों का पुनर्मुद्रण किसी भी रूप में मान्य नहीं होगा।

सलाहकार समिति

निदेशक, रा.शै.अ.प्र.प. : दिनेश प्रसाद सकलानी
संयुक्त निदेशक, रा.शै.अ.प्र.प. : श्रीधर श्रीवास्तव
अध्यक्ष, अ.शि.वि. : शरद सिन्हा
अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग : एम.वी. श्रीनिवासन

संपादकीय समिति

अकादमिक संपादक : जितेन्द्र कुमार पाटीदार
मुख्य संपादक : बिज्ञान सुतार

अकादमिक संपादकीय समिति

रंजना अरोड़ा, उषा शर्मा, अपर्णा पाण्डेय, सुखविंदर
शरद सिह्ना, बी.पी. भारद्वाज, रचना गर्ग, मधु कुशवाह
नीलकंठ कुमार

प्रकाशन मंडल

मुख्य उत्पादन अधिकारी (प्रभारी) : दीपक जैसवाल
मुख्य व्यापार प्रबंधक : अमिताभ कुमार
सहायक उत्पादन अधिकारी : सयुराज ए. आर.

आवरण

अमित श्रीवास्तव

हमारे कार्यालय

प्रकाशन प्रभाग
एन.सी.ई.आर.टी. कैंपस
श्री अरविंद मार्ग
नई दिल्ली 110 016 फोन : 011-26562708

108, 100 फ़ीट रोड
होस्केरे हल्ली एक्सटेंशन
बनाशंकरी III स्टेज
बेंगलुरु 560 085 फोन : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन
डाकघर नवजीवन
अहमदाबाद 380 014 फोन : 079-27541446

सी. डब्ल्यू. सी. कैंपस
धनकल बस स्टॉप के सामने
पनिहटी
कोलकाता 700 114 फोन : 033-25530454

सी. डब्ल्यू. सी. कॉम्प्लैक्स
मालीगाँव
गुवाहाटी 781 021 फोन : 0361-2674869

मूल्य

एक प्रति : ₹ 155 वार्षिक : ₹ 620

* सितंबर 2025 में मुद्रित

ISSN 0972-5636

विद्यया ऽमृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

भारतीय आधुनिक शिक्षा

वर्ष 44 | अंक 3 | जनवरी 2024

इस अंक में

संपादकीय		3
'पंचतंत्र' की कथाओं के आधार पर विद्यालयी प्रशासन एवं शिक्षा की सीख एक विश्लेषण	लोकेश जैन	7
राष्ट्र निर्माण में डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के शैक्षिक विचारों की *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के आलोक में उपादेयता	संध्या यादव अमित कुमार	24
आरंभिक स्तर पर पहेलियों द्वारा शिक्षण-अधिगम	आरोही नरेश कुमार	33
अध्यापकों की समान और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने में भूमिका	प्रिया शर्मा अंकिता	44
बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के शैक्षिक दर्शन की *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के संदर्भ में प्रासंगिकता	संजय कुमार	52
विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए नीतिगत प्रयास एवं उनका क्रियान्वयन	सरला वर्मा	66
माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर विद्यालयी वातावरण का प्रभाव	मुकेश कुमार आर. पुष्पा नामदेव	78
महिलाओं के लिए सांस्कृतिक उद्यमिता और कौशल विकास की पहल तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम	रश्मि कुमारी राजौरा रेणु यादव	95
हैप्पी हार्मोन परीक्षा के तनाव को दूर करने का सार्थक उपाय	सुशील कुमार तिवारी शरद सिन्हा	110
कार्यशाला के दौरान शैक्षिक भ्रमण का अनुभव	अनुज कुमार	120

उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि पर ऑनलाइन एवं ऑफलाइन शिक्षण का प्रभाव	मंजूषा कापड़ी देवेंद्र सिंह बिष्ट	126
पुस्तक समीक्षा		
शिक्षा जो स्वर साध सके	विजय कुमार यादव	138

संपादकीय

प्रिय पाठको! हम जानते हैं कि बच्चों की विद्यालय शिक्षा उनके समग्र विकास में सहायक होती है। यही विद्यालयी शिक्षा उनके जीवन को व्यवस्थित करती है, साथ ही उनमें विभिन्न दक्षताओं एवं कौशलों का विकास करती है। इसलिए विद्यालयी शिक्षा का अद्यतन होना आत्यावश्यक है, जिससे बच्चों में समय के साथ नए विचारों, नवाचारों एवं कौशल संबंधी ज्ञान, समझ और मूल्यों का विकास हो सके। इसलिए बेहतर *विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा—2023* निर्मित की गई, जो *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* पर आधारित है। इस पाठ्यचर्या की रूपरेखा में विभिन्न विद्यालयी चरणों में पाठ्यचर्या के लक्ष्यों, उद्देश्यों, दक्षताओं एवं सीखने के प्रतिफलों के साथ-साथ मूल्यों, क्षमताओं, ज्ञान एवं प्रकृति पर आधारित शिक्षणशास्त्र, अध्ययन सामग्री एवं आकलन आदि पर बल दिया गया है ताकि विद्यालयी शिक्षा, इक्कीसवीं सदी के सक्षम, कुशल एवं भारतीयता से परिपूर्ण वैश्विक नागरिक बना सके। इन्हीं सरोकारों पर आधारित *भारतीय आधुनिक शिक्षा* का यह अंक विविध लेखों एवं शोध-पत्रों को प्रस्तुत करता है।

इस अंक की शुरुआत 'पंचतंत्र' की कथाओं के आधार पर विद्यालयी प्रशासन एवं शिक्षा की सीख—एक विश्लेषण' नामक लेख से की गई है। इसमें 'पंचतंत्र' के विविध नीति सूत्रों के माध्यम से प्रशासन एवं नीति पर आधारित शिक्षा प्रस्तुत की गई है। वास्तव में, 'पंचतंत्र' में वन्य जीव-जंतुओं एवं मनुष्यों की कहानियों के माध्यम से नीति विषयक मूल्य एवं ज्ञान प्रदान किया गया है। यह ग्रंथ आज भी बहुत प्रासंगिक है। इसके माध्यम से विद्यालयी प्रशासन एवं शिक्षा व्यवस्था के कुशल संचालन की सीख मिलती है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष पश्चात भी भारत में गरीबी, अशिक्षा, प्रदूषण, बेरोजगारी आदि समस्याएँ विद्यमान हैं। इन समस्याओं को दूर करने तथा भारत के बहुमुखी विकास का सपना भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं 'मिसाइलमैन' डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने देखा था। वह चाहते थे कि शिक्षा के माध्यम से भारत प्रत्येक क्षेत्र, जैसे— स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, व्यापार, रोजगार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आदि में आत्मनिर्भर बने। इसलिए उनके शैक्षिक विचारों पर आधारित लेख, 'राष्ट्र निर्माण में डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के शैक्षिक विचारों की *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के आलोक में उपादेयता' प्रस्तुत किया गया है। इस लेख में शिक्षा द्वारा राष्ट्र को समृद्ध एवं सुरक्षित बनाने के लिए उनके शैक्षिक विचारों पर चर्चा की गई है।

नवीन पाठ्यचर्या एवं शिक्षणशास्त्रीय संरचना के अनुसार विद्यालयों में शिक्षक नवाचारों एवं नई विधियों के माध्यम से बच्चों को अक्षर तथा संख्या ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, जिसमें पहेलियाँ भी एक शिक्षण विधि है, यह विधि प्राचीन समय से प्रचलन में है। पहेलियाँ बच्चों को पसंद आती हैं, जिससे उनकी रुचि सीखने-सिखाने में बनी रहती है। वे अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण पहेलियाँ सुनते और बूझते हैं। इसी पर आधारित लेख, 'आरंभिक स्तर पर पहेलियों द्वारा शिक्षण-अधिगम' में आरंभिक स्तर (प्रिपरेटरी स्टेज)

के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम को सीखने में पहेलियों की उपयोगिता को दर्शाया गया है, जिससे बच्चे सीखने में रुचि लेते हैं। साथ ही, इस स्तर के अपेक्षित अधिगम प्रतिफलों को भी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।

शिक्षा प्रदान करने में अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए अध्यापक का दायित्व प्रत्येक विद्यार्थी के प्रति होता है। ऐसे में उनके लिए समान और समावेशी शिक्षा को विद्यालय में बढ़ावा देना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, जिसमें उन्हें मानवीयता एवं संवेदनशीलता के गुणों से परिपूर्ण होकर इस चुनौतीपूर्ण कार्य को सहजता से करना होता है। इसी पर आधारित लेख, 'अध्यापकों की समान और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने में भूमिका' प्रस्तुत किया गया है। इसमें बताया गया है कि अध्यापक विद्यार्थी की शिक्षण-अधिगम समस्याओं को भली-भाँति समझें एवं उनका समाधान करने के लिए उचित मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान करें।

किसी भी समाज में शिक्षा का आधार संवैधानिक मूल्य, जैसे—समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, मानवीय एवं लोकतांत्रिक मूल्य होते हैं, जिनके माध्यम से समाज के सभी लोगों को समान रूप से शिक्षा और जीवन के अन्य अधिकार प्राप्त हो सकें और वे देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। इसके लिए आवश्यक है कि समाज में व्याप्त सभी प्रकार की असमानताओं को दूर किया जाए। इसी दृष्टिकोण पर आधारित लेख, 'बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के शैक्षिक दर्शन की *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के संदर्भ में प्रासंगिकता' में बाबासाहेब के शैक्षिक विचारों पर चर्चा की गई है। इस लेख में उनके शैक्षिक दर्शन को *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* का प्रतिबिंब बताया गया है।

विद्यार्थियों में उत्पन्न तनाव व चिंता के समाधान के लिए सरकार द्वारा कई नीतियाँ बनाई गई हैं, जिनके क्रियान्वयन से शिक्षक, अभिभावक, परामर्शदाता एवं समुदाय मिलकर उन्हें मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर सकें तथा उनकी समस्याओं को पहचान कर उचित समाधान कर सकें। इसी पर आधारित लेख, 'विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए नीतिगत प्रयास एवं उनका क्रियान्वयन' में विद्यार्थियों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियों और योजनाओं पर चर्चा की गई है। इन नीतियों और योजनाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को उचित लाभ पहुँचा कर उन्हें अनावश्यक तनाव एवं चिंता से बचाया जा सकता है।

विद्यार्थियों के लिए विद्यालय का परिवेश सीखने-सिखाने के अनुकूल होना आवश्यक है, क्योंकि विद्यार्थी विद्यालय में अपने अध्ययन के लिए कई घंटे व्यतीत करते हैं। अतः विद्यालय का वातावरण उनके लिए बिना किसी मानसिक उत्पीड़न व चिंता के शिक्षा प्राप्त करने में रुचिकर, आनंददायी एवं सुगम हो, क्योंकि विद्यालय का सकारात्मक वातावरण विद्यार्थियों के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसी पर आधारित शोध पत्र, 'माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर विद्यालयी वातावरण का प्रभाव' दिया गया है।

शिक्षा महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करती है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देती है। इसी पर आधारित लेख, 'महिलाओं के लिए सांस्कृतिक उद्यमिता और कौशल विकास की पहल— तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा एवं

प्रशिक्षण कार्यक्रम' इस अंक में सम्मिलित किया गया है, जिसमें तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता के लिए महिलाओं को कौशल और ज्ञान प्रदान करने पर चर्चा की गई है। इसमें बताया गया है कि यह कार्यक्रम महिलाओं को अपनी सांस्कृतिक विरासत का उपयोग करते हुए नवाचारी दृष्टि प्रदान करने तथा उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में योगदान देता है।

विद्यार्थी जीवन तपस्या का जीवन है। इसमें विद्यार्थियों को अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। इस हेतु उन्हें विद्यालय में परीक्षाएँ देनी होती हैं, जो उनके निष्पादन का आकलन कर सार्थक निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शित करती हैं। परंतु कभी-कभी इन परीक्षाओं का नकारात्मक प्रभाव विद्यार्थियों के मानसिक स्तर पर पड़ता है और उनमें तनाव उत्पन्न होता है। इस कारण उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है साथ ही, उन पर घर-परिवार, दोस्त एवं समाज की अपेक्षाओं का डर हावी होने लगता है कि यदि वे परीक्षा में असफल हुए तो ये सभी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? इस प्रकार के चिंतन एवं तनाव के लिए शरीर में उत्पन्न होने वाले हार्मोनल असंतुनल भी उत्तरदायी होते हैं। वहीं, विद्यार्थियों को सहयोगी, अपनत्व एवं खुशहाली वाला वातावरण प्रदान करने से उनमें 'हैप्पी हार्मोन' उत्पन्न होते हैं, जो परीक्षा के तनाव एवं चिंता को दूर करने में सहायक होते हैं। इसी पर आधारित लेख, 'हैप्पी हार्मोन— परीक्षा के तनाव को दूर करने का सार्थक उपाय' प्रस्तुत किया गया है। लेख में परीक्षा के तनाव एवं चिंता को दूर करने के सार्थक उपायों पर चर्चा की गई है।

व्यक्ति जब कार्य करते हुए अपनी उस कार्य की आनुभविक यात्रा का वर्णन करता है, तब उसे उस कार्य का यात्रा-वृत्तांत कहते हैं। यह यात्रा या तो किसी आवश्यक कार्य के उद्देश्य से या फिर मनोरंजन के लिए पर्यटन के उद्देश्य से हो सकती है। इस दौरान व्यक्ति अपने कार्य से जुड़े अनुभव यात्रा-वृत्तांत के माध्यम से साझा करता है, जो रोचक, मनोरंजक और उत्सुकता से भरपूर होते हैं। इसी पर आधारित यात्रा-वृत्तांत, 'कार्यशाला के दौरान शैक्षिक भ्रमण का अनुभव' है, जिसमें लेखक ने अपनी कार्यशाला और अपनी सहभागिता से जुड़े अनुभव साझा किए हैं।

शोध पत्र 'उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि पर ऑनलाइन एवं ऑफलाइन शिक्षण का प्रभाव' में ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन शिक्षण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों को ऑनलाइन साझा कर आधुनिक शिक्षण विधियों, एनिमेशन, पी.पी.टी., वीडियो लेक्चर जैसे तरीकों के प्रयोग पर चर्चा की गई है। ये सभी आधुनिक शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक हैं। इस प्रकार ऑफलाइन एवं ऑनलाइन शिक्षण का एक साथ उपयोग कर शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को सबके लिए उपलब्ध एवं सुगम बनाया जा सकता है।

शिक्षा समाज के साथ-साथ परिवर्तित होती रहनी चाहिए तथा वह समाज एवं लोगों के लिए उपयोगी होनी चाहिए। इसलिए सार्थक व उपयोगी शिक्षा मानव समाज के विकास के लिए आवश्यक है। इसी पर आधारित पुस्तक समीक्षा '*शिक्षा जो स्वर साध सके*' प्रस्तुत की गई है।

आप सभी की प्रतिक्रियाओं की हमें सदैव प्रतीक्षा रहती है। आप हमें लिखें कि यह अंक

आपको कैसा लगा। साथ ही, आशा करते हैं कि आप हमें अपने अनुभव आधारित मौलिक तथा प्रभावी लेख, शोध पत्र, आलोचनात्मक समीक्षाएँ, श्रेष्ठ अभ्यास, पुस्तक समीक्षाएँ, नवाचारी प्रयोग, क्षेत्र (फील्ड) अनुभव आदि प्रकाशन हेतु आगे दिए गए पते पर प्रेषित करेंगे।

अकादमिक संपादकीय समिति

‘पंचतंत्र’ की कथाओं के आधार पर विद्यालयी प्रशासन एवं शिक्षा की सीख
एक विश्लेषण

लोकेश जैन*

प्रबंधकीय सिद्धांत व व्यवहारों में हमारे भारतीय ऋषि-मुनियों एवं प्रबुद्ध विचारकों द्वारा रचित ग्रंथों एवं साहित्य में प्रबंधकीय शिक्षण-प्रशिक्षण के प्रतिमान किसी न किसी रूप में प्रस्फुटित होते रहे हैं, जैसे—‘गीता’, ‘चाणक्य नीति’, ‘विदुर नीति’ और ‘शुक्रनीति’, जैन व अन्य प्रमुख भारतीय दर्शन, जैसे— ‘पंचतंत्र’, ‘हितोपदेश’ आदि। ‘पंचतंत्र’ की लोकप्रिय कथाएँ भारतीय संस्कृत साहित्य की अनमोल धरोहर हैं, जिसमें युक्तियुक्त जीवनयापन हेतु नीतिगत ज्ञान एवं कौशल निहित हैं, जो शिक्षण जगत से जुड़े विविध हितधारकों, विद्यालयी प्रशासक, शिक्षक, विद्यार्थी आदि को ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020’ के अनुसार ज्ञान, कौशल एवं मूल्यों के विकास हेतु प्रेरक वातावरण उपलब्ध करा सकती हैं। यह लेख शिक्षण व्यवस्था के प्रबंधन की दृष्टि से मुख्य रूप से ‘पंचतंत्र’ के तृतीय खंड काकोलूकीयम में वर्णित नीति-कथाओं पर केंद्रित है, तथापि समग्रता की दृष्टि से प्रथम (मित्रभेद), द्वितीय (मित्रप्राप्ति) व चतुर्थ खण्ड (लब्धप्रणाश) का संदर्भ भी यथास्थान लिया गया है। इसके कथानकों व नीतिगत श्लोकों में गर्भित ज्ञान शिक्षण संस्थाओं का सोद्देश्य संचालन (मेनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव) करने, साथियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने, शिक्षा के योग्य वातावरण का निर्माण करने एवं हितधारकों के क्षमतावर्धन में पथ-प्रदर्शक की भूमिका अदा कर सकता है।

भारतीय ऋषि-मुनियों, प्रबुद्ध विचारकों व चिंतकों के अगाध ज्ञान भंडारों में प्रबंधकीय शिक्षण-प्रशिक्षण के प्रतिमान किसी न किसी रूप में प्रस्फुटित होते रहे हैं, जैसे— *गीता, चाणक्य नीति, विदुर नीति, शुक्रनीति*, जैन व अन्य प्रमुख भारतीय दर्शन इत्यादि। इनमें से ‘पंचतंत्र’ भी एक है। ‘पंचतंत्र’ कथानक के आमुख में कहा गया है कि दक्षिण राज्य के महिलारोप्य नगर का राजा अमरसिंह विद्वानों का भरपूर आदर करता था, किंतु अपने तीन पुत्रों— बहुशक्ति, उग्रशक्ति और अनंतशक्ति की उद्दंडता व विद्या विमुखता से अत्यंत दुखी व चिंतित था। विद्वान दरबारियों की राय पर उसने अपने पुत्रों को शिक्षित करने का कार्यभार यशस्वी व वरिष्ठ विद्वान विष्णु शर्मा को सौंपा, जिन्होंने उन्हें छह माह के अल्प समय में शिक्षित करने का कार्य कथानकों के माध्यम से किया ताकि वे राज्य संचालन की शिक्षा ही नहीं अपितु आवश्यक ज्ञान भी प्राप्त कर सकें।

*प्रोफेसर, ग्रामीण प्रबंधन, ग्रामीण प्रबंध अध्ययन केंद्र, गुजरात विद्यापीठ, आश्रम रोड, रांधेजा-गांधीनगर, गुजरात 382620

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 'पंचतंत्र' की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में निहित प्रबंधकीय प्रतिमानों के संदर्भ में एक अवलोकन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यार्थी अभिमुख, परिणामोन्मुखी तथा समाजलक्षी समन्वित व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें बाल शिक्षण व्यवस्था को सुनियोजित करने के साथ-साथ कौशल्य अभिरुचि एवं कुशलताओं के गुणात्मक विकास का प्रावधान किया गया है। इस नीति द्वारा उच्च शिक्षण स्तर पर विद्यार्थियों की आवश्यकता व परिस्थिति के अनुरूप शिक्षण व्यवस्था को लोचशील व बहुआयामी बनाने का प्रयास किया गया है। सार रूप में कहें तो यह *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* समाज को वे मानव संसाधन प्रदान करने का संकल्प करती है, जो सृजनशील और आत्मनिर्भर पथ के अनुगामी हों। (जैन और दीक्षित 2021)

सारभूत 'पंचतंत्र' कथानक मित्रभेद, मित्रलाभ या मित्रसंप्राप्ति, काकोलूकीयम, लब्धप्रणाश तथा अपरीक्षित कारक पर आधारित हैं। शिक्षण-प्रशिक्षण की इस अनूठी पद्धति से लेखक विष्णु शर्माजी दक्षिणी राज्य महिलारोप्य के राजा अमरशक्ति के तीन उद्दंड व शिक्षा विमुख पुत्रों को जीवनोपयोगी, राजतंत्र संचालन संबंधी ज्ञान से छह माह के अल्प समय में शिक्षित-प्रशिक्षित कर सके।

लोक व्यवहार के ज्ञान के अभाव में व्यक्ति 'वेदिया पशु' माना जाता है। कहा भी है— "काग पढ़ाए पींजरा पढ़ गए चारों वेद। जब सुधि आई कुटुंब की, तो रहे ढेड़ के ढेड़।" 'पंचतंत्र' कथानक के पात्र यद्यपि पशुपक्षी हैं, किंतु इन कथाओं में मानव ही केंद्र में हैं, इन गुणों के कारण कथानक पूर्णरूपेण मानव कल्याण लक्षी प्रतीत होता है। सियार (चातुर्य, नीतिज्ञ निपुणता), शेर (ताकतवर किंतु कम बुद्धिमान), कौआ (सियार के समानांतर चालाक, चतुर), बंदर (स्वाभाविक चंचलता), गधा (मूर्ख यथा मनुष्यों में शास्त्रज्ञ पंडित), उल्लू (धूर्तता में आगे), बगुला (स्वार्थपरक) आदि में हमें अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता है, जो हमें जीवन को सुनियोजित रूप से संचालित करने की महत्वपूर्ण सीख व प्रेरणा प्रदान करता है।

प्रथम भाग (1) में ऐसी क्रमबद्ध 24 कथाएँ हैं, जो मित्रों में मनमुटाव एवं अलगाव के कारण, परिस्थिति विश्लेषण, निर्णय एवं परिणामों के माध्यम से लोकोपयोगी निर्णयन क्षमता में वृद्धि करने में सहायक बनती हैं। वे कहते हैं कि मित्रता सदैव समानशील व रुचि वाले व्यक्तियों के साथ करनी चाहिए। यह नीति निर्देशित करती है—

यो अमित्रं कुरुते मित्रं, वीर्याभि अधिकं आत्मनः।
स करोति न संदेहः स्वयं हि विष भक्षणम्।। 200
पंचतंत्र भाग-4

यदि व्यक्ति अथवा संगठन अपनों को नीचा दिखाने के लिए अथवा निहित स्वार्थों की सिद्धि के लिए अपने से अधिक ताकतवर प्रतिस्पर्धी को अपना मित्र बनाने की मूर्खता करता है तो वह अपने ही हाथ से जहर खाता है। इससे व्यक्ति व संस्थान अंततः विनाश को प्राप्त होते हैं। प्रतिस्पर्धी बना मित्र एक दिन आपके अस्तित्व को भी निगल जाता है। व्यावसायिक संस्थान हो या शैक्षणिक संस्थान, यदि उन्हें प्रगति करनी है तो वे अपने साथियों या हितधारकों के साथ अकारण द्वेष न रखें, क्योंकि जो

व्यक्ति दूसरों के दुख से प्रसन्न होता है, वह अपने भी विनाश की परवाह नहीं करता। किंतु यह किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति, समाज या राष्ट्र के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता।

दूसरा भाग आवश्यकता के समय मित्र के मिल जाने से क्या लाभ होता है, इसका बोध कराता है। विपत्ति में मित्र का साथ मिलना और मित्र का घर में आना स्वर्ग से भी अधिक सुख का आनंद देता है। इस भाग में दी गई सात कहानियों का सार यह है कि व्यक्ति को अपनी जीभ पर काबू रखकर लोभ से दूर रहना चाहिए, नहीं तो विपत्ति में फँसना तय है। विपत्ति में फँसे मित्र की सहायता करनी चाहिए, किंतु सहायता प्राप्त करने वाले को भी ध्यान रखना चाहिए कि सहायता करने वाले मित्र को कोई हानि न हो। संपत्ति के लोभ में आकर जो व्यक्ति प्रतिस्पर्धी पर विश्वास करता है, उसके जीवन का वहीं अंत हो जाता है। संस्थानों की संचालन व्यवस्था को इस तथ्य पर ध्यान देते हुए निरंतर सावधान रहने की आवश्यकता है। मित्रता बनाए रखने के लिए गुप्त रूप से मित्र की सहायता करते रहना चाहिए।

मित्र के गुणों को पहचानना और उनका आदर करना मित्रता को प्रगाढ़ बनाता है। सम्यक भाव जीवन में स्थिरता प्रदान करता है। इस दुनिया में न तो कोई किसी का मित्र होता है और न ही परम प्रतिस्पर्धी। काम बनने और बिगड़ने से प्रतिस्पर्धिता और मित्रता की जाँच की जाती है।

विद्यार्थियों को सीखना चाहिए कि काम उद्यम से ही सिद्ध होते हैं, केवल मनोरथ करने से नहीं, भाग्य के भरोसे बैठे रहने से नहीं। विपरीत एवं कठिन परिस्थिति में भाग्य के विपरीत हो जाने पर भी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। 'पंचतंत्र' की कहानियों के कथानकों से विद्यार्थी, शिक्षक, व्यवस्थापक संगठन, एकता की शक्ति, बाहरी व्यक्ति व चापलूसों के बहकावे में आकर अपनों पर शक न करना, मित्रों के साथ रहकर महत्तम समाजोपयोगी कुशलताओं का विकास तथा उपलब्ध मानव संसाधन का समुचित उपयोग करना आदि सीख सकते हैं।

काकोलूकीयं में वर्णित नीतिगत प्रतिमान एवं प्रबंधकीय व्यूह रचनाओं के निर्माण में उनकी प्रासंगिकता

संधि व विग्रह नीति के विविध पक्षों के रूप में 'कौआ और उल्लुओं की कथा' के माध्यम से प्रबंधकीय व्यूह रचनाओं की समझ 'पंचतंत्र' के तृतीय खंड काकोलूकीयं में निहित है। प्रतिस्पर्धिता व मित्रता की कसौटी के मद्देनजर संचालकों को अपने साथियों, कर्मचारियों, सहकर्मियों के साथ कब, कैसा व्यवहार करना चाहिए, की सीख यहाँ से ली जा सकती है। प्रायः स्वार्थी प्रतिस्पर्धी मित्रता का दिखावा करने की नीति अपनाकर मौका देखकर प्रतिद्वंद्वी का सर्वनाश कर देता है। नीति कहती है—

यः उपेक्षेत शत्रुं स्वं प्रसरन्तं यदृच्छया।
रोगं चालस्य संयुक्तः स शनैः हन्यते।। 137।।
पंचतंत्र तृतीय खंड

जो मनुष्य स्वतंत्रता से बढ़ते हुए अपने प्रतिस्पर्धी की और रोग से उत्पन्न आलस्य के कारण उपेक्षा कर देता है, वह धीरे-धीरे उसी प्रतिस्पर्धी या रोग के द्वारा मारा जाता है, फिर चाहे वह कितना ही बलवान क्यों न हो।

शिक्षण संस्थान जो अपने परंपरागत ढाँचे में ही रूढ़िगत रूप से शिक्षण व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं, नवीन परिवर्तनों के अनुरूप स्वयं की क्षमताओं का विकास करने में उदासीनता दिखा रहे हैं, उन्हें सावधान होना होगा तथा तदनुरूप अपनी दक्षताओं व व्यूह रचना का निर्माण करना होगा, जिसके नीतिगत प्रतिमानों की सीख इस कथानक से ली जा सकती है—

यद्यपि उल्लुओं का राजा अरिमर्दन कौओं के राज मेघवर्ण से अधिक शक्तिशाली था, किंतु वह आलस्य में रहते हुए, शक्ति के मद में रहते हुए अपने मंत्री की सलाह को तवज्जो नहीं देता है, मंत्रियों की कार्यकुशलता व बुद्धिमत्ता का सही परीक्षण नहीं कर पाता है, बहुमत के सामने उचित विचार की उपेक्षा करता है, प्रतिस्पर्धी के शरणार्थी दूत पर अंधा विश्वास करते हुए उसे अपने समूह के अंदर प्रविष्ट होने देता है, अपनी आंतरिक व्यूह रचना परिवर्तित करता है एवं दूसरी तरफ उल्लुओं के आक्रमण से पीड़ित कौओं का राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठकर प्रतिस्पर्धी की शक्ति और उसके द्वारा पहुँचाए जा रहे सतत नुकसान के बारे में विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से परीक्षण करता है। वह स्थिति का तटस्थ मूल्यांकन एवं समूह के सभी सदस्यों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करते हुए सभी के समक्ष अपने विचार रखता है कि, "हमारा प्रतिस्पर्धी शक्तिशाली, उद्यमी और अवसर को पहचानने वाला है, इसलिए वह रोज रात होते ही हमारे लोगों को मारता है, अब आप लोग बताइए कि हमें क्या उपाय करना चाहिए? हम लोग रात को देख नहीं सकते और न ही हम उनके दुर्ग को जानते हैं, जिससे दिन में जाकर उन्हें मारा जा सके। इसलिए इस विषय में क्या करना उचित होगा? संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय एवं द्वेधीभाव नीति इन छह उपायों में से किसे काम में लाना चाहिए।" नीति कहती है कि राजा के पूछने पर जो मंत्री या मंत्रिमंडल सही सलाह नहीं देता अथवा चापलूसी के चलते मुँह-देखी बात करता है, उसे प्रतिस्पर्धी से भी अधिक घातक समझना चाहिए। यह नीति शिक्षण संस्थानों व संचालकों को बेहतर कार्यक्षम व पोषणाक्षम बना सकती है।

भारतीय साहित्य के एक अन्य ग्रंथ 'सुभाषितानि' में विद्यार्थियों को सचेत करते हुए कहा गया है— अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम्। शिक्षार्थी के पाँच लक्षणों में भी स्पष्ट रूप से आलस्य त्याग की बहुत ही सुंदर सीख दी गई है—

काक चेष्टा, बको ध्यानं, श्वान निद्रा तथैव च।
अल्पहारी, गृहत्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणं।।

शिक्षण संस्थाएँ साधन संपन्न, उद्यमी, सुगम एवं सहज कार्य संस्कृति अनुलक्षी तथा उद्यमी बनें, शैक्षणिक ध्येयों की सिद्धि की कार्ययोजना में संबंधित सभी पक्षकारों की योग्य भागीदारी व भूमिका सुनिश्चित करें, अवसरों को पहचान कर समाज को उस दिशा में ले जाने हेतु अभिप्रेरणात्मक वातावरण उपलब्ध कराएँ, ताकि उसमें पहलवृत्ति का बीजांकुर हो सके, जिसमें नवान्वेष अथवा समाजोपयोगी नवप्रवर्तन वट वृक्ष की तरह आकार ले सके।

कौओं के राजा मेघवर्ण के पाँच मंत्री थे— उज्जीवी, संजीवी, अनुजीवी, प्रजीवी और चिरंजीवी। राजा के कहने पर इनमें से प्रत्येक ने अलग-अलग

नीतियाँ अपनाने में अपना पक्ष प्रस्तुत किया। उज्जीवी ने कहा कि यदि प्रतिस्पर्धी बलवान है और प्रहार के अवसरों से भली-भाँति परिचित है तो उसके साथ संधि करना ही उचित होगा। क्योंकि 'सबल प्रतिस्पर्धी के साथ टकराने से निर्बल का नाश हो जाता है।' एक अन्य नीति कहती है—

भूमिः मित्रं हिरण्य वा विग्रहस्य फलत्रयम्।
नास्त्येकं अपि यदि एषां विग्रहं न समाचरेत्।।138।।
पंचतंत्र तृतीय खंड

अर्थात विग्रह के फलस्वरूप यदि भूमि, मित्र या धन संपत्ति के किसी भी लाभ के मिलने की आशा न हो तो युद्ध नहीं करना चाहिए। यदि समय अनुकूल न हो तो बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह कछुए की तरह अपने अंगों को समेट ले और चुपचाप चोट पर चोट सह ले। इस प्रकार वह संधि की नीति का परामर्श देता है।

मेघवर्ण के कहने पर दूसरा मंत्री संजीवी इस पर अपने विचार रखते हुए कहता है कि क्रूर, लालची व अधर्मी प्रतिस्पर्धी से संधि कदापि उचित नहीं है। अपनी आत्मा, अस्मिता एवं मानवीय मूल्यों की कीमत पर कोई समझौता कदापि उचित नहीं, क्योंकि नीति कहती है—

क्रूरो लुब्धोलसोसत्यः प्रमादी भीरु अस्थिरः।
मूढ़ो युद्धावमन्ता च सुखेच्छेद्यो भवेत् रिपुः।। 140
पंचतंत्र तृतीय खंड

अर्थात क्रूर, लोभी, आलसी, झूठे, प्रमादी, डरपोक, अस्थिर, मूर्ख और अपने सैनिकों का अपमान करने वाले प्रतिस्पर्धियों को आसानी से निर्मूल किया जा सकता है। वह कहता है कि हमारे प्रतिस्पर्धी ने हमारा अपमान किया है। यदि हम उसके सामने संधि का प्रस्ताव करते तो वह अधिक क्रोध करेगा। दंड से वश में करने योग्य प्रतिस्पर्धी के सामने यदि शांति की चर्चा की जाए तो वह इसे अपना अपकार समझता है।

अलग-अलग विशिष्टता वाली शिक्षण संस्थाएँ यदि साथ मिलकर विद्यार्थी, समाज व राष्ट्र हित में समन्वित रूप से काम करती हैं तो राष्ट्र व समाज के हित में श्रेष्ठ परिणाम आ सकते हैं। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के कार्यक्षम अमलीकरण पथ पर इसी उत्साह के साथ सभी हितधारकों को कदम से कदम मिलाकर संगठित व समन्वित होकर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि यह राष्ट्रीय मिशन है, जिसकी सफलता सभी की सक्रिय रचनात्मक सहभागिता पर निर्भर है।

संजीवी का परामर्श सुनकर मेघवर्ण ने अनुजीवी से भी राय माँगी। उसने कहा कि हमारा प्रतिस्पर्धी बलवान और अत्यंत दुष्ट है तथा किसी भी तरह की मर्यादा को नहीं मानता। अतः उससे संधि और विग्रह दोनों ही उचित नहीं हैं। उसके सामने तो यान अर्थात पलायन ही उचित उपाय है। यह यान दो प्रकार का होता है— एक भयभीत होकर आत्मरक्षा के लिए पलायन तथा दूसरा विजय की कामना से प्रतिस्पर्धी पर आक्रमण हेतु पलायन।

शिक्षण संस्थानों का दुर्ग उनकी संचालन नीतियाँ हैं, जो वातावरण को अनुशासित रखती हैं, शैक्षणिक व शैक्षणोत्तर प्रवृत्तियों के संचालन को गति प्रदान करती हैं तथा विद्यार्थियों के चहुँमुखी विकास के लिए आवश्यक हैं। इस नीति को अपनाकर शिक्षण

संस्थान प्रतिस्पर्धा के समय में स्वयं को व अपने विद्यालय व विद्यार्थियों को तैयार कर सकते हैं। वर्तमान व भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए यदि दुर्ग की सुरक्षा का अभिगम शिक्षा संस्थान अपने शिक्षकों व विद्यार्थियों को कुशल करने में अपनाएँ तो आमूलचूल परिवर्तन किए जा सकते हैं।

नीति कहती है कि, "यदि भेड़ा पीछे हटता है, तो अधिक ताकतवर प्रहार करने के लिए।" इसलिए अनुकूल समय की प्रतीक्षा व शक्ति संचय की तैयारी के लिए यान या पलायन उचित ही है।

विद्यार्थी वर्ग सीख ले कि चुनौतियों का सामना करने के लिए समुचित शक्ति संचय हेतु पीछे हटने की व्यूह रचना कारगर सिद्ध हो सकती है।

तत्पश्चात मेघवर्ण ने अगले मंत्री प्रजीवी से भी अपना मंतव्य व्यक्त करने को कहा। वह बोला कि महाराज मुझे तो संधि, विग्रह और यान तीनों ही उपाय उचित प्रतीत नहीं होते हैं। मुझे तो आसन अर्थात अपने दुर्ग में बैठकर प्रतिस्पर्धी के आक्रमण की प्रतीक्षा करना ही समुचित लगता है। नीतिकार कहते हैं—

स एव प्रच्युतः स्थानात् शुनापि परिभूयते।।

अर्थात मगर जल में रहते हुए गजराज को भी खींच लेता है तथा बाहर निकल आने पर मामूली कुत्ते से भी पराजित हो जाता है। अपने स्थान पर रहते हुए वह सैकड़ों प्रतिस्पर्धियों का सामना आसानी से कर लेता है। उसे पलायन की बजाए अपने दुर्ग की व्यवस्थाओं— योद्धा, अस्त्र, शस्त्र, रसद आदि सुरक्षात्मक उपायों पर ध्यान देकर अपने गढ़ में ही निवास करना चाहिए। युद्ध में यदि जीवित रहे तो साम्राज्य और मृत्यु हुई तो स्वर्ग मिलेगा।

इसके बाद अगले मंत्री चिरंजीवी ने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि महोदय मुझे तो संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधीभाव और संश्रय आदि छह उपायों में संश्रय अर्थात मित्र बल का आश्रय ही उचित प्रतीत होता है, क्योंकि अकेला व्यक्ति कितना ही तेजस्वी क्यों न हो, वह अकेला असहाय हो जाता है, वायुविहीन स्थान में प्रज्ज्वलित अग्नि भी बुझ जाती है। अतः यहीं रहकर समर्थ का सहारा लेना उचित है। कहा भी गया है—

महाजनस्य संपर्कः कस्य न उन्नतिकारकः।
पद्मपत्रस्थितं तोयं धत्ते मुक्ताफलश्रियम।।144।।
पंचतंत्र तृतीय खंड

अर्थात महापुरुषों का सहयोग व सानिध्य पाकर किसकी उन्नति नहीं हो जाती? अर्थात महापुरुषों का सहयोग व सानिध्य पाकर हर किसी की उन्नति हो जाती है, जिस प्रकार जल की बूँद कमलपत्र का साथ पाकर मोती जैसी आभावान बन जाती है।

यदि आप स्थान छोड़कर चले जाएँगे, तो कोई भी किसी भी प्रकार से आपकी सहायता नहीं करेगा। जिस प्रकार जंगल के दावानल की सहायता पवन करता है, किंतु वही पवन दीपक को बुझा देता है। निर्बल का कोई मित्र नहीं होता।

चिरंजीवी का संश्रय का परामर्श सुनने के बाद मेघवर्ण ने अपने वयोवृद्ध, दूरदर्शी, संपूर्ण नीतिशास्त्र में पारंगत मंत्री स्थिरजीवी को प्रणाम कर उनकी राय प्रस्तुत करने का निवेदन किया।

स्थिरजीवी ने कहा कि सभी मंत्रियों ने नीतिसम्मत परामर्श ही दिए हैं, जो समय और परिस्थिति के अनुसार उपयोगी हैं। किंतु इस समय जो स्थिति है उसमें द्वैधीभाव (दुहरी चाल) को अपनाना श्रेयस्कर होगा अर्थात ऊपर से मित्रता का दिखावा करें, किंतु भीतर ही भीतर युद्ध की तैयारी करते रहें। हमें प्रतिस्पर्धी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, किंतु प्रतिस्पर्धी को लोभ-लालच दिखाकर उसके हृदय में गहरा विश्वास उत्पन्न करना चाहिए। नीति कहती है कि जो मनुष्य प्रतिस्पर्धी, दुष्ट मित्र और अन्य लोगों पर आँख मूँदकर विश्वास कर लेता है, वह अधिक समय तक जीवित नहीं रहता। हमें अपना कार्य निष्कपट भाव से करना चाहिए, जिसमें गुरुता, देवत्व व ब्राह्मणत्व के गुण विद्यमान हों।

राजन आप द्वैधीभाव का आश्रय लेकर अपने स्थान पर भी बने रहेंगे और लोभ-लालच देकर अपने प्रतिस्पर्धी को भी उखाड़ फेकेंगे। यदि प्रतिस्पर्धी की कोई कमजोरी पता चल जाए तो उसे समूल उखाड़ने में समय नहीं लगेगा।

मेघवर्ण ने कहा कि तात मुझे तो उसके स्थान का भी पता नहीं, फिर उसकी कमजोरी कैसे ज्ञात कर पाऊँगा। स्थिरजीवी ने कहा कि वत्स, मैं अपने गुप्तचरों द्वारा उसके स्थान को अपितु दोषों की जानकारी भी प्रकट कर दूँगा। कहा गया है कि गाय आदि पशु गंध के द्वारा देखते हैं, ब्राह्मण वेद-शास्त्रों के द्वारा देखते हैं, राजा गुप्तचरों के माध्यम से देखते हैं, जबकि साधारण लोग आँखों के माध्यम से ही देख पाते हैं।

शिक्षकगण अपने विद्यार्थियों की उन कमजोरियों को ज्ञात करने में सहायता कर सकते हैं, जो उन्हें भ्रमित करती हैं, शिक्षण व सीखने की प्रक्रिया से दूर ले जाती हैं, हताशा की ओर ले जाती हैं।

यह कथानक नीतिगत रूप से निर्देशित करता है कि विद्यार्थी संगठित, सुनियोजित, सुयोग्य व दूरदर्शी प्रयास के द्वारा ही अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि वे अपनी दक्षताओं और कौशलों को उत्तरोत्तर परिष्कृत एवं परिमार्जित करते हुए निरंतर समृद्ध हों, किंतु अहंकार में साथियों के सहयोग की उपेक्षा या अवगणना न करें। यह नीति टीम भावना के साथ कार्य करने, साथियों से उनकी योग्यता व क्षमता के अनुसार काम लेने तथा उनके प्रयासों को सामूहिक ध्येय सिद्धि की दिशा में ले जाने तथा प्रशिक्षुओं की नेतृत्व शक्ति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कथानक में वर्णित विषम परिस्थितियों में भी धैर्य धारण करने की शिक्षा एवं निरंतर अभ्यास की वृत्ति न केवल व्यक्ति की सफलता के द्वार खोलती है, अपितु अस्तित्व के संरक्षण के साथ उसके व्यक्तित्व का चहुँमुखी विकास कर सकती है।

शिक्षण जगत में सकारात्मक दृष्टिकोण से द्वैधी चाल का अभिगम प्रायः यत्र-तत्र उपयोग में देखा जाता है। यथा विद्यार्थी के हित में शिक्षक को नारियल की उपमा दी जाती है, जो ऊपर से कठोर तथा अंदर से मुलायम होता है, विद्यार्थी को अनुशासित रखकर ध्येय सिद्धि की ओर ले जाता है। वहीं कठिन परिस्थितियों में वह उसका दामन

नहीं छोड़ता। शिक्षण संस्था संचालक या प्रमुख जब अपने स्टॉफ के साथ काम करता है तो वह सकारात्मक रूप में इस नीति को अपनाकर संस्थान की नींव सुदृढ़ कर सकता है तथा संस्था के विरुद्ध चलने वाले खतरों से सावधान रहते हुए उपयुक्त समय पर उपयुक्त उपाय कर सकता है। संस्थाओं के मध्य समन्वय को लेकर सकारात्मक स्वरूप में इस नीति को अपनाया जा सकता है तथा शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार हेतु पारस्परिक क्षमतावर्धन किया जा सकता है। उच्च शिक्षण संस्थानों में 'फैकल्टी एक्सचेंज' का कार्यक्रम बनाया गया है। यदि संस्था उदारतापूर्वक इसे स्वीकार करती है तो समूचे शिक्षण जगत को बेहतर तरीके से लाभान्वित कर सकती है।

समूचे शिक्षण जगत में विशेषकर विद्यार्थियों को निरंतर प्रयास करने की सीख प्रदान करने वाली उपरोक्त नीति अत्यंत उपयोगी प्रतीत होती है। शिक्षण संस्थान भी इस नीति पर अमल कर नवप्रवर्तन व गुणवत्तापूर्ण शोध के प्रयासों में निरंतरता बनाए रखें, उन्हें किसी भी परिस्थिति में अवरुद्ध न होने दें ताकि विद्यार्थी, समाज व राष्ट्र समन्वित रूप से लाभान्वित होकर सफलता के नए आयाम स्थापित कर सकें।

स्थिरजीवी ने अपने परम प्रतिस्पर्धी किंतु दिखावटी मित्र उल्लूराज को अपनी तथाकथित दुर्दशा की कथा विस्तार से कह सुनाई कि आपके द्वारा असंख्य कौओं के मारे जाने पर राज मेघवर्ण ने आप पर चढ़ाई करने की योजना बनाई, किंतु मेरे द्वारा यह समझाने पर कि उसे आपके जैसे बलवान प्रतिस्पर्धी पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, वह मुझे आपका हितैषी और अपना प्रतिस्पर्धी मानने लगा और मेरी यह दुर्दशा कर दी। नीति कहती है—

बलवन्तं रिपुं दृष्टवा सर्वस्वमपि बुद्धिमान्।
दत्त्वा हि रक्षयेत् प्राणान् रक्षितैस्तैर्धनं पुनः।।159।।
पंचतंत्र तृतीय खंड

अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि अपने से बलवान प्रतिस्पर्धी को देखे तो अपना सर्वस्व देकर भी प्राणों की रक्षा कर ले। एक बार यदि जान बच गई तो धन बाद में भी आ जाएगा। कहा भी गया है 'जान है तो जहान है।' किंतु उसने मेरी एक नहीं मानी। अब मैं आपकी शरण लेना चाहता हूँ और अधिक क्या कहूँ जब मैं चलने-फिरने लायक थोड़ा स्वस्थ हो जाऊँगा तब मैं स्वयं आपको प्रतिस्पर्धी के ठिकाने पर ले जाऊँगा और उसके सर्वनाश में आपका सहभागी बनूँगा।

प्रतिस्पर्धी पक्ष की मंत्रणा—बहुमत बनाम उचित मत

प्रतिस्पर्धी पक्ष के स्थिरजीवी की व्यथा सुनकर अरिमर्दन ने अपने पाँच मंत्रियों— रक्ताक्ष, क्रूराक्ष, दीप्ताक्ष, वक्रनास और प्राकरकर्ण से मंत्रणा की कि प्रतिस्पर्धी पक्ष का एक मंत्री हमारे कब्जे में आ गया है तो अब हमें क्या करना चाहिए?

रक्ताक्ष ने कहा कि, इसमें विचारने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नीति कहती है—

हीनः शत्रुः निहन्तव्यो यावन्न बलवान भवेत्।
प्राप्तस्वपौरुषबलः पश्चात् भवति दुर्जयः।।160।।
पंचतंत्र तृतीय खंड

अर्थात जब प्रतिस्पर्धी कमजोर हो तभी उसे मार देना चाहिए, अन्यथा बलवान होने पर वह अजेय हो

जाता है। ऐसा सुअवसर बार-बार नहीं आता। अतः हमें ऐसा अवसर नहीं गँवाना चाहिए। प्रतिस्पर्धी द्वारा फैलाए गए लोभ के जाल को भली-भाँति पहचानकर उससे बचने का प्रयास कर लेना ही उचित है।

इस नीति पर अमल करते हुए शिक्षण जगत के सभी पक्षकारों को चाहिए कि वे व्यवस्था में पनप रहे दूषणों व विकृतियों को समय रहते पहचानें एवं पूरी ताकत, संकल्प, ईमानदारी व निष्ठापूर्वक प्रयासों के माध्यम से समय रहते उन्हें दूर करें। संस्था का वातावरण इतना सुगम हो कि सभी अपने अवगुणों की पहचान स्वयं करें तथा अन्य सदस्य सहृदयता के साथ दूर करने में सहायक बनें तथा हर हाल में लोभ लालच से बचें।

कहते हैं कि अति लोभ के परिणामस्वरूप मित्रता टूट जाती है। इस तरह प्रतिस्पर्धी से मित्र बन रहे व्यक्ति पर किसी तरह विश्वास करना उचित नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार अति लोभ के कारण मित्रता टूट जाती है, उसी प्रकार क्षमता के बाहर संस्था का विस्तार करते जाने पर गुणवत्ता का ह्रास हो जाता है।

दूसरे मंत्री क्रूराक्ष ने पहले मंत्री से असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि महाराज शरणागत को नहीं मारा जाता, अपितु उसका उचित आदर सत्कार किया जाता। (आदर्शों की रक्षा सर्वस्व समर्पित करके भी करनी चाहिए तभी शिक्षण संस्थाएँ ध्येय सिद्धि के प्रति अपनी कटिबद्धता प्रदर्शित कर सकती हैं। गांधीजी ने साधन शुद्धि व ध्येय शुद्धि के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए कहा है कि सच्चे ध्येय की प्राप्ति के लिए, सही साधनों का प्रयोग अनिवार्य है। नीम का बीज बोकर आम के फल की आकांक्षा नहीं की जा सकती।)

यह सुनकर तीसरे मंत्री दीप्ताक्ष ने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि देव, इसे नहीं मारना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी बुरा करने वाले का भी भला हो जाता है। इसलिए जो हमारे प्रतिस्पर्धी से तिरस्कृत होकर आया है, वह हमारे लिए लाभदायक ही रहेगा और हमें प्रतिस्पर्धी पक्ष की कमजोरियों की जानकारी देगा।

उसके मंत्री वक्रनास का भी मत था कि शरणागत को नहीं मारा जाना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी आपस में लड़ते हुए प्रतिस्पर्धी भी हितकारी होते हैं।

एक और मंत्री प्राकरकर्ण का भी यही मत था कि इसका वध नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी रक्षा करने से तनाव कम हो सकता है। नीति कहती है कि प्रतिस्पर्धियों को एक-दूसरे के गुप्त राज सभी के सामने उजागर नहीं करने चाहिए, वरना किसी तीसरे द्वारा दोनों का सर्वनाश होने में देर नहीं लगती। अतः हमें प्रतिस्पर्धी पक्ष से अपनी शरण में आए मंत्री की रक्षा करनी चाहिए।

निर्णय की परिणति पर विश्लेषणात्मक चिंतन

उल्लुओं का राजा अरिमर्दन रक्ताक्ष के अतिरिक्त अन्य सभी मंत्रियों के मत व दलीलों से सहमत हुआ। किंतु कुशल व अनुभवी राजनीतिज्ञ रक्ताक्ष को अतर्कसंगत बातों पर सबकी सहमति से काफी खेद हुआ। नीति में कहा गया है कि जिस देश में अपूज्य व्यक्तियों की पूजा होती है या पूज्य व्यक्तियों का

अपमान होता है, वहाँ अकाल, महामारी या अग्नि आदि उपद्रव फैलते हैं। उसे प्रतिस्पर्धी पक्ष के मंत्री का यूँ कब्जे में आ जाना सहज नहीं लग रहा था। उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उसके मीठे लुभावने शब्द जाल में फँसने से स्वयं को बचाना ही हितकर है। क्योंकि कोई भी अंततः अपनी जाति या समूह के मूल स्वभाव की ओर ही आकर्षित होता है।

शैक्षणिक संस्थानों के सुयोग्य प्रशासन में इस नीति की प्रासंगिकता व सार्वभौमिकता स्पष्ट दिखाई देती है। यदि संस्थान अपनी व्यवस्थाओं का सुव्यवस्थित संचालन बनाए रखना चाहते हैं, तो प्रलोभनों से बचते हुए वस्तुस्थिति को पहचानें और सच्चाई को प्रोत्साहित करें। इसी प्रकार शिक्षक समुदाय से भी इस नीति के पालन की अपेक्षा की जाती है, ताकि वे आत्म-अनुशंसा तथा अल्पकालिक प्रलोभनों से भ्रमित व प्रभावित न होकर चरित्रवान, अनुशासित व योग्य विद्यार्थी शक्ति के निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित कर सकें।

किंतु उल्लूराज अपने वयोवृद्ध मंत्री रक्ताक्ष की सलाह की परवाह न करते हुए स्थिरजीवी को अपने दुर्ग में ले गए। स्थिरजीवी ने हँसते हुए अपने मन में कहा कि वास्तव में रक्ताक्ष ही राज्य का सच्चा हितैषी और नीतिज्ञ है, जिसने मुझे मार डालने की सलाह दी। उल्लुओं के राजा अरिमर्दन ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि स्थिरजीवी हमारे हितैषी हैं, इनका ध्यान रखा जाए, ये चाहे जैसे रहें।

“स्थिरजीवी ने विचार किया कि यदि मैं दुर्ग के अंदर रहते हुए इनके विनाश की योजना बनाता हूँ तो मेरे हाव-भाव से अथवा कभी असावधानीवश मेरा राज प्रकट हो सकता है। इससे मुझ पर और मेरे कुल पर संकट आ सकता है तथा मेरा उद्देश्य पूरे हुए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ। इसलिए दुर्ग के द्वार पर रहकर मेरे लिए लक्ष्य सिद्ध करना आसान होगा। ऐसा सोचकर उसने उल्लूराज से कहा कि मेरा दुर्ग के भीतर रहना उचित नहीं होगा, भले मैं आपका भक्त, हितैषी और विश्वासपात्र हूँ, किंतु प्रतिस्पर्धी पक्ष से आया हुआ हूँ। इसलिए यदि आप आज्ञा दें, तो मैं दुर्ग के द्वार पर रहना पसंद करूँगा, ताकि आते-जाते प्रतिदिन आपकी चरण रज लेकर स्वयं को आपकी सेवा से धन्य करता रहूँगा।” उल्लूराज उसके स्वप्रशंसा व चापलूसी भरे झांसे में आ गया। अब उल्लूराज की मेहरबानी से उसे प्रतिदिन अच्छा भोजन मिलने लगा, इससे थोड़े ही दिनों में वह हृष्टपुष्ट हो गया।

कर्तव्यनिष्ठ मंत्री द्वारा राजा और राज को बचाने की अंतिम नसीहत...

इस तरह की खातिरदारी से रक्ताक्ष को अंदर से बहुत गुस्सा आने लगा था और आश्चर्य भी हो रहा था। उसकी सीख सर्व कल्याणकारी होने के बाद भी उपेक्षित हो रही थी, तथापि राजधर्म निभाते हुए उसने राजा को सावधान किया।

‘पंचतंत्र’ के रचनाकार ने इस कथानक के माध्यम से विविध संस्थानों के संचालकों को भी सीख देने का प्रयास किया है कि वे अनुचित प्रशासनिक व्यवहारों पर अंकुश रखें, चापलूसों को अपने आस-पास एकत्रित न होने दें, छद्म व क्षणिक वाहवाही पाने के लालच में संस्थानीय प्रशासकीय व्यवहारों को दूषित न करें। वे यह भली-भाँति समझ

लें कि शासक या शासन बदलने से दशा-दिशा नहीं बदलती अपितु नीतिगत प्रतिमानों के प्रति निष्ठा से शैक्षणिक-सामाजिक क्रांति का सूत्रपात किया जा सकता है। अन्यथा चापलूसों की जमात तो "फूट डालो राज करो" चुगली व खोटी प्रशंसा करने की दुर्नीति को अपनाकर, चने के पेड़ पर बैठाकर येनकेन प्रकारेण अपना उल्लू सीधा करने में लगी रहती है। उसे संस्था के अस्तित्व या संस्था के हितों से कोई सरोकार नहीं होता। जब राजा परिणामों पर विचार किए बिना अनुचित निर्णय लेने लगे, नीर-क्षीर का विवेक न रख सके, तब उसका साथ शीघ्र छोड़कर चले जाना चाहिए। अतः रक्ताक्ष ने अपने अनुचरों के साथ वह स्थान छोड़ने का निर्णय कर लिया। कहा भी है—

न दीर्घदर्शिनो यस्य मन्त्रिणः स्युः महीपते।
क्रमायाता ध्रुवं तस्य न चिरात् स्यात् परिक्षयः।।174।।
पंचतंत्र तृतीय खंड

जिस राजा के पास दूरदर्शी पुश्तैनी मंत्री नहीं होते, उसका विनाश निश्चित रूप से शीघ्र ही हो जाता है।

स्थिरजीवी की प्रतिस्पर्धी के गढ़ में व्यूह रचना

स्थिरजीवी ने सोचा कि अब मेरा कार्य और आसान हो गया है, क्योंकि इसके पास यही एक दूरदर्शी नीतिज्ञ था, जिसने इसे छोड़ दिया। जो मंत्री राजा और राज्य का हित न देखकर अनुचित सलाह देते हैं, उन्हें मंत्री के रूप में प्रतिस्पर्धी ही समझना चाहिए। उल्लूराज की इसी मनोवृत्ति का लाभ उठाकर स्थिरजीवी घोंसला बनाने के बहाने दुर्ग के बाहर लकड़ियाँ इकठ्ठी करता रहा और एक दिन सूर्यास्त के बाद जब उल्लुओं को दिखना बंद हो जाता है तो उड़कर अपने सरदार मेघवर्ण के पास पहुँचकर बोला कि मैंने प्रतिस्पर्धी के सर्वनाश की पूरी तैयारी कर दी, आप वहाँ चलकर अपने हाथों से प्रतिस्पर्धी का शीघ्र विनाश कर दीजिए। क्योंकि नीति कहती है—

शीघ्रकृत्येषु कार्येषु विलम्बयति यो नरः।
तत्कृत्यं देवतायस्तस्य कोपात् विघ्नन्ति असंशयम्।।176।।
पंचतंत्र तृतीय खंड

अर्थात जो मनुष्य तत्काल पूरे किए जाने वाले कार्य को भी लटकाए रखता है, वह उसे कभी पूरा नहीं कर पाता। उसकी इस आदत से अप्रसन्न होकर देवता भी उसके कार्य में विघ्न डालते हैं। यह भी सीख दी गई है कि जिस कार्य का फल शीघ्र मिलने वाला हो, उस कार्य में विलंब करने पर उसका रस काल देवता पी जाते हैं।

इस नीति से विद्यार्थियों को यह सीख मिलती है कि विद्यार्थियों को समय पर अपने विद्यालय से मिले गृहकार्यों को पूरा करना चाहिए अथवा समय पर परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों में समय पर कार्यों को करने की अच्छी आदतों का विकास हो सके।

इस प्रकार स्थिरजीवी अपने सरदार मेघवर्ण से कहता है कि आप प्रतिस्पर्धी की गुफा को जलाकर अपना मनोरथ पूर्ण कीजिए बाकी कथा कुशलक्षेम वापस आकर विस्तार से बताऊँगा।

मेघवर्ण दलबल के साथ उल्लुओं की गुफा के बाहर जा पहुँचा, जलती हुई लकड़ी वहाँ डालकर

उल्लुओं की जीवित चिता उनके ही दुर्ग में बना दी। कार्य संपन्न होने पर अर्थात अपने परम प्रतिस्पर्धी उल्लुओं का समूल विनाश हो जाने के बाद मंत्री स्थिरजीवी ने अपने राजा मेघवर्ण को कहा कि प्रतिस्पर्धियों के बीच रहना यद्यपि तलवार की धार पर चलने के समान है, किंतु उनके द्वारा अपने ही विद्वान, नीतिज्ञ मंत्री रक्ताक्ष की उपेक्षा ने मेरा आत्मविश्वास बढ़ा दिया क्योंकि उसकी अनुभवी निगाहों ने पहली बार में ही जान लिया था कि मेरे अंदर कैसी बदले की आग सुलग रही है। रक्ताक्ष के अतिरिक्त बाकी सब तो महामूर्ख और नाम के ही मंत्री थे। नीति कहती है—

लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री,
नष्टक्रियस्य कुलं अर्थपरस्य धर्मः।
विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं,
राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य।।179।।
पंचतंत्र तृतीय खंड

अर्थात लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है, निन्यान्वे के चक्कर में फँसे हुए का धर्म नष्ट हो जाता है, जुए आदि व्यसनों में फँसे हुए व्यक्ति की विद्या तथा शक्ति नष्ट हो जाती है, कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार दुष्ट और असावधान मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है।

इस नीति को शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में प्रक्षेपित करें तो हम पाते हैं कि गलत तरीके व अनैतिक व्यवहार अपनाने से संस्था की शक्ति व नैतिकता समाप्त हो जाती है। संचालकों को चाहिए कि वे संस्थाओं को साधन संपन्न बनाएँ, अभौतिक ज्ञान चरित्र की संपदा से सुसज्जित करें, जड़ता से दूर रहकर जड़ों से जुड़ने के प्रयत्न में रत रहें, नहीं तो वैयक्तिक व सामूहिक सुख दोनों ही बाधित होते हैं।

नीति से विभूषित महापुरुष आरंभ किए गए कार्य को बार-बार विघ्न आने पर भी बीच में नहीं छोड़ते, नीच लोग विघ्नों के भय से कार्य को आरंभ ही नहीं करते, जबकि मध्यम कोटि के लोग विघ्न आने पर कार्य बीच में ही छोड़ देते हैं। विपत्ति के समय धैर्य रखते हुए युक्ति से युक्त होकर, उन कार्यों को करने के लिए भी तत्पर हो जाना चाहिए, जो आपके स्वभाव के प्रतिकूल हो। यदि भविष्य में इससे कार्य सिद्धि की आशा हो।

समन्वित शैक्षणिक परिवेश एवं व्यावसायिक दक्षता सिद्धि की दिशा में काकोलूकीयम प्रकरण और प्रबंधकीय व्यूह रचना

काकोलूकीयम प्रकरण दो समूहों के मध्य अस्तित्व की लड़ाई है, जिसमें एक समूह ताकतवर व साधन संपन्न होते हुए भी उपयुक्त व्यूह रचना के अभाव में न केवल युद्ध हारता है, अपितु अपना सर्वनाश करा लेता है। 'पंचतंत्र' के काकोलूकीयम प्रकरण के विश्लेषण से संतुलित समन्वित शैक्षणिक परिवेश एवं असरकारक व्यावसायिक व्यूह रचना निर्माण की जिसे निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है—

1. ***स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में टिके रहने हेतु योजना बनाने व कार्यान्वित करने से पूर्व साधन-संसाधन एवं वातावरणीय घटकों का विश्लेषण***— शिक्षण संस्थान विकास योजना बनाते समय अपने आस-पास के वातावरण का

यथोचित विश्लेषण कर लें, तो वर्तमान व भावी चुनौतियों का सामना करने हेतु कारगर योजना का निर्माण कर सकते हैं। गुणवत्तायुक्त शिक्षण की सुनिश्चितता के इस दौर में अपनी प्रतिष्ठा व अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए संस्थाओं को अन्य संस्थाओं की तुलना में बेहतर निर्णय लेने होते हैं। इसलिए आयोजन के समय अपने साधन-संसाधनों के विश्लेषण के साथ प्रतिस्पर्धी संस्था की क्षमताओं का भी स्वॉक (SWOC) विश्लेषण (सुदृढ़ और कमजोर पहलुओं का) अवश्य कर लेना चाहिए। 'पंचतंत्र' के कथापात्र दुर्गपति उल्लूराज ने इस घटक की उपेक्षा की और अपने सर्वनाश को आमंत्रित कर लिया। अस्तित्व संरक्षण के लिए यह नीति उपयोगी शिक्षण व शिक्षणोत्तर गतिविधियों के आयोजन में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकती है, विद्यालय व विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धी लक्ष्य के निकट पहुँचा सकती है। 'पंचतंत्र' कथानकों के आधार पर कहा जा सकता है कि सक्षम और साधन संपन्न होते हुए भी प्रतिस्पर्धी संस्था के साथ बेवजह टकराव कर साधन व ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करना चाहिए और न ही प्रतिस्पर्धी को कमतर आँकने की भूल करनी चाहिए।

2. ***कर्मचारी व्यवस्थापन हेतु साम-दाम-दंड-भेद नीतियों का विवेकपूर्ण उपयोग***— 'पंचतंत्र' के काकोलूकीयम खंड में संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय व द्वैधीभाव इन छह प्रशासकीय नीतियों की चर्चा की गई है, जिनका अमलीकरण समय व परिस्थिति के अनुकूल करना चाहिए। भारतीय संस्कृति के अन्य स्वरूपों में इसे 'साम-दाम-दंड-भेद' नीति के रूप में वर्णित किया गया है। सामान्य रूप से 'साम' नीति का प्रयोग अपेक्षित होता है, क्योंकि सरलता किसी भी संगठन में साथी कर्मचारियों के कार्यकारी सहयोग को प्रोत्साहित करती है। किंतु जब कर्मचारी शिक्षण संस्थान व शिक्षण व्यवस्था को होने वाले नुकसान की परवाह किए बिना, अनुचित व्यवहार करते हैं, तब संधि और विग्रह नीति को अपनाकर शैक्षणिक वातावरण को अनुकूल बनाया जा सकता है। 'पंचतंत्र' तृतीय खंड के सूत्र संख्या 138 में कहा गया है कि विपरीत स्थितियाँ उत्पन्न होने पर बलवान के साथ संधि करते हुए संस्थान के अस्तित्व को बचा लेना ही श्रेयस्कर होता है। किंतु यदि उपद्रवियों को दंड से वश में करना संभव हो तो अनुशासित प्रशासन का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए, कठिन कदम उठाना संस्था के कार्य वातावरण निर्माण के लिए उचित होता है। इस प्रकार जब 'साम' 'दाम' और दंड नीतियाँ कारगर न हों, तो वहाँ 'भेद नीति' का प्रयोग करना चाहिए, जो मानव संसाधन संस्था के हित में साथ नहीं होता, उसे भेद नीति के द्वारा उद्देश्य प्राप्ति हेतु उसकी क्षमताओं का उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। 'पंचतंत्र' का कथानक स्पष्ट करता है कि प्रतिस्पर्धी और रोग की उपेक्षा करना संस्था के स्वास्थ्य के हित में नहीं होता। समय रहते उसकी पहचान, निदान एवं नीति सम्मत दीर्घगामी समाधान कर लेना ही उचित होता है।

3. ***संगठन के मिशन व ध्येय को सदैव सर्वोपरि रखें तथा नीतिमत्तात्मक मुद्दों में कोई समझौता न अपनाने की नीति***— संगठन यद्यपि व्यक्तियों का समूह है, व्यक्तियों के लिए व्यक्तियों द्वारा संचालित है तथापि उसका अपना पृथक संवैधानिक व सैद्धांतिक ढाँचा होता है, जिसकी अक्षुण्णता को बनाए रखना अनिवार्य है। शिक्षक-विद्यार्थी-प्रशासक इस व्यवस्था के अंग हैं, किंतु इन सबसे ऊपर संस्था के अपने ध्येय हैं, जिनके साथ समझौता नहीं होना चाहिए। कथानक सिद्ध करते हैं कि ऐसा होने पर कुल का समूल विनाश निश्चित हो जाता है। संस्था का अपना दर्शन, अपना आदर्श व संचालन मूल्य होता है, इसे बनाए रखने हेतु सावधानी व प्रतिबद्ध प्रयास अनिवार्य हैं। थोड़ी-सी असावधानी होने पर स्वार्थी तत्व व्यवस्था पर अपना नियंत्रण करके संस्था की दुर्गति कर देते हैं। मंत्री रक्ताक्ष की सर्वकल्याणकारी उचित सीख की उपेक्षा तथा चापलूसों के बहुमत के अंधानुकरण के परिणामस्वरूप ही शक्तिशाली उल्लूराज का सर्वनाश हुआ था।

संगठन की प्रतिष्ठा के लिए नुकसान होने पर भी नैतिक नीतिमत्ता को बनाए रखना एक सफल व्यूह रचना मानी जाती है, क्योंकि आर्थिक नुकसान की भरपाई हो सकती है, किंतु ध्येय व मिशन से प्रयासों से दूरी क्षम्य नहीं हो सकती है। किसी कार्य को बीच में छोड़ना तथा लक्ष्य व गुणवत्ता से समझौता करना, किसी भी स्थिति में उचित नहीं माना जाता है। नीति को छोड़ने पर मिलने वाली सफलता को ठुकरा देने का साहस पैदा करना सच्चे पुरुषार्थी का कार्य है। इसलिए यह आवश्यक है कि नीति और नैतिकता का अस्तित्व व्यूह रचना के केंद्र में हो।

4. ***प्रतिकूल परिस्थिति होने पर पीछे हटने की व्यूह रचना का अनुकरण***— यह नीति शैक्षणिक क्षेत्र जैसे सेवा संस्थानों एवं लाभ कमाने वाले व्यावसायिक संस्थानों पर समान रूप से लागू की जा सकती है। इस नीति को अपनाकर विद्यार्थी अपनी शक्तियों को संचित करते हुए कार्यक्षमता व कार्यकुशलता में वृद्धि की ओर अग्रसर हो सकता है और स्पर्धाओं में वांछित सफलता अर्जित कर सकता है।

5. ***लोभ, चुगलखोरी और व्यसन आदि से मुक्त होना***— संस्थाओं, शिक्षकों, विद्यार्थियों को अति महत्वाकांक्षा अथवा लोभ आदि से बचकर रहना चाहिए क्योंकि लोभी का यश, चुगलखोरों की मित्रता, व्यसन से विद्या, कंजूसी से सुख तथा असावधानी से राज्य तक चला जाता है। समुचित प्रबंधन की दिशा में संचालकों का स्वयं का आत्मबल व आत्मविश्वास, चरित्र तथा मित्रों का सहयोग अनिवार्य घटक हैं, जिनके प्रति सचेत रहकर सफलता सुनिश्चित की जा सकती है।

6. ***आलसरहित सन्निष्ठ व्यक्ति को ही अपना नेता या संचालक चुनने के आदर्श का अनुसरण***— शिक्षण संस्थानों के प्रशासन में नेतृत्व का दूरदर्शी, सजग, आलस्य रहित होना अनिवार्य है, तभी वह संस्थान को लक्ष्य सिद्धि की दिशा में ले जा सकता है। 'भारतीय संस्कृति साहित्य' में कहा गया है कि 'कथनी की बजाए करनी' अधिक प्रभावशाली होती है। नेता की

कर्मठता व कर्मशीलता ही अनुयायियों को आदर्श मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे सकती है।

7. ***व्यक्तिगत प्रतिशोध या महत्वाकांक्षा की आड़ में संस्था के अस्तित्व से खिलवाड़***— नीति शिक्षण संस्थानों के संचालक कई बार इस नीति की अवहेलना करते हुए संस्था के अस्तित्व को खतरे में डाल देते हैं और अपने व संस्थान के स्थापित आदर्शों के विनाश का कारण स्वयं बन सकते हैं। यह विनाश संचालकों व शिक्षण संस्था से जुड़े उन अन्य पक्षकारों की आँखों के समक्ष होता है, जो विवशतावश उस समय मौन रह जाते हैं। जब उन्हें बोलना चाहिए होता है, वे सच नहीं बोलते हैं। प्रतिशोध या महत्वाकांक्षा की राह में संस्थानीय आदर्श ह्रास न हो जाए, इसके प्रति सावधान रहना अनिवार्य है। अपने से अधिक ताकतवर प्रतिस्पर्धी से हाथ मिलाने पर वह आपके प्रतिस्पर्धी को तो समाप्त कर सकता है, किंतु उसके बाद वह आपके अस्तित्व को नुकसान पहुँचा सकता है।

8. ***संगठन के सदस्यों की भागीदारी, वयोवृद्ध अनुभवी सदस्यों का सम्मान, बड़ों की सीख को समझने, स्वीकार करने की व्यूह रचना अपनाना***— यह नीतिगत व्यूह रचना सभी प्रकार के संगठनों व संस्थाओं के संचालन में समान रूप से उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इससे उनके अनुभव का लाभ संगठन को मिलेगा, लोक संतुष्टि में वृद्धि होगी, पहलवृत्ति व नवाचारों को प्रोत्साहन मिल सकेगा, रचनात्मकता व सकारात्मकता में वृद्धि होगी। हमें बहुमत नहीं बल्कि उचित मत का स्वागत करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति, अपने गुरुजनों व हितैषियों से पूछकर कोई कार्य करता है तो उसके कार्य में कोई विघ्न नहीं आते। प्रबंधकों को चाहिए कि वे कर्मचारियों की निष्ठा व विश्वसनीयता की जाँच करते समय सावधान रहें। मनोभाव से उसकी छिपी मंशा को जानने का प्रयास करना चाहिए, किंतु हर समय उन्हें नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए।

9. ***भयजनित विपरीत परिस्थितियों में भी नीर-क्षीर का विवेक बनाए रखने की व्यूह रचना***— संस्थान के प्रबंध संचालकों को भयजनित व विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए तथा नीतिमत्ता से कोई समझौता किए बिना, उचित-अनुचित विवेक बनाए रखना चाहिए, क्योंकि विजय सत्य की ही होती है। प्रबंधकों को चाहिए के वे 'प्रतिक्षा करें और देखें' (वेट एंड वॉच) की नीति पर अमल करें, सही अवसर की प्रतीक्षा करें, हाथ में आए अवसर को न जाने दें तथा शुभस्य शीघ्रं की व्यूह रचना पर अमल करें। शिक्षण संस्थानों को चाहिए कि वे विषम व अनिश्चित परिस्थितियों में निर्णय लेने को टालें। प्रबंधशास्त्र कहता है कि कभी-कभी निर्णय न लेना भी श्रेष्ठ निर्णय साबित होता है, क्योंकि इस दौरान परिस्थितियाँ सामान्य हो जाती हैं तब अधिक असरकारक निर्णय लिया जाना संभव हो पाता है। प्रबंधन के विद्यार्थी अध्येता अवसरों की पहचान करना सीखें, उचित समय पर प्रतिभाव दें तो बेहतर परिणाम सुनिश्चित हो सकते हैं तथा अवांछित परिस्थितियों को टाला जा सकता है।

उपसंहार—समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करने एवं समतामूलक समाज के निर्माण में 'पंचतंत्र' के नीतिमत्तायुक्त कथानक...

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 व्यक्ति व समाज के समग्र व समावेशी विकास की शिक्षा के लक्ष्य को प्रमुखता देती है। 'पंचतंत्र' के कथानक व नीतिवाक्य शिक्षण संस्थानों को युक्तियुक्त व नीतिमत्तापूर्ण संचालन की सूझबूझ प्रदान करते हैं कि किस परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार उचित है। संचालकों की मंशा व कर्तव्यनिष्ठा की दिशा क्या होनी चाहिए, ताकि वे संगठन के अस्तित्व को संरक्षित करते हुए उसे विद्यार्थी अनुरूप बना सकें और विद्यार्थी जीवन के विविध क्षेत्रों में इनका उपयोग करते हुए समस्याओं और चुनौतियों से बाहर निकल सकें तथा व्यूहात्मक निर्णयों को आकार दे सकें। 'पंचतंत्र' के कथानक शारीरिक-मानसिक कौशल्य, तार्किक विचारशक्ति एवं विविधलक्षी ज्ञान के वाहक हैं, जो कि *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के केंद्र बिंदु हैं।

'पंचतंत्र' एक नीतिशास्त्र है और नीति का अर्थ है— जीवन में बुद्धिपूर्वक व्यवहार करना, चतुरता या धूर्ततापूर्वक नहीं। 'पंचतंत्र' का शिक्षण व व्यवसाय के क्षेत्र में प्रयोग विविध हितधारकों को चिंतन-मनन करने के लिए नूतन दृष्टिकोण प्रदान करता है। नीति कहती है कि एक कुशल संचालक को अच्छी तरह भली-भाँति विचार करके ही किसी कार्य को अमल में लाना चाहिए। आधी-अधूरी जानकारी या तैयारी के आधार पर किए गए प्रयास सभी के लिए परेशानी का कारण बनते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में महात्मा गांधीजी के सर्वोदयी शिक्षा दर्शन के अनुरूप जिन स्वावलंबी, रचनात्मक नवोन्मेषी समाज के निर्माण के घटकों की बुनियाद विद्यालय पूर्व शिक्षण, विद्यालयी शिक्षण, माध्यमिक शिक्षण, उच्च-माध्यमिक शिक्षण तथा विश्वविद्यालयी आदि शैक्षणिक स्तरों पर रखी गई है, उसे सुनियोजित रूप से क्रियान्वित करने में 'पंचतंत्र' की कथाएँ इस व्यवस्था से जुड़े समस्त हितधारकों को नूतन व्यवस्थापकीय दृष्टिकोण प्रदान करती हैं, जिसमें विविधतापूर्ण शिक्षा प्राप्ति की स्वतंत्रता, समाजोपयोगी कौशल्य विकास, नवप्रवर्तन, शोध एवं विकास के महत्वाकांक्षी प्रतिमान समाहित हैं। इसके माध्यम से शिक्षण व्यवस्था से प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से जुड़े विविध पक्षकारों—शिक्षण संस्थान, शिक्षक, विद्यार्थी, संचालक, अभिभावक, समाज तथा कौशल्य प्रशिक्षण व रोजगार सृजन में सहयोगी औद्योगिक इकाइयों आदि की सार्थक सहभागिता व अभिनव पहल की अपेक्षा की गई है, ताकि सभी पक्षों के समन्वित व सुसंगठित प्रयासों के माध्यम से शिक्षण जगत वर्तमान व भावी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सके और राष्ट्र को पुनः विश्वगुरु के रूप में स्थापित कर सके।

यदि सभी हितधारक सोद्देश्य अर्थात सहभागी, परिणाम उन्मुख प्रबंधन अभिगम को आत्मसात कर स्पष्ट समझ, जागृति, निष्ठा, नैतिकता व समर्पण के भाव के साथ शिक्षण संस्थान प्रबंधन व्यवस्था का हिस्सा बनते हैं और खेल-खेल में श्रेष्ठ संचालकीय नीतियों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, और उन नीतियों को उसे लोक-कल्याणकारी व्यवहार के अनुरूप निरूपित

कर निर्णयन क्षमता को गहन तथा अपनी भूमिका को प्रभावी बना पाते हैं तो निश्चित रूप से शिक्षा अपने 'सा विद्या या विमुक्तये' के ध्येय वाक्य को सार्थक कर सकती है तथा सभ्य समाज का निर्माण कर श्रमसाध्यता, कौशल्यों का चहुँमुखी विकास, कला-हुनरधारकों का सम्मान, आत्मनिर्भरता, प्रेम, संवेदना, दया व सामाजिक सौहार्दपूर्ण सच्चा स्वराज ला सकती है।

संदर्भ

जैन, लोकेश और महेश नारायण दीक्षित. 2021. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं गांधी दर्शन*. डोर्स पब्लिकेशंस, नई दिल्ली.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020.* भारत सरकार, नई दिल्ली.

शर्मा, विष्णु. 2015. *पंचतंत्र मानव जीवन का ज्ञानकोश.* संकलन-कृष्णदत्त, अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्रा.) लि., दरियागंज, नई दिल्ली.

12 जून 2023 को https://www.hindikahani.hindi-kavita.com/HK-Panchtantra.php से प्राप्त किया गया. (पंचतंत्र की संपूर्ण कहानियाँ- हिंदी कहानी— पाँच अलग-अलग खंडों में)

12 जून 2023 को https://www.hindisahityadarpan.in/2016/06/panchatantra-complete-stories-hindi.html से प्राप्त किया गया. (पंचतंत्र की संपूर्ण कहानियाँ — हिंदी साहित्य मार्गदर्शन)

राष्ट्र निर्माण में डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के शैक्षिक विचारों की *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के आलोक में उपादेयता

संध्या यादव*

अमित कुमार**

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम देश के एयरोस्पेस वैज्ञानिक थे। इन्हें भारत के 'मिसाइलमैन' के नाम से भी जाना जाता है। 15 अक्तूबर को उनकी जयंती के दिन विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। वे भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र के रूप में प्रतिस्थापित करना चाहते थे। उनका सपना था कि 121 करोड़ (अब लगभग142 करोड़) भारतीयों के जीवन स्तर को उच्च स्तर तक लाकर, उन्हें उन सभी बुनियादी सुख-सुविधाएँ मुहैया कराई जाएँ, जिसके वे अधिकारी हैं। देश को गरीबी मुक्त कर अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाना, साथ ही 2022 तक अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर दुनिया में अपनी पहचान बनाए। प्रति व्यक्ति आय में सुधार करने के साथ ही, भारत का प्रत्येक क्षेत्र यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, व्यापार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की कल्पना करती है, इसका उद्देश्य है, एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करना, जो उच्च स्तर की हो, जिससे भारत वैश्विक पटल पर एक महाशक्ति के रूप में उभरे। इसमें पाँच स्तंभों को बताया गया है, जैसे— पहुँच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य तथा जवाबदेही, जिनका अनुसरण कर हम विकसित भारत के सपने को साकार कर सकते हैं, साथ ही हमारे युवा राष्ट्रीय तथा वैश्विक चुनौतियों से सामना करने के लिए तैयार हो सकेंगे। वर्तमान में भारत सरकार भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से इस दिशा में निरंतर प्रयत्नशील है, ताकि भारत को विश्व में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो सके। यद्यपि वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरी है, फिर भी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रयासों को और बढ़ावा देना है। यदि हम डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के शैक्षिक विचारों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आगामी वर्षों में भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में सम्मिलित हो जाएगा।

हमारा देश ऋषि-मुनियों की तपोभूमि रहा है, यहाँ समय-समय पर ऐसे लोगों का अवतरण होता रहा है, जिन्होंने देश हित के लिए कार्य किया और भारत को वैश्विक स्तर पर अपने कार्यों एवं आचरण से गौरवान्वित किया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में बहुत से स्वप्नद्रष्टा थे, जो भारत को समृद्ध एवं सशक्त बनाना चाहते थे, जैसे— जवाहर लाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉ. भीमराव अंबेडकर आदि का सपना था कि देश को सम्पन्न बनाने के लिए, देश में फैली

**शोधार्थी*, शिक्षाशास्त्र विभाग, आर्य कन्या डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज 211002

***असिस्टेंट प्रोफेसर*, शिक्षाशास्त्र विभाग, आर्य कन्या डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज 211002

निरक्षरता, गरीबी, बीमारी एवं अज्ञानता का पूर्ण रूप से उन्मूलन किया जाए तथा प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्रदान किए जाएँ, तभी भारत समृद्ध राष्ट्र बन सकेगा। अतः स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को सुचारु रूप से आगे बढ़ाने का कार्य किया गया।

वैसे ही स्वप्नद्रष्टा, दार्शनिक, वैज्ञानिक, शिक्षाविद डॉ. कलाम थे, जो प्रत्येक व्यक्ति के सपने को साकार करना चाहते थे। उन्होंने विकसित भारत का सपना देखा, जिसमें सभी नागरिकों को सभी प्रकार की सुख-सुविधाएँ उपलब्ध हों एवं उनका जीवन सुरक्षित हो, ताकि देश प्रगति एवं उन्नति के रास्ते पर चले। पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा था, इसके लिए उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया, ताकि 121 करोड़ (अब लगभग 142 करोड़) भारतीयों के चेहरे पर मुस्कान लाई जा सके एवं उन्हें एक समृद्ध व सुरक्षित भारत दे सकें।

पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम कहते थे कि भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी प्राप्त हो जाने से इसकी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आएगा। यह दुनिया का सबसे अधिक सशक्त एवं लाभप्रद अर्थव्यवस्था वाला देश बनेगा। सभी को उच्च स्तर की शिक्षा मिलेगी, साथ ही बेहतर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा व्यवस्था होगी। अधिक-से-अधिक उच्च कोटि की वस्तुओं का निर्माण एवं निर्यात होगा, पर्यावरण स्वच्छता तथा कृषि में परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिससे देश में खुशहाली व समृद्धि आएगी और गरीबी मिटेगी। अधिक-से-अधिक लोग रोजगार से जुड़ेंगे। नवयुवक रोजगार हेतु अपने देश से पलायन कर अन्य देशों में अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं, इस तरह से ज्ञान के बहिर्गमन में कमी आएगी। देश में ही उन्हें रोजगार की अधिक संभावनाएँ मिलेंगी। इस लक्ष्य को पाने में विज्ञान एवं तकनीकी की भूमिका अहम होगी (कलाम और राजन, 2020, पृ.1–2)। डॉ. कलाम के विचारों से प्रेरित *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में भी राष्ट्र को सुदृढ़ तथा सशक्त बनाने का प्रयास किया गया है, जिसका उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों का विकास करना है, जो तर्कसंगत विचार और कार्य करने में सक्षम हों, जिनमें करुणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पनाशक्ति हो। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादक लोगों को तैयार करना है, जो सतत आर्थिक प्रगति, मानव पूंजी निवेश, निजी, सार्वजनिक तथा इंटर्नशिप जैसी व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर वैश्विक प्रतिस्पर्धा की मुख्यधारा में आ सकें एवं राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकें।

राष्ट्र निर्माण में युवा

डॉ. कलाम ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। कलाम का यह भी मानना था कि विश्व में सबसे अधिक युवा आबादी भारत में है, इसलिए भारत को एक महाशक्ति होना चाहिए। अगर हम उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सके हैं तो हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को तार्किक तथा प्रतिस्पर्धी स्तर का बनाने की आवश्यकता है एवं अपने देश में ऐसे अवसर उपलब्ध कराने होंगे, जिससे युवाओं

की शक्ति का उपयोग अपने देश में हो सके, क्योंकि अधिकांश युवक अपने देश में अवसर एवं सुविधाओं के अभाव में अन्य देशों में जाकर अपनी सेवाएँ देते हैं। (कलाम और राजन, 2015 पृ. 155) उनका मानना था कि किसी राष्ट्र की प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि उस राष्ट्र के युवाओं की स्थिति क्या है? यदि युवा इस भाव से कार्य करना शुरू कर दें कि, "मैं यह कर सकता हूँ और यह विश्वास है कि भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा" (कलाम और पोनरज, 2014, पृ. 252) तो भारत को विकसित राष्ट्र बनने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। भारत युवाओं का देश है, जहाँ दुनिया के सबसे अधिक युवा रहते हैं। हाल ही में जारी यू.एन.एफ.पी.ए. की रिपोर्ट के आँकड़ों के मुताबिक दुनिया में 121 करोड़ युवा हैं, जिसमें से 21 प्रतिशत युवा भारत में मौजूद हैं (यू.एन.एफ.पी.ए. की रिपोर्ट, 2023)।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी भारत को दुनिया का सबसे अधिक युवा जनसंख्या वाला देश माना गया है, जिसमें उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने पर बल दिया गया है और विश्वस्तरीय डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, सीखने के बहुविषयक व बहुभाषिक आयामों, वर्चुअल लैब, पायलट अध्ययन, प्रौद्योगिकी शिक्षा, कला तथा मानविकी जैसे विषयों में भी ऐसे अवसर उपलब्ध हों, जिससे युवा रोजगार प्राप्त कर सकें और अपना योगदान देश हित में दे सकें। इनकी क्षमताओं को पहचान कर, राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कार्य करना होगा कि हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, जिससे भारत वैश्विक पटल पर अपनी छाप छोड़ सके।

वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था

शिक्षा प्रत्येक क्षेत्र के विकास के लिए उत्प्रेरक है। अर्थव्यवस्था के विकास में भी इसकी प्रमुख भूमिका है जो सतत आर्थिक प्रगति, देश में मानव पूँजी निवेश, व्यक्तियों की उत्पादकता तथा रचनात्मकता को सुनिश्चित करती है। कोई भी राष्ट्र शिक्षा पर व्यय किए बिना अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ नहीं कर सकता। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में भी शैक्षिक निवेश को अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण मानते हुए, कुल सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत खर्च करने की बात की गई है तथा यह भी बताया गया है कि वर्तमान में केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर केवल 4.43 प्रतिशत के आस-पास खर्च करती हैं, यह आँकड़ा दर्शाता है कि अधिकांश शिक्षित एवं विकासशील देशों की तुलना में यहाँ की सरकारें शिक्षा पर कम खर्च कर रही हैं (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,* पृ. 99)।

एक तरफ भारत विकसित राष्ट्र बनने का सपना संजो रहा है, वहीं दूसरी ओर गरीबी, बेरोजगारी, महँगाई चरम सीमा पर है। साधारण व्यक्ति का जीवन स्तर दुर्लभ होता जा रहा है। इस समस्या का समाधान करना देश के समक्ष चुनौतीपूर्ण कार्य है। हालाँकि सरकार निरंतर प्रयत्नशील है कि इन समस्याओं का समाधान कर देश की अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सके। वर्तमान में भारत अपनी अर्थव्यस्था में सुधार करते हुए दुनिया की पाँचवीं अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है, जबकि *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*

में भारत को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की कल्पना की गई है। वर्तमान में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) 3737 अरब डॉलर है। वहीं 26854 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ अमेरिका प्रथम स्थान और क्रमशः चीन, जर्मनी, जापान दूसरे, तीसरे व चौथे स्थान पर है (*फोर्ब्स इंडिया रिपोर्ट,* 2023)।

भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्पना जब डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने की थी उस समय (2014 में) भारत की अर्थव्यवस्था 2 ट्रिलियन थी और इस समय भारत की जी.डी.पी. 3.75 ट्रिलियन पहुँच चुकी है (विदेश मंत्रालय, भारत सरकार)। डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का अनुमान था कि वर्ष 2022 तक देश की सकल घरेलू उत्पाद में भारत तीसरे पायदान पर पहुँचकर, अपना 75वाँ गौरवशाली वर्ष मनाएगा। उनके अनुसार भारत प्रति व्यक्ति आय में 2035 तक 50वें स्थान पर पहुँच चुका होगा तथा 2050 तक प्रति व्यक्ति आय में शीर्ष स्थान प्राप्त कर चुका होगा। वर्तमान में भारत की प्रति व्यक्ति आय निम्न अवस्था में है। यदि हम आँकड़ों को देखें तो भारत की स्थिति 197 देशों की सूची में वर्ष 2014 में 140वें स्थान पर थी, तो वहीं वर्तमान (वर्ष 2025) में 195 देशों की सूची में 143वें स्थान पर है जहाँ भारत विकसित राष्ट्र बनने का सपना संजो रहा है, वहीं इसकी स्थिति प्रति व्यक्ति आय में अंगोला जैसे देशों से भी कम है। अगर भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना अमेरिका जैसे देश से करें तो हम अपने को लगभग 31 गुना कम पाते हैं (अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष रिपोर्ट, 2023)। आज भारत डॉ. कलाम के विजन का पालन करते हुए वैश्विक बराबरी की बात नहीं कर रहा है।

डॉ. कलाम ने विकसित भारत के निर्माण के लिए चार लक्ष्य सुझाए थे। जो इस प्रकार हैं— प्रथम लक्ष्य के तहत, उन्होंने भारत की आर्थिक विकास दर को 2016–17 में दो अंकों में बढ़ाने तथा सकल घरेलू उत्पाद को 2022 तक तीसरे स्थान तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा था। दूसरे लक्ष्य के अंतर्गत डॉ. कलाम ने सामाजिक तथा आर्थिक विकास के बीच सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया। तीसरे लक्ष्य के तहत डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने भारत को आतंकवाद से मुक्त करने की बात कही, साथ ही सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए सैन्य व्यवस्था को भी सुदृढ़ करने एवं नारी सशक्तिकरण पर भी बल दिया। डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने अपने अंतिम लक्ष्य में समरसतापूर्ण भारत का निर्माण करने पर बल दिया, जिसमें उन्होंने भारत की विविधताओं में धार्मिक, भाषायी, पारंपरिक, खानपान, रहन-सहन, संगीत, सांस्कृतिक तथा अन्य पहलुओं को सम्मिलित किया (कलाम और राजन, 2015, पृ. 160)। उपरोक्त लक्ष्यों के लिए शैक्षणिक प्रणाली, स्वास्थ्य प्रणाली, कृषि व्यवस्था, औद्योगिक व्यवस्था, विज्ञान एवं तकनीक को बढ़ावा आदि का समग्रता में विकास करना होगा। डॉ. कलाम ने इन लक्ष्यों के साथ शिक्षा पर भी अधिक-से-अधिक खर्च करने की बात कही है। उनका मानना था कि शिक्षा पर व्यय किए बिना अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ नहीं किया जा सकता। डॉ. कलाम के इन्हीं विचारों

को *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में भी अपनाया गया है।

राष्ट्र निर्माण में शिक्षा

शिक्षा वह महत्वपूर्ण साधन है, जो व्यक्ति को नैतिक सदाचारी एवं स्वावलंबी बनाकर समाजोपयोगी बनाती है। यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो शिक्षा की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है, क्योंकि भारत निरंतर विकसित राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर है। शिक्षा प्रणाली में आवश्यक परिर्वन किए बिना, हम एक शिक्षित समाज की कल्पना नहीं कर सकते। डॉ. कलाम वर्तमान शिक्षा प्रणाली में आवश्यक परिर्वन चाहते थे, उनका मानना था कि शिक्षा के व्यावसायीकरण पर रोक लगनी चाहिए। उनके शिक्षा संबंधी विचारों को देखें तो उन्होंने रचनात्मक तथा व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया, जिससे युवाओं को अधिक-से-अधिक रोजगार दिया जा सके। उनके अनुसार प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में रचनात्मक शक्ति का विकास करना था तथा माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थी व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन सकें। उच्च शिक्षण संस्थान ऐसे हों, जो वैश्विक संस्थानों से प्रतिस्पर्धा कर सकें (कलाम, 2013, पृ. 71)। उन्होंने दूरस्थ तथा वर्चुअल शिक्षा पर भी बल दिया, ताकि ग्रामीण अंचलों तक व्यावसायिक शिक्षा की पहुँच तथा सभी तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित हो और वे भी प्रतिस्पर्धा की मुख्यधारा में आ सकें (कलाम, 2013, पृ.71)। कोई भी राष्ट्र तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक उस राष्ट्र के युवा बेरोजगार हैं, इसके लिए डॉ. कलाम पूरी तरह शिक्षा प्रणाली को ही दोषी मानते हैं।

डॉ. कलाम के अनुसार— "कुशल श्रमशक्ति की उपलब्धता की मुश्किल स्थिति के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली को दोषी ठहराया जा सकता है, जो शिक्षार्थियों के प्रशिक्षण में रोजगार कौशल पर ध्यान न देते हुए, अधिक-से-अधिक थ्योरी (सिद्धांतों) पर ध्यान देती है" (कलाम और सृजनपाल, 2015, पृ. 70)। आगे उन्होंने कहा, "जब तक शिक्षा के गुणवत्ता के मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया जाता, भारत में औद्योगिकीकरण की कोई भी पहल जैसे *मेक इन इण्डिया,* भारतीय युवाओं में निचले स्तर का ही सृजन करेगी, जबकि जटिल संचालनों को प्रवासी कर्मचारियों की सहायता से संभालना होगा। जब तक कार्यबल अपने कौशल-बलों को नहीं बढ़ाएँगे, तब तक नए ज़माने की अर्थव्यवस्था में अप्रासंगिक बने रहने का खतरा रहेगा" (कलाम और सृजनपाल, 2015, पृ,71)। अतः डॉ. कलाम शिक्षा में आवश्यक परिर्वन चाहते थे, जो वर्तमान परिस्थितियों से तालमेल बैठाते हुए भारतीय युवाओं को वैश्विक स्तर पर उनकी कार्यक्षमता से राष्ट्र को एक अलग पहचान दिला सके। वे इक्कीसवीं सदी को ध्यान में रखते हुए कहते हैं कि जीवन में निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं, वर्तमान समाज सूचना एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित है, यदि हम इन्हें अपने जीवन में स्वीकार नहीं करते हैं, तो दुनिया की भीड़ में पिछड़ जाएँगे। इसलिए उन्होंने ज्ञानवान समाज के निर्माण में तीन पक्षों को महत्वपूर्ण माना है, जिसमें

सामाजिक परिर्वन, धन निर्माण तथा ज्ञान का संरक्षण सम्मिलित है। उन्होंने ज्ञानवान समाज के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हुए कहा है कि जो समाज शिक्षकों का आदर नहीं करता है, उस समाज का पतन अवश्यंभावी है, क्योंकि शिक्षक ही किसी समाज की दशा एवं दिशा तय करते हैं।

भारत प्राचीन समय से ही अध्ययन-अध्यापन का केंद्र रहा है, जिसमें ज्ञान प्राप्ति हेतु नालंदा, विक्रमशिला तथा तक्षशिला जैसे संस्थान प्रख्यात रहे हैं। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में भी इन्हीं संस्थाओं को आधार बनाकर ज्ञान को पुनर्जीवित करने की बात की गई है। साथ ही, वैश्विक महत्व की इस समृद्ध विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखने की आवश्यकता है। इसके लिए शिक्षा में शिक्षक की भूमिका को केंद्र बिंदु माना गया है (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,* पृ, 4–5)। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में विद्यार्थियों को विषयवस्तु पढ़ाने से अधिक समस्या के समाधान, तार्किक एवं रचनात्मक चिंतन तथा समझने पर बल दिया गया है। इसके साथ ही इस शिक्षा नीति में आई.आई.टी., आई.आई.एम., सार्वजनिक विश्वविद्यालय, स्टार्टअप, इनक्यूबेशन सेंटर, प्रौद्योगिकी विकास केंद्र, सामाजिक अनुसंधान तथा अंतर विषयक अनुसंधान एवं नवाचारों पर बल दिया गया है। इस नीति में आजीवन सीखने की प्रक्रिया को जारी रखना और समय के साथ आने वाले परिवर्तन एवं चुनौतियों से लड़ने को भी सम्मिलित किया गया है (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, पृ. 60)। इस तरह देखें तो *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के विचार डॉ. कलाम के विचारों से समानता रखते हैं।

राष्ट्र निर्माण में स्वास्थ्य

डॉ. कलाम ने अपने लक्ष्यों में स्वास्थ्य शिक्षा एवं सुविधाओं पर भी ध्यान आकृष्ट किया है जिसके तहत कुशल प्रशिक्षित चिकित्सकों को तैयार करने तथा अस्पतालों की सुविधा उपलब्ध कर आमजनों को लाभान्वित करने पर बल दिया गया है। साथ ही, आधुनिकतम उपायों, आयुर्वेद तथा औषधि संबंधी इलाज पर भी बल दिया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एन.एम.सी.) द्वारा उपलब्ध जानकारी के अनुसार 2022 तक भारत में डॉक्टर एवं जनसंख्या अनुपात 1:834 है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के तय मानक 1:1000 डॉक्टर के अनुपात से बेहतर स्थिति में है (स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय)। वर्तमान समय में सरकार अपनी स्वास्थ्य प्रणाली पर कुल जी.डी.पी. का 2.1 प्रतिशत हिस्सा व्यय कर रही है। सरकार को अपनी स्वास्थ्य शिक्षा प्रणाली पर और अधिक खर्च करने कि आवश्यकता है, जिससे सभी को अच्छा एवं सस्ता स्वास्थ्य मिल सके। डॉ. कलाम कहते हैं कि, कोई भी समाज स्वस्थ हुए बिना उत्पादक नहीं बन सकता। अच्छा स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, टीकाकरण तथा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को शिक्षा के माध्यम से ही प्रसारित किया जा सकता है (कलाम और सृजनपाल 2015, पृ. 8)। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में भी शारीरिक एवं मानसिक सुधार की बात की गई है। साथ ही,

नियमित स्वास्थ्य जाँच, 100 प्रतिशत टीकाकरण, स्वास्थ्य कार्ड निगरानी तथा स्कूल बैग को हल्का करने पर बल दिया गया है। यह *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* प्रभावी शिक्षण के लिए पोषण तथा नियमित व्यायाम को भी सुनिश्चित करती है, क्योंकि अगर बच्चे शुरुआती दौर में ही कुपोषित या अस्वस्थ होंगे तो वे बेहतर शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ होंगे, इसलिए *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में भी बच्चों के पोषण तथा स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया है (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, पृ. 13)।

राष्ट्र निर्माण में कृषि

डॉ. कलाम ने देश के विकास के लिए कृषि शिक्षा में अनुसंधानात्मक विकास को महत्वपूर्ण माना है। हमें बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के साथ ही, भरण-पोषण हेतु अपनी अर्थव्यवस्था को तीव्रता से बढ़ाना होगा। ऐसे में हमारे सामने आवास एवं खाद्यान आपूर्ति की समस्या आ सकती है। इस वर्ष 2023 में सरकार का अनुमान 330.5 मिलियन टन खाद्यान उत्पादन का है (कृषि एवं कल्याण मंत्रालय)। डॉ. कलाम का मानना था कि कृषि शिक्षा में आवश्यक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। इसके लिए विज्ञान एवं तकनीकी का अधिक-से-अधिक सहारा लिया जाए, मिट्टी की उर्वरा क्षमता की जाँच की जाए कि कौन-सी फसल के लिए कौन-सी भूमि उपयुक्त है। वर्षा मुक्त खेती के साथ ही प्रति हेक्टेयर पैदावार को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाए, जिसके लिए कृषि शिक्षा में अनुसंधान तथा नवाचार को बढ़ावा देना होगा। परंतु इस बात पर ध्यान देना होगा कि हमारे स्वास्थ्य पर रासायनिक उर्वरक तथा आधुनिकतम उपायों का दुष्प्रभाव न पड़े। इसलिए जैविक उर्वरकों के प्रयोग पर अधिक-से-अधिक बल देना होगा। कृषि उत्पादों में होने वाला मुनाफा सीधा किसानों को हो, ताकि उनकी आय में वृद्धि हो तथा किसानों एवं मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार आए। जब तक देश में किसानों एवं मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं होगा, तब तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना पूरा नहीं किया जा सकता।

इसके लिए *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में कृषि शिक्षा के लिए इससे संबंधित विषयों को पुनर्जीवित करने की बात की गई है, कृषि शिक्षा को लेकर हालिया आँकड़ों को देखा जाए तो देश के विश्वविद्यालयों में कृषि विश्वविद्यालय का प्रतिशत नौ है, लेकिन कृषि और संबद्ध विज्ञान विषयों में नामांकन उच्चतर शिक्षा के कुल नामांकन का एक प्रतिशत से भी कम है। इसलिए इसमें कृषि और संबद्ध विषयों की क्षमता तथा गुणवत्ता दोनों पर ध्यान दिया गया है। साथ ही, ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देने की बात की गई है, जो स्थानीय, पारंपरिक तथा उभरती हुई तकनीक को समझ सकें और उत्पादन शक्ति, जलवायु परिवर्तन तथा बढ़ती हुई जनसंख्या की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। कृषि में गुणवत्ता तथा नवाचार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एप्लीकेशन अनुसंधान तथा स्वास्थ्य, कृषि व जलवायु संकट जैसे वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान प्रयासों को बढ़ावा दिया गया है (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति* 2020, पृ. 77, 81, 94)।

निष्कर्ष

वर्तमान *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के शिक्षा तथा राष्ट्र संबंधी विचारों को प्रतिबिंबित करती है। उनके विचारों से प्रेरित *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के सुझाए गए लक्ष्यों का अनुसरण कर हम भारत को वैश्विक पटल पर एक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर सकते हैं। अंततः कलाम के विचारों की प्रासंगिकता हम शिक्षा, रोजगार, अनुसंधान, आविष्कार, कौशल विकास तथा तार्किकता के रूप में *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में देख सकते हैं। इस लेख के द्वारा यह बताने का प्रयास किया गया है कि भारत कैसे 2047 के लक्ष्यों को डॉ. कलाम के विचारों और *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* की अनुसंशाओं के माध्यम से पूर्ण कर सकता है। साथ ही, डॉ. कलाम के विचार और *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* दोनों में ही शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, आर्थिकी, सामाजिक तथा युवाओं की भूमिका के योगदानों को सुनिश्चित किया गया है, ताकि डॉ. कलाम के विकसित भारत की संकल्पना और भारत के विकसित राष्ट्र बनने के सपने को साकार किया जा सके। इस लेख के माध्यम से भावी पीढ़ियों में यह जागरूकता प्रसारित करने का प्रयास किया गया कि किस प्रकार वे डॉ. कलाम के विचारों और *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* की अनुसंशाओं को पढ़कर अपने स्वर्णिम भविष्य का निर्माण कर राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकते है और भारत के 'वसुधैव कुटुम्बकम' की विचारधारा के साथ भारत के विश्व गुरु बनने की संकल्पना को साकार कर सकते हैं।

संदर्भ

कलाम, ए.पी.जे. अब्दुल और वाई.एस. राजन. 1998. *इंडिया 2020— ए विजन फॉर द न्यू मिलिनियम*. पृष्ठ संख्या 1–2. पेंगुइन बुक इंडिया, नई दिल्ली.

———. 2015. *भारत 2020 और उसके बाद*. पृष्ठ संख्या 155–160. प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली.

कलाम, ए.पी.जे.अब्दुल और वी. पोनराज. 2014. *परिवर्तन की रूपरेखा.* पृष्ठ संख्या 214–252. प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली.

कलाम, ए.पी.जे. अब्दुल. 2013. *भारत की आवाज*. पृष्ठ –71. प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली

कलाम, ए.पी.जे.अब्दुल. और वाई सुंदर. 2005. *महाशक्ति भारत.* प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली.

कलाम, ए.पी.जे. अब्दुल. और सृजनपाल सिंह. 2015. *एडवांटेज इंडिया.* पृष्ठ संख्या 70–71. राजपाल एंड संस, नई दिल्ली.

कृषि एवं कल्याण मंत्रालय. 2023. 26 अक्तूबर 2023 को https://pib.gov.in/press.Release से प्राप्त किया गया.

फोर्ब्स इंडिया. 2023. 04 जनवरी 2024 को https://www.forbesindia.com/explainers/gdp-india से प्राप्त किया गया.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020.* पृष्ठ संख्या 4–5, 13, 60, 77, 81, 99. भारत सरकार, नई दिल्ली.

विदेश मंत्रालय. 2023. इंडियन इकोनॉमी अप बाय 87% फ्रॉम 2014— फाइनेंस मिनिस्टर. भारत सरकार 04 जनवरी 2024 को https://indbiz.gov.in/Indian-economy-up-by-finance minister से प्राप्त किया गया.

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष रिपोर्ट. 2023. 13 अक्तूबर 2023 को https://India.unfpa.org/en से प्राप्त किया गया.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय. 2023. 7 नवंबर 2023 को https://pib.gov.indexm.aspx से प्राप्त किया गया.

———. 2023. 15 नवंबर 2023 को https://india.unfpa.org/topics/adolescents-and-youth से प्राप्त किया गया.

https://m.statisticstimes.com/economy/country//india-gdp-per-capita.php 28.03.2025 को प्राप्त किया गया.

आरंभिक स्तर पर पहेलियों द्वारा शिक्षण-अधिगम

आरोही*
नरेश कुमार**

बच्चों की शिक्षा में पहेलियों का विशेष महत्व होता है। पहेलियाँ बालमन पर अत्यधिक प्रभाव डालती हैं। ये न केवल बच्चों का मनोरंजन करती हैं; अपितु उनमें मूल्यों, भाषा, तार्किकता एवं कल्पनाशीलता का भी विकास करती हैं। इसके अतिरिक्त पहेलियाँ बच्चों में, खेल-खेल में सीखने में भी महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका का निर्वाह करती हैं। पहेलियाँ जहाँ एक ओर बुनियादी एवं आरंभिक स्तर पर बच्चों की शिक्षा एवं अधिगम को सुदृढ़ आधार प्रदान करती हैं तो वहीं दूसरी ओर ये बच्चों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन और विकास को विशेष दिशा एवं आधार प्रदान करती हैं। पहेलियों के माध्यम से शिक्षण-अधिगम बड़ी ही सहजता एवं रुचिकर ढंग से किया जा सकता है तथा अपेक्षित अधिगम प्रतिफलों को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। इस लेख में पहेलियों की विशेषताएँ, उपयोगिता एवं लाभ, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में पहेलियों का अनुप्रयोग, पहेलियों के निर्माण में ध्यान देने योग्य बातें, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में पहेलियों के अनुप्रयोग के संदर्भ में अध्यापक की भूमिका आदि के विषय में चर्चा की गई है।

पहेलियाँ वास्तव में मानव सभ्यता के आदिकाल से ही मनोरंजन, आनंद एवं शिक्षा का प्रमुख और प्रभावशाली साधन रही हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य विभिन्न प्रकार के व्यावहारिक, सामाजिक एवं शैक्षिक संदर्भों में इनका प्रयोग करता आ रहा है। इसके अतिरिक्त यदि हम पहेलियों को भाषा की प्रासंगिकता एवं जीवंतता के संदर्भ में देखें तो *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के अंतर्गत इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि भारतीय भाषाओं के शिक्षण एवं अधिगम को विद्यालय और शिक्षा के प्रत्येक स्तर के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है। भाषाएँ प्रासंगिक और जीवंत बनी रहें, इसके लिए इन भाषाओं में उच्च गुणवत्तापूर्ण अधिगम एवं प्रिंट सामग्री का सतत प्रवाह बने रहना चाहिए जिनमें पाठ्यपुस्तकें, अभ्यास पुस्तकें, नाटक, कविताएँ, पत्रिकाएँ आदि सम्मिलित हैं। यदि वर्तमान समय की बात करें तो यह कहा जा सकता है कि पहेलियाँ न केवल शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को मनोरंजक एवं

**शोधार्थी*, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, दिल्ली 110042
***असिस्टेंट प्रोफेसर*, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली 110016

रुचिकर बनाती हैं, अपितु ये बच्चों के अधिगम को एक विशेष आधार एवं उनकी शिक्षा को एक नई दिशा प्रदान करती हैं।

पहेली का अर्थ या पहेली क्या है?

पहेली शब्द संस्कृत भाषा के 'प्रहेलिका' एवं 'प्रहेलि' शब्द से लिया गया है। पहेली को 'बुझौवल' भी कहा जाता है। वैसे तो पहेली का कोई एक सर्वमान्य अथवा सुनिश्चित अर्थ नहीं है, परंतु इसके अर्थ को निम्न आधारों अथवा संदर्भों के आधार पर समझा जा सकता है—

- पहेली वास्तव में एक घुमावदार प्रश्न है, जिसमें उत्तर से संबंधित संकेत छिपे होते हैं।
- पहेली एक ऐसा कथन, वाक्य, वर्णन एवं प्रश्न है जिसका अप्रत्यक्ष अर्थ होता है और जिसे हल करने के लिए एक 'बुझौवल' के रूप में व्यक्ति के समक्ष रखा जाता है।
- पहेली क्रमबद्ध भाषायी शब्दों का एक समूह अथवा समुच्चय है, जिसमें पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर निहित होता है अथवा उसकी ओर संकेत करता है।
- किसी बात अथवा कथन को घुमा-फिराकर कहना, जिससे कि सुनने वाले उसका उत्तर आसानी से न दे सके, पहेली कहलाती है।
- जब किसी प्रश्न को इस तरह से पूछा जाए, जिससे कि उसके उत्तर से संबंधित संकेत उसके अंदर ही समाहित हो, तब वह प्रश्न पहेली कहलाता है।
- पहेली एक ऐसी अभिव्यक्ति है, जिसमें एक अथवा एक से अधिक वर्णनात्मक तत्व होते हैं और इन तत्वों के आधार पर ही उत्तर का अनुमान लगाया जाता है।
- पहेली किसी व्यक्ति की बुद्धि, समझ एवं तार्किकता की परीक्षा लेने वाले प्रश्न अथवा कथन का ही एक रूप अथवा प्रकार है।
- विशेष भाषा एवं तुकबंदी आदि का प्रयोग करते हुए घुमा-फिराकर एवं भ्रामक रूप में पूछे अथवा प्रस्तुत किए गए प्रश्न, वाक्य अथवा कथन को पहेली कहा जाता है।
- व्यक्ति की बुद्धि एवं समझ को चुनौती देने वाले प्रश्न, कथन अथवा वाक्य पहेली कहलाते हैं;

जैसे—प्रथम कटे तो 'दर' बन जाऊँ,
अंत कटे तो 'बंद' हो जाऊँ।
केला मिले तो खाता जाऊँ,
बच्चों बतलाओ मैं क्या कहलाऊँ?
उत्तर— बंदर

नाप-नाप कर चलती हूँ मैं,
कभी न राह बदलती हूँ मैं।
सबको सचेत रखती हूँ मैं,
हर घर में मिलती हूँ मैं।
उत्तर— घड़ी

पहेलियों की विशेषताएँ

पहेलियों से संबंधित कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. पहेलियाँ अधिगम को सरल, रुचिकर एवं मनोरंजक बनाती हैं।
2. पहेली पढ़ने, सुनने एवं बोलने में बड़ी ही मजेदार, रुचिकर एवं कर्णप्रिय होती है।
3. पहेलियाँ बच्चों की तर्कशक्ति को विकसित करते हुए, उन्हें अधिगम के लिए प्रेरित करती हैं।
4. पहेलियाँ विद्यार्थियों के अधिगम को एक विशेष गति एवं दिशा प्रदान करती हैं।

5. पहेलियाँ बच्चों के मानसिक विकास एवं बौद्धिक सामर्थ्य को बढ़ाने में बहुत ही सहायक सिद्ध होती हैं।
6. पहेलियाँ शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती हैं।

पहेलियों की उपयोगिता एवं लाभ

1. पहेली खेल-खेल में सीखने का एक प्रभावशाली माध्यम है।
2. पहेलियाँ विद्यार्थियों में समस्या-समाधान कौशल विकसित करने में सहायक होती हैं।
3. पहेलियाँ विद्यार्थियों में तर्कशक्ति एवं चिंतनशक्ति का उचित विकास करती हैं।
4. पहेलियाँ विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान ढूँढ़ने और जटिल वस्तुओं को समझने में विशेष रूप से सहायक होती हैं।
5. पहेलियाँ विद्यार्थियों के अधिगम के संदर्भ में एक दिमागी खेल हैं, जिससे शिक्षक-विद्यार्थियों के आपसी संबंध अच्छे बनते हैं।
6. पहेलियाँ सामाजिक एवं व्यावहारिक बातों और विभिन्न संदर्भों को जानने एवं समझने में सहायक होती हैं।
7. पहेलियाँ विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं को समझने-समझाने एवं स्मरण करने के संदर्भ में सहायक होती हैं।
8. पहेली शिक्षण-अधिगम के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कौशल है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों के भाषा ज्ञान में व्यापक वृद्धि की जा सकती है।
9. पहेलियाँ मानसिक सजगता एवं निरीक्षण क्षमता के विकास का एक मनोरंजक, महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली साधन हैं।
10. पहेलियाँ वाक्य, वाक्यांशों, प्रश्नों एवं कथनों आदि में छिपे हुए अर्थ अथवा अर्थों की पहचान करने में विद्यार्थियों को विशेष सहायता प्रदान करती हैं।
11. पहेलियों के माध्यम से किसी प्रकरण विशेष को विद्यार्थियों के लिए अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।
12. पहेलियाँ विषय-वस्तु को आत्मसात करने में सहायक सिद्ध होती हैं।
13. पहेलियाँ न केवल विद्यार्थियों में स्वाध्याय, तार्किकता, कल्पनाशीलता एवं सृजनात्मकता का विकास करती हैं; अपितु उनमें विभिन्न जीवन मूल्यों एवं भाषायी कौशलों आदि का भी उचित विकास करती हैं।

शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में पहेलियों का अनुप्रयोग

शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में पहेलियों के अनुप्रयोग के संदर्भ में प्रस्तुत पहेलियों एवं क्रियाकलापों की रचना कक्षा—3, 4 एवं 5; विषय— हिंदी, पाठ्यपुस्तक *रिमझिम* को आधार बनाकर की गई है। ये समस्त पहेलियाँ एवं उनसे जुड़े क्रियाकलाप प्रत्यक्ष रूप से दिए गए पाठ एवं प्रकरण या विषयवस्तु से संबंधित हैं। पहेलियों के अनुप्रयोग के संदर्भ में अध्यापक से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार इनमें अपेक्षित एवं वांछित परिवर्तन कर अथवा ला सकता है।

विषय—हिंदी (कक्षा 3)

पाठ—कक्कू

पहेली 1

दो अक्षर से मैं बनता हूँ,
सबके काम मैं आता हूँ।
स्कूल के रजिस्टर में लिखा जाता हूँ,
बतलाओ मैं क्या कहलाता हूँ?

उत्तर— नाम

क्रियाकलाप 1

'वादा' शब्द का अर्थ है—

समझ	इरादा
वचन	खुशी

क्रियाकलाप 2

चित्र में दिखाए गए इस पक्षी को पहचान कर सही उत्तर पर गोला लगाइए।

चिड़िया	कोयल
कौआ	तोता

पहेली 2

कुहू-कुहू कर बोलती,
डाली-डाली पर डोलती।
सब बच्चों के मन को भाती,
बतलाओ वह क्या कहलाती?

उत्तर— कोयल

क्रियाकलाप 1

नीचे कोयल का चित्र दिया गया है, उसमे रंग भरिए।

क्रियाकलाप 2

नीचे दी गई बोलियों में से कोयल की बोली पहचानिए और उस पर सही (✓) का निशान लगाइए।

काँव-काँव	गुटर-गूँ
कुहू-कुहू	टर्र-टर्र

पहेली 3

नाक के नीचे बड़ी गुफा में,
बैठे बत्तीस पहरेदार।
कक्कू फुलाए इसे हर बार,
चाहे घर या हो बाहर।

उत्तर— मुँह

क्रियाकलाप 1

दिए गए चित्रों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

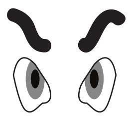

1. मैं हूँ______________,
   मैं देखने के काम आती हूँ।

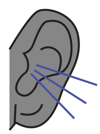

2. मैं हूँ______________ ,
   मैं सुनने के काम आता हूँ।

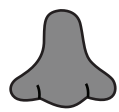

3. मैं हूँ______________,
   मैं सूँघने के काम आती हूँ।

क्रियाकलाप 2

नीचे दिए गए स्थान पर उड़ने वाले और नहीं उड़ने वाले जीवों के नाम लिखिए।

उड़ने वाले जीव	नहीं उड़ने वाले जीव

विषय—हिंदी (कक्षा 4)

पाठ— मन के भोले-भाले बादल

पहेली 1

काले-काले ये मतवाले,
मासूम-सी सूरत वाले।
धरती की प्यास बुझाते,
बतलाओ ये क्या कहलाते?

उत्तर— बादल

क्रियाकलाप 1

बच्चों, आपने विभिन्न प्रकार के बादल देखे होंगे? उनमें से किसी एक बादल का चित्र नीचे दी गई जगह में बनाइए और रंग भरिए।

क्रियाकलाप 2

बादलों में पानी कहाँ से आता है? विचार कीजिए और नीचे दी गई जगह में लिखिए।

पहेली 2

जंगल का मैं राजा हूँ,
सबको बहुत डराता हूँ।
दहाड़ मेरी निराली है,
सब जानवरों पर भारी है।

उत्तर— शेर

क्रियाकलाप 1

नीचे दिए गए निर्देशों को पढ़कर शेर के चेहरे का मास्क बनाइए।

1. एक मोटा कागज़ या गत्ता लीजिए और उस पर शेर के चेहरे का चित्र बनाइए।
2. चित्र की बाहरी रेखा को स्केच पेन से बनाइए।
3. एक कैंची की सहायता से चित्र को काट लीजिए।
4. चित्र में अपनी पसंद के अनुसार रंग भरिए।
5. मास्क को पहनने के लिए डोरी या रिबन लगाइए।

क्रियाकलाप 2

जंगल के हर एक जानवर की अपनी भूमिका होती है। सोचिए और बताइए, यदि शेर जंगल में न रहे तो क्या होगा?

पहेली 3

देखो आकाश में बादल छाए,
कौन-सा खज़ाना साथ में लाए?
नहीं हो अगर तो अकाल पड़ जाए,
ज़्यादा हो तो बाढ़ आ जाए।

उत्तर— वर्षा या बारिश

क्रियाकलाप 1

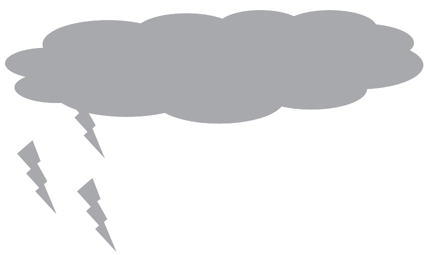

धरती पर बारिश क्यों ज़रूरी है?

क्रियाकलाप 2

नीचे कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। इन पंक्तियों में दिए गए शब्द उलट-पलट हो गए हैं। इन शब्दों को सही क्रम में लगाते हुए नीचे दिए गए बॉक्स में लिखिए।

बालों झब्बर झब्बर वाले,
वाले गुब्बारे से गालों।
आसमान में दौड़ने लगे,
काले बादल झूम-झूम कर।

विषय—हिंदी (कक्षा 5)

पाठ—फसलों के त्योहार

पहेली 1

खिचड़ी बनाओ, खिचड़ी खाओ,
खिचड़ी का त्योहार मनाओ।
खिचड़ी से तुम क्या समझे हो,
हमें भी इसका अर्थ बताओ?

उत्तर— एक प्रकार का भोजन अथवा एक त्योहार का नाम

क्रियाकलाप 1

आपके घर पर भी खिचड़ी बनाई जाती होगी। अपने माता-पिता से पता करके लिखिए कि उसमें क्या-क्या चीज़ें डाली जाती हैं?

क्रियाकलाप 2

अपने माता-पिता अथवा दादा-दादी से खिचड़ी बनाने की विधि पता कीजिए और उसे नीचे लिखिए।

खिचड़ी बनाने की विधि

पहेली 2

आसमान में छाई पतंगें,
सबके मन को भाई पतंगें।
सबके मन में भर दे प्यार,
कौन-सा है पतंगों का त्योहार?

उत्तर— मकर सक्रांति

क्रियाकलाप 1

आगे दिए गए स्थान पर पतंग का चित्र बनाइए और उससे संबंधित पाँच वाक्य लिखिए।

वाक्य

क्रियाकलाप 2

यदि आपको पतंग उड़ाने के लिए कहा जाए तो इसके लिए आप कौन-कौन सी तैयारी करेंगे?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

पहेली 3

झारखंड में इसे मनाते,
चार दिनों तक जश्न मनाते।
साल के पेड़ की पूजा करते,
मिलकर ढोल-मंजीरे बजाते।

उत्तर— सरहुल

क्रियाकलाप 1

आपने अभी हाल ही में जो त्योहार मनाया है, उससे संबंधित चित्र बनाइए और नाम लिखिए।

त्योहार का नाम चित्र—

क्रियाकलाप 2

आपके क्षेत्र या राज्य में फ़सलों से जुड़ा कौन-सा त्योहार मनाया जाता है और उस त्योहार पर आप क्या-क्या करते हैं? नीचे दिए गए स्थान में लिखिए।

त्योहारों के नाम—

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

पहेलियों के निर्माण में ध्यान देने योग्य बिंदु

पहेलियों के निर्माण में ध्यान देने योग्य प्रमुख बिंदु अथवा सावधानियाँ इस प्रकार हैं—

1. पहेलियाँ सरल, स्पष्ट, मनोरंजक एवं रुचिकर होनी चाहिए।
2. पहेलियों में शब्दों का चयन बहुत ही सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए।
3. पहेलियों की भाषा विद्यार्थियों की कक्षा एवं आयु के अनुरूप होनी चाहिए।
4. पहेलियाँ विद्यार्थियों को विवेकपूर्ण एवं तर्कपूर्ण सोचने, विचार करने एवं उत्तर देने के लिए प्रेरित एवं विवश करने वाली होनी चाहिए।
5. पहेलियाँ बच्चों के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आस-पास के परिवेश तथा व्यावहारिक दिनचर्या से जुड़ी होनी चाहिए।
6. पहेलियाँ बच्चों के लिए अधिगम का मार्ग प्रशस्त करने वाली होनी चाहिए।
7. पहेलियाँ बच्चों को सीखने के लिए दिशा प्रदान करने एवं अभिप्रेरित करने वाली होनी चाहिए।
8. शिक्षण-अधिगम के संदर्भ में पहेलियों की रचना संबंधित प्रकरण एवं पाठ से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी अथवा संबंधित होनी चाहिए।
9. पहेलियों के निर्माण में मौलिकता एवं नवीनता का उचित समावेश होना चाहिए।

***बुनियादी स्तर की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2022* के विशेष संदर्भ में शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया में पहेलियों की भूमिका**

शिक्षा के निरंतर विकसित होते परिदृश्य में, *बुनियादी स्तर की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2022* एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में कार्य करती है, जो

शिक्षार्थियों के शैक्षिक अनुभवों को आकार देती है। *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा* के अनुसार, बुनियादी स्तर पर सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में पहेलियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये आलोचनात्मक चिंतन, समस्या-समाधान कौशल और भाषा विकास को बढ़ावा देती हैं तथा शिक्षार्थियों के लिए रचनात्मक और आकर्षक तरीके से सीखने को बढ़ावा देती हैं। *बुनियादी स्तर की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2022* के विशेष संदर्भ में शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया में पहेलियों की भूमिका को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है—

1. **पहेलियों के महत्व को समझना**— भौगोलिक और सांस्कृतिक सीमाओं से परे, पहेलियाँ सदियों से मानव संस्कृति का एक अभिन्न अंग रही हैं। पहेलियाँ जहाँ एक ओर जिज्ञासा को उत्तेजित करती हैं, वहीं दूसरी ओर तार्किकता को बढ़ावा देती हैं एवं शिक्षार्थियों को विविध दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। *बुनियादी स्तर की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2022* के अनुसार पहेलियाँ विद्यार्थियों को सामग्री के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने का एक मूल्यवान अवसर प्रदान करती हैं एवं शिक्षार्थियों को अनुभवात्मक शिक्षा प्रदान करती हैं।
2. **ज्ञान संबंधी विकास**— बुनियादी स्तर पर एक सुदृढ़ शैक्षिक नींव के निर्माण के लिए संज्ञानात्मक विकास महत्वपूर्ण है। पहेलियाँ युवा मस्तिष्क को चुनौती देती हैं, उन्हें जानकारी का विश्लेषण करने, संबंध बनाने और निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करती हैं। पहेली की पेचीदगियों से जूझकर, विद्यार्थी अपने समस्या समाधान कौशल को निखारते हैं, स्मृति प्रतिधारण बढ़ाते हैं और अवधारणाओं की गहरी समझ विकसित करते हैं।
3. **भाषा विकास**— पहेलियाँ भाषायी रत्न हैं, जो मनोरंजक और परस्पर संवादात्मक तरीके से भाषा के विकास को सुविधाजनक बनाती हैं। ये विद्यार्थियों को समृद्ध शब्दावली, आलंकारिक भाषा और भाषायी बारीकियों से परिचित कराती हैं। पहेली को समझने की प्रक्रिया में न केवल शब्दों को समझना सम्मिलित है, बल्कि दिए गए संदर्भ में उनके अर्थ को समझना भी सम्मिलित है। ये भाषायी निपुणता, भाषा अधिग्रहण और संचार कौशल को भी निखारती हैं।
4. **सांस्कृतिक प्रासंगिकता**— पहेलियाँ सामान्यत: सांस्कृतिक अर्थ रखती हैं, जिससे वे पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक तत्वों को एकीकृत करने के लिए एक मूल्यवान उपकरण बन जाती हैं। *बुनियादी स्तर की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2022* शिक्षा के लिए एक प्रासंगिक दृष्टिकोण पर बल देती है, विविध संस्कृतियों से पहेलियों को सम्मिलित करने से समावेशिता की भावना को बढ़ावा मिलता है और विद्यार्थियों के दृष्टिकोण का विस्तार होता है। पहेलियाँ पाठ्यक्रम और शिक्षार्थियों के वास्तविक दुनिया के अनुभवों के बीच एक पुल के रूप में कार्य करती हैं।
5. **रचनात्मकता को बढ़ावा देना**— रचनात्मकता शिक्षा के लिए *बुनियादी स्तर की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2022* के दृष्टिकोण की आधारशिला है। पहेलियाँ,

अपनी कल्पनाशीलता के साथ, विद्यार्थियों को अपनी रचनात्मकता व्यक्त करने के लिए एक चित्रफलक (कैनवास) प्रदान करती हैं। चाहे अपनी स्वयं की पहेलियाँ बनाना हो या जटिल पहेलियों को समझना हो, विद्यार्थियों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे कि विद्यार्थियों का सीखने के प्रति लगाव को बढ़ावा मिल सके।

6. **सामाजिक और भावनात्मक सीख**— संज्ञानात्मक और भाषायी विकास से परे, पहेलियाँ विद्यार्थियों के सामाजिक और भावनात्मक कल्याण में योगदान देती हैं। सहयोगात्मक समस्या-समाधान, जैसा कि सामान्यत: किसी पहेली को सुलझाने में आवश्यक होता है, जबकि समूह कार्य (टीम वर्क) संचार कौशल को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त एक चुनौतीपूर्ण पहेली को सफलतापूर्वक हल करने से विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे उपलब्धि और लचीलेपन की भावना पैदा होती है, जो *बुनियादी स्तर की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2022* के समग्र दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

अतः यह कहा जा सकता है कि *बुनियादी स्तर की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2022* के अनुरूप शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया में पहेलियों को सम्मिलित करना, एक गतिशील और आकर्षक शैक्षिक वातावरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पहेलियाँ रटने की पारंपरिक सीमाओं को पार करती हैं। ये अनुभवात्मक, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और रचनात्मक रूप से प्रेरक शिक्षा का प्रवेश द्वार प्रदान करती हैं। संज्ञानात्मक, भाषायी और सामाजिक-भावनात्मक विकास को बढ़ावा देकर, पहेलियाँ भविष्य के जिज्ञासु बच्चों के पोषण के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती हैं।

शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में पहेलियों के अनुप्रयोग के संदर्भ में अध्यापक की भूमिका

शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में पहेलियों के अनुप्रयोग के संदर्भ में अध्यापक की भूमिका इस प्रकार हो सकती है—

1. अध्यापक की पहेलियों में विशेष रुचि होनी चाहिए।
2. अध्यापक को विभिन्न प्रकार की पारंपरिक व्यावहारिक एवं प्रचलित पहेलियों का उचित ज्ञान अथवा जानकारी होनी चाहिए।
3. अध्यापक विद्यार्थियों की आयु एवं कक्षा स्तर के अनुरूप प्रकरण तथा विषय-वस्तु पर आधारित पहेलियों की रचना करने में सक्षम हो।
4. अध्यापक को शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पहेलियों का अनुप्रयोग करने की क्षमता हो।
5. अध्यापक को पहेलियों पर आधारित क्रियाकलाप एवं गतिविधियों की रचना करने से संबंधित उचित ज्ञान एवं दक्षता प्राप्त हो।
6. अध्यापक को इस बात की भी उचित समझ अथवा जानकारी होनी चाहिए कि किसी पाठ के आरंभ, मध्य एवं अंत में पहेलियों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए।

7. अध्यापक में पहेलियों के माध्यम अथवा उनका अनुप्रयोग करते हुए शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को सरल, रुचिकर, मनोरंजक एवं प्रभावशाली बनाने की क्षमता हो।
8. अध्यापक की स्वयं रचित अथवा विषय-वस्तु आधारित पहेलियों की रचना करने में विशेष रुचि हो एवं इस संदर्भ में वह आवश्यकता के अनुरूप पहेलियों का निर्माण करने में सक्षम हो।
9. पहेलियों के अनुप्रयोग के संदर्भ में अध्यापक द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि पहेलियाँ न केवल रुचिकर, मनोरंजक, आनंददायी एवं प्रभावी हों, बल्कि वे विद्यार्थियों के अधिगम को दिशा प्रदान करें एवं उन्हें अभिप्रेरित भी करती हों।

निष्कर्ष

बच्चों की शिक्षा एवं शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में पहेलियाँ महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती हैं। ये न केवल अधिगम को सरल, मनोरंजक एवं रुचिकर बनाती हैं; अपितु ये समस्याओं का समाधान ढूँढने और जटिल वस्तुओं एवं अवधारणाओं को समझने में भी विशेष सहायक सिद्ध होती हैं। ये विद्यार्थियों की तर्कशक्ति एवं चिंतनशक्ति का भी उचित विकास करती हैं अर्थात उनके बौद्धिक सामर्थ्य को बढ़ाती हैं। इसके अतिरिक्त पहेलियाँ विद्यार्थियों में भाषायी कौशलों एवं नीतिगत मूल्यों आदि को विकसित करने में भी बहुत ही सहायक सिद्ध होती हैं तथा बच्चों की शिक्षा एवं अधिगम को एक सुदृढ़ दिशा एवं आधार प्रदान करती हैं।

संदर्भ

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद. *रिमझिम-3,* तीसरी कक्षा के लिए हिंदी की पाठ्यपुस्तक. रा.शै.अ.प्र. प., नई दिल्ली.

———. *रिमझिम-4,* तीसरी कक्षा के लिए हिंदी की पाठ्यपुस्तक. रा.शै.अ.प्र. प., नई दिल्ली.

———. *रिमझिम-5,* तीसरी कक्षा के लिए हिंदी की पाठ्यपुस्तक. रा.शै.अ.प्र. प., नई दिल्ली.

———. *बुनियादी स्तर की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2022.* रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली.

अध्यापकों की समान और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने में भूमिका

प्रिया शर्मा*
अंकिता**

समावेशी शिक्षा को विद्यालयी शिक्षा प्रणाली में लागू करना तथा नए प्रयासों द्वारा समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने और उच्च स्तर तक ले जाने में अध्यापकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन्हीं सब पर ध्यान केंद्रित करते हुए सरकार द्वारा विद्यालय में समावेशी शिक्षा प्रदान करने हेतु कई नीतियाँ एवं नियम लागू किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं— शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, समग्र शिक्षा योजना आदि। इन नीतियों एवं नियमों पर अध्यापकों द्वारा ध्यान दिया जाना आवश्यक है। इन नियमों तथा योजनाओं द्वारा हम 74 प्रतिशत साक्षरता को प्राप्त कर चुके हैं, परंतु आज भी विद्यालय में अध्यापकों के सामने कई समस्याएँ आती हैं, जैसे— भेदभाव, दिव्यांगता, जाति, भाषा एवं निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर आदि। इन्हीं सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस लेख द्वारा अध्यापकों के लिए कुछ मुख्य सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। इस लेख में 'समान और समावेशी शिक्षा' हेतु अध्यापकों की भूमिका के बिषय में चर्चा प्रस्तुत की गई है।

समावेशी शिक्षा, कक्षा में विविधताओं को स्वीकारना है, जिसके अंतर्गत समतामूलक शिक्षा के साथ सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जाता है, ताकि वे भी समाज के मानवीय एवं उपयोगी नागरिक बन सकें और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। शिक्षा में समावेशन से तात्पर्य समस्त बच्चों, बड़ों और समुदाय के लोगों द्वारा आपस में किसी कार्य के लिए भागीदारी बढ़ाने, भेदभाव मिटाने, किसी सामाजिक-आर्थिक आधार पर होने वाली उपेक्षाओं को कम करने तथा विद्यार्थियों के सीखने में होने वाली बाधाओं को दूर करने से है। समावेशन, बच्चों व बड़ों में अंतर नहीं करता, अपितु उन्हें सीखने व सिखाने की प्रक्रिया को संसाधन के रूप में देखता है, यह विद्यार्थियों में विविधता, उनकी पृष्ठभूमि, अनुभव, आकांक्षाओं, रुचि, ज्ञान और कौशलों के प्रति विद्यालय को संवेदनशील बनाता है। (अनुच्छेद 1.7 डी.ई.जी.एस.एन. 2023) समावेशी शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता

**कनिष्ठ परियोजना सहायक*, अध्यापक शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली 110016
***कनिष्ठ परियोजना सहायक*, अध्यापक शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली 110016

को बाल-केंद्रित विधियों द्वारा विकसित करना है। समावेशी शिक्षा की परिकल्पना इस संकल्पना पर आधारित है कि सभी बच्चों तक विद्यालयी शिक्षा की पहुँच हो तथा वे बिना किसी भेदभाव के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसलिए भारत सरकार द्वारा सभी बच्चों की विद्यालयों तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2018–19 से समग्र शिक्षा योजना लागू की गई है। यह योजना विद्यालयी शिक्षा को एक निरंतरता प्रदान करती है और यह सतत विकास लक्ष्य (सतत विकास लक्ष्य-4) के अनुसार है। यह योजना न केवल शिक्षा के अधिकार को सुदृढ़ता प्रदान करती है, बल्कि यह *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* से संरेखित है, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी बच्चों की एकसमान और समावेशी कक्षा के वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच हो तथा उनकी विविध पृष्ठभूमि एवं बहुभाषी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए उनकी सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी बढ़ाई जाए।

शिक्षा में समावेशन का अर्थ है कि सभी बच्चों की शिक्षा एक साथ, एक ही विद्यालय में एकसमान रूप से हो। कक्षा में प्रत्येक बच्चा बहुत विशिष्ट ढंग से सीखता है। अत: अध्यापक का कार्य भी विशिष्ट होना चाहिए। कक्षा एक छोटा-सा समाज है, जहाँ पर सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, जैसे— प्रतिभाशाली, कमजोर, औसत, दिव्यांग, पिछड़े, वंचित आदि। यदि हम शिक्षा प्रदान करने के लिए एक ही दृष्टिकोण को अपनाएँ तो कक्षा का एक बड़ा भाग शिक्षा से वंचित रह जाता है और बाद में पिछड़ जाता है, इसलिए समावेशन के प्रारूप को न केवल एक कक्षा विशेष के अध्यापक द्वारा अपितु पूरे विद्यालय द्वारा अपनाया जाना चाहिए, जिससे अधिगम-शिक्षण प्रक्रिया प्रत्येक बच्चे के लिए सार्थक एवं प्रासंगिक बन सके और सभी बच्चों को शिक्षा का लाभ मिल सके।

समावेशी शिक्षा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए योग्य, सक्षम एवं आदर्श अध्यापकों की आवश्यकता होती है, जो एक ही कक्षा में सभी तरह के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते हैं। ऐसी शिक्षा व्यवस्था में जब वंचित वर्ग का विद्यार्थी अन्य वर्ग के विद्यार्थियों के साथ शिक्षा प्राप्त करता है तो उसके व्यवहार में भी परिवर्तन होता है।

समावेशी शिक्षा, विद्यालयी गतिविधियों के साथ-साथ बच्चों के व्यवहार, भावात्मक व सामाजिक कौशलों को विकसित करने में भी सहायता प्रदान करती है। समावेशी कक्षा में अध्यापक को विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर संबोधन और व्यवहार करना पड़ता है। एक अध्यापक को बिना किसी व्यक्तिगत हित के सभी विद्यार्थियों को उनकी क्षमताओं के आधार पर शिक्षा प्रदान करनी चाहिए और सभी विद्यार्थियों को समान अवसर देना चाहिए ताकि वे अपनी क्षमताओं एवं कौशलों को विकसित कर सकें और वे परिवार, समाज व देश के लिए जिम्मेदार नागरिक बन सकें। यह उन विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिन्हें कक्षा में विभिन्न प्रकार की विशेष आवश्यकताएँ हों, इस प्रकार की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, समाज में समानता लाना और समावेशन को बढ़ावा देना है। समावेशी शिक्षा के माध्यम से, हम समाज में विविधता को स्वीकार

करते हुए सहभागिता बढ़ाते हैं और सभी को एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का मार्ग दिखाते हैं।

समावेशी शिक्षा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विद्यालयी शिक्षा में दिव्यांग विद्यार्थी एवं सामान्य विद्यार्थी के मध्य स्वस्थ, सामाजिक, भावनात्मक और परस्पर संबंध बनाने में सहायक होती है। समावेशी शिक्षा को शिक्षा प्रणाली में सम्मिलित करने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं, ये सभी प्रयास प्रमुख भारतीय नीतिगत दस्तावेज़ों में प्रतिबिंबित हैं, जैसे— विद्यार्थियों को कक्षा में सभी गतिविधियों में सहभागिता का अवसर प्रदान करना, बच्चे पर केंद्रित सामाजिक रूप से प्रासंगिक और न्यायोचित पढ़ाने एवं सीखने की प्रक्रिया अपनाना, उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भों और विविधता को समझना, असमानताओं को दूर करने पर अधिक बल देना आदि। इससे समाज में सभी अध्यापकों को अवसरों के प्रोत्साहन की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता मिलती है, जैसे— हम समग्र शिक्षा योजना की बात करें तो इस योजना का लक्ष्य प्री-स्कूल से लेकर बारहवीं कक्षा तक, दिव्यांग बच्चों सहित सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। यह योजना, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय द्वारा संचालित विद्यालयों में पढ़ने वाले 'दिव्यांग जन अधिकार (RPWD) अधिनियम, 2016' की दिव्यांगता की अनुसूची में उल्लिखित एक या अधिक विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों का ध्यान रखते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है।

समान और समावेशी शिक्षा— *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*

'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016' समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित करता है, जहाँ सामान्य व दिव्यांग, सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं तथा शिक्षण व सीखने की प्रणाली को इस प्रकार अनुकूलित किया जाता है कि वह प्रत्येक बच्चे की सभी सामान्य अथवा विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हो (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, अनुच्छेद 6.11)।

भारतीय शिक्षा प्रणाली और क्रमिक सरकारी नीतियों ने विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था के सभी स्तरों में जेंडर और सामाजिक श्रेणियों के अंतरालों को कम करने की दिशा में लगातार प्रगति की है, किन्तु असमानता आज भी देखी जा सकती है, विशेषकर माध्यमिक स्तर पर, हम सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित ऐसे समूहों को देख सकते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में भूतकाल से ही पिछड़े रहे हैं। सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित सोशियो-इकॉनोमिकली डिसएडवान्टेज्ड ग्रुप (एस.ई.डी.जी.) इन समूहों को जेंडर (विशेष रूप से महिला व ट्रांसजेंडर व्यक्ति) सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान (जैसे— अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओ.बी.सी., भाषायी और धार्मिक अल्पसंख्यक), भौगोलिक पहचान (जैसे— गाँव, कस्बे व आकांक्षी जिले के विद्यार्थी), विशेष आवश्यकता (सीखने से

संबंधित अक्षमता सहित) और सामाजिक-आर्थिक स्थिति (जैसे— प्रवासी समुदाय, कम आय वाले परिवार, असहाय परिस्थिति में रहने वाले बच्चे एवं परिवार) सम्मिलित हैं। इन्हीं असमानताओं को दूर करने के प्रयासों पर *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में बल दिया गया है (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,* अनुच्छेद 6.2)। इन असमानताओं को दूर करने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा समग्र शिक्षा योजना एवं अन्य समकक्ष योजनाओं को विद्यालयी शिक्षा में क्रियान्वित किया जा रहा है।

समावेशी शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना

इस योजना में समानता और समावेशिता को प्रमुखता प्रदान की गई है, विशेष रूप से सामाजिक तथा आर्थिक रूप से वंचित समूह (एस.ई.डी.जी.एस.) के बच्चों के लिए जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग आदि बच्चे आते हैं। यह *योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के दृष्टिकोण को परिभाषित करती है, जिससे पूर्ण मानव क्षमता प्राप्त करने, न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए सशक्त आधार प्रदान किया जा सके।

समग्र शिक्षा के अनुसार समान और समावेशी शिक्षा के सिद्धांत

शिक्षा के समग्र सिद्धांत का तात्पर्य शिक्षण और सीखने के लिए न्यायसंगत और समावेशी दृष्टिकोण प्रदान करना है। समानता के सिद्धांत का तात्पर्य सभी बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना है। अर्थात सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों को भी शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना है। अभिगम्यता सिद्धांत का तात्पर्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को निर्दिष्ट दूरी के विद्यालयों में समान रूप से एक अनुकूल शिक्षण वातावरण प्राप्त हो।

अध्यापकों को सशक्त बनाने के सिद्धांत का अर्थ है कि अध्यापकों को कक्षा में कुछ नया करने और सीखने की संस्कृति का विकास करने हेतु प्रेरित करना। साथ ही, उन्हें नई शिक्षा पद्धतियों और दृष्टिकोणों से अवगत कराना ताकि वे सीखने के प्रतिफलों में सुधार करने के लिए अपनी कक्षाओं में विद्यार्थियों को सबसे प्रभावशाली तरीके से पढ़ा सकें। अध्यापकों को सामाजिक-भावनात्मक शिक्षा के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए तथा उसे अपने व्यवहारों में लाते हुए विद्यार्थियों के समक्ष प्रदर्शित करना चाहिए, जो किसी भी विद्यार्थी के समग्र विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

अध्यापक विद्यालयी शिक्षा में समावेशी शिक्षा को कैसे बढ़ावा दे रहे हैं?

शिक्षा मानव समाज के विकास का मूल आधार होती है, इसलिए सभी विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर समान अवसर प्रदान करना ही, अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी संदर्भ में समावेशी शिक्षा

को बढ़ावा देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पहलें की गई हैं जो इस प्रकार हैं—

1. **समर्थ अध्यापक**— कक्षा में विद्यार्थी की विशेष आवश्यकता को समझना एवं उन्हें पूर्ण करने में अपना योगदान देना ही एक समर्थ अध्यापक की पहचान है। अध्यापक को विद्यार्थियों के व्यक्तिगत कौशल और रुचि को समझने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वह सभी को बराबर समय दे सके व देखरेख कर सके। विद्यार्थियों को कक्षा में बहुत-सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे— बोर्ड से देखकर न लिख पाना, पाठ को न पढ़ पाना, लिखने में कठिनाई होना, सुनाई न देना, कोई कठिन विषय-वस्तु समझ न पाना आदि। इसलिए अध्यापक को विद्यार्थियों की सहायता करनी आवश्यक है। उदाहरण के लिए, सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं व मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना, पाठ को एक से अधिक बार दोहराना, विद्यार्थियों की लिखने में सहायता करना और उनके साथ चर्चा करके उनकी समस्याओं का समाधान करना आदि।
2. **विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षण-अधिगम**— शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सक्रिय भागीदारी के रूप में देखना चाहिए न कि निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में तथा ज्ञान को पूर्व निर्धारित न मानकर स्व-अनुभवों से निर्मित मानकर प्रदान किया जाना चाहिए (*राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*, पृष्ठ 5.2.3)।
3. **रुचि की विविधता**—सभी विद्यार्थियों की रुचि एकसमान नहीं होती। सभी विद्यार्थी एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, परंतु उनमें से कुछ विद्यार्थी पढ़ने में अधिक रुचि रखते हैं तो कुछ विद्यार्थियों की रुचि खेल में अधिक होती है, इस प्रकार एक ही कक्षा में रुचि के आधार पर विविधता देखने को मिलती है। अध्यापक का कर्तव्य है कि वह विद्यार्थियों की रुचि की विविधता को स्वीकार कर कक्षा में सभी को एकसमान समझे। अध्यापक प्रत्येक विद्यार्थी को भावनात्मक, सामाजिक, ज्ञानात्मक व शारीरिक कौशलों को विकसित करने के लिए रुचि के आधार पर समान अवसर प्रदान करे, ताकि वे अपनी पसंद के विषय या क्षेत्र में आगे बढ़ सकें।
4. **सहयोगी सामग्री**— अध्यापक को कक्षा में रचनावादी विधियों का प्रयोग कर शिक्षण-अधिगम को प्रभावी बनाना चाहिए। कक्षा में अध्यापक को विद्यार्थियों की सुविधा के अनुसार अधिगम सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को कार्य करने व सीखने में कठिनाई न हो, जैसे— पाठ को पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों के साथ पाठ के विषय में चर्चा करना, पाठ से संबंधित गतिविधियों का आयोजन, डिजिटल संसाधनों से पाठ को सरल व पठनीय बनाना आदि। उसे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि विद्यालय में सभी प्रकार की अधिगम सामग्री उपलब्ध हो ताकि विद्यार्थी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में उचित रूप से सहभागिता कर स्वयं या साथियों के साथ मिलकर अध्ययन कर सीख सकें।

5. **विद्यार्थियों के माता-पिता और परिवार के साथ सहयोग**— माता-पिता एवं अध्यापक विद्यार्थियों के जीवन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। माता-पिता एवं अध्यापक आपसी सहयोग से विद्यार्थियों की निजी आवश्यकताओं के अनुसार परियोजना बनाकर विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान दे सकते हैं, ताकि उनकी विशेष आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सके।
6. **सामाजिक दायित्व और जागरूकता**— समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत-सी ऐसी संस्थाएँ, जैसे— अमर ज्योति ट्रस्ट दिल्ली, सत्याशक्ति फाउंडेशन, आस्था फाउंडेशन आदि सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। ये संस्थाएँ विद्यार्थियों को उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं एवं कौशलों के आधार पर प्रशिक्षित करती हैं तथा उन्हें आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान करती हैं।

समावेशी शिक्षा में अध्यापकों की चुनौतियाँ

शिक्षा को समावेशी बनाने में अध्यापक एवं विद्यार्थियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जिनमें से कुछ चुनौतियाँ इस प्रकार हैं—

1. **संसाधनों की कमी**— सफलतापूर्वक समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए उचित संसाधनों की आवश्यकता होती है। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त उपकरण, सामग्री और सुविधाएँ उपलब्ध कराने में कई बार कठिनाइयाँ आती हैं, जो अध्यापकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया बन जाती है, जैसे— विद्यार्थियों के लिए विद्यालय में स्मार्ट बोर्ड उपलब्ध न होना, दिव्यांग विद्यार्थियों के आवागमन के लिए रेम्प की सुविधा न होना, विद्यार्थियों के लिए विद्यालय में डिजिटल अधिगम सामग्री की सुविधा न होना आदि।
2. **सामाजिक मान्यता और भेदभाव**— समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए सामाजिक रूढ़िबद्ध मान्यताओं और भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाना आवश्यक है। अध्यापकों को विद्यार्थियों के बीच भेदभाव न करके, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षा में समावेशन, विद्यालयों और उनके आस-पास के समुदायों के बीच आपसी सामाजिक संबंधों को विकसित करता है।
3. **आर्थिक समस्याएँ**— समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए कई बार आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे—विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए उपयुक्त सामग्री एवं सुविधाएँ तथा विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की आवश्यकता होती है, जो कई बार आर्थिक असमर्थता के कारण बाधित होती है।
4. **शिक्षण पूर्व पाठ योजना**— अध्यापकों को कक्षा में जाने से पूर्व स्वयं चिंतन-मनन कर पाठ योजना बनानी चाहिए तत्पश्चात कक्षा में पढ़ाया जाना चाहिए। अध्यापक को कक्षा में निरंतर प्रश्नोत्तर करते रहना चाहिए ताकि विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं एवं समस्याओं का समाधान किया जा सके।

5. **डिजिटल प्रौद्योगिकी**— डिजिटल उपकरणों एवं उनके प्रशिक्षण की कमी के कारण अध्यापकों को डिजिटल उपकरणों में शिक्षण-अधिगम सामग्री की जानकारी नहीं होती है। इस कारण वे विद्यालय में समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए इनका उचित रूप से प्रयोग नहीं कर पाते और विद्यार्थियों को डिजिटल प्रौद्योगिकी की पूरी जानकारी नहीं दे पाते। इसका यह परिणाम होता है कि विद्यार्थी डिजिटल संसाधनों का लाभ नहीं ले पाते हैं।

समावेशी शिक्षा को सुगम बनाने हेतु सुझाव

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार समावेशी शिक्षा को सुगम बनाने के लिए सुझाव इस प्रकार हैं—

- समावेशी शिक्षा के विकास हेतु विद्यालय को ऐसा वातावरण विकसित करना चाहिए, जो विद्यार्थियों की विविधताओं के अनुकूल हो।
- विद्यार्थियों में किसी भी प्रकार के भेदभाव एवं नकारात्मक दृष्टिकोण को हतोत्साहित करना; जिससे विद्यार्थी मिलकर एक साथ शिक्षा ग्रहण कर सकें।
- विशेषकर दिव्यांग विद्यार्थियों को निरंतर विद्यालय भेजने के लिए माता-पिता या अभिभावकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके लिए उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता है, जिससे वे उत्साहित होकर बच्चों को निरंतर विद्यालय भेज सकें।
- बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, विभिन्न प्रकार के संचार माध्यमों का प्रयोग कर जैसे— संकेतों, मौखिक, श्रवण, लिखित और दृश्य और स्पर्श आदि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाए।
- विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुकूल पाठ्यक्रम को संशोधित कर कार्यान्वित करना चाहिए।
- कक्षा में सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए तथा ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए अध्यापकों को प्रोत्साहित करना चाहिए।
- विद्यालय में संसाधन व्यक्तियों की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए, जैसे— स्पीच थेरेपी विशेषज्ञ, व्यावसायिक चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, फिजियोथेरेपिस्ट आदि।
- समावेशी शिक्षा प्रदान करने हेतु अध्यापक को संवेदनशील होना अत्याआवश्यक है। संवेदनशील अध्यापक ही विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकताओं को समझ सकता है, जैसे— विद्यार्थियों की लिखने की धीमी गति, विद्यार्थियों पर ध्यान न दे पाना, भाषा को न समझ पाना आदि।
- विद्यालय में विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार उपकरणों, जैसे— श्रवण संबंधी उपकरण, टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर, माइक, लॉ विजन उपकरण आदि की उपलब्धता। *(नेशनल गाइडलाइन एंड इम्प्लिमेंटेशन फ्रेमवर्क ऑन इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, 2023)*

निष्कर्ष

समावेशी शिक्षा में अध्यापक अपने विद्यार्थियों को सामाजिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक व भावनात्मक रूप से सशक्त बनाता है ताकि सभी विद्यार्थियों का संपूर्ण विकास हो सके और वे सशक्त बनकर भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें। वर्तमान में समावेशी शिक्षा प्रदान करने हेतु बहुत-सी नीतियाँ

लागू की गई हैं, परंतु फिर भी कहीं न कहीं हम कक्षा में विद्यार्थियों के बीच समावेशी शिक्षा को सफल बनाने में असमर्थ रहे हैं। अध्यापक को सदैव ही अपने विद्यार्थियों के विकास और आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए, उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो और वह सभी विद्यार्थियों को एक-समान समझे। विद्यार्थियों को कक्षा में भाग लेने का समान अवसर मिले। विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का भी विशेष ध्यान रखा जाए। जिससे की समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिले और सभी विद्यार्थियों को एकसमान समझा जाए।

संदर्भ

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005*. भारत सरकार, नई दिल्ली.

———. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. भारत सरकार, नई दिल्ली.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद. 2020. *शिक्षा में समावेशन विद्यालय प्रबंधन समिति के लिए संदर्शिका—2020.* रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली.

———. 2023. *नेशनल गाइडलाइन एंड इम्प्लिमेंटेशन फ्रेम वर्क ऑन इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन 2023.* वर्किंग कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स डी.ई.जी.एस.एन., रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली.

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के शैक्षिक दर्शन की *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के संदर्भ में प्रासंगिकता

संजय कुमार*

आधुनिक भारत में बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के शैक्षिक दर्शन की आवश्यकता है, क्योंकि उनका शैक्षिक दर्शन समानता एवं न्याय पर आधारित है। इस शोध-पत्र में उनके शैक्षिक दर्शन को समग्रता से समझने का प्रयास किया गया है। इसमें शिक्षा के प्रति उनका दृष्टिकोण, उद्देश्य, अध्ययन-अध्यापन, स्त्री-पुरुष समान शिक्षा, नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी कैसे होने चाहिए आदि की विस्तृत व्याख्या की गई है। डॉ.अम्बेडकर के शैक्षिक दर्शन का लाभ उठाकर प्रत्येक भारतीय व्यक्ति अपने नैतिक एवं चारित्रिक विकास के साथ-साथ, व्यावहारिक जगत में उसका प्रयोग कर वैज्ञानिक चिंतन की परंपरा का विकास कर सकेगा और भारत विकसित राष्ट्र की संकल्पना के साथ आगे बढ़ सकेगा। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर का शैक्षिक दर्शन स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, स्वाभिमान एवं मानवीय गरिमा जैसे मानवीय एवं लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। यही उनका आधुनिक एवं प्रगतिशील चिंतन है, जो उनके शैक्षिक दर्शन को प्रासंगिक बनाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के शैक्षिक दर्शन के वास्तविक लक्ष्य को प्रस्तुत करती है, जिसका स्पष्ट उल्लेख इस शोध अध्ययन में किया गया है। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का आधार मानते थे, उनका मानना था कि शिक्षा द्वारा ही शोषित-वंचित समाज को मुख्यधारा में जोड़ा जा सकता है। यदि उनके शैक्षिक दर्शन को व्यावहारिक जगत में लागू किया जाए तो शिक्षक-शिक्षार्थी एवं शोषित-वंचित समाज के साथ-साथ राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का कल्याण निश्चित होगा।

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर आधुनिक भारत के महान समाज-वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, शिक्षाशास्त्री कानूनविद, इतिहासकार, दार्शनिक, पत्रकार, मानवाधिकारों के संरक्षक, भारतरत्न भारतीय संविधान के निर्माता हैं अर्थात् बाबासाहेब का व्यक्तित्व विराट है। वे एक ऐसे वर्ग से आते थे, जिसे अस्पृश्य (अछूत) समझा जाता था, जिसके कारण उन्हें आजीवन अनेक कठिनाइयों एवं वंचनाओं का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें ज्ञात हुआ कि भारतीय समाज में बहुत असमानता और भेदभाव है। डॉ. अम्बेडकर ने अपना संपूर्ण जीवन समाज सुधार जैसे महान कार्य हेतु समर्पित कर दिया, इसलिए उन्हें भारतीय सामाजिक संरचना में प्रचलित सभी दमनकारी और भेदभावपूर्ण प्रथाओं के विरुद्ध 'सामाजिक क्रांति के मसीहा' के रूप में जाना जाता है। उन्होंने भारत एवं विदेशों में अपनी शिक्षा को

*शोधार्थी, C/O श्याम बाबू, गाँव अमिलिया, पोस्ट-मैलहां, तहसील-फूलपुर, विद्या आर्या लेखपाल का घर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश 212402

पूर्ण किया। बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में अनुसूचित जाति के लोगों ने शायद ही शिक्षा प्राप्त की होगी, उस समय बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर प्रथम व्यक्ति थे, जिन्होंने विदेशों के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से डिग्री प्राप्त कर सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी आजीविका का प्रारंभ किया और कुछ समय के लिए गवर्मेंट लॉ कॉलेज, बॉम्बे में प्रिंसिपल भी रहे, किंतु देश की सेवा और शोषित-वंचित समाज के कल्याणार्थ हेतु उन्होंने नौकरी का त्याग कर दिया। देश में शिक्षा के विकास में उनका योगदान अतुलनीय है। एक शिक्षक और प्रधानाचार्य होने के अतिरिक्त, वे शिक्षा के एक महान प्रवक्ता और राष्ट्रीय ख्याति के शैक्षिक संस्थानों के संस्थापक एवं निर्माता थे। इन सबसे अलग वे तथागत बुद्ध की भाँति एक महान शिक्षक थे।

विभिन्न शिक्षाशास्त्रियों एवं विद्वानों ने शिक्षा को व्यापक संकल्पना के रूप में प्रस्तुत एवं परिभाषित करने का प्रयास किया है। किसी ने 'सा विद्या या विमुक्तये' तो किसी ने उसे शरीर और आत्मा को पूर्णता प्रदान करने वाला बताया है, तो किसी ने शिक्षा को आंतरिक शक्तियों को बाहर प्रकट करने वाला बताया है। किंतु बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर ने इन सभी से अलग, शिक्षा को सामाजिक बंधुत्व एवं मानवीय सदगुणों का विकास करने वाला बताया है (यादव, 2017, पृ. 1085)। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, 'शिक्षा वह है, जो मनुष्य को आत्म-निर्भर बनाती है, एकता सिखाती है, जन्मसिद्ध अधिकार समझाती है, संघर्ष करना और आज़ादी हेतु लड़ना सिखाती है।' (साईलक्ष्मी और रेड्डी, 2018, पृ. 90)। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में भी विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया है। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर ने शिक्षा को एक अद्वितीय शस्त्र के रूप में चुना, जिसने भारतीय समाज की सभी सामाजिक असमानताओं की जड़ों को काटा। नेल्सन मंडेला का भी मानना था कि, "शिक्षा सबसे शक्तिशाली शस्त्र है, जिसके द्वारा दुनिया को बदला जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार की शिक्षा होगी, उसी प्रकार से समाज या राष्ट्र को परिवर्तित किया जा सकता है" (कुमार, 2022, पृ. 97–98)। डीवी के अनुसार "व्यापक अर्थ में शिक्षा जीवन की सामाजिक निरंतरता का साधन है" (कुमार, 2019, पृ. 208)। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर ने डीवी के इस विचार को अपने शैक्षिक दर्शन के आधार के रूप में लिया।

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर ने अपनी पुस्तकों, लेखों एवं भाषणों में प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में बताया है, जो इस प्रकार हैं—

- मानसिक विकास शिक्षा का उद्देश्य पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा स्वतंत्र सोच या चिंतन पर बल देना है। उनका विश्वास था कि केवल तथ्यों व सिद्धांतों का मस्तिष्क में प्रवेश ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, अपितु तथ्यों एवं सिद्धांतों के मूल्यांकन करने की मानसिक क्षमता का विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य है।
- शिक्षा का उद्देश्य मानवीय चरित्र का निर्माण करना है। समाज के विकास हेतु उनके सदस्यों का चारित्रिक गुणों से संपन्न होना आवश्यक है, क्योंकि चारित्रिक गुणों से युक्त मानव ही

अपने ज्ञान का प्रयोग समाज के कल्याणार्थ हेतु करेगा।

- वैज्ञानिक चिंतन का विकास करना भी शिक्षा का उद्देश्य है। इसके माध्यम से शिक्षार्थी स्वयं की समस्याओं का समाधान तर्कपूर्ण एवं खोजपूर्ण तरीके से कर सकता है अर्थात स्वावलंबन की प्राप्ति ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है।
- सामाजिक समानता व लोकतांत्रिक भावना का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य है, जिसके माध्यम से हम आदर्श समाज की स्थापना कर सकते हैं।
- शिक्षा का उद्देश्य नैतिक या मानवीय मूल्यों का विकास करना है, क्योंकि यही वह मूल्य है, जिसके माध्यम से मानव-मानव में प्रेमपूर्ण एवं मैत्रीपूर्ण भाव स्थापित किया जा सकता है और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व एवं न्याय पर आधारित समाज का निर्माण किया जा सकता है।
- शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास तथा बुद्धि एवं आत्मसम्मान को जागृत करना है।
- शिक्षा के माध्यम से समाज को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक रूप से विकसित बनाना है (यादव, 2017, पृ. 1085)।

इसी प्रकार *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के अनुसार भी शिक्षा का उद्देश्य ऐसे सद्गुणी मानव का विकास करना है जो तर्कसंगत विचार एवं कार्य में पारंगत हो, जिसमें करुणा, सहानुभूति, साहस, लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन, रचनात्मक कल्पनाशक्ति, नैतिक मूल्य समाहित हो। शिक्षा का उद्देश्य ऐसे उत्पादक नागरिक तैयार करना है जो भारतीय संविधान द्वारा परिकल्पित-समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में सकारात्मक योगदान दे सकें (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,* पृ. 6)।

शिक्षण-अधिगम भाषा के माध्यम से होता है, भाषा के माध्यम से ही शिक्षा को प्रचारित एवं प्रसारित किया जाता है। अनेक शोध अध्ययनों से ज्ञात होता है कि यदि विद्यार्थियों को मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जाए तो शिक्षा की प्रभावशीलता में सुधार होता है। इसलिए बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर चाहते थे कि शिक्षण मातृभाषा में प्रदान किया जाए, जिसके माध्यम से शिक्षण-अधिगम को रुचिपूर्ण बनाया जा सकता है। उन्होंने मातृभाषा के साथ-साथ एक विदेशी भाषा सीखने पर भी बल दिया। वे सोचते थे कि इससे विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर पर होने वाली नई घटनाओं को समझने में सहायता मिलेगी (राठो, 2021, पृ. 3158)। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में भी मातृभाषा आधारित शिक्षण पर बल दिया गया है ताकि विद्यार्थी सरलता एवं सुगमता से विषय को समझ सकें। शिक्षण रुचिपूर्ण हो, इसलिए विद्यालयी स्तर पर खेल आधारित शिक्षण पर भी बल दिया गया है। विद्यार्थी कक्षा 5 या सम्भव हो तो कक्षा 8 के बाद अंग्रेजी को भी विषय के रूप में अपना सकते हैं। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में कहा गया है कि, ‘भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में उच्चतर गुणवत्ता वाले कोर्स के अतिरिक्त, विदेशी भाषाएँ, जैसे— कोरियाई, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मनी, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी भी माध्यमिक स्तर पर व्यापक रूप से अध्ययन हेतु सिखाई या पढ़ाई जाएँगी जिससे विद्यार्थी विश्व संस्कृतियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकें तथा अपनी रुचियों एवं

आकांक्षाओं के अनुसार अपने वैश्विक ज्ञान को तथा सम्पूर्ण विश्व में घूमने-फिरने को सहजता से बढ़ा सकें *(राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,* अनुच्छेद, 4.20)। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर पारंपरिक शिक्षण विधि के पक्ष में नहीं थे, वे उसमें आमूल-चूल परिवर्तन चाहते थे, इस संदर्भ में देखें तो *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में भी शिक्षण विधि में आमूल-चूल परिवर्तन किया गया है। जिसका लक्ष्य सभी स्तरों पर पाठ्यचर्या और शिक्षण विधि के समग्र केंद्र बिंदु शिक्षा प्रणाली को रटने की पुरानी प्रथा से अलग वास्तविक समझ और ज्ञान की ओर ले जाना है। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर समस्याओं का निराकरण अनुसंधानात्मक रूप से करने तथा तथ्यों व विचारों के मूल में जाकर उनका विश्लेषण करने तथा उन्हें तार्किक पैमाने पर प्रमाणित करने पर बल देते हैं। इस दृष्टिकोण से वे खोज उपागम, समस्या-समाधान विधि तथा वैज्ञानिक विधि द्वारा शिक्षण करने के पक्षधर प्रतीत होते हैं (यादव, 2017, पृ. 1085)। ऐसी ही शिक्षण विधियाँ *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में भी सुझाई गई हैं।

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर मुक्त और अनिवार्य शिक्षा के पक्षधर थे, जिसे प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। समाज में विद्यमान सभी मतभेद शिक्षा की कमी के ही परिणाम हैं। इसलिए वे शिक्षा को सबकी पहुँच में लाने के पक्ष में थे। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,* सहायक प्रतीत होती है। इसमें सभी विद्यार्थियों हेतु, चाहे उनका निवास स्थान कहीं भी हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करानी होगी। इस कार्य में ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रह रहे समुदायों, वंचित और अल्प-प्रतिनिधि वाले समूहों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा बराबरी सुनिश्चित करने का सार्थक माध्यम है, जिसके माध्यम से समाज में समानता, समावेशन और सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता प्राप्त की जा सकती है। ऐसे समूहों के प्रत्येक बच्चे हेतु, परिस्थितिजन्य बाधाओं के बावजूद, प्रत्येक संभव पहल की जानी चाहिए, जिससे वे शिक्षा व्यवस्था में प्रवेश प्राप्त कर, उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें।

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर ने अपने एक भाषण में लोगों को संबोधित करते हुए कहा है, "व्यक्ति जीवन के संघर्ष में तब तक स्थायी नहीं रह सकता, जब तक वे शिक्षित नहीं हो जाता। शिक्षा के अभाव में व्यक्ति अपमान, शोषण, दमन जैसी सामाजिक समस्याओं के जाल में फंस जाता है। इसलिए सरकार का नैतिक कर्तव्य है कि वह व्यक्तियों को शिक्षित कर उनके बौद्धिक विकास में सहायता प्रदान करे, क्योंकि ज्ञान मनुष्य के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं नैतिक विकास का आधार है" (चेंगटे, 2016, पृ. 633)। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास हेतु राज्य नियंत्रित शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया है। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर का कहना था कि, "बुद्धि एक तलवार की भाँति है, जिसे धारण करने वाले व्यक्ति को प्रत्येक समाज एवं समूह पहचानता है। ज्ञान हेतु अच्छे चरित्र एवं शिष्टता का होना आवश्यक है। यदि इसके बिना लोग शिक्षित हो जाएँगे, तो राष्ट्र और समाज नष्ट हो सकता है।

ज्ञान एवं बुद्धि का अनूठा संयोजन ही शिक्षा है। एक जागृत व्यक्ति जानता है कि उसके लिए सबसे अच्छा क्या है, सही और गलत के मध्य अंतर जानता है, तभी वह शिक्षित माना जाता है" (कुमार रत्ने, 2018, पृ. 482-484)। शोषित-वंचित समाज की सामाजिक मुक्ति में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर ने शोषित-वंचित समाज के लिए तीन नारे लगाए— "शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। प्राथमिकता में प्रथम वाक्य था, क्योंकि बिना शिक्षित हुए दूसरे एवं तीसरे वाक्य का कोई औचित्य नहीं रह जाता है अर्थात शिक्षा के लक्ष्य प्राप्त करने के पश्चात ही अन्य दो लक्ष्यों की प्राप्ति संभव है" (सौभाग्य, 2014, पृ. 178)। इसका आशय समाज में अधिकार प्राप्त करना, जीवन में सफलता प्राप्त करना एवं सामाजिक न्याय हेतु लोगों में शक्ति का संचार कर संघर्ष हेतु तैयार करना है।

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के विचारों में, शिक्षा ही एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य आत्म-प्रबुद्ध हो सकता है। शिक्षा समाज में जीवन का निर्माण करती है। उन्होंने अपने दर्शन में स्वाभिमान, आत्मविश्वास और मानवीय गौरव को सर्वाधिक महत्व दिया। वे शिक्षा के माध्यम से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व एवं निर्भयता जैसे गुणों का विकास करना चाहते थे (राठो, 2021, पृ. 3157)। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर की भाँति *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* ने भी माना है कि शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्यायपूर्ण समाज और राष्ट्रीय विकास को प्रोत्साहन देने हेतु आधारभूत आवश्यकता है, उन्होंने शिक्षा को केवल एक बच्चे के व्यक्तित्व के विकास के साधन के रूप में या किसी की आजीविका कमाने के स्रोत के रूप में ही नहीं देखा, अपितु शिक्षा को समाज में वांछित परिवर्तन लाने के लिए सबसे शक्तिशाली शस्त्र और आधुनिक समय में किसी भी सामाजिक आन्दोलन को प्रारंभ करने के लिए संगठित प्रयास के लिए एक शर्त माना। उनके लिए शिक्षा शोषित-वंचित समाज को निरक्षरता, अज्ञानता और अंधविश्वास से मुक्त करने का एक साधन थी, जो सभी प्रकार के अन्याय, शोषण और दमन के विरुद्ध संघर्ष करने में सक्षम बनाती है। उनका मानना था कि यदि दलित समाज को शिक्षित किया जाए, तो वे अपने परंपरागत व्यवसाय का परित्याग कर एवं गरिमापूर्ण व्यवसायों को अपना कर, भारतीय समाज में श्रम विभाजन पर आधारित शोषणकारी पुरानी जाति-आधारित संरचना को समाप्त कर सकते हैं (साईलक्ष्मी रेड्डी, 2018, पृ. 90)।

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि जिस प्रकार मनुष्य को जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार ज्ञान के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है, बिना ज्ञान के कुछ संभव नहीं है। एक शिक्षित व्यक्ति के संदर्भ में उन्होंने कहा कि, "एक शिक्षित व्यक्ति वह है, जो अपनी शिक्षा का उपयोग गरीबों, असहायों, कमज़ोरों एवं जरूरतमंदों के कल्याण हेतु करता है अन्यथा उसकी शिक्षा समाज के लिए एक अभिशाप है" (कुमार एवं रत्ने, 2018, पृ.486)। साथ ही साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना, वैश्विक मंच

पर सामाजिक न्याय एवं समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण तथा सांस्कृतिक संरक्षण भारत की सतत प्रगति और आर्थिक विकास की कुंजी है, (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,* पृ. 3)। उन्होंने शोषित-वंचित समाज को दयनीय एवं अमानवीय स्थिति से मुक्ति हेतु शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने शोषित-वंचित समाज के लोगों से कहा कि, "आप लोगों की अपने बच्चों के प्रति जो ज़िम्मेदारी थी, उसे सही तरीके से नहीं निभाई, जिसका परिणाम यह हुआ आप लोगों ने अपने बच्चों के भविष्य को नष्ट कर दिया। आप लोगों ने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए कोई प्रबंध नहीं किया और उनकी कम उम्र में कर्ज़ लेकर शादी कर देते हैं, जिससे उन्हें जल्द बच्चे पैदा हो जाते हैं। जबकि यह उम्र शिक्षा प्राप्त करने की होती है। इस प्रकार वह अपनी गरीबी, दीन-हीन एवं दयनीय अवस्था में जीवन जीता रहता है और फिर वही पुराना सिलसिला चलता रहता है" (विमलकीर्ति, 2015, खण्ड-1, पृ. 73–74.)। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर ने शोषित-वंचित समाज की दशा सुधारने एवं उनकी औपचारिक शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया। उन्होंने 9 मार्च, 1924 को बम्बई में 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' बनाने हेतु एक बैठक आयोजित की, जो शोषित-वंचित समाज के कल्याणार्थ हेतु बनाई गई थी। इसके विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों में एक कार्य शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना भी था। उन्होंने 'पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी' का गठन किया। इस सोसाइटी ने वर्ष 1946 में सिद्धार्थ कॉलेज, वर्ष 1949 में संत गाड़गे महाराज चोखामेला विद्यार्थी वासतिगृह और वर्ष 1950 में मिलिंद कॉलेज जैसे शिक्षण संस्थान की स्थापना की (स्ट्रॉउड, 2017, पृ. 90)।

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर चाहते थे कि, "भारत में स्कूलों एवं कॉलेजों का व्यापक स्तर पर विस्तार हो, जिसका लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग के बच्चों को हो और वे वहाँ से योग्य विद्यार्थी के रूप में बाहर आएँ तथा आत्मनिर्भर होकर राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दें" (डॉ. अम्बेडकर, 2013, खण्ड-4, पृ. 143)। भारत की स्वतंत्रता के बाद केंद्र एवं राज्य सरकारों ने शिक्षा का व्यापक प्रचार-प्रसार किया है, जिसमें व्यापक रूप से विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के द्वारा भी ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से शिक्षा को सभी तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर ने 20 दिसंबर, 1946 को अखिल भारतीय दलित विद्यार्थी परिषद् के विद्यार्थियों को एक संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि, "दलित विद्यार्थियों को अवसर प्राप्त होने पर उन्हें यह सिद्ध करना चाहिए कि वे योग्यता या बुद्धिमत्ता में अन्य किसी विद्यार्थी से किंचित मात्र भी कम नहीं हैं। उन्हें अपने निजी स्वार्थ से हटकर अपने समाज के कल्याणार्थ हेतु समर्पित रहना चाहिए" (श्रीवास्तव, 2011, पृ. 27)। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर की शिक्षा के प्रति लगाव की स्पष्ट झलक स्वतंत्रता सेनानी सर फिरोज शाह मेहता की स्मृति में आयोजित एक सभा में दिखाई देती है, जिसमें मेहता जी का पुतला लगाने की घोषणा हुई, इस पर उन्होंने *बॉम्बे क्रॉनिकल* में अपने विचार रखते हुआ लिखा कि, "मेहता जी की

स्मृति में सिर्फ पुतला खड़ा कर स्मारक स्थापित किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि उनकी याद को अमर बनाने के लिए सरकार द्वारा एक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी देश के मानसिक एवं सामाजिक विकास के लिए पुस्तकालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है" (मून, 2000, पृ. 13.)। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर का शैक्षिक दर्शन समाज के सभी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक है। यदि उनके शैक्षिक दर्शन का अनुसरण विद्यार्थी करें, तो उनका विकास सुनिश्चित है। विशेषकर शोषित-वंचित समाज के विद्यार्थियों को चाहिए कि उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करें और सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं का पूर्णरूपेण लाभ प्राप्त करें ताकि उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके।

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर शिक्षा को सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए आवश्यक मानते थे, चाहे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। सभी पुरुषों और महिलाओं को कम से कम न्यूनतम शिक्षा प्राप्त करनी ही चाहिए ताकि वे पढ़ना-लिखना सीख सकें। प्राथमिक शिक्षा जनता को शिक्षित करने की न्यूनतम आवश्यकता को पूर्ण करती है। बाबासाहेब के अनुसार, "प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य यह देखना है कि प्रत्येक बच्चा जो प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करता है, वह प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण कर रहा है या नहीं (ढ़ल, 2017, पृ. 8582)। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* का भी उद्देश्य है कि प्रारंभिक शिक्षा सभी बच्चों को प्राप्त हो, इसलिए बच्चे बीच में ही शिक्षा को क्यों छोड़ देते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त कर, समस्या का समाधान करना है, ताकि शिक्षा का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के अनुसार महिलाओं को भी स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार दिया जाना चाहिए तथा उन्हें भी पुरुषों के समान शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। वे भी राष्ट्र निर्माण में पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर अपना योगदान दे सकें। उनका मानना था कि लड़कियों के जीवन में विभिन्न रूप होते हैं, जैसे— बहन, बेटी, पत्नी, बहू, माता, सास आदि। यदि वे शिक्षित एवं संस्कारित होंगी, तो स्वाभाविक है कि समाज का विकास स्वयं ही हो जाएगा, क्योंकि महिलाएँ ही घर को सजाने-संवारने का कार्य करती हैं अर्थात महिलाओं के शिक्षित एवं संस्कारी होने से उनके बच्चे भी शिक्षित एवं संस्कारी होंगे, जो राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक योगदान देंगे। इसी प्रकार जब संपूर्ण भारत की महिलाएँ शिक्षित हो जाएँगी, तो स्वाभाविक है कि भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा।

20 जुलाई, 1942 को नागपुर में अपने एक भाषण में, बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर ने कहा, "मैं किसी समाज की प्रगति, वहाँ की महिलाओं की प्रगति से मापता हूँ। यदि देश की आधी आबादी (महिलाएँ) अशिक्षित हैं, तो देश प्रगति नहीं कर सकता है। शिक्षा महिलाओं के लिए उतनी ही आवश्यक है, जितनी कि पुरुषों के लिए।" (राठो, 2021, पृ. 3157)। उन्होंने अस्पृश्य महिलाओं की एक सभा में कहा कि, "आपके गाँव का ब्राह्मण अत्यंत निर्धन होने के बावजूद भी वह अपने बच्चों को स्कूल अवश्य भेजता है, जिसके कारण उनके बच्चे मजिस्ट्रेट बनते

हैं। आप लोगों को उस ब्राह्मण से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपनी पुरानी दयनीय स्थिति का परित्याग कर देना चाहिए।" (जाटव, 2003, पृ.105)। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के महिला शिक्षा के लक्ष्य को *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* द्वारा पूर्ण किया जा सकता है। इस हेतु नीति में कहा गया है कि, "सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूह की बालिकाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रबंध किया जाए यह उनकी वर्तमान एवं आने वाली पीढ़ियों के शैक्षिक स्तर को ऊपर उठाने का सर्वोत्तम तरीका होगा। यह शिक्षा नीति इस बात की अनुशंसा करती है कि सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूह के विद्यार्थियों के लिए बनाई जा रही नीतियाँ और योजनाएँ विशेष रूप से इस समूह की बालिकाओं पर केंद्रित होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त भारत सरकार सभी बालिकाओं के साथ ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और न्यायसंगत शिक्षा प्रदान करने की दिशा में देश की क्षमता का विकास करने हेतु एक 'जेंडर समावेशी निधि' की स्थापना करेगी। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं को लागू करने के लिए राज्यों को यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक कोष का निर्माण किया जाएगा। महिलाओं एवं ट्रांसजेंडर बच्चों तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह प्रावधान अत्यंत महत्वपूर्ण है (जैसे— स्वच्छता व शौचालय से संबंधित सुविधाएँ, साइकिल व सशर्त नकद हस्तांतरण आदि)। यह कोष राज्यों को समुदाय आधारित कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने और उसे बड़े स्तर तक ले जाने में सक्षम बनाएगा, जो महिलाओं व ट्रांसजेंडर बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने की दिशा में परिस्थितिजन्य समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करेगा। अन्य सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूह की शिक्षा तक पहुँच से संबंधित समान समस्याओं के समाधान हेतु इसी प्रकार की 'समावेशी निधि' की व्यवस्था की जाएगी। संक्षेप में, *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* का उद्देश्य किसी जेंडर या अन्य सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूह के बच्चों के लिए शिक्षा (व्यावसायिक शिक्षा सहित) तक पहुँच में शेष असमानता को समाप्त करना है" *(राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, पृ. 40–41)।

उच्च शिक्षा के संदर्भ में बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर ने कहा है कि, "मेरी राय में उच्च शिक्षा वह है, जो व्यक्ति को राज्य प्रशासन में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पदों पर स्थापित करने में सक्षम बनाती है। शोषित-वंचित समाज का उद्धार सिर्फ प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा द्वारा ही नहीं हो सकता, अपितु उन्हें उच्च शिक्षित होकर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पदों पर स्थापित होना चाहिए, जिससे वे अब तक वंचित रहे हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्य को सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करना चाहिए (सौभाग्य, 2014, पृ. 178–79)। वर्तमान में भारत को विश्वगुरू बनाने की परिकल्पना की जा रही है, अपितु यह परिकल्पना बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर आज से सौ वर्ष पूर्व ही कर चुके थे, इसलिए वे विकास का पैमाना शिक्षा को मानते थे। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में भी उच्च शिक्षा के विस्तार हेतु उच्च शिक्षण संस्थानों में 'सकल नामांकन अनुपात'(ग्रोस एनरोलमेंट रेशो) को 26.3

प्रतिशत (वर्ष 2018) से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा गया है, इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा (मीना और शर्मा, 2021, पृ. 61)। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि शिक्षा के माध्यम से ही भारत में व्याप्त विभिन्न कुरूतियों या असंगतियों को समाप्त कर, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व एवं न्याय पर आधारित समाज का निर्माण किया जा सकता है। इससे प्रबुद्ध भारत निर्माण के सपने को साकार किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षा जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जन आंदोलन का एक प्रभावी साधन है, जो शोषित-वंचित समाज को अन्याय एवं शोषण के विरुद्ध संघर्ष करने और इसे समाप्त करने हेतु प्रोत्साहित कर सकती है एवं स्वतंत्र चिंतन का मार्ग प्रशस्त करती है। शिक्षा के माध्यम से शोषित-वंचित समाज स्वयं को उस स्तर पर स्थापित कर सकता है, जिस स्तर पर सवर्ण समाज है। शोषित एवं वंचित समााज के लिए आवश्यक है कि वह अपने को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि सभी स्तरों पर संपन्न बनाए, जो शिक्षा के माध्यम से ही संभव है (सौभाग्य, 2014, पृ. 179)।

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर स्वयं नवोन्मेषी एवं सृजनात्मक शिक्षक थे। उनके अनुसार, "शिक्षा एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और शिक्षक उसे वास्तविक आधार प्रदान करता है। इसलिए शिक्षा और क्षमता पूर्णरूपेण प्रमाणित ज्ञान, आत्मनिर्भरता, सीखने की प्रवृत्ति और शिक्षक के कौशल प्रदान करने पर निर्भर करती है"। उन्होंने अपने शिक्षण-अधिगम में चिंतन, मनन एवं अध्ययन के त्रिकोणीय सूत्र को अपनाया। इस सूत्र के कारण वे स्वयं एक अच्छे शिक्षक और व्यापक अर्थों में एक सामाजिक शिक्षक बन गए। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, शिक्षक ज्ञान हेतु लालायित, मनोयोगपूर्वक विद्यार्जन करने की दृढ़ इच्छाशक्ति वाला एवं आत्मविश्वासी होना चाहिए। वे शिक्षक को राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण घटक मानते हैं, जिसके बिना राष्ट्र निर्माण की संकल्पना अधूरी है। इसलिए एक शिक्षक को ज्ञानी, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए, जिससे वह विद्यार्थियों की शिक्षा में मौलिक समस्याओं और कमियों को समझ सके। शिक्षक को स्वयं नैतिक गुणों से युक्त एवं चरित्रवान होना चाहिए, तभी वह शिक्षार्थियों को नैतिक एवं चरित्रवान बना सकता है। प्रत्येक शिक्षण संस्थान में विद्यार्थियों के शिक्षण हेतु बौद्धिक, सकारात्मक और दयालु शिक्षक होने चाहिए (कुमार और रत्ने, 2018, पृ. 484)। साथ ही, शिक्षक को पूर्वाग्रह से मुक्त, उदार, लोकतांत्रिक, भेदभावरहित एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से युक्त होना चाहिए और उसका कर्तव्य है कि वह स्वयं नवीन ज्ञान से युक्त होकर, विद्यार्थियों को नवीन ज्ञान से परिचित कराए। बाबासाहेब के अनुसार, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के निर्माण में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अपने एक भाषण में उन्होंने स्पष्ट किया कि, "यदि हमारे पास अच्छे शिक्षक हैं, तो हम अच्छे विद्यार्थी भी तैयार कर सकते हैं। शिक्षक एक स्वस्थ और संपूर्ण मानव व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक शिक्षक को समाज के सभी व्यक्तियों के

प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए।" (राठो, 2021, पृ. 3158–59)। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर कहा करते थे कि, "मुझे शिक्षण कार्य बहुत पसंद है और विद्यार्थियों से बहुत लगाव है। देश का भविष्य निश्चित रूप से विद्यार्थियों पर निर्भर होता है। विद्यार्थी ही देश की प्रगति को दिशा दे सकते हैं। वे शिक्षकों का बहुत सम्मान करते थे और उन्हें उच्च स्थान देने के पक्ष में थे। शिक्षक एक स्वस्थ और संपूर्ण मानव व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए उन्होंने सिफारिश की कि स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति से पहले उनके उच्च स्तर की जाँच होनी चाहिए" (राठो, 2021, पृ. 3159)।

शिक्षा कमीशन (1964–66) ने कहा था कि भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में पल रहा है अर्थात भारत का भविष्य शिक्षक पर निर्भर है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में भी कहा गया है कि शिक्षक वास्तव में बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं, जिसके कारण वे राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करते हैं। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी कहा गया था कि कोई राष्ट्र कितना प्रगति करेगा, यह निर्भर करता है कि उस राष्ट्र का शिक्षक कितना गुणवान एवं चरित्रवान है। शिक्षक के लिए पाँच प्रतिबद्धताएँ हैं— 1. विद्यार्थी के प्रति; 2. समाज के प्रति; 3. अपने पेशे के प्रति; 4. उत्कृष्टता के प्रति एवं 5. मानवीय मूल्यों के प्रति। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत भावी शिक्षकों में एक अच्छे स्वभाव का विकास और मूल्यों के निर्माण पर बल दिया गया है। उन्हें भारतीय मूल्यों, भाषाओं, ज्ञान तथा परंपराओं के साथ-साथ शिक्षा और शिक्षाशास्त्र में नवीनतम प्रगति से परिचित किया जाएगा। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* का मानना है कि, "अगली पीढ़ी को आकार देने वाले शिक्षकों की एक टीम के निर्माण में अध्यापक शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है। शिक्षकों को तैयार करना एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके लिए बहु-विषयक दृष्टिकोण और ज्ञान की आवश्यकता के साथ-साथ, उच्च कोटी के परामर्शदाताओं के निर्देशन में मान्यताओं और मूल्यों के निर्माण के साथ ही साथ, उनके अभ्यास की भी आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अध्यापक शिक्षा और शिक्षण प्रक्रियाओं से संबंधित अद्यतन प्रगति के साथ ही साथ भारतीय मूल्यों, भाषाओं, ज्ञान, लोकाचार, परंपराओं एवं जनजातीय परंपराओं के प्रति जागरूक रहें" (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,* पृ. 67– 68)।

यद्यपि अध्यापक शिक्षा हेतु बहु-विषयक ज्ञान व समझ के साथ ही उच्चतर गुणवत्तायुक्त विषयवस्तु और शैक्षिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। अतः इसे ध्यान में रखकर संपूर्ण अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को समग्र बहु-विषयी संस्थानों में आयोजित किया जाना चाहिए। इस हेतु सभी बहु-विषयक विश्वविद्यालयों के साथ-साथ सभी सार्वजनिक विश्वविद्यालय और बहु-विषयक महाविद्यालयों का लक्ष्य होगा कि वे अपने यहाँ ऐसे उत्कृष्ट शिक्षा विभागों की स्थापना करें जो शिक्षा में अत्याधुनिक अनुसंधानों के साथ मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, तंत्रिका विज्ञान, भारतीय भाषाओं, कला, संगीत, इतिहास और साहित्य के

अतिरिक्त विज्ञान एवं गणित जैसे अन्य विशिष्ट विषयों से संबंधित विभागों के साथ मिलकर भविष्य के शिक्षकों को तैयार करने हेतु अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम संचालित करें। इसके साथ ही वर्ष 2030 तक सभी एकल अध्यापक शिक्षा संस्थानों को बहु-विषयक संस्थानों के रूप में बदलने की आवश्यकता होगी, क्योंकि उन्हें भी चार वर्षीय एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करना होगा (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,* पृ. 68)।

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, विद्यालय एक पवित्र शिक्षण संस्थान है, जिसका ध्येय समाजिक परिवर्तन है। शिक्षण संस्थान में नियमित कामकाज को अनुशासित तरीके से आयोजित किया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षण संस्थान श्रेष्ठ नागरिक निर्माण का संस्थान है (कुमार और रत्ने, 2018, पृ. 483–84)। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर ने एक प्रोफेसर के रूप में शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण कार्य किया, इसलिए उन्हें विद्यार्थियों के अंतर्मन की अच्छी समझ थी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास का संचार करना चाहिए एवं सीखे हुए कौशल का प्रयोग करते हुए अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। विद्यार्थियों को अपने व्यवहार और चरित्र में ज्ञान, बुद्धि, विनम्रता और कठोर अनुशासन पर निर्भर रहना चाहिए। उसे जिज्ञासु प्रवृत्ति एवं ज्ञान पिपासु होना चाहिए। विद्या के साथ-साथ शिष्टता भी आवश्यक है और शिष्टता के बिना ज्ञान व्यर्थ है।

उन्होंने यह भी कहा कि शैक्षिक प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों में सामाजिक भावनाओं को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा कि, "परीक्षा में अच्छे अंक लाना और डिग्री प्राप्त करना अलग बात है, किंतु संस्कारी, ज्ञानी और शिक्षाविद होना बिल्कुल अलग बात है। नवीन सृजन की क्षमता, तार्किक ढंग से प्रश्नों का उत्तर खोजने की क्षमता, आत्मविश्वास के साथ स्वयं को अभिव्यक्त करने की क्षमता, आंतरिक विचारों को दर्शकों के सामने ठीक से रखने की क्षमता और अवधारणाओं का मौलिक ज्ञान विद्यार्थियों में होना चाहिए। समाज एवं राष्ट्र की आवश्यकता के अनुकूल विद्यार्थियों को शिक्षित करना चाहिए। (कुमार और रत्ने, 2018, पृ. 484)। इसलिए विद्यार्थियों में संस्कृति, रीति-रिवाजों, कर्तव्यों, अर्थव्यवस्था, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, विभिन्न समाजों के विषय में ज्ञान और तार्किक समझ को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री तैयार की जानी चाहिए (राठो, 2021, पृ. 3158)। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के उपर्युक्त दृष्टिकोण से समानता रखती है।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से जिन शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त कर एक विकसित भारत की परिकल्पना की गई है, वैसे ही विकसित भारत की परिकल्पना बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर आज से 76 वर्ष पूर्व कर चुके थे, जिसकी स्पष्ट झलक

उनके शैक्षिक दर्शन से होती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर का शैक्षिक दर्शन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी प्रासंगिक है। यद्यपि बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर जिस समावेशी समाज का निर्माण करना चाहते थे, उसमें *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,* एक सहायक की भूमिका में दिखाई देती है, किंतु उसकी कुछ चुनौतियाँ भी हैं। क्योंकि *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में पाँचवीं कक्षा तक या संभव हो तो आठवीं कक्षा तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा का प्रावधान है। कहने का आशय यह है कि ऐसा प्रावधान केवल सरकारी विद्यालयों में लागू होगा। जबकि प्राइवेट विद्यालयों में अंग्रेज़ी माध्यम जारी रहेगा। अब प्रश्न यह है कि सरकारी विद्यालयों के बच्चे, जिसमें अधिकांशतः शोषित-वंचित समाज एवं निर्धन परिवारों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, क्या वह अंग्रेजी माध्यम के बच्चों से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? इस दशा में क्या वह डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक या उच्च पद की सेवाएँ धारण कर पाएँगे। व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत सरकारी विद्यालय के बच्चों को कौशल आधारित शिक्षा भी प्रदान करने पर बल दिया गया है। क्योंकि सरकारी विद्यालयों में अधिकांशतः पिछड़े, दलित एवं आदिवासियों के बच्चे पढ़ते हैं। अब प्रश्न यह है कि कौशल विकास के अंतर्गत जो स्थानीय स्तर की कौशल आधारित शिक्षा इन बच्चों को दी जाएगी, उससे क्या वे इन छोटे-छोटे कार्यों से अलग कोई बड़ा कार्य करने के विषय में सोच पाएँगे? एक ओर प्राइवेट विद्यालय का बच्चा सिविल सर्विसेज, आई.आई.टी., आई.आई.एम., की तैयारी कर रहा होगा, वहीं दूसरी ओर सरकारी विद्यालय का बच्चा छोटे-छोटे कार्यों में उलझा रहेगा और बड़ा सपना नहीं देख पाएगा।

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के शैक्षिक दर्शन का मूल विषय है, सभी जाति, धर्म, जेंडर एवं संप्रदाय के मध्य स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय और नैतिक चरित्र के मूल्यों को विकसित करना, जो शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। उन्होंने शिक्षा को अज्ञान एवं अंधकार को समाप्त करने का एक साधन माना, इसलिए सामाजिक मुक्ति के लिए धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर बल दिया। उनका मानना था कि यदि राष्ट्र को समग्र रूप से विकसित करना है, तो सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के शैक्षिक दर्शन ने सामाजिक विकास और दलित सशक्तिकरण को नया आयाम दिया है। वे मानव को सशक्तिकरण एवं समावेशी समाज के निर्माण हेतु शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उनके प्रयासों से समकालीन समाज में शोषित-वंचित समाज के व्यक्तियों के मध्य शिक्षा का स्तर विकसित हुआ है, जो उन्हें समाज में सशक्त बना रहा है, परंतु पूर्ण परिवर्तन अभी शेष है। यही कारण है कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इनकी छवि पूर्णतया नहीं बदली है। आज के ज्ञान-विज्ञान एवं तकनीकी युग में दलित विद्यार्थी अभी भी अपने शिक्षकों से अस्वीकृति का सामना कर रहे हैं। जिसका तत्कालीन उदाहरण

राजस्थान का दलित बच्चा है, जिसे उसके विद्यालय शिक्षक ने सिर्फ इसलिए निर्दयता से मारा, क्योंकि उसने विद्यालय में रखे मटके से पानी पी लिया था, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। दलित वर्गों के बच्चों को अभी भी सीखने की प्रक्रिया से अलग रखा जाता है और उनके साथ कठोर व्यवहार किया जाता है (रावत, 2022)। अब यह देखना है कि *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,* समावेशी, भेदभावरहित एवं शोषण-विहीन समाज की स्थापना में कितना कारगर सिद्ध होती है।

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर का शैक्षिक दर्शन प्राचीन और आधुनिक भारतीय शिक्षा का एक आदर्श मिश्रण है, जो केवल शोषित-वंचित समाज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण भारतीय समाज हेतु मूल्यवान है। उनके प्रयासों से शिक्षा को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में सम्मिलित करके सभी बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य बना दिया गया है। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के शैक्षिक विचार और दर्शन आदर्शवाद की तुलना में यथार्थवादी और व्यावहारिक हैं। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर ने व्यावहारिक मूल्यों पर बल दिया। उनके शैक्षिक दर्शन एवं समावेशी शिक्षा हेतु उनके द्वारा किए गए प्रयास *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में लक्षित होते हैं। यदि हम उनके विचारों और शैक्षिक सिद्धांतों का अनुसरण सत्यनिष्ठ होकर करें तो यह पूर्णतया संभव है कि भारत विश्वगुरु बनने में सफल हो जाए। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के जीवन संघर्ष एवं शैक्षिक दर्शन से विद्यार्थी प्रेरणा लेंगे तो वह विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेंगे।

संदर्भ

कुमार, संजय. जून-अगस्त. 2022. स्वामी विवेकानन्द का स्त्री शिक्षा दर्शन. *मीरायन*. वर्ष-16, अंक-2 (पूर्णांक-62), मीरा स्मृति संस्थान, चित्तौड़गढ़.

कुमार, संतोष. 2019. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर्स आइडिया ऑन एजुकेशन— ए क्वेस्ट फॉर सोशल जस्टिस इन इंडिया. *आवर हेरिटेज*. वॉल्यूम-67, अंक-4.

कुमार, सुमन और रेशम विजय रत्ने. 2018. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर्स विजन ऑन द एजुकेशन एंड इट्स रिलेवेन्स. *आई.जे. सी.आर.टी.* वॉल्यूम-6, अंक-1.

चेंगटे, प्रह्लाद. जनवरी. 2016. डॉ. अम्बेडकर्स इम्पॉवरमेंट ऑन एजुकेशनल थॉट्स— सम रिव्यू. *इंडियन जर्नल ऑफ एप्लाइड रिसर्च*. वॉल्यूम-6 अंक-1.

जाटव, डी. आर. 2003. *डॉ. बी. आर. अम्बेडकर, व्यक्तित्व एवं कृतित्व*. समता साहित्य सदन, जयपुर, राजस्थान.

डॉ. अम्बेडकर, बाबा साहेब. 2013. *संपूर्ण वाड़्मय,* खण्ड-4. डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, नई दिल्ली.

ढ़ल, प्रवत कुमार. 2017. कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉ. बी. आर. अम्बेडकर टू इंडियन सोसाइटी. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इनफॉरमेटिव एंड फ्यूचरिस्टिक रिसर्च*. वॉल्यूम-4, अंक-12.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020.* भारत सरकार, नई दिल्ली.

मीना शर्मा. 2021. नए भारत की नींव— राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. *हंस शोध सुधा*. वॉल्यूम-1, अंक-3.

मून, वसंत. 2000. डॉ. *बाबासाहब अंबेडकर*. नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली.

यादव, आशा. सितंबर, 2017. डॉ. भीमराव अम्बेडकर के शिक्षा संबंधी विचार और उनकी प्रासंगिकताएँ. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एकेडमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट*. वॉल्यूम-2, अंक-5.

रावत, विद्या भूषण. अगस्त 19, 2022. *इंद्र मेघवाल की हत्या— जातीय दुराग्रह की पराकाष्ठा*. 20.12.2023 को https://www.forwardpress.in/2022/08/news-analysis-rajasthan-jalore-1/ से प्राप्त किया गया.

राठो, रचिता सुब्रत. 2021. डॉ. *बाबासाहेब अम्बेडकर एंड एजुकेशन पॉलिसी* इल्कोग्रेटिम ऑनलाइन— *एलिमेंटरी एजुकेशन ऑनलाइन*. वॉल्यूम-20, अंक-6.

विमलकीर्ति, एल. जी. मेश्राम. 2015. *और बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा. खण्ड*-1. राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली.

साईलक्ष्मी, बी. और एम. गुरु मोहन रेड्डी. 2018. डॉ. अम्बेडकर्स फिलॉसफी ऑन एजुकेशन— ए स्टडी, वेदाज. *जर्नल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर (जोएल), ए इंटरनेशनल पियर रिव्यूड जर्नल*. वॉल्यूम-5, स्पेशल अंक-1, यू.जी.सी. जर्नल नंबर-63751, जोएल, वेदा पब्लिकेशन. http://www.joel.in

सौभाग्य, जी. 2014. बी. आर. अम्बेडकर फिलॉसफी ऑन हायर एजुकेशन एंड इट्स रिलेवेन्स टू द प्रेजेंट सोसायटी. *इंटरनेशनल एजुकेशनल ई-जर्नल (क्वार्टरली)*. वॉल्यूम-3, अंक-2. www.oiirj.org

स्ट्रॉउड, स्कॉट आर. 2017. ह्वाट डिड भीमराव अम्बेडकर लर्न फ्रॉम जॉन डी.वी. डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन. द *प्युरालिस्ट*. वॉल्यूम-12, नं.-2, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनोइस प्रेस ऑन विहॉफ ऑफ द सोसाइटी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ अमेरिकन फिलॉसफी. https://www.jstor.org/stable/10.5406/pluralist.12.2.0078

श्रीवास्तव, वीरेन्द्र. 2011. *मिशन बाबा साहेब अम्बेडकर*. शिवांक प्रकाशन, नई दिल्ली.

विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए नीतिगत प्रयास एवं उनका क्रियान्वयन

सरला वर्मा*

विद्यार्थियों का शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है, क्योंकि यह उनके सर्वांगीण विकास की महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारे देश में प्रत्येक बच्चा अपने विद्यालयी जीवन में शिक्षा लेते हुए वर्ष के अंत में आकलन प्रक्रिया से गुजरता है, जहाँ बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे परीक्षा में उत्तम परिणाम प्राप्त करेंगे। इस अपेक्षा रूपी दबाव के कारण बच्चे अत्यधिक तनावग्रस्त होने लगते हैं, जिससे उनमें नींद की कमी, कमजोरी, भय की भावना, सिरदर्द, व्यवहार में निराशा, छोटी-छोटी बातों पर क्रोध आना, आक्रामकता, आत्मविश्वास की कमी, उदासी, अकेलापन एवं चुप रहना आदि लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इस तनाव और चिंता का मुख्य कारण उन्हें विभिन्न विषयों के लिए तैयारी के साथ-साथ अपने साथियों, माता-पिता और शिक्षकों की उम्मीदों को भी पूरा करना होता है। अतः इस लेख में विद्यार्थियों से जुड़े इन्हीं सरोकारों पर प्रकाश डाला गया है, जिनका समाधान शिक्षक, अभिभावक, परामर्शदाता एवं समुदाय आदि मिलकर कर सकते हैं और उनके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में उन्हें अधिक जागरूक कर उनमें स्वास्थ्य जीवन कौशल संबंधित आदतों का निर्माण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस आलेख में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न नीतियों और योजनाओं, जैसे— एकीकृत बाल विकास योजना, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम, परीक्षा पर चर्चा तथा मनोदर्पण आदि के विषय में चर्चा की गई है। क्योंकि ये कार्यक्रम विद्यार्थियों को किसी भी परिस्थिति में चिंता, कठिनाई का सामना निडरता, संयम एवं समझदारी से कर पाने में समर्थ बनाते हैं, जिससे उनका समग्र विकास होगा और वे बेहतर अकादमिक प्रदर्शन करेंगे तथा राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि में बढ़-चढ़कर योगदान कर सकेंगे।

विद्यालयी जीवन में प्रत्येक बच्चा रुचिकर और आनंदमयी शिक्षा ग्रहण करता है। शिक्षा के साथ ही उसके सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय में वर्ष पर्यंत अनेक गतिविधियाँ करवाई जाती हैं। ये गतिविधियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे— खेल, कला एवं क्राफ्ट, भूमिका निर्वाह तथा रचनात्मक लेखन आदि। इन गतिविधियों में विद्यार्थी रुचि के साथ आगे बढ़कर भाग लेते हैं। इस दौरान शिक्षक इनका सतत आकलन भी करते रहते हैं, परंतु वर्ष के अंत में बच्चा एक ऐसी परीक्षा देता है, जो अगली कक्षा में सफलतापूर्वक उसे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी तरह सभी बच्चे इस प्रक्रिया से गुजरते हैं, जहाँ बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कठिन अभ्यास से अच्छे अंक और परीक्षा में उत्तम परिणाम प्राप्त करेंगे। इसी दबाव के कारण बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव

**एसोसिएट प्रोफ़ेसर*, अध्यापक शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली 110016

पड़ने लगता है, जिससे उनमें तनाव, चिंता, अवसाद एवं भय उत्पन्न होने लगता है। परिणामस्वरूप वे अधिक विचलित होने लगते हैं, क्योंकि परीक्षा को उनके ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल और पूरे वर्ष के परिश्रम के आकलन का आधार माना जाता है। परीक्षा के रूप में वर्ष के अंत में ली जाने वाली परीक्षा से पहले प्रत्येक विद्यार्थी अपने विद्यालय जीवन के दौरान विभिन्न अनुभवों और चुनौतियों से गुजरता है, जिसमें व्यक्तिगत, सामाजिक और शैक्षिक परिवर्तन भी सम्मिलित हैं। परीक्षा से पहले एवं परीक्षा के दौरान, बच्चे अत्यधिक तनावग्रस्त होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें विभिन्न विषयों के लिए तैयारी करनी पड़ती है, बल्कि अपने साथियों के सामने स्वयं को अच्छा साबित करने का बोझ भी रहता है। साथ ही, उन्हें अपने माता-पिता और शिक्षकों की उम्मीदों को भी पूरा करना होता है। अतः यह वो समय होता है, जब बच्चे की पढ़ाई के साथ-साथ उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है।

भारत में बच्चे अपने भविष्य में सफल एवं मानवीय नागरिक बनने के लिए कई जटिल चुनौतियों का सामना करते हैं, जिनमें प्रतियोगिता परीक्षाएँ भी हैं। हम सभी जानते हैं कि आजकल रोजगार के प्रत्येक क्षेत्र में प्रतियोगिता परीक्षाएँ हो रही हैं। इन प्रतियोगिता परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों से यह उम्मीद की जाती है कि वे उनमें सफल हों, चाहे उनकी रुचि उस विषय में हो या न हो। साथ ही शिक्षक, माता-पिता, साथियों तथा समाज की उच्च अपेक्षाओं के कारण विद्यार्थी तनाव और चिंता से ग्रसित होने लगते हैं। इस तनावपूर्ण स्थिति के कारण वे कभी-कभी अपनी पढ़ाई में कठिन परिश्रम व तैयारी के पश्चात भी प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। इस कारण उनमें निराशा का भाव आने लगता है और वे हीनभावना से ग्रसित होने लगते हैं। साथ ही, उनमें यह विचार भी आने लगता है कि उन्होंने प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो समय तय किया था, वह पर्याप्त नहीं था। इसी विचार के साथ वे भविष्य के लिए तैयारी करने लगते हैं, जिसके कारण वे अपने स्वास्थ्य पर कम ध्यान देते हैं।

विद्यार्थी जीवन में तनाव एवं चिंता

विद्यालयी शिक्षा से जुड़े बहुत से विद्यार्थियों में परीक्षा के दौरान ज्यादा तनाव व चिंता दिखाई देती है, जिसके कारण उनमें नींद की कमी, भय की भावना, सिरदर्द, व्यवहार में निराशा, छोटी-छोटी बातों पर क्रोध आना, आक्रामकता, आत्मविश्वास की कमी, उदासी, अकेलापन एवं चुप रहना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। इसलिए शिक्षक, अभिभावक, परामर्शदाता एवं समुदाय को विद्यार्थियों से जुड़े प्रत्येक पहलू पर विचार कर समाधान निकालना होगा।

बच्चों में शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को समझने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा वर्ष 2022 में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर सर्वेक्षण किया गया था। इस सर्वेक्षण में न्यादर्श के रूप में देश के विभिन्न विद्यालयों का चयन किया गया था। न्यादर्श में चयनित कुल 3,79,824 बच्चों के सर्वेक्षण में यह पाया गया कि विद्यार्थियों में शिक्षा से संबंधित परीक्षा के लिए चिंता का स्तर 42 प्रतिशत और उसके परिणाम के बारे में चिंता का स्तर

33 प्रतिशत था। इसी तरह उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा से संबंधित परीक्षा के प्रति चिंता का स्तर 54.9 प्रतिशत और उसके परिणाम संबंधी चिंता का स्तर 30 प्रतिशत पाया गया।

इस सर्वेक्षण से यह भी ज्ञात हुआ कि विद्यार्थियों में सबसे अधिक (67 प्रतिशत) भावनाएँ प्रसन्नता की एवं सबसे कम (1 प्रतिशत) क्रोध की अनुभव की गईं। सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि कोविड-19 के दौरान 43 प्रतिशत विद्यार्थियों में सबसे ज्यादा असामान्य व्यवहार पाया गया, जिसका कारण विद्यार्थियों के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य में व्यापक परिवर्तन है। क्योंकि कोविड-19 के कारण उनकी दिनचर्या में परिवर्तन हो गया, जैसे— सोने के समय में परिवर्तन, भयग्रस्त रहना, तनावग्रस्त रहना, पढ़ने के लिए अधिक समय तक स्क्रीन को देखना आदि। सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि 47 प्रतिशत विद्यार्थी अपने परिवार, दोस्तों एवं शिक्षकों के समक्ष अपनी भावनाओं और चिंताओं को व्यक्त करते हैं, जबकि केवल 16 प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालयों के परामर्शदाताओं के समक्ष अपनी भावनाओं एवं चिंताओं को व्यक्त करते हैं। इसके अतिरिक्त, इस सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि विद्यार्थी जब उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश करते हैं, तब उनके व्यक्तित्व और विद्यालयी जीवन से संतुष्टि तथा अपने आत्मविश्वास में कमी, एकाग्रता में कठिनाई और अधिक चिंता पाई गई।

इस तरह सर्वेक्षण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे शिक्षा के अगले स्तर पर आते ही कठिनाई का सामना करते हैं। अतः यह एक चिंता का विषय है, जिस पर विद्यालय प्रशासन, शिक्षक, माता-पिता को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।

विद्यार्थियों के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर तनाव और चिंता का प्रभाव

हम विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से देखें तो ये दोनों ही आयाम उनके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये न केवल परीक्षा की तैयारी अपितु उनके जीवन में आने वाली प्रत्येक परिस्थिति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यदि विद्यार्थी अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं तो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर विद्यार्थियों की परीक्षा या पारिवारिक समस्याओं के दौरान स्वास्थ्य पर ध्यान न देने वाले कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रस्तुत किया गया है, जो इस प्रकार हैं—

- **रोग-प्रतिरोधक क्षमता कम होना या बार-बार बीमार होना**— वे विद्यार्थी जिनकी रोग-प्रतिरोधक क्षमता कम है, वह आसानी से बीमार हो सकते हैं, इसलिए उन्हें नियमित रूप से कक्षाओं में जाने या अपने पाठों के छूट जाने के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस कारण वे परीक्षा के दौरान पूर्ण रूप से तैयारी नहीं कर पाते, जिससे उन्हें तनाव होने लगता है।
- **एकाग्रता**— विद्यार्थी अनियमित आहार, डिहाइड्रेशन और थकान आदि के कारण एकाग्रचित्त होकर अध्ययन नहीं कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रतियोगिता की तैयारी या

अन्य कार्यों के दौरान भी उनकी एकाग्रता में कमी होने लगती है।

- **नींद आना**— यदि विद्यार्थियों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है तो वे अधिक समय तक सोते हैं या अपने कार्यों को करने के लिए उनमें पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती है।
- **वजन बढ़ना या घटना**— खराब स्वास्थ्य के कारण विद्यार्थियों में तनाव बढ़ जाता है, जिसके कारण उन्हें अधिक वजन घटने या बढ़ने की समस्या से जूझना पड़ता है। कई बार जंक फूड अधिक खाने के कारण भी विद्यार्थियों में वजन बढ़ने की समस्या पाई गई है। कई बार विद्यार्थी अपने तनाव को कम करने के लिए अपनी आयु तथा शारीरिक आवश्यकता से अधिक खाना खाते हैं।
- **अवसाद या तनाव**— परीक्षा या प्रतियोगिता से पहले कुछ विद्यार्थियों को अवसाद, कम ऊर्जा, तनाव या हाइपरटेंशन महसूस होता है।

अतः उपरोक्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, विद्यार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण के बारे में अधिक जागरूक करने के साथ ही, अच्छे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, जैसे— एकीकृत बाल विकास योजना, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम, परीक्षा पे चर्चा तथा मनोदर्पण आदि के विषय में जानकारी देनी होगी। जिससे वे किसी भी परिस्थिति में चिंता या कठिनाई का सामना निडरता, संयम एवं समझदारी से कर सकें।

विद्यार्थियों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए नीतिगत प्रयास

केंद्र एवं राज्य सरकारें भी बच्चों में प्रारंभिक स्तर के तनावों को दूर करने के लिए सदैव ही प्रयासरत रही हैं। इस हेतु केंद्र सरकार द्वारा की गई कुछ पहलें इस प्रकार हैं—

- **एकीकृत बाल विकास योजना**— एकीकृत बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.) 1975 में भारत सरकार के (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय) द्वारा 3–6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए चलाई गई महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का उद्देश्य कुपोषण को दूर करना, अच्छा स्वास्थ्य और विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है। एकीकृत बाल विकास योजना विशेष रूप से आर्थिक, सामाजिक एवं शिक्षा से वंचित तथा निम्न आय वर्ग समूहों को लाभान्वित करने के लिए बनाई गई है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा जगह-जगह 'आँगनवाड़ी' केंद्र खोलकर संबंधित सुविधाएँ आस-पास के समुदाय तक पहुँचाई जा रही हैं। वर्तमान में *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के अंतर्गत इन 'आँगनवाड़ी' केंद्रों को भी विद्यालयी शिक्षा के साथ जोड़ दिया गया है, जिसे 'बालवाटिका' का नाम दिया गया है। बालवाटिका में तीन वर्ष की आयु से बच्चों को बुनियादी एवं संख्या ज्ञान की शिक्षा खेल-खेल में गतिविधियों द्वारा सिखाई जा रही है।
- ***निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009***— केंद्र सरकार का एक मुख्य कदम *निःशुल्क एवं अनिवार्य*

बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को देश में लागू करना भी है, जिसके अंतर्गत छह से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कक्षा 8 तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम की धारा 16 में यह भी कहा गया है कि किसी भी बच्चे को अपनी प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा 1 से 8) पूरी करने तक किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा। क्योंकि प्रायः यह देखा गया है कि जब विद्यार्थी किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं या किसी अन्य कारण से विद्यालय छोड़ देते हैं तो वे हतोत्साहित होने लगते हैं। साथ ही, उन्हें उनके माता-पिता, शिक्षक और अन्य साथी भी 'असफल बच्चे' के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार बच्चे के आस-पास का वातावरण उसे कमजोर करने लगता है और वे धीरे-धीरे निराशा एवं हीन भावना से ग्रसित होने लगते हैं। ऐसे बच्चे स्वयं को दूसरों से कमजोर व असफल समझने लगते हैं। इसके अतिरिक्त, उनमें आत्मविश्वास की कमी, पढ़ने से अलगाव और विद्यालय जाने की इच्छा कम होने लगती है।

अतः यह अधिनियम विद्यालय में सतत एवं व्यापक आकलन प्रक्रिया अपनाने की अनुशंसा करता है, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों का आकलन विद्यालय में होने वाली वर्ष पर्यंत विभिन्न गतिविधियों के आधार पर किया जाता है। इस तरह के आकलन से विद्यार्थी असफलता के डर और आघात से मुक्त हो जाते हैं तथा शिक्षक विद्यार्थियों के निष्पादन पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे पाते हैं। शिक्षक इस तरह के आकलन से ये जान पाते हैं कि बच्चों की कौन-सी विषय-वस्तु पर समझ नहीं बन पा रही है और कहाँ पर उन्हें अभ्यास और प्रोत्साहन की आवश्यकता है। इस प्रकार इस अधिनियम का मूल उद्देश्य बच्चों को उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कराना तथा उनमें उत्पन्न होने वाले तनाव को कम करना है।

- **स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम (एस.एच.पी.)**— *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, अध्याय 2 के बिंदु 2.9 में बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बात की गई है, जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य के लिए विद्यालयों द्वारा सभी बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन, नियमित स्वास्थ्य जाँच तथा स्वास्थ्य कार्ड बनाने एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं, परामर्शदाता द्वारा बच्चों को परामर्श देने पर बल दिया गया है। शिक्षा नीति की इस अनुशंसा का क्रियान्वयन विद्यालय में 'स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम' के माध्यम से किया जाएगा। 'स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम' की शुरुआत पहले से ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय (वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय) तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में 'आयुष्मान भारत मिशन' के अंतर्गत 2018 में की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यालयी बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना तथा उन्हें होने वाली शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करना है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में दो शिक्षकों का चयन कर उन्हें बच्चों के स्वास्थ्य एवं कल्याण का ध्यान रखने की जिम्मेदारी दी गई है,

इतना ही नहीं इन चयनित शिक्षकों को स्वास्थ्य के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित करने हेतु उचित प्रशिक्षण भी दिया गया है। यह चयनित शिक्षक प्रत्येक सप्ताह एक घंटा रोचक गतिविधियों के माध्यम से शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर आधारित सत्र का आयोजन कर विद्यालयों को सार्थक जानकारी एवं सुझाव देते हुए परामर्श देते हैं। इसके अरितिक्त इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के बच्चों की समय-समय पर चिकित्सा जाँच, बच्चों के बीच स्वस्थ व्यवहार को बढ़ावा, कुपोषित और एनीमिया से पीड़ित बच्चों की पहचान करना तथा किशोरों में शारीरिक एवं मानसिक रोगों का जल्द पता लगाना तथा उनका शीघ्र इलाज करना सम्मिलित है। इतना ही नहीं विद्यालयों में सुरक्षित पेयजल के उपयोग को बढ़ावा देने तथा स्वास्थ्य और कल्याण के माध्यम से योग तथा ध्यान के महत्व पर भी इस कार्यक्रम में बल दिया गया है।

- **परीक्षा पे चर्चा**— यह कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2018 से प्रत्येक वर्ष बोर्ड की परीक्षा से पूर्व आयोजित होने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है, जिसमें देश भर के विद्यार्थियों से माननीय प्रधानमंत्री चर्चा करते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कक्षा 6 से 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए तनावमुक्त वातावरण बनाना अर्थात विद्यार्थियों को परीक्षा के पहले एवं परीक्षा के दौरान होने वाले तनाव को दूर करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थी परीक्षा संबंधी डर, भय, तनाव एवं विद्यालयी जीवन पर देश के प्रधानमंत्री से चर्चा करते हैं। कार्यक्रम में समस्याओं को जानने के पश्चात प्रधानमंत्री जी द्वारा विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को परीक्षा से तनावमुक्त होने एवं आरामदायक तरीके से परीक्षा में भाग लेने संबंधी सुझाव दिए जाते हैं।
- **मनोदर्पण**— कोविड-19 के दौरान बच्चों को बहुत-सी समस्याओं, जैसे— उनके विद्यालय बंद हो जाने से पढ़ाई ऑनलाइन होना, दोस्तों से न मिलना, अपने परिवार में लोगों का बीमार होना या खुद बीमार होना, अलग महसूस करना आदि का सामना करना पड़ा था। इन सब कारणों से बच्चों के व्यवहार में परिर्वन आया, उनमें चिंता, गुस्सा और परीक्षा का डर अत्यधिक बढ़ गया, जिसके कारण वे अपने आप पर और अपनी शिक्षा पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। इस स्थिति को सुधारने के लिए शिक्षा मंत्रालय (भारत सरकार) के माध्यम से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा एक पहल 'मनोदर्पण' 21 जुलाई 2020 को प्रारंभ की गई। इस कार्यक्रम द्वारा बच्चे के घर और विद्यालय के बीच एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास किया गया जिसमें वे सकारात्मक अनुभव करें, जिम्मेदार एवं स्वतंत्र शिक्षार्थी बनें, पढ़ने के लिए उत्साहित हों और अपने साथियों की सहायता करें। इसके अंतर्गत विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों और उनके माता-पिता एवं शिक्षकों को उनके मानसिक स्वास्थ्य एवं मनो-सामाजिक मुद्दों के समाधान के लिए टेली-परामर्श प्रदान करने के लिए

राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन (8448440632) स्थापित की गई। मनोदर्पण के अंतर्गत ही 'सहयोग' नामक लाइव सत्र प्रतिदिन शाम 5:00 बजे से 5:30 बजे तक पी.एम. ई-विद्या चैनल पर विद्यार्थियों के लिए आयोजित किए जाते हैं। इसमें विद्यार्थियों के बीच मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस प्रकार मनोदर्पण के अंतर्गत विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए परामर्श प्रदान किया जाता है ताकि वे एक सशक्त और समर्थ नागरिक के रूप में देश को आगे बढ़ाएँ।

- ***राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020***— इस नीति में बताया गया है कि बोर्ड परीक्षाएँ कक्षा 10 एवं 12 के विद्यार्थियों और उनके परिवारों में बहुत-सी चिंताओं और तनाव को बढ़ावा देती हैं। कुछ बोर्ड परीक्षाओं की वर्तमान संरचना विद्यार्थियों को सीमित विषय तथा विशेष क्षेत्रों पर ही ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, जिससे उनका ध्यान अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों या विषय पर नहीं जाता है।

दूसरी ओर विद्यार्थी इन परीक्षाओं में अच्छा निष्पादन करने के लिए रटंत पद्धति और कोचिंग लेने को प्राथमिकता देने लग जाते हैं और वह इस संकुचित समझ से सीखने, सोचने, विश्लेषण करने के माध्यम को ही अपना वास्तविक सीखना बना लेते हैं। इन्हीं सब कारणों के चलते इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था बच्चों के समग्र विकास को रोक देती है। इसके अतिरिक्त, *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* हमारा ध्यान इस ओर भी केंद्रित करती है कि विद्यार्थियों के सीखने के अनुभवों पर अधिक बल देने की आवश्यकता है। यह शिक्षा नीति विभिन्न स्तरों पर आकलन के बारे में निम्नलिखित बिंदुओं को बताती है—

- **बुनियादी स्तर**—इस स्तर के लिए किसी भी प्रकार की परीक्षाओं को पूर्ण रूप से अनुचित माना गया है। इसलिए बुनियादी स्तर पर, आकलन की दो प्राथमिक विधियाँ उपयुक्त बताई गई हैं। पहली, बच्चे का अवलोकन करना तथा दूसरी, बच्चों द्वारा की जा रही गतिविधियों के अंतर्गत उनके द्वारा बनाई गई कलात्मक आकृतियों या खिलौनों का विश्लेषण करना सम्मिलित है। इस तरह की विधियों के माध्यम से होने वाले आकलन का बोझ बच्चों पर नहीं पड़ता है और आकलन की इस प्रक्रिया में बच्चे बिना डर और भय के प्राकृतिक रूप से सीख पाते हैं।
- **प्रारंभिक स्तर**— इस स्तर पर आकलन बच्चों की समझ को जानने और उनके सीखने की एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करने में सहायता करता है। अतः प्रारंभिक स्तर पर विभिन्न प्रकार की रचनात्मकता को प्रोत्साहन देते हुए मौखिक एवं लिखित आकलन किया जाना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों में वैचारिक समझ विकसित हो तथा उनमें विविध योग्यताओं का विकास हो।
- **मध्य स्तर**— इस स्तर पर, पाठ्यक्रम वैचारिक समझ और उच्च स्तरीय क्षमताओं पर आधारित होता है। जिसके लिए विभिन्न रचनात्मक आकलन तकनीक, जैसे— परियोजनाएँ, वाद-विवाद, प्रस्तुतियाँ, प्रयोग, परीक्षा, भूमिका

निर्वहन (रोल प्ले), दैनन्दिनी और पोर्टफोलियो आदि द्वारा विद्यार्थी की विषय-वस्तु पर कितनी समझ विकसित हुई है, का आकलन किया जाता है। जब विद्यालयों में इस तरह की आकलन विधियों का प्रयोग होने लगेगा तब विद्यार्थियों में परीक्षा के नकारात्मक प्रभाव स्वतः ही कम होने लगेंगे।

- **माध्यमिक स्तर**— इस स्तर पर विषय की अधिक गहराई का आकलन करने के लिए नियमित रूप से रचनात्मक आकलन होना चाहिए, जिससे विद्यार्थी प्रभावी ढंग से अभ्यास कर समझ विकसित कर पाएँ। इसमें विभिन्न प्रकार की लिखित परीक्षाएँ, व्यावहारिक परीक्षण, परियोजनाओं आदि का उपयोग किया जाना चाहिए। अत: इस स्तर में, प्रत्येक विषय का व्यापक योगात्मक आकलन होगा, जिसमें से कुछ प्रासंगिक मामलों में बोर्ड परीक्षाएँ होंगी। इतना ही नहीं, *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* सतत व्यावसायिक विकास को भी बढ़ावा देती है और यह अनुशंसा करती है कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, अध्यापकों में सीखने के प्रतिफलों का रचनात्मक और अनुकूल तरीके से आकलन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कला-एकीकृत शिक्षा, खेल-एकीकृत शिक्षा एवं कहानी-आधारित दृष्टिकोण से विद्यार्थियों को शिक्षण-अधिगम करवाया जाएगा।

आकलन सीखने-सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, जिसमें बच्चों के सीखने से जुड़ी जानकारी को अलग-अलग स्रोतों एवं विधियों के माध्यम से एकत्रित कर प्रगति पत्रक बनाया जाता है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के अनुच्छेद 4.34 में भी यह अनुशंसित किया गया है कि आकलन को योगात्मक (जो मुख्य रूप से रटकर याद करने के कौशल को ही जाँचता है) से हटाकर नियमित रचनात्मक एवं दक्षता आधारित आकलन की ओर ले जाना होगा, इस प्रकार का आकलन विद्यार्थियों में सीखने एवं उनके विकास को बढ़ावा देता है और उनकी उच्च स्तरीय दक्षताओं, जैसे— विश्लेषण, तार्किक चिंतन एवं अवधारणात्मक स्पष्टता को जाँचता है। इसी आकलन के आधार पर विद्यार्थियों का एक 360 डिग्री बहुआयामी समग्र प्रगति कार्ड बनाया जाएगा। इस कार्ड (पत्रक) के माध्यम से शिक्षकों एवं माता-पिता को विद्यार्थी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। यह जानकारी विद्यार्थियों के कक्षा एवं परिवेश में होने वाली समस्याओं के समाधान में भी सहायक होगी।

इसके अतिरिक्त, *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के अनुसार, बच्चों के स्वास्थ्य के बुनियादी पक्षों जैसे— शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, अच्छा पोषण, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता, आपदा प्रतिक्रिया और प्राथमिक चिकित्सा को भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर शराब, तम्बाकू और अन्य नशीली दवाओं के हानिकारक प्रभाव के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। साथ ही, इसकी वैज्ञानिक व्याख्या भी की जाएगी। जब बच्चे कुपोषित या अस्वस्थ होते हैं तो वे बेहतर रूप से सीखने में असमर्थ होते हैं। इसलिए बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा। इसके

लिए विद्यार्थियों को संतुलित भोजन एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, प्रशिक्षित परामर्शदाता द्वारा बच्चों को समय-समय पर परामर्श दिया जाएगा तथा बच्चों के स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएँगे। ताकि उनके स्वास्थ्य की निगरानी के बारे में उचित परामर्श दिया जा सके।

वहीं *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में आर्थिक रूप से कमजोर समूह के प्रोत्साहन और सहायता के लिए विद्यालयों और महाविद्यालयों में उच्च गुणवत्ता के सहायता केंद्र स्थापित करने और उन्हें प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए पर्याप्त धन और शैक्षणिक संसाधन देने की बात की गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि सभी विद्यार्थियों को अकादमिक और करियर परामर्श दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों का शारीरिक, मानसिक और भावात्मक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सलाहकार रखे जाएँगे, जिससे विद्यार्थियों को सार्थक मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

इस प्रकार विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बाहर आने के लिए विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय स्तर पर भी सहायता मिलेगी। इससे विद्यार्थियों का डर कम होगा और वे अपनी बात और परेशानियाँ शिक्षकों को एवं अपने सहपाठियों को बिना भय के बता पाएँगे और उनके समाधान कर पाएँगे।

‘विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023’ में स्वास्थ्य एवं कल्याण के विषय में यह बताया गया है कि मार्गदर्शन एवं परामर्श द्वारा शिक्षक, माता-पिता एवं विद्यालय प्रशासक, विभिन्न विद्यार्थियों की शैक्षिक एवं मनो-सामाजिक कल्याण की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता कर उनके शैक्षिक, मानसिक एवं सामाजिक क्षेत्र को बढ़ावा देने का कार्य करेंगे। जब विद्यार्थी सीखने में कठिनाई अनुभव करे या भविष्य में उच्च शिक्षा प्राप्त कर करियर का चयन करने में असमंजस में हो, तब उसे उचित मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान कर उसकी समस्याओं का निवारण किया जाए। विद्यालयों में मार्गदर्शन एवं परामर्श सहायता के बारे में ‘राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023’ निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करती है—

- **शारीरिक स्वास्थ्य**— विद्यार्थियों के लिए शारीरिक स्वास्थ्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए विद्यालयों में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए जो शारीरिक स्वास्थ्य के लक्ष्य को पूरा करें तथा विद्यार्थियों में इसके प्रति जागरूकता लाएँ।
- **मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य एवं कल्याण**— मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान कर विद्यार्थियों को भावात्मक नियंत्रण और सकारात्मक प्रेरणा की विधियाँ सीखनी चाहिए।
- **सामाजिक भागीदारी एवं सामंजस्य**— शिक्षक, विद्यार्थियों को सामाजिक आदर्श, आशाएँ, विद्यालयों में सामाजिक भागीदारी और कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए सशक्त बनाने हेतु प्रेरित करने के लिए विभिन्न विधियों को विद्यालयी गतिविधियों में सम्मिलित करेंगे।
- **मानसिक स्वास्थ्य एवं विकास**— इसके अंतर्गत सबसे पहला कार्य विद्यालय के उन विद्यार्थियों की पहचान करना होगा, जिनका मानसिक स्वास्थ्य कमजोर है और वे सामान्य

बच्चों के स्तर पर पहुँचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन विद्यार्थियों की पहचान के पश्चात उनके माता-पिता को उनकी सहायता करने हेतु विभिन्न युक्तियों को अपनाने की सलाह देना और बच्चों को अतिरिक्त शिक्षण सहायता प्रदान करने की योजनाएँ बनाना सम्मिलित है।

- **सीखने की आवश्यकताएँ एवं विविधता**— शिक्षक को विद्यार्थियों का सीखने पर ध्यान केंद्रित करना और सीखने की चुनौतियों की पहचान करनी होगी। जो विद्यार्थी दिव्यांग हैं उनके लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएँ तैयार करनी होंगी।
- **अकादमिक एवं करियर परामर्श**— जब भी विद्यार्थी अपने विद्यालयी जीवन में नये पाठ्यक्रम के क्षेत्र का चयन कर रहे हों, तब उन्हें सलाह तथा अकादमिक एवं करियर परामर्श देकर उनकी सहायता की जाएगी।
- **प्रशासनिक सुधार के लिए सहायता प्रदान करना**— जो व्यक्ति मार्गदर्शन एवं परामर्श में सम्मिलित है, उनसे विद्यालय के संचालन, नीतियाँ, कार्यक्रम और विभिन्न गतिविधियों से संबंधित निर्णय लेते समय भी परामर्श लिया जाना चाहिए। इससे विद्यालय व्यवस्था में सभी विद्यार्थियों की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं और सहायता के अलग-अलग तरीकों को जानने में सहायता मिलेगी।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.के.एस.के.)

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के किशोरों के लिए चलाया जा रहा है। इस आयु समूह में अत्यधिक ऊर्जावान बच्चे सम्मिलित होते हैं, जिन्हें अपना समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त पोषण, शिक्षा, परामर्श एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जिसके लिए सरकार किशोरों के सर्वांगीण विकास, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए विद्यालय स्तर पर स्वास्थ्य जाँच आदि कराती है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालयों में परामर्शदाताओं द्वारा किशोरों को उनके मानसिक स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबंधित विशेष समस्याओं का समाधान करने के लिए परामर्श भी दिया जाता है।

विद्यालयों की भूमिका

विद्यालयों में प्रधानाचार्य और शिक्षक मिलकर विद्यार्थी को जीवन की प्रत्येक चुनौती से बाहर निकालने में भूमिका निभाते हैं। वर्ष के अंत में होने वाली परीक्षा विद्यार्थियों को अधिक तनाव प्रदान करती है। इसलिए शिक्षकों को उन्हें समय-समय पर आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन देते रहना चाहिए। माता-पिता द्वारा बच्चों पर पढ़ाई से संबंधित होने वाले दबाव को कम करने के लिए विद्यालयों में जागरूकता अभियान चलाने होंगे, जिससे माता-पिता की अपने बच्चों से प्रथम स्थान प्राप्त करने की अपेक्षा तथा ज्यादा प्रतिशत अंक लाने की प्रवृत्ति में परिवर्तन होगा। इसके अतिरिक्त, शिक्षकों को विद्यालय में चलाए जा रहे विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों, जैसे– स्वास्थ्य जाँच, कृमि निवारण कार्यक्रम, परामर्श कार्यक्रम, योग कार्यक्रम आदि में

विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए प्रेरित करना होगा, जिससे वे इन कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त कर सकें।

अभिभावकों की भूमिका

विद्यार्थियों के मानसिक तनाव और अवसाद को कम करने में अभिभावक, मित्र, पास-पड़ोस आदि सभी भूमिका निभाते हैं। माता-पिता को अपने बच्चों से यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि उनका बच्चा राष्ट्रीय स्तर या राज्य स्तर पर या फिर कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। यदि विद्यार्थी अपने विचारों का आदान-प्रदान तथा मानसिक समस्या को अभिभावक के साथ साझा करेगा तो वह अपने जीवन की प्रत्येक समस्या का सामना कर सकता है और उसका समाधान भी निकाल सकता है।

सहपाठियों की भूमिका

सहपाठी विद्यार्थी जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं। सहपाठी अनेक प्रकार से अपने विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। इसलिए विद्यार्थियों को अपने मित्रों या सहपाठियों के साथ अपनी समस्याओं से संबंधित चर्चा करनी चाहिए।

अच्छा स्वास्थ्य और उचित पोषण विद्यार्थियों के मानसिक एवं शारीरिक विकास को बढ़ावा देता है। स्वस्थ रहने के लिए कुछ निम्नलिखित पहलुओं को सम्मिलित किया गया है—

- **संतुलित भोजन**— संतुलित एवं ताजा भोजन करने से विद्यार्थियों का ध्यान अधिक समय तक अध्ययन करने में लगता है, जिससे विद्यार्थी तथ्यों को भली प्रकार समझकर, उन्हें लंबे समय तक याद रख पाते हैं।
- **सशक्त शैक्षिक प्रदर्शन**— जब विद्यार्थियों का स्वास्थ्य ठीक रहता है तो उचित रूप से उनके मस्तिष्क का विकास होता है, इससे उन्हें शैक्षिक प्रदर्शन में सहायता मिलती है और परिणामस्वरूप विद्यार्थियों की ज्ञानात्मक, समस्या-समाधान तथा ध्यान केंद्रित करने के कौशल में सुधार होता है।
- **अच्छी नींद**— अच्छी नींद का होना विद्यार्थी जीवन में अच्छे स्वास्थ्य को दर्शाता है। अच्छी आदतों वाले विद्यार्थियों का नींद का निश्चित समय होता है, जो उन्हें स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है और इससे प्रतियोगिता में उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने में सहायता मिलती है।
- **व्यायाम**— प्रतिदिन सुबह व्यायाम करना या बाहर जाकर सैर करना, दोपहर और शाम में अपने साथियों के साथ खेलना, विद्यार्थियों को दिनभर में सक्रिय एवं स्फूर्ति अनुभव करने में सहायता करेगा और उनके ऊर्जा स्तर को बढ़ाएगा। इसी के साथ-साथ यह उनमें आत्मविश्वास की भावना को भी बढ़ाएगा।
- **रचनात्मकता और मानसिक ऊर्जा में वृद्धि**— जब विद्यार्थी अधिक स्फूर्तिजनक, सक्रिय होंगे, तब वे स्वस्थ और उत्साहित अनुभव करेंगे परिणामस्वरूप वे प्रतिभावान और रचनात्मक बनेंगे। साथ ही, यह उनके सीखने और नये कौशल विकसित करने के प्रति आत्मविश्वास बढ़ाने में योगदान भी देगा।

अतः जब विद्यार्थी नियमित रूप से शारीरिक गतिविधियों में भाग लेते हैं और उचित संतुलित

आहार ग्रहण करते हैं तो उनका सीखने में ध्यान लगने लगता है, उनका काम संगठित होने लगता है, उनके स्वभाव में स्थिरता आने लगती है और उनकी रचनात्मक एवं सृजनात्मक क्षमता का स्तर भी बढ़ने लगता है। इस प्रकार यह एक स्वस्थ शैक्षिक वातावरण को विकसित करता है जो बेहतर शैक्षिक निष्पादन में सहायक होता है। इस प्रकार विद्यार्थियों को अधिक तनाव, अवसाद एवं चिंता से बचाने के लिए स्वास्थ्य से संबंधित अच्छी आदतों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। विद्यार्थी का शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है, क्योंकि यह उनके सर्वांगीण विकास की महत्वपूर्ण कड़ी है। जब हमारे देश के विद्यार्थियों का समग्र विकास होगा तो वे बेहतर अकादमिक प्रदर्शन करेंगे, जिससे वे राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि में बढ़-चढ़कर योगदान कर सकेंगे।

संदर्भ

परीक्षा पे चर्चा, 2023. https://www.mygov.in/ppc-2023 से प्राप्त किया गया.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2009. *निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम,* 2009. राजपत्र 9 अगस्त, 2009. भारत सरकार, नई दिल्ली. 26 दिसंबर 2023 को https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/rte.pdf से प्राप्त किया गया.

———. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020.* भारत सरकार, नई दिल्ली.

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय. एकीकृत बाल विकास योजना. भारत सरकार, नई दिल्ली. https://wcd.nic.in/

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद. 2020. *मनोदर्पण 2020.* लाइव सेशन ऑन पीएम ई-विद्या. https://ncert.nic.in/manodarpan.php

———. 2023. विद्यालयी शिक्षा के लिए *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023.* नई दिल्ली. 13 नवंबर 2023 को https://ncert.nic.in/pdf/NCFSE-2023-August_2023.pdf. से प्राप्त किया गया.

———. 2020. *मेंटल हैल्थ एंड वैल बीइंग ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स, सर्वे 2020.* नई दिल्ली. 18 दिसंबर 2023 को https://ncert.nic.in/pdf/Mental_Health_WSS_A_Survey_new.pdf से प्राप्त किया गया.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय. 'राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम'. भारत सरकार, नई दिल्ली. https://main.mohfw.gov.in/hi से प्राप्त किया गया.

माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर विद्यालयी वातावरण का प्रभाव

मुकेश कुमार*
आर. पुष्पा नामदेव**

यह शोध पत्र माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर विद्यालयी वातावरण के प्रभाव के अध्ययन पर आधारित है। इस शोध अध्ययन में न्यादर्श के रूप में बिहार राज्य के वैशाली जिला के अंतर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मान्यता प्राप्त चार माध्यमिक विद्यालयों का स्तरीकृत यादृच्छिक न्यादर्श विधि द्वारा चयन किया गया। चयनित विद्यालयों से कक्षा 10वीं (सत्र 2022–23) के 111 विद्यार्थियों को न्यादर्श के रूप में सम्मिलित किया गया। माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के विद्यालयी वातावरण का शोध अध्ययन करने हेतु के. एस. मिश्रा द्वारा निर्मित विद्यालयी वातावरण मापनी एवं मानसिक स्वास्थ्य के अध्ययन हेतु शोधकर्ता द्वारा निर्मित मापनी का उपयोग किया गया। शोधार्थी द्वारा प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु मध्यमान, मानक विचलन, प्रसरण विश्लेषण एवं सह-संबंध का उपयोग किया गया। इस शोध अध्ययन से ज्ञात हुआ कि अधिकांश विद्यार्थियों के अनुसार विद्यालयी वातावरण का स्तर औसत है और विद्यार्थियों में मानसिक स्वास्थ्य का स्तर औसत है। जबकि माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के विद्यालयी वातावरण के विभिन्न स्तरों का उनके मानसिक स्वास्थ्य पर सार्थक प्रभाव पाया गया एवं विद्यालयी वातावरण के विभिन्न स्तर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं साथ ही विद्यालयी वातावरण एवं मानसिक स्वास्थ्य के मध्य धनात्मक सह-संबंध पाया गया। वर्तमान शोध अध्ययन विद्यालयी वातावरण को प्रभावी बनाने एवं विद्यार्थियों के सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य हेतु विद्यालय प्रशासकों, शिक्षकों एवं अन्य हितधारकों को उचित सुझाव प्रदान करने में सहायक होगा।

शिक्षा, व्यक्तियों के जीवन के लिए ज्ञान, आदर्श, समझ, अनुभव और संपर्क की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति ज्ञान, विकास एवं विशेषताओं के साथ जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। यह न केवल ज्ञान एवं कौशल का स्रोत है, अपितु एक अच्छी शिक्षा आदर्श नागरिकता एवं समाज के साथ आदर्श समन्वयन स्थापित करने में सहायक होती है। इस हेतु विद्यालयी वातावरण का सकारात्मक होना आवश्यक है, जहाँ विद्यार्थी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में संलग्न होकर अपने भविष्य के सपने संजो सके। अतः स्वस्थ विद्यालयी वातावरण विद्यार्थियों के अनुभव एवं अधिगम को परिष्कृत करती है। विद्यालयी वातावरण के अंतर्गत

**शोधार्थी*, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र 442001
***असिस्टेंट प्रोफेसर*, शिक्षा विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र 442001

अनेक अव्यय सम्मिलित होते हैं, जैसे— शिक्षक, साथी समूह, शांत और सुरक्षित विद्यालय वातावरण, सुविधाजनक विद्यालयी इमारतें, विद्यार्थियों के लिए कक्षा-कक्ष और अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री आदि। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में विभिन्न कार्यक्रम, जैसे— खेल-कूद, प्रातःकालीन सभा, कला, नृत्य, गीत-संगीत, वादन आदि भी सम्मिलित हैं। सकारात्मक विद्यालयी वातावरण विद्यार्थियों को सबल, समर्पित एवं सफल बनाने में सहायक होता है।

'विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2023' में यह उल्लेख किया गया है कि विद्यार्थियों में समग्र सीखने का अनुभव न केवल पाठ्यक्रम सामग्री एवं शिक्षाशास्त्र में निहित है, बल्कि यह विद्यालयी वातावरण, अभ्यास एवं संस्कृति से भी निर्धारित होता है। शिक्षकों द्वारा अपनी भूमिकाओं को प्रभावी ढंग से निभाने की क्षमता विकसित करने के लिए विद्यालयी संस्कृति में परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। विद्यालय के सभी सदस्य (शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, प्रधानाध्यापक एवं अन्य सहायक कर्मचारी) यह सुनिश्चित करें कि विद्यालय में विद्यार्थी सुरक्षित और सहज अनुभव करें, वे संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ हों और सीखने की प्रक्रिया का आनंद लें। नेतृत्व के माध्यम से इस प्रकार से पोषित विद्यालयी वातावरण और संस्कृति को विकसित किया जा सकता है। इस संदर्भ में विद्यालयी वातावरण एवं कल्याण हेतु परामर्श की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। यह विद्यालयी वातावरण संसाधनों, भावनाओं, विचारों, दृष्टियों, अनुभवों, संपर्क आदि का समग्र ढाँचा होता है, जो विद्यार्थियों के विकास और शिक्षण के लिए अत्यावश्यक है। विद्यालय का सकारात्मक वातावरण उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जो विद्यार्थियों को शिक्षा का महत्व समझने एवं उन्हें संवेदनशील नागरिक के रूप में विकसित करने में सहायक सिद्ध होता है। साथ ही, ऐसा वातावरण शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को उनके जीवन लक्ष्य तक पहुँचाने में सेतु का कार्य करता है।

अग्रवाल, सत्तार और जैन (2020) के अनुसार उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि, विद्यालयी गतिविधियाँ तथा शालेय वातावरण के मध्य धनात्मक सहसंबंध होता है। विद्यार्थियों के समग्र मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण में विद्यालयी शिक्षा की भूमिका को ध्यान में रखते हुए *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* तैयार की गई है। जीवन लक्ष्य तक पहुँचने हेतु अनेक अवयव कार्य करते हैं, जिनमें से एक मानसिक स्वास्थ्य है। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के मानसिक तथा भावनात्मक स्थिति से संबंधित होता है। यह उसकी व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। विद्यार्थी जीवन में मानसिक स्वास्थ्य का अच्छा होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह उसके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सकारात्मक और समर्थ बनाता है। साथ ही, अधिक उत्साही और सक्रिय जीवनशैली हेतु प्रोत्साहित करता है। यदि विद्यालय में अस्थिर, उदास या अधिक तनाव वाला वातावरण होता है तो विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे वातावरण में विद्यार्थियों का ध्यान भटकता है एवं उनकी उपेक्षा

की संभावना होती है। इस प्रकार के वातावरण में विद्यार्थियों में चिंता, थकान एवं उदासीनता जैसी समस्याएँ हो सकती हैं। दूसरी ओर, विद्यालय में सकारात्मक और उत्साही वातावरण विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के विकास एवं प्रोत्साहन की पहल केवल विद्यालय के उत्साही सहयोग से ही सफल हो सकती है। राज्य, जिला, उप-जिला और ब्लॉक स्तर पर विद्यालयों को इसे गंभीरता से लेना होगा। साथ ही, विद्यालय परामर्श के द्वारा ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए, जिसके द्वारा विद्यार्थियों में बौद्धिक, व्यक्तिगत एवं मनोवैज्ञानिक विकास को समर्थन प्राप्त हो।

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के पश्चात विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण पर एक सर्वेक्षण किया गया था। इस सर्वेक्षण 'मेंटल हैल्थ एंड वैल बीइंग ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स 2022' के अनुसार विद्यालयी गतिविधि, मूल्य, अभ्यास एवं अंतःक्रिया विद्यार्थियों के मानसिक एवं भावात्मक कल्याण हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही, विद्यालय जीवन में संतुष्टि भी मानसिक स्वास्थ्य को समर्थन प्रदान करती है। इसके अनुसार माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में अध्ययन, परीक्षा एवं उसके परिणामों को लेकर चिंता होती है।

भारत सरकार द्वारा विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण हेतु कई पहलें की गई हैं, जिनमें से एक 'मनोदर्पण 2020' से संचालित किया जा रहा है। इसके द्वारा विद्यार्थियों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान की जाती है। 'मनोदर्पण' द्वारा विद्यार्थियों तक पहुँच बनाने हेतु संगोष्ठी एवं परिचर्चा का आयोजन किया जाता है। साथ ही, विद्यार्थियों की समस्याओं को टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया जाता है। इसके द्वारा अनेक विषय, जैसे— विद्यार्थियों में जीवन कौशल, पारिवारिक एकजुटता, बच्चों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना आदि अनेक विषयों पर चर्चा, वीडियो आदि उपलब्ध हैं, जिससे विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में सहायता मिलती है। विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों द्वारा इसका प्रभावी उपयोग मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण हेतु सहायक सिद्ध होगा, इसलिए 'मनोदर्पण' आत्मनिर्भर भारत बनाने की एक सार्थक पहल है।

माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में अध्ययन, परीक्षा एवं उसके परिणाम को लेकर मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण के संदर्भ में 'परीक्षा पे चर्चा' एवं 'एक्जाम वॉरियर्स 2024' में सुझाए गए मंत्र, जैसे— परीक्षा, अभिभावक, समूह साथी के दबाव को कम करने के लिए विद्यार्थियों को क्रमबद्ध एवं समकालिक तरीके से अध्ययन में संलग्न होना चाहिए। इस दबाव को कम करने हेतु अभिभावकों को सहयोग, विद्यार्थियों में सकारात्मक एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ ही समुदाय में इस पर चर्चा की जानी चाहिए। विद्यालय एवं अभिभावकों के द्वारा विभिन्न रणनीतियों, जैसे— सकारात्मक अभिप्रेरणा, परामर्श, स्वास्थ्य अंतःक्रिया आदि द्वारा विद्यार्थियों में आत्मविश्वास का विकास करना अत्यावश्यक है।

मेहता और सिंह (2015) द्वारा किए गए शोध अध्ययन माध्यमिक स्तर के बालक एवं बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य एवं शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन से ज्ञात होता है कि माध्यमिक स्तर पर बालक एवं बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य एवं शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अंतर है। उच्च, मध्यम एवं निम्न मानसिक स्वास्थ्य वाले स्नातक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि में सार्थक अंतर है एवं कला, विज्ञान व वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं शैक्षिक उपलब्धि में धनात्मक एवं सार्थक सहसंबंध है। कला व विज्ञान के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य तथा शैक्षिक उपलब्धि में कोई संबंध नहीं है (शर्मा, सक्सेना और मीनाक्षी, 2019)। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पारिवारिक वातावरण का सकारात्मक होना आवश्यक है। नकारात्मक वातावरण विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है (गुप्ता, 2013)। शाक्य (2018) के शोध अध्ययन से ज्ञात हुआ कि स्नातक स्तर पर अध्ययनरत महिला एवं पुरुष परीक्षार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य धनात्मक सह-संबंध है। यादव (2018) द्वारा किए गए माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के अध्ययन पर ज्ञात हुआ कि शहरी विद्यालय के विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य ग्रामीण विद्यालय के विद्यार्थियों में क्षेत्र भिन्नता के आधार पर अधिक बेहतर है एवं छात्रों की अपेक्षा छात्राओं और विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों की अपेक्षा कला वर्ग के विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर है। वत्स (2019) के शोध अध्ययन से ज्ञात हुआ कि उच्च माध्यमिक स्तर पर बालक एवं बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य एवं शैक्षिक उपलब्धि प्राप्तांकों में समानता का अभाव है। कुमार (2020) के उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य का तुलनात्मक अध्ययन से ज्ञात हुआ कि उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों का संपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य एवं उसकी विमाओं— सांवेगिक स्थिरता, संपूर्ण समायोजन, स्वायत्तता, सुरक्षा-असुरक्षा एवं आत्म-प्रत्यय में अंतर है। ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों के विद्यालयी वातावरण एवं शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अंतर है एवं उच्च, मध्य एवं निम्नतम विद्यालयी वातावरण का विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव पड़ता है (नायक और मरकाम, 2018)। अग्रवाल, सत्तार और जैन (2020) के शोध अध्ययन से ज्ञात हुआ कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण का उनकी शैक्षिक रुचि एवं मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है।

शोध अध्ययन का औचित्य

विद्यालयी वातावरण का विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक वातावरण बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, जिससे उनकी उच्च शैक्षिक उपलब्धि होने की संभावना बढ़ती है। बच्चों के जीवन का एक मुख्य अंश विद्यार्थी के रूप में व्यतीत होता है एवं उनका मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा कार्य को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वस्थ विद्यालयी वातावरण विद्यार्थियों में सकारात्मक

विचारधारा विकसित करता है और यह उनकी अधिगम प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने में सहायक होता है। सकारात्मक वातावरण में रहने से विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है जो उन्हें आत्मविश्वास प्रदान कर उनके लिए एक स्थायी मंच तैयार करता है, जिस पर वे अपनी भूमिका उचित रूप से निभा सकते हैं।

विद्यालय का अस्थिर, उदास या तनावपूर्ण वातावरण विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। ऐसे वातावरण में विद्यार्थियों का ध्यान भटकता है और उनकी उपेक्षा की संभावना होती है। इस तरह के वातावरण में विद्यार्थियों में चिंता, थकान और उदासीनता जैसी समस्याएँ हो सकती हैं। दूसरी ओर, विद्यालय में सकारात्मक और उत्साही वातावरण बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020* एवं 'विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023' द्वारा प्रभावी एवं सकारात्मक विद्यालय संस्कृति, अभ्यास एवं अधिगम वातावरण पर बल दिया गया है। शोध साहित्यों की समीक्षा के उपरांत ज्ञात होता है कि विद्यालयी वातावरण, पारिवारिक वातावरण, शैक्षिक उपलब्धि, मानसिक स्वास्थ्य, उपलब्धि अभिप्रेरणा, शैक्षिक चिंता एवं इसके परस्पर संबंध के विषयों पर अनेक शोध कार्य किए गए हैं। किंतु माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में विद्यालयी वातावरण का मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पर बहुत कम शोध अध्ययन हुए हैं। इस प्रकार शोधकर्ता द्वारा इस शोध समस्या का चयन शोध अध्ययन हेतु किया गया। जो प्रभावी विद्यालयी वातावरण एवं विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य हेतु विद्यालय प्रशासकों, शिक्षकों एवं अन्य हितधारकों को उचित अंतःक्षेपण हेतु सुझाव प्रदान करने में सहायक होगा।

शोध समस्या कथन

माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर विद्यालयी वातावरण के प्रभाव का अध्ययन

संक्रियात्मक परिभाषाएँ

विद्यालयी वातावरण— विद्यालयी वातावरण से तात्पर्य विद्यालयी वातावरण में विद्यमान उन शक्तियों से है, जो विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं शैक्षिक उपलब्धि में सकारात्मक योगदान करने की क्षमता रखती हैं। जहाँ शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया स्वतः एवं स्वाभाविक हो एवं जहाँ शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में आए अवरोधों को शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों के संयुक्त प्रयास से दूर किया जाता है। स्वस्थ विद्यालयी वातावरण के अंतर्गत विद्यालय के वातावरण की स्थिति, अध्यापकों का कक्षा-कक्ष अनुभव, विद्यालय की सुरक्षा, गुरु-शिष्य संबंध आदि सम्मिलित हैं।

मानसिक स्वास्थ्य— मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ उस स्वास्थ्य से है, जिसका संबंध मानस या मन से होता है। मानसिक स्वास्थ्य में अवबोध, स्मरण, चेतना, विचार, तर्क, समस्या समाधान आदि शक्तियाँ आती हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ न होने के मुख्य संकेत चिंता, उदासी, थकान, तनाव और दुख आदि हैं। ये वे अव्यय हैं जिनके द्वारा विद्यार्थी अपने

विचारों एवं भावनाओं को संतुलित रखते हुए जीवन में सामंजस्य स्थापित करते हैं।

माध्यमिक स्तर— माध्यमिक स्तर से तात्पर्य कक्षा 10वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों से है।

शोध अध्ययन के उद्देश्य

इस शोध अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार हैं—

1. माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के विद्यालयी वातावरण का अध्ययन करना।
2. माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना।
3. विद्यालयी वातावरण के विभिन्न स्तरों का विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करना।
4. माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के विद्यालयी वातावरण एवं मानसिक स्वास्थ्य के मध्य सह-संबंध का अध्ययन करना।

शोध परिकल्पनाएँ

इस शोध अध्ययन की शून्य परिकल्पनाएँ इस प्रकार हैं—

1. विद्यालयी वातावरण के विभिन्न स्तरों का विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।
2. माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के विद्यालयी वातावरण एवं मानसिक स्वास्थ्य के मध्य सार्थक सह-संबंध नहीं है।

न्यादर्श

शोध अध्ययन के लिए बिहार राज्य के वैशाली जिला के अंतर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मान्यता प्राप्त (2 सरकारी विद्यालयों) एवं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त (2 गैर-सरकारी) माध्यमिक विद्यालयों का स्तरीकृत यादृच्छिक न्यादर्शन विधि द्वारा चयन किया गया। चयनित विद्यालयों के कक्षा 10वीं (सत्र 2022–23) के विद्यार्थियों को न्यादर्श के रूप में सम्मिलित किया गया।

तालिका 1— चयनित न्यादर्श का विवरण

क्रम	विद्यालय का नाम	विद्यालय का प्रकार	विद्यार्थियों की संख्या
1.	श्री रामचंद्र उच्च विद्यालय	सरकारी	30
2.	उत्क्रमित मध्य विद्यालय	सरकारी	31
3.	संत जेवियर हाई स्कूल	गैर-सरकारी	25
4.	लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल	गैर-सरकारी	25
कुल			**111**

शोध अध्ययन की प्रकृति

इस शोध अध्ययन हेतु वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया था।

शोध उपकरण

इस शोध अध्ययन में प्रदत्तों के संकलन हेतु निम्न उपकरणों का उपयोग किया गया था।

विद्यालयी वातावरण मापनी— माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के विद्यालयी वातावरण के अध्ययन हेतु के. एस. मिश्रा (2012) द्वारा निर्मित विद्यालयी वातावरण मापनी का प्रयोग किया गया। इस मापनी में कुल 70 कथन हैं। इस उपकरण के छह आयाम हैं— रचनात्मक उद्दीपन, संज्ञानात्मक प्रोत्साहन, स्वीकार,

सहनशीलता, अस्वीकार एवं नियंत्रण। शोध उपकरण की विश्वसनीयता अर्द्ध-विच्छेदन विधि द्वारा ज्ञात की गई, जिसका मान 0.968 है। शोध उपकरण की वैधता विषय विशेषज्ञों द्वारा स्थापित की गई। इस प्रकार यह मापनी विषय-वस्तु एवं अंकित वैधता के आधार पर वैध मानी गई। विद्यालयी वातावरण मापनी में वस्तुनिष्ठ कथनों का प्रयोग किया गया, जिसमें सभी कथन सकारात्मक हैं। इस मापनी में कथनों का चयन करने के लिए पाँच विकल्प— हमेशा, प्रायः, कभी-कभी, बहुत मुश्किल से एवं कभी नहीं दिए गए हैं। इस तरह कुल 70 एकांश होने के कारण अंकों का विस्तार अधिकतम 280 अंक तथा न्यूनतम 0 अंक है।

मानसिक स्वास्थ्य मापनी— मानसिक स्वास्थ्य मापनी का निर्माण शोधकर्ता द्वारा जगदीश और ए. के. श्रीवास्तव (1995) द्वारा निर्मित मेंटल हेल्थ इन्वेंटरी को ध्यान में रखते हुए किया गया। शोधकर्ता द्वारा इस उपकरण को अनुकूलित करते हुए इसे माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों हेतु उपयुक्त बनाया गया। इस मापनी के अंतर्गत आयामों एवं कथनों को विद्यार्थियों की आयु के अनुकूल कर इसका उपयोग किया गया। इस मापनी में कुल छह आयाम थे— सकारात्मक आत्म-मूल्यांकन, वास्तविकता की धारणा, व्यक्तित्व का एकीकरण, स्वायत्तता, समूह उन्मुख दृष्टिकोण एवं पर्यावरण निपुणता। इस मापनी में कुल 56 कथन थे। माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के अनुसार अनुकूलित करने के उपरांत इस प्रश्नावली में कुल 45 प्रश्नों को रखा गया। शोध उपकरण की विश्वसनीयता अर्द्ध-विच्छेदन विधि द्वारा ज्ञात की गई, जिसका मान 0.989 था। शोध उपकरण की वैधता विषय विशेषज्ञों द्वारा स्थापित की गई है। इस प्रकार यह मापनी विषयवस्तु एवं अंकित वैधता (कंटेंट एंड वैलिडिटी) के आधार पर वैध मानी गई। मानसिक स्वास्थ्य मापनी में वस्तुनिष्ठ कथन का प्रयोग किया गया। इसमें सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार के कथन थे। इस मापनी में कथनों का चयन करने के लिए चार विकल्प रखे गए— हमेशा, अधिकतर, कभी-कभी, कभी-नहीं। इस प्रकार कुल 45 एकांश होने के कारण अंकों का विस्तार अधिकतम 180 अंक तथा न्यूनतम 45 अंक हैं।

प्रदत्तों का संग्रहण

इस शोध अध्ययन हेतु शोधकर्ता द्वारा न्यादर्श में चयनित विद्यार्थियों पर विद्यालयी वातावरण मापनी एवं मानसिक स्वास्थ्य मापनी प्रशासित कर प्रदत्त संग्रहित किए गए।

प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु सांख्यिकीय प्रविधि

इस शोध अध्ययन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु शोधकर्ता द्वारा सांख्यिकीय विधियों में मध्यमान, मानक विचलन, प्रसरण विश्लेषण (ANOVA) एवं सह-संबंध का प्रयोग किया गया।

प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या

1. ***माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों का विद्यालयी वातावरण***

   माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के विद्यालयी वातावरण का अध्ययन करना प्रथम शोध उद्देश्य था।

प्रथम उद्देश्य की प्राप्ति हेतु माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के विद्यालयी वातावरण पर मापनी द्वारा प्राप्त प्रदत्तों का विश्लेषण किया गया, जिसे तालिका 2 में इस प्रकार प्रदर्शित किया गया है—

तालिका 2— माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के विद्यालयी वातावरण का स्तर

विद्यालयी वातावरण	विद्यार्थियों की संख्या	प्रतिशत (%)
उच्च स्तर	15	13.52%
औसत स्तर	79	71.17%
निम्न स्तर	17	15.31%
कुल	**111**	**100%**

तालिका 2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के विद्यालयी वातावरण के अध्ययन में सम्मिलित 111 विद्यार्थियों में से 15 (13.52 प्रतिशत) विद्यार्थियों के अनुसार विद्यालयी वातावरण का स्तर उच्च है, जबकि चयनित विद्यार्थियों में से 79 (71.17 प्रतिशत) विद्यार्थियों के अनुसार विद्यालयी वातावरण का स्तर औसत पाया गया। साथ ही 17 (15.31 प्रतिशत) विद्यार्थियों के अनुसार विद्यालयी वातावरण का स्तर निम्न पाया गया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अधिकांश विद्यार्थियों के अनुसार विद्यालयी वातावरण का स्तर औसत है। इसका कारण विद्यालय प्रशासन, शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के मध्य उचित सामंजस्य का होना हो सकता है। साथ ही विद्यालय में ऐसा वातावरण हो सकता है जहाँ विद्यार्थी, शिक्षक एवं विद्यालय प्रशासन के मध्य सकारात्मक अंतःक्रिया होती हो, जिसके कारण विद्यार्थी स्वयं को विद्यालय में सहज स्थिति में पाते हों। विद्यालय में विद्यार्थियों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का होना, अकादमिक भार को कम करने हेतु गतिविधियों का आयोजन, मूल्यांकन में पारदर्शिता, समता एवं समानता के भाव को प्राथमिकता देना एवं विद्यालय संस्कृति भी औसत स्तर का विद्यालयी वातावरण के कारण हो सकते हैं।

2. ***माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य***

माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना द्वितीय शोध उद्देश्य था। द्वितीय उद्देश्य की प्राप्ति हेतु माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य मापनी द्वारा प्राप्त प्रदत्तों का विश्लेषण किया गया। जिसे तालिका 3 में इस प्रकार प्रदर्शित किया गया है—

तालिका 3— माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य का स्तर

मानसिक स्वास्थ्य	विद्यार्थियों की संख्या	प्रतिशत (%)
उच्च स्तर	19	17.12%
औसत स्तर	76	68.47%
निम्न स्तर	16	14.41%
कुल	**111**	**100%**

तालिका 3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के अध्ययन में सम्मिलित 111 विद्यार्थियों में से 19 (17.12 प्रतिशत) विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य का स्तर उच्च है, जबकि चयनित विद्यार्थियों में से 76 (68.47 प्रतिशत) विद्यार्थियों में मानसिक स्वास्थ्य स्तर औसत पाया गया। साथ

ही 16 (14.41 प्रतिशत) विद्यार्थियों में मानसिक स्वास्थ्य का स्तर निम्न पाया गया। श्रीवास (2016) द्वारा प्राप्त शोध परिणाम वर्तमान शोध के समतुल्य है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि अधिकांश विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य का स्तर औसत है। इसका कारण प्रेरक एवं सहायक विद्यालयी वातावरण का होना हो सकता है। संभवत: विद्यालय उन्हें इस प्रकार का वातावरण प्रदान करता हो, जहाँ विद्यार्थी व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्व के परिप्रेक्ष्य, जैसे— किसी भी स्थिति में सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम हो, समूह साथी के मध्य विश्वास एवं सकारात्मक अंत:क्रिया, आत्मनिर्भरता, स्व-पहचान आदि के साथ अकादमिक दृष्टिकोण से भी विद्यार्थियों को संबल प्रदान करता हो। साथ ही, विद्यालय का विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में सजग एवं सक्रिय होना भी एक कारण हो सकता है।

3. ***माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के विद्यालयी वातावरण का मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव***

माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के विद्यालयी वातावरण के विभिन्न स्तरों का उनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव के अध्ययन हेतु शून्य परिकल्पना का परीक्षण प्रसरण विश्लेषण द्वारा किया गया। जिसका परिणाम तालिका 4 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 4 के अवलोकन से स्पष्ट है कि $F(2,108) = 140.518$, $p=0.000<0.05$ सार्थकता के 0.05 स्तर पर सार्थक है। इस प्रकार शून्य परिकल्पना माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के विद्यालयी वातावरण के विभिन्न स्तरों का उनके मानसिक स्वास्थ्य पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं है, निरस्त की जाती है। शून्य परिकल्पना में माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के विद्यालयी वातावरण के विभिन्न स्तरों का उनके मानसिक स्वास्थ्य पर सार्थक प्रभाव है, को स्वीकार किया जाता है। आगे यह ज्ञात करने हेतु कि किन-किन समूहों के मध्य मानसिक स्वास्थ्य फलांकों में सार्थक अंतर है, युग्मवार परीक्षण (Post hoc test) का प्रयोग किया गया, जिसे तालिका 5 में इस प्रकार प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 5 के पहले कॉलम (I) में तुलना किए जाने वाला दूसरा कॉलम (J) दिया गया है। पहला

तालिका 4— माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के विद्यालयी वातावरण के विभिन्न स्तरों एवं मानसिक स्वास्थ्य के मध्य 'F' की सार्थकता

प्रसरण स्रोत	वर्गों का योग	स्वतंत्रांश	मध्यमान वर्ग	एफ-अनुपात (F-Ratio)	सार्थकता Sig.
समूह के मध्य	18875.374	2	9437.687	140.518	.000
समूह की इकाइयों के अंतर्गत वर्गों का योग	7253.653	108	67.163		
कुल	**26129.027**	**110**			

तालिका 5— विद्यालयी वातावरण के विभिन्न स्तर के समूहों के मध्य मानसिक स्वास्थ्य फलांकों की सार्थकता

(I) विद्यालयी वातावरण स्तर	(J) विद्यालयी वातावरण स्तर	मानसिक स्वास्थ्य के माध्य अंतर (I-J)	मानक त्रुटि	सार्थकता (p)
समूह 1 (उच्च)	2 (औसत)	-24.83207*	1.93412	.000
	3 (निम्न)	-48.63922*	2.51242	.000
समूह 2 (औसत)	1 (उच्च)	24.83207*	1.93412	.000
	3 (निम्न)	-23.80715*	2.10359	.000
समूह 3 (निम्न)	1 (उच्च)	48.63922*	2.51242	.000
	2 (औसत)	23.80715*	2.10359	.000

आश्रित चर — मानसिक स्वास्थ्य

*0.05 स्तर पर सार्थक

समूह विद्यालयी वातावरण के उच्च स्तर (I) समूह है, जिसकी तुलना क्रमशः विद्यालयी वातावरण के औसत स्तर तथा विद्यालयी वातावरण के निम्न स्तर के समूह (J) से की गई है। तालिका 5 के ‘p’ मान के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि विद्यालयी वातावरण के उच्च स्तर एवं विद्यालयी वातावरण के औसत स्तर के माध्य फलांकों का अंतर −24.83 है एवं सार्थकता मान ‘p’=0.000<0.05 है, जो सार्थकता के 0.05 स्तर पर सार्थक है। अतः कहा जा सकता है कि विद्यालयी वातावरण के उच्च स्तर एवं विद्यालयी वातावरण के औसत स्तर के मध्य मानसिक स्वास्थ्य फलांकों में सार्थक अंतर है। विद्यालयी वातावरण के उच्च स्तर एवं विद्यालयी वातावरण के निम्न स्तर के माध्य फलांकों का अंतर −48.64 है एवं सार्थकता मान ‘p’=0.000<0.05 है जो सार्थकता के 0.05 स्तर पर सार्थक है। अतः हम कह सकते हैं कि विद्यालयी वातावरण के उच्च स्तर एवं विद्यालयी वातावरण के निम्न स्तर के मध्य मानसिक स्वास्थ्य फलांकों में अंतर है।

दूसरा समूह विद्यालयी वातावरण के औसत स्तर (I) समूह है, जिसकी तुलना क्रमशः विद्यालयी वातावरण के उच्च स्तर तथा विद्यालयी वातावरण के निम्न स्तर के समूह (J) से की गई है। तालिका 5 के ‘p’ मान के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि विद्यालयी वातावरण के औसत स्तर एवं विद्यालयी वातावरण के उच्च स्तर के माध्य फलांकों का अंतर −24.83 है एवं सार्थकता मान ‘p’ =0.000<0.05 है, जो सार्थकता के 0.05 स्तर पर सार्थक है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि विद्यालयी वातावरण के औसत स्तर एवं विद्यालयी वातावरण के उच्च स्तर के मध्य मानसिक स्वास्थ्य फलांकों में अंतर है एवं विद्यालयी वातावरण के औसत स्तर एवं विद्यालयी वातावरण के निम्न स्तर के माध्य फलांकों का अंतर 23.80 है एवं सार्थकता मान ‘p’ =0.000<0.05 है, जो सार्थकता के 0.05 स्तर पर सार्थक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्यालयी वातावरण के औसत स्तर एवं विद्यालयी वातावरण के निम्न स्तर के मध्य मानसिक स्वास्थ्य फलांकों में अंतर है।

तीसरा समूह विद्यालयी वातावरण के निम्न स्तर (I) समूह है, जिसकी तुलना क्रमशः विद्यालयी वातावरण के उच्च स्तर तथा विद्यालयी वातावरण के औसत स्तर के समूह (J) से की गई है। तालिका 5 के 'p' मान के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि विद्यालयी वातावरण के निम्न स्तर एवं विद्यालयी वातावरण के उच्च स्तर के माध्य फलांकों का अंतर 48.64 है एवं सार्थकता मान 'p' =0.000<0.05 है, जो सार्थकता के 0.05 स्तर पर सार्थक है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि विद्यालयी वातावरण के निम्न स्तर एवं विद्यालयी वातावरण के उच्च स्तर के मध्य मानसिक स्वास्थ्य फलाकों में अंतर है। विद्यालयी वातावरण के निम्न स्तर एवं विद्यालयी वातावरण के औसत स्तर के माध्य फलाकों का अंतर 23.81 है एवं सार्थकता मान 'p' = 0.000<0.05 है, जो सार्थकता के 0.05 स्तर पर सार्थक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्यालयी वातावरण के निम्न स्तर एवं विद्यालयी वातावरण के औसत स्तर के माध्य मानसिक स्वास्थ्य फलाकों में अंतर है।

विद्यालयी वातावरण के तीनों स्तरों (उच्च, औसत एवं निम्न) के मध्य मानसिक स्वास्थ्य माध्य फलांकों में सार्थक अंतर है। इस प्रकार प्राप्त परिणामों से यह ज्ञात होता है कि विद्यालयी वातावरण के विभिन्न स्तर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों को प्राप्त रचनात्मक उद्दीपन, संज्ञानात्मक प्रोत्साहन, स्वीकार, नियंत्रण, अस्वीकार्यता एवं सहनशीलता विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। पूर्व में हुए शोध अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्षों से ज्ञात होता है कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पारिवारिक वातावरण का सकारात्मक होना आवश्यक है। नकारात्मक वातावरण विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है (गुप्ता, 2013)। माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के विद्यालयी वातावरण एवं समायोजन में कोई सार्थक अंतर नहीं है (सिंह, 2019)। यादव (2018) के शोध अध्ययन से ज्ञात हुआ कि विद्यालय के क्षेत्र में भिन्नता विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। यह शोध अध्ययन इस तथ्य की पुष्टि करता है कि जिस प्रकार विद्यालय के क्षेत्र में भिन्नता विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, उसी प्रकार विद्यालयी वातावरण के विभिन्न स्तर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।

4. ***विद्यालयी वातावरण एवं मानसिक स्वास्थ्य के मध्य सहसंबंध***

माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के विद्यालयी वातावरण एवं मानसिक स्वास्थ्य के मध्य सह-संबंध को अध्ययन हेतु विद्यालयी वातावरण मापनी एवं मानसिक स्वास्थ्य मापनी द्वारा प्राप्त प्रदत्तों के मध्य सह-संबंध द्वारा ज्ञात किया गया। जिसे तालिका 6 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 6 से ज्ञात होता है कि अवलोकित 'r' का मान 0.990 है, जो कि स्वतंत्रांश (df) 109 पर p=0.000<0.05 सार्थकता के 0.05 स्तर पर सार्थक है। अतः शून्य परिकल्पना 'माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के विद्यालयी वातावरण एवं मानसिक स्वास्थ्य के मध्य कोई सार्थक सह-संबंध नहीं है,'

तालिका 6— माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के विद्यालयी वातावरण एवं मानसिक स्वास्थ्य के मध्य 'r' की सार्थकता

चर	न्यादर्श (N)	स्वतंत्रांश (df)	सह-संबंध गुणांक (r)	सार्थक (P)
विद्यालयी वातावरण				
मानसिक स्वास्थ्य	111	109	0.990	.000

* 0.05 स्तर पर सह-संबंध सार्थक

निरस्त की जाती है। साथ ही, विद्यालयी वातावरण एवं मानसिक स्वास्थ्य के मध्य धनात्मक सह-संबंध पाया गया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के विद्यालयी वातावरण अनुकूल होने पर विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य सकारात्मक होता है एवं इसके द्वारा उनकी अधिगम क्षमता का भी विकास होगा। श्रीवास (2016) के शोध अध्ययन से ज्ञात हुआ कि विद्यार्थियों के मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में सर्वाधिक योगदान खुश रहना है तथा दूसरा योगदान यथार्थवादी होना है। तिवारी (2021) के शोध अध्ययन से ज्ञात हुआ कि उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यालयी वातावरण व विद्यार्थियों के शैक्षिक तनाव के मध्य अत्यंत निम्न धनात्मक सह-संबंध है। इस शोध अध्ययन में विद्यालयी वातावरण एवं मानसिक स्वास्थ्य के मध्य उच्च धनात्मक सह-संबंध पाया गया। जिसका कारण विद्यालय के शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य सकारात्मक अंतःक्रिया, विद्यालय का प्रकार एवं उसकी कार्यप्रणाली हो सकती है।

शोध अध्ययन के परिणाम

प्रदत्त विश्लेषण के आधार पर ज्ञात मुख्य परिणाम इस प्रकार हैं—

- अधिकांश विद्यार्थियों के अनुसार विद्यालयी वातावरण का स्तर औसत है।
- अधिकांश विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य का स्तर औसत है।
- विद्यालयी वातावरण के विभिन्न स्तरों का विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर सार्थक प्रभाव है।
- विद्यालयी वातावरण एवं मानसिक स्वास्थ्य के मध्य उच्च धनात्मक सह-संबंध पाया गया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के विद्यालयी वातावरण अनुकूल होने पर विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य सकारात्मक होगा और यह उनकी अधिगम क्षमता का भी विकास करेगा।

निष्कर्ष

इस शोध अध्ययन से प्राप्त परिणामों के आधार पर कहा जा सकता है कि माध्यमिक स्तर के अधिकांश विद्यार्थियों के विद्यालयी वातावरण एवं मानसिक स्वास्थ्य का स्तर औसत पाया गया है। इसका कारण विद्यालयी वातावरण के अंतर्गत विद्यालय का परिवेश, शिक्षक, समूह साथी, शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य सकारात्मक अंतःक्रिया, पाठ्यचर्या, संसाधन, कक्षा-कक्ष, फर्नीचर,

स्वच्छता, सौन्दर्यकरण आदि का समावेश हो सकता है, जिसका प्रभाव निश्चित रूप से विद्यार्थियों के मन-मस्तिष्क पर पड़ता है।

इस शोध अध्ययन के परिणामों से स्पष्ट होता है कि विद्यालयी वातावरण के विभिन्न स्तरों का विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर सार्थक प्रभाव पड़ता है। विद्यालयी वातावरण एवं मानसिक स्वास्थ्य के मध्य धनात्मक सह-संबंध पाया गया। अतः विद्यालयी वातावरण का विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के साथ घनिष्ठ संबंध है। जिसका कारण विद्यालय के शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य सकारात्मक अंतः क्रिया, विद्यालय का प्रकार एवं उसकी कार्यप्रणाली हो सकती है। इस प्रकार विद्यालयी वातावरण का सकारात्मक होना अत्यावश्यक है, जिससे विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं शैक्षिक उपलब्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सके।

विद्यालयी वातावरण, संस्कृति एवं मूल्य विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण को प्रभावित करते हैं। प्रशासकों एवं शिक्षकों को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका उल्लेख 'विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023', *मेंटल हैल्थ एंड वैल बीइंग ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स सर्वे 2022* जैसे दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण हेतु 'मनोदर्पण', 'परीक्षा पे चर्चा' एवं 'एक्जाम वॉरियर्स' जैसी पहल की जा रही हैं। साथ ही *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में भी विद्यार्थियों की समग्र शिक्षा हेतु उन्हें मानसिक, भावात्मक एवं क्रियात्मक रूप से सक्षम बनाने हेतु संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। यह सभी दस्तावेज, कार्यक्रम एवं पहल कहीं न कहीं विद्यार्थियों को स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवन की ओर अग्रसर करने में सहायक हैं। इस प्रकार प्रशासकों, शिक्षकों, अभिभावकों एवं विद्यार्थियों को इन दस्तावेजों, कार्यक्रम एवं पहल का लाभ लेते हुए विद्यालय को शिक्षण-अधिगम हेतु स्वस्थ स्थान बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

शैक्षिक निहितार्थ

इस शोध अध्ययन के मुख्य परिणामों तथा निष्कर्षों के आधार पर शैक्षिक निहितार्थ इस प्रकार हैं—

1. **विद्यालय की गुणवत्ता संवर्धन में**— इस शोध अध्ययन से प्राप्त परिणाम से ज्ञात होता है कि विद्यालय वातावरण विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। विद्यार्थियों में समग्रतापूर्ण सीखने का अनुभव न केवल पाठ्यक्रम सामग्री एवं शिक्षाशास्त्र में निहित है, बल्कि विद्यालयी वातावरण, अभ्यास एवं संस्कृति से भी निर्धारित होता है (विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2023)। विद्यालय गुणवत्ता में केवल भौतिक एवं मानव संसाधनों की उपलब्धता ही नहीं है, अपितु विद्यालय संस्कृति एवं पर्यावरण भी सम्मिलित होते हैं। इन सभी का समग्र योगदान विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव एवं विकास को आकार प्रदान करना है। सकारात्मक विद्यालयी वातावरण विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है। इस प्रकार विद्यालय में विद्यार्थियों

के लिए इस प्रकार का वातावरण निर्मित किया जाना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों में विद्यालय की सकारात्मक छवि प्रतिबिंबित हो एवं वे स्वयं विद्यालय के शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में उत्साह एवं रुचि से प्रतिभागी बनें। जिससे उनकी शैक्षिक उपलब्धि में उत्कृष्टता का समावेश हो सके। इस हेतु विद्यालय प्रशासकों को नवाचारी पहल कर विद्यार्थियों को विद्यालय में मानसिक एवं भावनात्मक रूप से सुरक्षित एवं सकारात्मक वातावरण प्रदान करना चाहिए, ताकि विद्यालय की गुणवत्ता का संवर्धन हो सके।

2. **विद्यालय प्रशासकों एवं शिक्षकों हेतु**— इस शोध अध्ययन से ज्ञात हुआ कि विद्यालयी वातावरण एवं मानसिक स्वास्थ्य के मध्य सार्थक सह-संबंध है। यह परिणाम विद्यालय प्रशासकों एवं शिक्षकों हेतु उपयोगी है। श्रीवास (2016) के शोध अध्ययन से ज्ञात हुआ कि अत्यधिक उच्च स्तर पर 0.8 प्रतिशत ही विद्यार्थी मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। *मेंटल हैल्थ एंड वैल बींग ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स सर्वे 2022* के अनुसार विद्यालयी गतिविधि, मूल्य, अभ्यास एवं अंतःक्रिया विद्यार्थियों के मानसिक एवं भावात्मक कल्याण हेतु अहम भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार विद्यालय प्रशासकों द्वारा विद्यालयी वातावरण को स्वस्थ एवं जीवंत बनाए रखने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे विद्यालय में शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अन्य मानव संसाधनों के मध्य सकारात्मक संबंध एवं अंतःक्रिया हो सके तथा सभी मानसिक रूप से स्वस्थ एवं सकारात्मक रहें। साथ ही शिक्षकों को विद्यार्थियों के साथ न केवल कक्षा में अपितु कक्षा के बाहर भी उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार एवं उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। ताकि विद्यार्थियों को विद्यालयी वातावरण सकारात्मक लगे एवं वे स्वयं को विद्यालय में मानसिक रूप से स्वस्थ एवं समायोजित अनुभव करें तथा उनकी अकादमिक उन्नति हो सके।

3. **विद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण हेतु गतिविधियाँ**— विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य का आकलन उनकी अधिगम उत्सुकता, उपलब्धि अभिप्रेरणा, शैक्षिक उपलब्धि, सहपाठियों एवं शिक्षकों के साथ व्यवहार से लगाया जा सकता है (साहू, 2019; तिवारी और सिंह, 2017; यादव, 2016)। विद्यालय में 'विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023' में मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण हेतु परामर्श पर बल दिया गया है। इस शोध अध्ययन से ज्ञात हुआ कि विद्यालयी वातावरण मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इस प्रकार विद्यालय में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए, जैसे— परामर्शदाताओं द्वारा परामर्श सत्र, समय-समय पर भारत सरकार द्वारा प्रसारित 'मनोदर्पण', 'परीक्षा पे चर्चा' एवं 'एक्जाम वॉरियर्स' आदि कार्यक्रम का अवलोकन, अभिभावकों के साथ संवाद इत्यादि। इन गतिविधियों को किए जाने का तात्पर्य विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना

तथा सकारात्मक विद्यालयी वातावरण का निर्माण करना है। साथ ही, *राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020* के परिप्रेक्ष्य में विद्यालय वातावरण एवं विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को परिष्कृत करने हेतु विद्यालय प्रशासन द्वारा मनोवैज्ञानिक या परामर्शदाता को नियुक्त किया जाना चाहिए, जिससे विद्यार्थी अपने अनुभवों एवं समस्याओं के विषय में उनसे विचार-विमर्श कर स्वस्थ शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकें।

संदर्भ

अग्रवाल, एन., ए. सत्तार और एम. जैन. 2020. पारिवारिक वातावरण के संदर्भ में उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षिक रुचि एवं मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांसेज इन सोशल साइंसेज.* 8(4), पृष्ठ संख्या 173–180.

———. 2020. उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों में संस्थागत वातावरण का उनके शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांसेज इन सोशल साइंसेज.* 8(3), पृष्ठ संख्या 69–77.

कुमार, वी. और एच. सिंह. 2020. उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य का तुलनात्मक अध्ययन. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एप्लाइड रिसर्च.* 6(10), पृष्ठ संख्या 679–682. 15 नवंबर 2023 को https://doi.org/10.22271/allresearch.2020.v6.i10k.7503 से प्राप्त किया गया.

गुप्ता, बी. 2013. जूनियर हाईस्कूल के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर पारिवारिक वातावरण के प्रभाव का अध्ययन. *एशियन जर्नल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी.* 3(2), पृष्ठ संख्या 334–337.

जगदीश, ए. और ए. के. श्रीवास्तव. 1995. *मेंटल हैल्थ इनवेंटरी.* मनोवैज्ञानिक प्रकाशन संस्थान, वाराणसी.

तिवारी, के. पी. और के. एस. सिंह. 2017. विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर उनके मानसिक स्वास्थ्य के प्रभाव का अध्ययन. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट.* 2(5), पृष्ठ संख्या 867–870.

तिवारी, के.पी. 2021. उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यालयी वातावरण व विद्यार्थियों के शैक्षिक तनाव का अध्ययन. *यूनिवर्स जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज.* 8(1), पृष्ठ संख्या 5–8.

नायक, के. पी. और पी. मरकाम. 2018. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शालेय वातावरण का विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस्ड एजुकेशन एंड रिसर्च.* 3(3), पृष्ठ संख्या 28–30.

परीक्षा पे चर्चा. 2023. https://www.mygov.in/ppc-2023 से प्राप्त किया गया.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020.* भारत सरकार, नई दिल्ली.

मिश्रा, आर. और के. पी. वर्मा. 2014. शहरी एवं ग्रामीण छात्र-छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य का तुलनात्मक अध्ययन. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांसेज इन सोशल साइंसेज.* 2(2), पृष्ठ संख्या 111–113.

मिश्रा, के. एस. 2012. *स्कूल एनवायरनमेंट इनवेंटरी.* नेशनल साइकोलोजिकल कॉर्पोरेशन, आगरा.

मुछाल, के. एम. 2019. माध्यमिक स्तर के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन. *रिमार्किंग एंड एनालाइजेशन*. 3(12), पृष्ठ संख्या 123–129.

मेहता, एस. और एस. सिंह. 2015. माध्यमिक स्तर के बालक एवं बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य एवं शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसीप्लीनरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट*. 2(7), पृष्ठ संख्या 80–85.

यादव, जी. 2016. मानसिक स्वास्थ्य का शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन. *ग्लोबल मल्टीडिसीप्लीनरी रिसर्च जर्नल*. 1(1), पृष्ठ संख्या 43–47. 25 अगस्त, 2023 को https://gdsfzd.org/wp-content/uploads/2017/10/Chapter-14–2.pdf से प्राप्त किया गया.

यादव, एस.वी. 2018. माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन. *जर्नल ऑफ एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल रिसर्च*. 8(1), पृष्ठ संख्या 117–121. 28 अगस्त, 2023 को http://www.journalepr.com/images/pdf/jan18/Journal-Vol.-8-(Jan-2018)-1-11-15.pdf से प्राप्त किया गया.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा* 2005. रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली.

———. 2020. *मनोदर्पण*. 17 अगस्त, 2023 को https://manodarpan.education.gov.in/ से प्राप्त किया गया.

———. 2022. *मेंटल हैल्थ एंड वैल बीइंग ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स, सर्वे 2022*. रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली. 16 सितंबर 2023 को https://dsel.education.gov.in/node/2145 से प्राप्त किया गया.

———. 2023. *विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023*. रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली. 14 नवंबर 2023 को https://ncert.nic.in/pdf/ एन.सी.एफ.एस.ई. अगस्त 2023.pdf से प्राप्त किया गया.

वत्स, के. जी. 2019. उच्च माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी*. 6(1), पृष्ठ संख्या 708–711. 25 अगस्त, 2023 को https://ijsrst.com/paper/9934.pdf से प्राप्त किया गया.

शर्मा, एस. और अन्य. 2019. उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन. *रिव्यू ऑफ रिसर्च*. 8(9), पृष्ठ संख्या 1–4.

शक्या, पी. 2018. स्नातक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सह-संबंध का अध्ययन. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी*. 4(2), पृष्ठ संख्या 1960–1965.

श्रीवास, के. एस. और ए. कुमार. 2016. माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन. *इंडियन स्ट्रीम्स रिसर्च जर्नल*. 6(11), पृष्ठ संख्या 1–5. 15 सितंबर, 2023 को http://oldisrj.lbp.world/UploadedData/9171.pdf से प्राप्त किया गया.

श्रीवास्तव, ए. 2016. विद्यालयी वातावरण का विद्यार्थियों की शैक्षिक चिंता पर प्रभाव. *एनल्स ऑफ मल्टीडिसीप्लीनेरी रिसर्च*. 6(2), पृष्ठ संख्या 191–195.

साहू, एम. 2019. उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं उपलब्धि अभिप्रेरणा के मध्य सह-संबंध का अध्ययन. *जर्नल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीस एंड इनोवेटिव रिसर्च*. 6(3), पृष्ठ संख्या 487–491.

सिंह, एन. 2018. विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर में विद्यालयी वातावरण के प्रभाव का एक अध्ययन. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च स्टडीज*. 6(8), पृष्ठ संख्या 9–12. 12 नवंबर, 2023 को https://www.csirs.org.in/uploads/paper_pdf/vidyartiyon-ke-uplabdhi-star-mein-vidyalayee-vatavaran.pdf से प्राप्त किया गया.

सिंह, बी. और आर. यादव. 2019. माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के विद्यालयी वातावरण, शैक्षिक निष्पत्ति एवं समायोजन का अध्ययन. *शृंखला एक शोधपरक वैचारिक पत्रिका*. 6(6), पृष्ठ संख्या 32–35.

सिंह, बी. 2017. माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के विद्यालयी वातावरण का शैक्षिक निष्पत्ति पर प्रभाव का अध्ययन. *चेतना — इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशन*. 3(2), पृष्ठ संख्या 235–242.

महिलाओं के लिए सांस्कृतिक उद्यमिता और कौशल विकास की पहल
तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम

रश्मि कुमारी राजौरा*
रेणु यादव**

सांस्कृतिक उद्यमिता, उद्यमिता का एक प्रकार है, जो व्यावसायिक नवाचार के सांस्कृतिक रूपों पर ध्यान केंद्रित करती है तथा सांस्कृतिक उत्पादों और सेवाओं के निर्माण, प्रसार एवं व्यावसायीकरण की सुविधा प्रदान करती है। तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टी.वी.ई.टी.) कार्यक्रम आर्थिक स्वतंत्रता के लिए महिलाओं को कौशल और ज्ञान प्रदान करने के महत्वपूर्ण उपकरण बन गए हैं। जब सांस्कृतिक उद्यमिता के साथ उन्हें एकीकृत किया जाता है तो ये कार्यक्रम महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, अपनी सांस्कृतिक विरासत का उपयोग करने के लिए नवाचारी दृष्टि प्रदान करते हैं। यह लेख टी.वी.ई.टी. कार्यक्रमों में सांस्कृतिक उद्यमिता के महत्व और कौशल विकास पर प्रकाश डालता है, जिससे आर्थिक सशक्तिकरण, सांस्कृतिक संरक्षण, जेंडर समानता और सतत विकास होता है। यह दृष्टिकोण युवाओं, विशेष रूप से महिलाओं को लाभान्वित करता है या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) क्षेत्र को बढ़ावा देता है, हितधारकों के बीच एक साझा जिम्मेदारी पर बल देता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ संरेखित करते हुए टी.वी.ई.टी. कार्यक्रमों में सांस्कृतिक उद्यमिता को एकीकृत करने की अनुशंसा की गई है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप समग्र शिक्षा, कौशल विकास और व्यावसायीकरण पर बल देता है। अंत में, टी.वी.ई.टी. कार्यक्रमों में सांस्कृतिक उद्यमिता को एकीकृत करना महिलाओं को सशक्त बनाने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए एक आशाजनक मार्ग प्रदान करना है।

ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तीव्रता से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। रोजगार और वैश्विक पारिस्थितिकी में तीव्र गति से आ रहे परिवर्तनों के कारण यह आवश्यक हो गया है कि बच्चों को जो कुछ सिखाया जा रहा है, उसे तो सीखें ही और साथ ही वे सतत सीखते रहने की कला भी सीखें, इसलिए शिक्षा में विषय-वस्तु को बढ़ाने की बजाय बच्चों को समस्या-समाधान और तार्किक एवं रचनात्मक रूप से सोचना सिखाएँ, विविध विषयों के बीच अंतर्संबंधों को समझ पाएँ, कुछ नया सोच पाएँ और नयी जानकारी को नए और बदलती परिस्थितियों या क्षेत्रों में उपयोग में लाने पर अधिक बल दिया

*_शोधार्थी_, अध्यापक शिक्षा विभाग, हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़ 123031
**_असिस्टेंट प्रोफेसर_, अध्यापक शिक्षा विभाग, हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़ 123031

जाना आवश्यक है (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,* पृष्ठ 3–4)। विकसित और विकासशील देशों द्वारा समान रूप से सामना की जाने वाली सबसे चुनौतीपूर्ण समस्याओं में से एक बेरोजगार युवाओं की बढ़ती संख्या है। युवाओं की बेरोजगारी को इक्कीसवीं सदी की प्रमुख आर्थिक विकास दुविधा माना जाता है (वेंकटनारायण, महेंद्र देव, 2012)। बेरोजगारी एक बहुआयामी प्रक्रिया है, यह देश की गतिविधियों और समाज के सामाजिक ताने-बाने दोनों को प्रभावित करती है (जैन, 2019)। बेरोजगारी उस स्थिति को संदर्भित करती है जहाँ आबादी का एक महत्वपूर्ण भाग जो काम करने का इच्छुक और सक्षम है, किंतु नौकरी से वंचित है, उसे बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है (जाला और अन्य 2012) भारत में बेरोजगारी के मुख्य कारण व्यावसायिक प्रशिक्षण, तकनीकी परिवर्तन एवं कौशल की कमी आधारित शिक्षा है (जैन, 2019)।

व्यावसायिक शिक्षा से तात्पर्य किसी विशिष्ट व्यवसाय या व्यापार के लिए आवश्यक कौशल एवं ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण और शिक्षा से है। यह विद्यार्थियों को करियर और व्यवसायों की एक विस्तृत शृंखला के लिए तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें व्यावहारिक तथा हाथों से जुड़े प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो उन्हें विशिष्ट तकनीकी कौशल विकसित करने में सहायता प्रदान करता है (कौशिक, 2014)। व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत शैक्षिक प्रशिक्षण में ज्ञान, कौशल, संरचनात्मक गतिविधियों, क्षमताओं, ऑन-द-जॉब या ऑफ-द-जॉब प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त अन्य सभी संरचनात्मक अनुभव सम्मिलित हैं, जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यार्थियों को नौकरी प्राप्त करने या स्वयं को उद्यम स्थापित करने के अवसर प्रदान करते हैं या विद्यार्थियों को स्व-नियोजित करने में सक्षम बनाते हैं (वेंकटैया, 2000, दीक्षित और रविचंद्रन, 2023)।

वर्तमान भारत में एक अनूठी स्थिति निर्मित हो गई है, जहाँ कुशल श्रमिकों की आवश्यकता वाले नियोक्ता और रोजगार चाहने वाली आबादी, दोनों कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं (मैकिन्से एंड कंपनी 2004)। श्रमिकों को पर्याप्त कौशलों की कमी के कारण श्रम बाजार में रोजगार प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है (यूनेस्को-यू.एन.ई.वी.ओ.सी., 2013)। देश के 46.2 प्रतिशत लोग नौकरी पाने के योग्य हैं (इंडिया स्किल्स रिपोर्ट, 2023)। बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के अनुमान के अनुसार 19–24 आयु वर्ग में आने वाले भारतीय कार्यबल के अत्यंत ही कम प्रतिशत (5 प्रतिशत से कम) लोगों ने औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की, ये संख्या भारत में व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार में तीव्रता लाने की आवश्यकता को पूरी स्पष्टता से रेखांकित करती है (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,* अनुच्छेद 16.1, पृष्ठ 70)। कौशल एवं ज्ञान, किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के इंजन हैं। भारत एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है और इसकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त लोगों की ज्ञान सृजन करने, आदान-प्रदान करने और अधिक

प्रभावी ढंग से उपयोग करने की योग्यताओं द्वारा निर्धारित की जाएगी। इस परिवर्तन के लिए भारत के लोगों को ज्ञान कार्यकर्ताओं के रूप में विकसित करने की आवश्यकता होगी जो अधिक लचीले, विश्लेषणात्मक, अनुकूलनीय और बहु कुशल होंगे (गोयल, 2011)।

युवा बेरोजगारी और औद्योगिक विकास पर काबू पाने तथा कौशल विकास में व्यावसायिक शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (वी.ई.टी.) देश में कुशल जनशक्ति विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थव्यवस्था में कुशल श्रमिकों की बढ़ती माँग को पूरा करने और श्रम बाजारों तक अधिक पहुँच प्रदान करने के लिए सामान्य शिक्षा के साथ-साथ वी.ई.टी. आसान पहुँच प्रदान करने पर बल दे रहा है (बनर्जी, 2016)।

शैक्षिक अवसर और प्रभावी कौशल किसी भी देश के आर्थिक विकास और सामाजिक विकास की प्रेरक शक्ति हैं। बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ युवा आबादी के संदर्भ में भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। विकासशील देशों में सामान्य शिक्षा में खराब प्रतिफलों और ड्रॉप आउट की बढ़ती संख्या के कारण तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा कुशल जनशक्ति बनाने, औद्योगिक उत्पादकता बढ़ाने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके देश के मानव संसाधन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है (गोयल, 2017, दीक्षित और रविचंद्रन, 2023)।

यूनेस्को और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण का तात्पर्य है, "शैक्षिक प्रक्रिया के उन पहलुओं को संदर्भित करने वाला एक व्यापक शब्द, जिसमें सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त, प्रौद्योगिकियों एवं संबंधित विज्ञानों का अध्ययन तथा आर्थिक एवं सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसायों से संबंधित व्यावहारिक कौशल, दृष्टिकोण, समझ और ज्ञान का अधिग्रहण।"

तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण एक ऐसी अवधारणा का प्रतीक है, जो बहुमुखी और अनुकूली दोनों है, जो कार्यबल और समाज की बदलती गतिशीलता को स्वीकार करता है। यह व्यावहारिक सीखने के अनुभवों को प्राथमिकता देता है, श्रम बाजार की आवश्यकताओं के साथ संरेखण पर बल देता है और अल्पकालिक पाठ्यक्रमों से औपचारिक डिग्री तक कार्यक्रमों के एक विशाल स्पेक्ट्रम को सम्मिलित करता है। टी.वी.ई.टी. समावेशी है, विविध पृष्ठभूमि से संबंधित शिक्षार्थियों का स्वागत करता है और आजीवन सीखने को बढ़ावा देता है तथा किसी के करियर में निरंतर कौशल विकास के महत्व को पहचानता है। इसके अतिरिक्त, यह एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य में व्यक्तियों को अंतरराष्ट्रीय मानकों और दक्षताओं को पूरा करने के लिए तैयार करता है, ताकि वे वैश्विक कार्यबल में भाग लेने में सक्षम हो सकें। टी.वी.ई.टी. शिक्षा और कार्यबल के बीच एक पुल के रूप में कार्य कर, रोजगार क्षमता को बढ़ाता है एवं उद्यमिता का पोषण करता है तथा दुनिया भर के समाजों में आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। टी.वी.ई.टी. आधुनिक नौकरी बाजार की गतिशील माँगों को

पूरा करने और व्यक्तियों को तैयार करने के लिए एक आवश्यक साधन बना हुआ है, जो उन्हें अपने चुने हुए क्षेत्रों में सफलता के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करता है (चन्द्रशेखर और मुर्गुसेन, 2019)। विशेषकर डिजिटलीकरण से व्यवसाय और जीवन के लिए आवश्यक कौशलों में व्यापक परिर्वन आया है। इसलिए तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को प्रासंगिक बने रहने के लिए, उन्हें काम की बदलती दुनिया के लिए डिजिटल कौशल और दक्षताओं की पहचान कर लोगों को सार्थक शिक्षा एवं प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है।

आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, जिसकी 62 प्रतिशत से अधिक आबादी कामकाजी आयु वर्ग (15–59 वर्ष) की है और इसकी कुल आबादी का 54 प्रतिशत से अधिक 25 वर्ष से कम उम्र की है। अगले दशक में इसका जनसंख्या पिरामिड 15–59 आयु वर्ग में बढ़ने की उम्मीद है। यह एक बहुत बड़ा अवसर और साथ ही एक बड़ी चुनौती भी है। प्रत्येक श्रेणी में छात्राओं के नामांकनों में गिरावट आई है, उच्चतर शिक्षा में गिरावट अधिक है (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, अनुच्छेद 6.2.1) इसे ध्यान में रखते हुए *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, समाज में महिलाओं की विशिष्ट और महत्वपूर्ण भूमिका एवं वर्तमान में भावी पीढ़ियों के आचार-विचार को आकर देने में उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था पर ध्यान देती है (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, अनुच्छेद 6.7)। जनसांख्यिकीय लाभांश को प्राप्त करने के लिए भारत को अपने कार्यबल को ज्ञान और रोजगार योग्य कौशल से युक्त करने की आवश्यकता है ताकि वे देश की आर्थिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। ऐसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की तत्काल आवश्यकता है जो उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करती हो और रोजगार बढ़ाती हो (नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, अप्रैल, 2023, पृष्ठ,16)।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण और मुख्यधारा के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता (अनुच्छेद 16.4) एवं ऐसी शिक्षा जो शिक्षार्थियों के जीवन के सभी पक्षों और क्षमताओं का संतुलित विकास कर सके, इसके लिए पाठ्यक्रम में विज्ञान और गणित के अतिरिक्त बुनियादी कला, शिल्प, मानविकी, खेल और फिटनेस, भाषाओं, साहित्य, संस्कृति और मूल्य का समावेश (पृष्ठ 4) करने पर बल देती है। न केवल शैक्षिक अवसर बल्कि प्रभावी कौशल भी किसी भी देश के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास की प्रेरक शक्ति है। उच्च स्तर और कौशल मानकों वाले देश घरेलू और अंतरराष्ट्रीय नौकरी बाजारों में चुनौतियों और अवसरों को अधिक प्रभावी ढंग से समायोजित करते हैं (*नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, अप्रैल,* 2022, पृष्ठ 16, अनुच्छेद 1.1)। नौवीं और कक्षा दसवीं के विद्यार्थियों को आठ करिकुलर एरिया के तहत 16 पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करनी होगी। सुझाए गए करिकुलर एरिया में ह्यूमैनिटीज (जिसमें भाषाएँ सम्मिलित हैं), गणित और कंप्यूटिंग व्यावसायिक शिक्षा (वोकेशनल एजुकेशन), फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और अंतर विषय सम्मिलित हैं। कक्षा दसवीं के फाइनल सर्टिफिकेट के लिए दो सालों का

प्रदर्शन देखा जाएगा। अब विद्यार्थियों को कक्षा नौवीं से अपने भविष्य को लेकर तैयारी आरंभ करनी होगी (एन.सी.एफ.एस.ई., 2023, पृष्ठ 53)। कक्षा 10वीं तक विभिन्न विषयों को पढ़ने और विस्तार से जानने के बाद उसे कक्षा 11वीं में तीन विकल्प मिलेंगे। पहले विकल्प में ह्यूमैनिटीज, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित और कंप्यूटिंग विषय होंगे। दूसरे में इंटरडिसिप्लीनरी एरिया होगा, ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो स्नातक के बाद अनुसंधान क्षेत्र में भविष्य बनाना चाहते होंगे। तीसरे वर्ग में आर्ट्स, स्पोर्ट्स और वोकेशनल को चुनने का विकल्प मिलेगा। (एन.सी.एफ.एस.ई. 2023, पृष्ठ 56, अनुच्छेद 2.4.4.3)।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 की महासभा 'ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड— द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट' में 17 सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) को दुनिया भर के लोगों के लिए बुनियादी आवश्यकताओं के अतिरिक्त कौशल एवं कौशल विकास की आवश्यकता को निरंतर समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार तथा सभी के लिए सभ्य काम को बढ़ावा देने के रूप में परिभाषित किया गया है (संयुक्त राष्ट्र महासभा, 2015 (A/70/L.1)।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए, इक्कसवीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों, जिनमें एस.डी.जी. लक्ष्य 4 सम्मिलित हैं, के संयोजन में शिक्षा व्यवस्था, उसके नियमन और गवर्नेंस सहित सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष बल देती है (पृष्ठ, 4)। भारतीय सांस्कृतिक समृद्ध विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज कर संरक्षित रखने की आवश्यकता है। भारत और इसकी विविध सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी आवश्यकताओं सहित अद्वितीय कला, भाषा और ज्ञान परंपराओं तथा इसकी सुदृढ़ नैतिकता के बारे में भारत के युवाओं में ज्ञान पैदा करना राष्ट्रीय गौरव, आत्मविश्वास, आत्म-ज्ञान, ज्ञान परंपराओं के उद्देश्यों से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे सामान्य शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण या कौशल के बीच समानता और गतिशीलता स्थापित कर सिखाया जा सकता है ताकि आजीवन सीखना और निरंतर व्यावसायिक विकास हो सके (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,* पृष्ठ, 5)।

सांस्कृतिक उद्यमिता, उद्यमिता का एक प्रकार है, क्योंकि यह व्यावसायिक नवाचार के सांस्कृतिक रूपों पर ध्यान केंद्रित करती है (रैटन, 2022)। यह विशिष्ट उद्यमशीलता लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक माध्यम के रूप में संस्कृति के घटकों, जैसे— कला, हथकरघा, हस्तशिल्प, भाषा, साहित्य तथा प्रदर्शन कला, जैसे— नृत्य, संगीत और रंगमंच का उपयोग करती है, जो संस्कृति को समग्र रूप से बढ़ावा देने और सामाजिक-आर्थिक विकास में भी सहायता करती है। भारतीय संस्कृति संपदा का संरक्षण, सांस्कृतिक जागरूकता, संवर्धन एवं प्रसार देश की उच्चतर प्राथमिकता और देश की पहचान के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,* अनुच्छेद, 22)। तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सांस्कृतिक उद्यमिता का एकीकरण भारत की

शैक्षिक नीतियों, विशेष रूप से *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* एवं कौशल विकास और उद्यमिता पर राष्ट्रीय नीति 2015 के साथ एक सामंजस्यपूर्ण संरेखण का प्रतिनिधित्व करता है।

यह संरेखण न केवल शिक्षा, कौशल विकास और व्यावसायीकरण के लिए एक व्यापक, बहु-विषयक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है, बल्कि कौशल विकास को बढ़ाने और इसे नौकरी बाजार की उभरती माँगों के साथ संरेखित करने की विकट चुनौतियों को भी संबोधित करता है। इसके अतिरिक्त, यह एकीकरण 'यूथ इन इंडिया 2022' रिपोर्ट में उल्लिखित निष्कर्षों और उद्देश्यों के साथ दृढ़ता से मेल खाता है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष बल देने के साथ-साथ युवा सशक्तिकरण, अवसर सृजन और युवा बेरोजगारी के उन्मूलन में पर्याप्त योगदान प्रदान करता है (*यूथ इन इंडिया,* 2022, पृष्ठ, 12–13)। सांस्कृतिक उद्यमिता सांस्कृतिक व्यवसायों की स्थापना और सांस्कृतिक और रचनात्मक उत्पादों एवं सेवाओं को बाजार में लाने की विशिष्ट गतिविधि के रूप में सांस्कृतिक मूल्य को सम्मिलित करते हैं, परंतु वित्तीय राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता भी रखते हैं।

टी.वी.ई.टी. कार्यक्रम और सांस्कृतिक उद्यमिता के बीच तालमेल

युवाओं में कौशल की कमी की पहचान करने और प्रशिक्षण एवं नौकरी के अवसरों से भरने की प्रक्रिया को कौशल विकास के रूप में जाना जाता है। कौशल विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं की सहायता करना और उन्हें सफल होने के लिए आवश्यक अवसर और प्रोत्साहन प्रदान करके, उनकी क्षमता को पहचानना है। युवाओं में कौशल विकसित करना और उद्यमशीलता की भावना को प्रोत्साहित करना किसी भी देश या राज्य की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। किसी अर्थव्यवस्था में रोजगार को प्रभावित करने वाले कारक तकनीकी कौशल और उद्यमशीलता की बढ़ती आवश्यकता को समझने और मूल्यांकन करने की कुंजी हैं। कौशल विकास वर्तमान कार्यबल के साथ-साथ बेरोजगार (शिक्षित और अशिक्षित दोनों) और कुछ व्यक्तियों की योग्यता बढ़ाने पर केंद्रित है, जो अभी भी औपचारिक विद्यालय में नामांकित हैं। कौशल विकास से श्रम बल भागीदारी दर, श्रम की गुणवत्ता और श्रम उत्पादकता बढ़ती है, जो समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के विस्तार में योगदान करते हैं।

तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा सांस्कृतिक उद्यमिता दोनों रचनात्मकता और नवीनता को बढ़ावा देने पर एकसमान बल देते हैं। टी.वी.ई.टी. कार्यक्रम समस्या-समाधान, आलोचनात्मक चिंतन और अनुकूलनशीलता को प्रोत्साहित करते हैं, कौशल जो अद्वितीय सांस्कृतिक उद्यमशीलता अवसरों की पहचान करने में महत्वपूर्ण हैं। सांस्कृतिक उद्यमिता उन उत्पादों एवं सेवाओं के नवोन्मेषी विकास पर पनपती है, जो सांस्कृतिक परंपराओं से मेल खाते हैं और विविध दर्शकों को आकर्षित करते हैं। टी.वी.ई.टी. और सांस्कृतिक उद्यमिता के बीच यह तालमेल न केवल कौशल विकास को बढ़ाता है, अपितु एक ऐसा वातावरण

भी तैयार करता है, जहाँ नवाचार और रचनात्मकता सम्मिलित होते हैं।

कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति 2015 का मुख्य उद्देश्य महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना है। उसमें भी मुख्यत: हास्य समूह जनजाति एवं पिछड़े वर्ग और महिलाओं के उद्यमिता को बढ़ावा देने के विशिष्ट उद्देश्य हैं। अनेक योजनाएँ महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करती हैं, जैसे— महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार सहयोग कार्यक्रम (STEP) जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाती है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की रुचि के अनुसार ऐसे कौशल प्रदान करना जो महिलाओं को रोजगार और दक्षता प्रदान करें एवं महिलाओं को स्व-रोजगार या उद्यमी बनने में सक्षम बनाएँ। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं सहित देश भर में 16 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की महिलाओं को लाभ पहुँचाना है (स्टेप, 2009, पृष्ठ 2, अनुच्छेद, 4–5)। पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन का लक्ष्य रोजगार योग्यता और इक्कीसवीं सदी के कौशल प्रदान करके आजीवन सीखने को बढ़ावा देना है (पं.सु.श. केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल)। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* अनुभावनात्मक अधिगम और स्थानीय ज्ञान एवं कौशल विकास को बढ़ावा देने का सुझाव देती है (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, पृष्ठ 22–24)। इन उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए सांस्कृतिक उद्यमिता एक सर्वश्रेष्ठ उपाय है, जो व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के महत्वपूर्ण कारक को पूर्ण करती है। इसके माध्यम से पारंपरिक ज्ञान एवं स्थानीय ज्ञान को उजागर करने का अवसर मिलता है। सांस्कृतिक उद्यमिता की सहायता से स्थानीय रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित किया जा सकता है, जैसे— पारंपरिक ज्ञान, लोक विद्या, स्थानीय कला आदि। कौशल विकास टी.वी.ई.टी. का अभिन्न अंग है, जिसमें प्रशिक्षु इंटर्नशिप से जुड़कर उद्यमिता कौशलों को सीखते हैं और इससे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होती है।

महिलाओं हेतु टी.वी.ई.टी. कार्यक्रमों की भूमिका

तकनीकी व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों को जब सांस्कृतिक उद्यमिता के साथ एकीकृत किया जाता है तो ये कार्यक्रम महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अपनी सांस्कृतिक विरासत, ज्ञान, वस्तुओं का उपयोग करने के लिए नवाचारी विधियाँ प्रदान करते हैं। पारंपरिक शैक्षणिक शिक्षा के विपरीत, टी.वी.ई.टी. वास्तविक दुनिया के संदर्भों में कौशल के प्रत्यक्ष अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए, प्रायोगिक प्रशिक्षण (हैंड्स ऑन लर्निंग) पर बल देता है। टी.वी.ई.टी. का लक्ष्य शिक्षार्थियों को तकनीकी, व्यावसायिक और व्यावहारिक क्षेत्रों की एक विस्तृत शृंखला में आवश्यक विशेषज्ञता प्रदान करके लाभकारी रोजगार, उद्यमिता और कार्यबल में भागीदारी के लिए तैयार करना है। टी.वी.ई.टी.युवाओं और वयस्कों को सम्मानजनक रोजगार खोजने के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान, दृष्टिकोण और मूल्यों को विकसित करने में सहायता करता है और एक ऐसी दुनिया के निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव डालता

है, जो शांतिपूर्ण, स्वस्थ, न्यायपूर्ण और टिकाऊ है (कार्य और जीवन के लिए कौशल, 2023)।

तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में युवा लड़कियाँ सांस्कृतिक उद्यमिता को एकीकृत करके मूल्यवान कौशल और ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं, साथ ही, उन्हें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) क्षेत्र के भीतर अपने स्वयं के सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। यह न केवल युवा बेरोजगारी को संबोधित करता है, जैसा कि 'यूथ इन इंडिया 2022' रिपोर्ट में उजागर किया गया है, बल्कि एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को भी बढ़ावा देता है, जो भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त, ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उल्लिखित साझा जिम्मेदारी दृष्टिकोण के साथ मेल खाती है, क्योंकि इसमें उभरते उद्यमियों का पोषण करने के लिए शैक्षिक संस्थानों, सांस्कृतिक संगठनों और अन्य हितधारकों के बीच सहयोग सम्मिलित है।

तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के भीतर सांस्कृतिक उद्यमिता पहल पर्याप्त लाभ प्रदान करती है। यह सीमित संसाधनों, बाजारों तक पहुँच और अनुरूप पाठ्यक्रम विकास की आवश्यकता जैसी चुनौतियों का भी सामना करती है। भारत की लगभग आधी जनसंख्या महिलाएँ हैं। विनिर्माण, सेवा और कृषि क्षेत्रों में औपचारिक आर्थिक और उद्यमशीलता गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी को निर्धारित किया जा सकता है, परंतु बच्चों और वृद्धों की देखभाल, घर में काम करना, कृषि के क्षेत्र में काम, पशुपालन जैसी अनौपचारिक आर्थिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी को मापना अधिक चुनौतीपूर्ण है। महिलाओं के लिए टी.वी.ई.टी. कार्यक्रमों को लागू करने में सबसे बड़ी चुनौतियाँ, जैसे— जेंडर आधारित रूढ़ियाँ और पूर्वाग्रह, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच, प्रासंगिक पाठ्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण और जेंडर संवेदीकरण, औद्योगिक लिंकेज तथा कम प्रतिष्ठित करियर विकल्प आदि हो सकती हैं।

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएँ

शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य कौशल विकास के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना है। शिक्षा के प्रसार और सामाजिक जागरूकता के साथ महिलाओं का रुझान बदल गया है। रसोई से कार्यस्थल तक अब महिलाएँ पुरुष प्रधान क्षेत्रों में प्रवेश कर चुकी हैं। इक्कीसवीं सदी में भारत में महिला उद्यमियों की स्थिति में यथोचित परिवर्तन हुआ है, जिसने भारत में महिला उद्यमियों को सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए प्रेरित किया है। इसका पूरा श्रेय महिलाओं, समाज, सार्वजनिक संस्थानों तथा सरकारी नीतियों आदि को जाता है। कौशल एवं ज्ञान दुनिया के किसी भी देश को आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति प्रदान करते हैं और महिलाएँ इस उन्नति का एक अभिन्न अंग हैं। कार्यस्थल पर जेंडर समानता प्राप्त करने के लिए महिलाओं की शिक्षा और प्रशिक्षण के अवसरों तक पहुँच में सुधार करना महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत सरकार महिलाओं के लिए कई कौशल विकास कार्यक्रम चला रही है।

भारत की महिलाएँ राष्ट्र की प्रगति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। केंद्र सरकार ने उनके

योगदान और क्षमताओं को पहचान कर महिला सशक्तिकरण के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' से लेकर बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा तथा उनके दैनिक जीवन एवं दीर्घकालिक संभावनाओं को सुधारने के लिए कई पहले की गई हैं। इनमें प्रमुख 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना है जिसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई है। 100 करोड़ रुपए से प्रारंभ इस योजना को देश भर के 100 जिलों में लागू किया गया है, विशेषकर उन जिलों में जहाँ लिंगानुपात बहुत कम था। बाद में इस योजना का विस्तार 61 अन्य जिलों में भी किया गया। इस योजना के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे देश के नागरिकों की सोच में बेटियों के प्रति भेदभाव को समाप्त कर, उन्हें समान अधिकार एवं सम्मान प्रदान किया जा सके।

सुकन्या समृद्धि योजना सरकार द्वारा लड़कियों की सुरक्षा और भविष्य के साथ-साथ समाज में सकारात्मक मानसिकता बनाने के प्रयास के रूप में प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक लड़की के लिए पैसे बचाने की और लघु बचत योजना सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना शुरू की गई। इसके अतिरिक्त 'नई रोशनी योजना' अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए डिजाइन की गई है ताकि वे उद्यमशीलता के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। इसका आरंभ वर्ष 2012–13 में किया गया था। इस योजना को पूरे देश में गैर-सरकारी संगठनों, नागरिक समाजों और सरकारी संस्थानों की सहायता से चलाया जा रहा है। इसमें महिलाओं के नेतृत्व, शैक्षिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, स्वच्छ भारत, वित्तीय साक्षरता, जीवन कौशल, महिलाओं के कानूनी अधिकार, डिजिटल साक्षरता तथा सामाजिक व व्यवहार परिवर्तन जैसे विभिन्न प्रशिक्षण मॉड्यूल सम्मिलित हैं।

भारत सरकार की ओर से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय विद्यालयों की स्थापना 'कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना' के अंतर्गत वर्ष 2004 में प्रारंभ की गई थी। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में प्रावधान है कि 'कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना' को अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा। सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की बालिकाओं का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वाले विद्यालयों में कक्षा 12 तक विस्तार किया जाएगा ताकि छात्राओं का नामांकन बढ़ सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सभी स्तरों एवं प्री-स्कूल से लेकर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा तक सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एस.ई.डी.जी.) की एकसमान सहभागिता सुनिश्चित करने पर बल देती है। *(राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020,* अनुच्छेद 6.2)।

राज्य कौशल विकास मिशन

राज्य कौशल विकास मिशन राज्य स्तर पर सरकारी पहल है, जो कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करती है। यह राज्य के कार्यबल की विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ गठबंधन कौशल विकास कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए प्रशिक्षण प्रदाताओं और उद्योगों के साथ सहयोग करती है। यह कार्यक्रम क्षेत्रों और व्यवसायों की एक विस्तृत शृंखला को कवर करती है (दीक्षित और रविचंद्रन, 2023)।

भारत सरकार ने महिलाओं के लिए अपना उद्यम स्थापित करना आसान बनाने के लिए पहल की है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम को संगठित एवं विकसित करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा कई संस्थानों की स्थापना की गई है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान देश की महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है, जिसका उद्देश्य विभिन्न सामाजिक-आर्थिक स्तरों और विभिन्न आयु की महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्व-रोजगार के लिए प्रोत्साहित करता है।

नीति आयोग ने 2017 में महिला उद्यमिता मंच (डब्ल्यू.ई.पी., महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म) की शुरुआत की थी। यह एकीकृत पोर्टल है जो विविध पृष्ठभूमि की महिलाओं को एक साथ लाता है और उन्हें संसाधनों, सहयोग और सीखने के विविध आयामों तक पहुँच प्रदान करता है। डब्ल्यू.ई.पी. नेक्स्ट इन प्रयासों को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। भारतीय महिला उद्यमियों पर केंद्रित अध्ययन और छह प्रमुख कार्यक्षेत्रों में उनकी सबसे अनिवार्य आवश्यकताओं के आधार पर समुदाय एवं नेटवर्किंग, कौशल एवं सलाह, ऊष्मायन एवं गतिशीलता के कार्यक्रम के साथ ही वित्तीय सहायता, अनुपालन एवं विपणन में सहायता के लिए डब्ल्यू.ई.पी. नेक्स्ट (WEP Next) साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने में सहयोग करता है।

क्र. सं.	प्रयास या पहल	उद्देश्य	लाभ/ऋण
1.	**भारतीय महिला बैंक व्यवसाय ऋण**	संसाधनों की कमी के बावजूद बड़े व्यवसाय करने वाली महिलाओं के लिए भारतीय महिला बैंक द्वारा शुरू की गई और 2017 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय हो गई। महिलाएँ न केवल स्वयं का बिजनेस या व्यवसाय कर सकेंगी, अपितु आत्मनिर्भर भी बन पाएँगी	महिला उद्यमियों को ₹ 20 करोड़ तक का ऋण प्रदान करता है। व्यवसाय करने की यदि माँगी गई इच्छुक ऋण राशि ₹ 1 करोड़ से कम है, तो संपाश्विक या गारंटर की आवश्यकता नहीं है।
2.	**मुद्रा योजना**	भारत सरकार की यह योजना उन महिलाओं को लाभान्वित करती है, जो अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर उसका विस्तार करना चाहती हैं। यह ब्यूटी सैलून स्थापित करने, छोटी दुकान शुरू करने या घर-आधारित व्यवसाय चलाने के लिए आदर्श है। यह विशेष रूप से महिलाओं के लिए बनाई गई योजना नहीं है, किंतु यह बहुत लाभकारी है। इसमें सूक्ष्म व्यवसाय प्रारंभ करने और सूक्ष्म ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है।	महिला उद्यमी ₹ 50,000 से ₹10 लाख तक के ऋण के लिए आवेदन कर सकती हैं। इस ऋण के लिए आवेदन करने के लिए आपको किसी संपाश्विक या गारंटर की आवश्यकता नहीं है। योजना को तीन श्रेणियों में बाँटा गया है— शिशु— ₹ 50,000/- तक का ऋण किशोर— ₹ 50,000/- से अधिक और ₹ 5 लाख तक का ऋण तरुण— ₹ 5 लाख से अधिक और ₹ 10 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है।

3.	**देना शक्ति योजना**	विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में सम्मिलित महिला उद्यमियों को किफायती वित्तपोषण प्रदान करना। इन गतिविधियों में कृषि आधारित और एम.एस.एम.ई. उद्यम दोनों सम्मिलित हैं, जैसे—साझेदारी फर्म व्यवसाय, खुदरा स्टोर, निर्माण क्षेत्र, माइक्रोक्रेडिट संगठन, आवास, शिक्षा आदि कार्यशील पूँजी की आवश्यकताओं को पूरा करने या किसी कंपनी का विस्तार करने के लिए इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। यह महिलाओं के लिए आर्थिक अवसर बढ़ाने और उनके आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है।	अधिकतम ऋण सीमा ₹ 20 लाख है और जिस ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं वह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किस क्षेत्र के तहत आवेदन कर रहे हैं। ब्याज दर महिला उद्यमियों के लिए आधार दरों से 0.25% कम, जो कंपनी में बहुसंख्यक हितधारक हैं। खुदरा व्यापार और सूक्ष्म ऋण के लिए राशि 50,000 है। ऋण अवधि सात वर्ष तक है।
4.	**उद्योगिनी योजना**	उद्योगिनी योजना विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए है जो प्रतिवर्ष 1.5 लाख रुपये से कम आय वाले परिवार से आती हैं। विधवा, निराश्रित या दिव्यांग महिलाएँ इस योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन कर सकती हैं। यह योजना आर्थिक रूप से संघर्षरत पृष्ठभूमि की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में सहायता करती है।	बहुत कम ब्याज दर पर ₹ 3 लाख तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना को कर्नाटक राज्य महिला विकास निगम ने प्रारंभ किया। कई बैंकों ने इस योजना को विविधताओं के साथ अपनाया है। इसे अपनाने वाले बैंक, बैंक बजाज फिनसर्व, पंजाब एंड सिंध बैंक और सारस्वत बैंक हैं।
5.	**सेंट कल्याणी योजना**	सेंट कल्याणी योजना महिलाओं के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक योजना है। स्वयं सहायता समूहों, खुदरा व्यापार और शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थानों को छोड़कर, इस योजना के तहत प्रत्येक दूसरे प्रकार का व्यवसाय है।	योजना के तहत, बिना किसी संपाश्वक या प्रसंस्करण शुल्क के ₹ 100 लाख तक के ऋण स्वीकृत किए जाते हैं।
6.	**महिला उद्यम निधि योजना**	महिला उद्यम निधि योजना पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रारंभ की गई थी और यह योजना लघु उद्योग (एस.एस.आई.) का समर्थन करती है। इस योजना का उद्देश्य इन लघु उद्योगों में समस्या मुक्त ऋण प्रदान करके आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देना है।	इस योजना के तहत स्वीकृत अधिकतम ऋण राशि ₹ 10 लाख है और ऋण लेने वाले को ऋण चुकाने के लिए 10 वर्ष का समय मिलता है। इसमें पाँच साल तक की मोराटोरियम अवधि सम्मिलित है।

7.	**महिला उद्यमिता मंच (WEP)**	भारत सरकार ने नीति आयोग के माध्यम से महिला उद्यमिता मंच नामक एक पहल प्रारंभ की है, जो महिला उद्यमियों और उन्हें सहायता करने के इच्छुक प्रायोजकों को एक ही स्थान पर एक साथ लाती है।	डब्ल्यू.ई.पी. में निम्नलिखित लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं— ● ऊष्मायन और त्वरण कार्यक्रम ● उद्यमिता और नेतृत्व के लिए कौशल प्रशिक्षण और परामर्श कार्यक्रम ● विपणन में सहायता ● कानूनों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समर्थन ● धन और वित्तीय सहायता ● समान विचारधारा वाली महिलाओं का समुदाय और नेटवर्क ● महत्वाकांक्षी महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता

निष्कर्ष

तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत सांस्कृतिक उद्यमिता पहल में महिलाओं को सशक्त बनाने, उनके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की क्षमता है। टी.वी.ई.टी. कार्यक्रमों में सांस्कृतिक उद्यमिता का एकीकरण भारत की शैक्षिक नीतियों, विशेष रूप से *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* तथा कौशल विकास और उद्यमिता पर राष्ट्रीय नीति 2015 के साथ एक सामंजस्यपूर्ण संरेखण का प्रतिनिधित्व करता है। यह संरेखण न केवल शिक्षा, कौशल विकास और व्यावसायीकरण के लिए एक व्यापक, बहु-विषयक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है, अपितु कौशल विकास को बढ़ाने और इसे नौकरी बाजार की उभरती माँगों के साथ संरेखित करने की विकट चुनौतियों को भी संबोधित करता है। इसके अतिरिक्त, यह एकीकरण 'यूथ इन इंडिया 2022' रिपोर्ट में उल्लिखित निष्कर्षों और उद्देश्यों के साथ दृढ़ता से मेल खाता है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष बल देने के साथ युवा सशक्तिकरण, अवसर सृजन और युवा बेरोजगारी के उन्मूलन में पर्याप्त योगदान प्रदान करता है। टी.वी.ई.टी. कार्यक्रमों में सांस्कृतिक उद्यमिता हेतु संलग्न होने के लिए युवा महिलाओं को उपकरण और प्रोत्साहन प्रदान करके, उन्हें अमूल्य कौशल और सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए प्रेरणा देती है, जो बदले में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) क्षेत्र को सशक्त करने तथा व्यापक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की क्षमता रखती है। संक्षेप में, टी.वी.ई.टी. कार्यक्रमों में सांस्कृतिक

उद्यमिता को एकीकृत करना न केवल महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक आशाजनक अवसर प्रस्तुत करता है, बल्कि आर्थिक विकास और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। चुनौतियों के बावजूद, सांस्कृतिक उद्यमियों के रूप में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए महिलाओं की पर्याप्त क्षमता उनकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए निवेश और सहयोगी प्रयासों के सर्वोपरि महत्व को रेखांकित करती है और पूरे देश की समृद्धि को सुनिश्चित करती है।

संदर्भ

इंडिया स्किल्स रिपोर्ट. 2023. *अपॉइंटमेंट ट्रेंड्स एंड स्किल्ड डिमांड इन इंडिया.* व्हीबॉक्स, सी.आई.आई. और ए.आई.सी.टी.ई.

कार्य और जीवन के लिए कौशल. 2023. *तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण* (टी.वी.ई.टी.). संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को).

कुमार. 2023. *भारत की युवा शक्ति और व्यावसायिक शिक्षा की भूमिका.* यू.जी.सी. पब्लिकेशन.

कुमार, सुरेंद्र. 2017. ए रिव्यू ऑफ लिटरेचर कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योर नॉरेटिव्स. *एशियन जर्नल ऑफ रिसर्च इन बैंकिंग एंड फाइनेंस.* वॉल्यूम 7(6), पृष्ठ संख्या 109. Doi:10.5958/2249-7323.2017.00052.9.

कोठारी और कौर. 2020. स्टेटस ऑफ वूमेन इन इंडिया. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग डेवलपमेंट रिसर्च.* वॉल्यूम 5 (अंक 12), पृष्ठ संख्या 290–294.

कौशिक, आर. 2014. *व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास का महत्व.* राष्ट्रीय शिक्षा प्रकाशन, नई दिल्ली.

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय. *कौशल विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति 2015.* भारत सरकार, नई दिल्ली. https://www.msde.gov.in/sites/default/files/201909/National%20Policy%20on%20Skill%20Development%20and%20Entreprenurship%20Final.pdf से प्राप्त किया गया.

गोयल, वी. 2011. टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (टी.वी.ई.टी.) सिस्टम इन इंडिया फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. यूनेस्को-यू.ए.न.ई.वी.ओ.सी. इंटरनेशनल सेंटर फॉर टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. 02 जनवरी, 2024 को http://www.unevoc.unesco.org/up/India_Country_Paper.pdf. से प्राप्त किया गया.

गोयल, एस. 2011. *ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक शिक्षा की भूमिका.* उच्च शिक्षा अनुसंधान केंद्र, नई दिल्ली.

———. 2017. *व्यावसायिक शिक्षा और औद्योगिक उत्पादकता का संबंध.* तकनीकी शिक्षा विकास संस्थान, नई दिल्ली.

गौतम, एन. 2013. भारत में महिलाओं की शिक्षा योजनाएँ तथा कार्यक्रम. *जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड प्रैक्टिस.* वॉल्यूम 4 (04).

चंद्रशेखर, बी. और आर. मुर्गूसेन. 2019. *रिव्यू ऑफ टी.वी.ई.टी. सिस्टम एंड स्किल डेवलपमेंट सिस्टम— एन एनालिसिस ऑफ इंस्टीट्यूशन मैटर्स इन इंडिया.* अंक 13. https://tvet-online.asia/

जैन, पी. 2019. *भारत में बेरोजगारी और उसके प्रमुख कारण.* राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान संस्थान.

जाला, पी. और अन्य. 2012. *बेरोजगारी के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव*. गुजरात विश्वविद्यालय प्रकाशन.

डिमैगियो, पॉल. 1982. सांस्कृतिक उद्यमिता और संगठनात्मक गतिशीलता. *अमेरिकन सोसियोलॉजिकल रिव्यू*.

दीक्षित और रविचंद्रन. 2023. द इम्पैक्ट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन ऑन इकोनोमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्रॉस द G20 कंट्रीज. *इंडियन जर्नल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन*. वॉल्यूम 35. अप्रैल 2023–सितंबर 2023.

———. 2023. *भारत में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास—विकास एक विश्लेषण*. उच्च शिक्षा अध्ययन केंद्र, चेन्नई.

नुरुलवाहिदा. 2021. थिंकिंग स्टाइल्स अमोंग टेक्निकल स्टूडेंट्स इन टी.वी.ई.टी.— डिफरेंस इन थिंकिंग स्टाइल्स बाय स्टूडेंट्स डेमोग्राफिक. *जर्नल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग*. वॉल्यूम (13). DOI::10.30880/jtet.2021.13.01.006.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नेशनल क्रेडिट फ्रेम. अप्रैल, 2023. उच्च स्तरीय समिति रिपोर्ट. नई दिल्ली. https://www.ugc.gov.in/pdfnews/9028476_Report-of-National-Credit-Framework.pdf से प्राप्त किया गया.

पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल, 28 दिसंबर 2023 को https://www.psscive.ac.in/ से प्राप्त किया गया.

बनर्जी, पी. 2016. *भारत में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण*— वर्तमान स्थिति और चुनौतियाँ. श्रम अध्ययन संस्थान, मुंबई.

भुर्तेल, बी. 2015. स्किल गैप्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन डिवेलप एकोनॉमिस. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग स्टडीज*. 7(2), पृष्ठ संख्या 45–58.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. भारत सरकार, नई दिल्ली.

मैकिंसे एंड कंपनी. 2004. *इंडियाज एम्पलॉयमेंट चैलेंज— मैचिंग स्किल्स विद जॉब्स*. मैकिंसे ग्लोबल इंस्टीट्यूट रिपोर्ट.

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय. 2009. महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम (स्टेप). भारत सरकार. https://www.wcd.nic.in/step से प्राप्त किया गया.

यूनेस्को-यूएनईवीओसी. 2013. *टेक्निकल एंड वोकेशन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग— ए की टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट*. यूनेस्को.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 2023. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023* रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली

रैटन, जे. 2022. सांस्कृतिक उद्यमिता— व्यापार और संस्कृति का संगम. *सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था जर्नल*.

वेंकटनारायण, एम. और महेंद्र देव, एस. 2012. *भारत में युवा बेरोजगारी— प्रवृत्तियों और मुद्दों की समीक्षा*. आर्थिक वृद्धि संस्थान.

वेंकटैया, एम. 2000. *व्यावसायिक शिक्षा— स्वरूप और प्रभाव*. तकनीक शिक्षा शोध संस्थान, बेंगलुरू.

वैनेसा, रैटन. 2022. कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप इन सोसाइटी. *कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप*. पृष्ठ संख्या 1–4. स्प्रिंगर. DOI: 10.1007/978-981-19-2771-3_1.

संयुक्त राष्ट्र महासभा. 2015. *ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड— द, 2030, एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट* (A/70/L.1). संयुक्त राष्ट्र संघ.

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय. *यूथ इन इंडिया, 2022*. भारत सरकार.

सिंह, डी. और एन. वर्मा. 2016. *भारतीय समाज में बेरोजगारी की स्थिति— एक अध्ययन*. लखनऊ विश्वविद्यालय जर्नल.

हमदान, ए., यूसॉफ, एन.एम. के., और ए. अबू बकर. 2021. टी.वी.ई.टी. नवाचारी सोच—समस्या समाधान और डिजाइन कौशल को बढ़ाना. *जर्नल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग*. 13(2), पृष्ठ संख्या 45–58.

हैप्पी हार्मोन
परीक्षा के तनाव को दूर करने का सार्थक उपाय

सुशील कुमार तिवारी*
शरद सिन्हा**

परीक्षा मानवीय जीवन का एक अभिन्न अंग है, जो सीखने-सिखाने की प्रक्रिया के साथ होती रहती है, जिसमें विद्यार्थी को अपनी होने वाली परीक्षा का आभास भी नहीं होता है। इसलिए परीक्षा को सकारात्मक, परिणामकारी और उपयोगी माना जाता है। किंतु वर्तमान समय में परीक्षा कुछ विद्यार्थियों के लिए तनाव का कारण बन रही है, जिसके कारण विद्यार्थी उचित निर्णय न लेकर अपने जीवन को निरर्थक एवं स्वयं को दोषी मानते हैं। अतः विद्यार्थियों का तनाव व चिंता से ग्रसित होना हम सभी के लिए चिंतनीय है। क्योंकि इस तनाव व चिंता के कारण विद्यार्थियों के शरीर में हार्मोनल परिवर्तन होने लगते हैं। इस हार्मोनल परिवर्तन का विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक एवं व्यावहारिक पक्ष पर अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। परंतु इन्हीं हार्मोनों में हैप्पी हार्मोन भी होते हैं, जो विद्यार्थी को तनाव से दूर करने में सहायक होते हैं। इसलिए विद्यार्थियों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए परीक्षा के विभिन्न आयामों पर अध्ययन करना आवश्यक है। प्रस्तुत लेख, विद्यार्थियों में, परीक्षा के तनाव एवं चिंता से होने वाले परिर्वनों को उजागर करता है। साथ ही, लेख में परीक्षा के तनाव के जैविक एवं सामाजिक कारणों के साथ-साथ, उनके प्रभावों एवं निदान के उपायों की विवेचना की गई है। इस लेख में, परीक्षा के तनाव को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री की पहल 'परीक्षा पे चर्चा' की सार्थक जानकारी भी सम्मिलित की गई है।

परीक्षा एक ऐसी सशक्त व्यवस्था या माध्यम है, जो किसी विद्यार्थी या व्यक्ति की दक्षताओं, कौशलों, मूल्यों, ज्ञान एवं अभिवृत्ति को परख कर सक्षम बनाने में सहायता करती है। जिससे विद्यार्थी भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सहजता एवं सार्थक ढंग से समाधान कर सकता है। यह परीक्षा का सकारात्मक पक्ष है, किंतु परीक्षा का नकारात्मक पक्ष भी सामने आता है, उसे दूर करने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

परीक्षा का तनाव एवं चिंता क्या है?

परीक्षा का तनाव एवं परीक्षा की चिंता को परिभाषा के माध्यम से समझने के पहले यह स्पष्ट करना उचित है कि परीक्षा (एग्जाम) और परीक्षण (टेस्ट) एक-दूसरे के पर्याय हैं। उसी प्रकार, तनाव एवं चिंता दोनों ही शब्दों को डर जैसे सामान्य, शारीरिक एवं मानसिक प्रतिक्रियाओं के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया गया है। अतः लेख में 'परीक्षा का तनाव'

एसोसिएट प्रोफेसर, अध्यापक शिक्षा विभाग, एन.आई.ई., राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली 110016
**प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष*, अध्यापक शिक्षा विभाग, एन.आई.ई., राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली 110016

और 'परीक्षा की चिंता' दोनों को एक अवधारणा के अंतर्गत रखा गया है, जो मुख्य रूप से परीक्षा को लेकर कुछ विद्यार्थियों द्वारा अनुभव की जाने वाली बेचैनी, घबराहट, शारीरिक एवं मानसिक परेशानियों को सम्मिलित करता है।

परीक्षा संबंधी तनाव एवं चिंता, सामान्यत: एक विद्यार्थी के असफल होने के डर से जुड़े होते हैं। स्मृति और स्मरण संबंधी समस्याओं, जैसे— संज्ञानात्मक परिणामों को परीक्षा से जुड़ी चिंता के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है (बाजपेयी, 2023)। पुतवेन (2008) द्वारा प्रस्तुत लेख में स्पीलबर्गर और वैग की परिभाषा को आधार बनाकर कहा गया है कि परीक्षा संबंधी तनाव एवं चिंता एक परिस्थितिजन्य विशेषता है, जो व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखता है कि किस हद तक लोग परीक्षाओं को भय का कारण मानते हैं। स्पीलबर्गर की अवधारणा में दूसरों द्वारा संभावित परीक्षा परिणाम को अपमानजनक निर्णय के रूप में देखने के अतिरिक्त, आत्म-सम्मान के खोने के भय और निष्पादन की सफलता या विफलता के कारणों को भी सम्मिलित किया गया है।

तनाव के दौरान शरीर में हार्मोनल परिवर्तन होना

हम जानते हैं कि हमारे शरीर में विभिन्न हार्मोनल स्राव कई शारीरिक एवं चयापचय (मेटाबॉलिज्म) प्रणाली प्रक्रियाओं के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक, मानसिक और व्यावहारिक गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। वहीं दूसरी ओर, हमारी विभिन्न शारीरिक और मानसिक स्थितियाँ कुछ हार्मोनों के स्राव को प्रेरित करती हैं, जिससे तनाव के कारण कई हार्मोनों का स्तर कम या ज्यादा हो जाता है (रणबीर और रेणु, 2011)। यद्यपि, यह परिवर्तन सभी प्रकार के तनावों के लिए सामान्य है, परंतु परीक्षा का तनाव विद्यार्थियों की एक बड़ी संख्या को प्रभावित करता है।

तनाव या भय, हाइपोथैलेमस को मस्तिष्क से संकेत प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, जो बदले में हार्मोन को स्रावित करने के लिए सक्रिय करता है। इन हार्मोनों में कोर्टिसोल सम्मिलित है, यह एक सूजनरोधी कारक है, जो शरीर में ऊर्जा स्रोतों के वितरण में योगदान देता है, इसी कोर्टिसोल को तनाव के सूचक के रूप में मापा जा सकता है (अहमद, बज़ाज़ और चेलेबी, 2015)। कोर्टिसोल को मिलाकर तनाव से जुड़े दो और हार्मोन हैं— एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन। इन हार्मोनों का स्राव हमारी लड़ाई-या-उड़ान (सामना करो या भागो) प्रतिक्रिया को सक्रिय करता है। कुछ विद्यार्थी तनाव की स्थिति में प्रायः ये कहते हैं कि, 'मेरी पूरी तैयारी है', 'मैंने तो सभी विषय पूरे कर लिए हैं' या 'मैं तो परीक्षा में सब प्रश्नों के उत्तर लिख दूँगा'। जो विद्यार्थी सामना करने के लिए तैयार होते हैं, वे ऐसा कम ही बोलते हैं। किंतु कुछ विद्यार्थी ऐसा तब कहते हैं, जब वे अपने माता-पिता या बड़ों की परीक्षा संबंधी चिंता भरी बातों से बचना चाहते हैं या उस स्थिति से भागना चाहते हैं। विद्यार्थियों का यह तरीका गलत भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि यह तरीका उनके तनाव को कम करता हो।

तनाव वस्तुतः संतुलित अवस्था से असंतुलित अवस्था की ओर ले जाता है। कज़ाकौ, निकोलाइड्स और क्रूसोस (2022) ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा है

कि, ''तनाव बड़ी संख्या में बाहरी या आंतरिक रूप से परेशान करने वाली उत्तेजनाओं द्वारा आंतरिक गतिशील संतुलन या 'होमियोस्टैसिस' के लिए खतरे की स्थिति है या खतरे के रूप में माना जाता है'' तनावों के प्रति मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से उपयुक्त 'अनुकूली प्रतिक्रिया' होमियोस्टैसिस या संतुलन की अवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह प्रतिक्रिया तनाव हार्मोन के स्राव से संबंधित है। तनाव प्रणाली की तीव्र या दीर्घकालिक हाइपोएक्टिवेशन (तनाव हार्मोन का कम स्राव) या हाइपरएक्टिवेशन (हार्मोन का अधिक स्राव) बीमारियों की एक विस्तृत शृंखला को जन्म दे सकती है।

सामान्यतः मानसिक स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य के साथ जोड़कर देखा जाता है, किंतु कई लोगों के लिए यह केवल एक सैद्धांतिक तथ्य है। दिखाई देने वाले स्थूल प्रभावों को हम जितनी शीघ्रता से बीमारियों से जोड़ते हैं; (जैसे कि ठंढ बढ़ गई या बारिश में भीग गए तो बुखार हो गया), उतनी शीघ्रता से तनाव जैसी अमूर्त संकल्पना असंतुलित हार्मोनल स्राव और फिर उसके कारण बीमारी के आपसी संबंध की जटिलता सभी लोग समझ नहीं पाते हैं। माता-पिता भी इस बात से बहुधा अनजान रहते हैं कि परीक्षा की तैयारी के दौरान उनके बच्चे किस सीमा तक तनाव से गुजर रहे हैं और कितनी अधिक मात्रा का तनाव उन्हें असंतुलन की अवस्था में ले जा सकता है। बीमारियों के अनेक कारणों में से 'परीक्षा' को एक कारण के रूप में रखना शैक्षिक जगत को भी परेशान करता है। इन बीमारियों की गंभीरता, निःसंदेह शिक्षकों एवं प्रशासकों से सक्रिय भूमिका की अपेक्षा रखती है। अहमद, बज़ाज़ और चेलेबी (2015) द्वारा बीमारियों की गंभीरता के विषय में स्पष्ट किया गया है कि कोर्टिसोल, चयापचय प्रणाली को प्रभावित करता है, जबकि एपिनेफ्रिन, अटेंशन डेफिसिट हाइपर-एक्टिविटी डिसऑर्डर (ए.डी.एच.डी.) के साथ-साथ अवसाद और उच्च रक्तचाप का कारण हो सकता है। तनाव हार्मोन भंडारण से मांसपेशियों तक ऊर्जा को एकत्रित और संचारित करते हुए हृदय गति, रक्तचाप और साँस लेने की दर को बढ़ाते हैं तथा पाचन, प्रजनन, विकास और प्रतिरक्षा जैसी चयापचय संबंधी प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं।

यह आवश्यक है कि माता-पिता अपने बच्चों में परीक्षा की चिंता एवं तनाव के लक्षणों को पहचानें ताकि तनाव की अवस्था अधिक समय तक न बनी रहे। कोई तनाव अधिक समय तक रहने वाला या तीव्र है तो उसका सामना करने की शरीर की क्षमता समाप्त हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप थकावट महसूस होती है। जब शरीर अधिक समय तक तनावग्रस्त रहता है तो तनाव हार्मोन का उत्पादन बढ़ जाता है। तनाव हार्मोन प्रतिरक्षा प्रणाली की सामान्य प्रक्रिया को बाधित करते हैं, जो मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकते हैं।

तनाव हार्मोन के अंतर्गत ऐसे तीन हार्मोन आते हैं, जिनका व्यापक प्रभाव व्यक्ति पर शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक रूप से देखा गया है। इन हार्मोनों का नाम तनाव हार्मोन इसलिए है, क्योंकि तनाव के विभिन्न लक्षणों, जैसे— भय, अत्यधिक पसीना आना, दिल की धड़कन का बढ़ जाना, मानसिक अवसाद आदि द्वारा हार्मोनों का स्राव अत्यधिक या

कम हो सकता है। पुनः हार्मोनों के स्राव की मात्रा में कमी या वृद्धि अन्य बीमारियों एवं तनाव की स्थिति को और गंभीर बना सकती है।

परीक्षा की चिंता और परीक्षा के तनाव को कैसे सीमित रखें?

प्रायः परीक्षा के अत्यधिक तनाव के कारण बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव एवं कई परिस्थितियों में बच्चों को खो देना, उनके माता-पिता के साथ देश के लिए भी नुकसानदेह है। जागरूकता एवं प्रबंधन द्वारा इस स्थिति से बचा जा सकता है। जैसे कि लेख में तनाव हार्मोन और उससे जुड़े प्रभावों की चर्चा की गई है, वैसे ही, कुछ हार्मोन ऐसे भी हैं, जो 'हैप्पी हार्मोन' की श्रेणी में आते हैं। परीक्षा के तनाव प्रबंधन के अन्य आयामों पर चर्चा करने से पहले इन हॉर्मोन को परीक्षा के तनाव को सीमित रखने के विकल्प के रूप में देखा जा सकता है।

हैप्पी हार्मोन— तनाव प्रबंधन के सकारात्मक स्रोत

मानव शरीर में केवल 'तनाव हार्मोन' ही नहीं, अपितु 'हैप्पी हार्मोन' का भी स्राव होता है। ये हार्मोन परीक्षा के तनाव को सीमित रखने में सहायक हो सकते हैं। कुछ गतिविधियों से हम 'हैप्पी हार्मोन' के स्राव को बढ़ा सकते हैं या आवश्यकतानुसार इनकी मात्रा बढ़ा सकते हैं, जिससे तनाव को नियंत्रित किया जा सके। उन गतिविधियों को जानने से पहले ये ज्ञात कर लेना आवश्यक है कि कौन-कौन से हार्मोन 'हैप्पी हॉर्मोन' की श्रेणी में आते हैं और उनके क्या प्रभाव हैं? गोपीनाथ (2022) ने 'हैप्पी हार्मोन' के बारे में स्पष्ट किया है कि, "हार्मोनों के एक समूह डोपामाइन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन को हैप्पी हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि ये हार्मोन लोगों से जुड़ने, खुशी महसूस करने एवं आनंद का अनुभव करने में सहायता करते हैं।

हार्मोन के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बैक्सौली (2017) ने बताया कि, "इन हार्मोनों को उचित आहार, व्यायाम, धूप के संपर्क और नृत्य जैसी गतिविधियों के माध्यम से स्वाभाविक रूप से बढ़ाया जा सकता है, जिससे आप आनंद लेने में सक्षम होते हैं" (कल्टर, 2020)। वॉटसन (2021) ने भी बताया कि, "सेरोटोनिन को बढ़ाने का एक प्राकृतिक तरीका व्यायाम करना है या तो धूप के संपर्क में आना या फिर 'चमकदार प्रकाश' सेरोटोनिन के स्तर को स्वाभाविक रूप से बढ़ाने का एक और उपाय है"। उन्होंने ऑक्सीटोसिन को बढ़ाने के बारे में कहा है कि, "स्वाभाविक रूप से ऑक्सीटोसिन को बढ़ावा देने का एक अधिक आशाजनक उपाय व्यायाम है। संगीत में ऑक्सीटोसिन के स्तर को बढ़ाने की क्षमता होती है, विशेषकर जब लोग समूह में गाते हैं, जिसमें आपसी जुड़ाव होता है" (वॉटसन, 2023)। अतः परीक्षा का तनाव बढ़ जाने पर योगाभ्यास एवं अन्य व्यायाम करना, ध्यान लगाना, धूप का आनंद लेना, अपनों के साथ पर्याप्त समय बिताना, पढ़ाई के अतिरिक्त अपनी रुचि का भी ध्यान रखना आदि विभिन्न कदम उठाकर 'हैप्पी हार्मोन' के स्राव को बढ़ाया जा सकता है। विद्यार्थी स्वयं अनेक प्रयास कर सकते हैं, जिसमें मन को प्रसन्न रखने के अपने व्यक्तिगत तरीके, जैसे— खेल, नृत्य, संगीत, भ्रमण,

चित्रकला आदि तथा अपनी रुचि के अनुसार दिनचर्या, संतुलित आहार लेना आदि अपना सकते हैं। विद्यार्थी तनाव के दौरान इन स्वाभाविक उपायों से 'हैप्पी हार्मोन' के स्तर में वृद्धि कर तनाव को सीमित कर सकते हैं।

परीक्षा के तनाव को सीमित करने के अन्य आयामों पर विचार किया जाए तो स्पष्ट रूप से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिए गए परीक्षा के अंक आत्मसम्मान को सीमित रूप में ही प्रभावित करें ऐसी दृढ़ इच्छाशक्ति होनी चाहिए कि स्वयं के अस्तित्व या मूल्य की पहचान जब स्व से जुड़ी है तो दूसरों द्वारा चिह्नित विफलता, आत्मसम्मान को चोट न पहुँचाए। इसके लिए विद्यार्थियों के साथ माता-पिता एवं शिक्षक के व्यवहार, पाठ्यक्रम तथा संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन आवश्यक है। साथ ही, परीक्षा में आत्मविश्वास जागृत करने वाले और आत्मसम्मान को बढ़ाने वाले व्यापक अवसर होने चाहिए।

परीक्षा में विविधता और सुगमता भी तनाव को सामान्य कर सकती है। छोटे-से-छोटे माने जाने वाले गुणों और कौशलों को पहचानकर उसी पर आधारित परीक्षा होनी चाहिए। केवल लिखित परीक्षा के अंक ही महत्वपूर्ण न हों, वरन अन्य शिक्षण-अधिगम गतिविधियों को भी परीक्षा में सम्मिलित किया जाना चाहिए, जैसे— बागवानी में वनस्पति विज्ञान के तथ्यों का प्रयोग करके पौधों के चयन तथा प्रबंधन में कुशलता का भी परीक्षण होना चाहिए।

इसी लेख में बाजपेयी (2023) द्वारा पूर्व में दी गई परिभाषा में संज्ञानात्मक आयाम को भी परीक्षा की चिंता एवं तनाव का एक कारण बताया गया है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* ने भी संज्ञानात्मक आधार को घातक माना है और नीति में 'एक लक्ष्य, रटने की संस्कृति से दूर जाना भी रखा गया है, जो वर्तमान में हमारी शिक्षा व्यवस्था में विद्यमान है' (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, करिकुलम एंड पेडागॉजिक रिफॉर्म स्कूल एजुकेशन फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट)। परीक्षा में प्रश्नों के संज्ञानात्मक आधार पर या रटकर लिखे जाने वाले उत्तर उन विद्यार्थियों के लिए चिंता व तनाव के कारण बन जाते हैं, जो याद करने में तुलनात्मक रूप से कम सक्षम होते हैं। क्योंकि व्यक्ति की स्मृति क्षमता के आनुवांशिक और कई वातावरणीय कारक हो सकते हैं।

अंत में, हम कह सकते हैं कि लगभग सभी लोग जीवन में अनौपचारिक परीक्षाओं का सामना करते हैं। जहाँ एक ओर औपचारिक परीक्षा में कुछ विद्यार्थी असफलता के डर के कारण चिंता एवं तनाव से जूझते हैं वहीं आश्चर्य की बात है कि जीवन से जुड़े कई कार्यों में असफलताएँ हमें सिखाती हैं और इस योग्य बनाती हैं कि हम समस्या का समाधान कर सकें। उदाहरण के लिए, एक छोटी बच्ची भाषा सीखने के दौरान कई बार परीक्षा देती है। बड़े लोग उससे कठिन से कठिन शब्द बोलने के लिए कहते हैं, जो कि सही नहीं है, फिर भी जो शब्द सामने आता है, वह असफलता का प्रतीक न बनकर सबको आनंदित कर देता है। बच्ची एक दिन भाषा सीख लेती है तथा सीखने के बीच में बिना चिंता व तनाव वाली परीक्षाओं से गुजरती है। इसलिए हमें परीक्षा को आनंदित बनाने के बारे में सोचना होगा।

चिंता व तनाव में कमी लाने के लिए परीक्षा में व्याप्त अति औपचारिकता को कम करना होगा, एक-दूसरे से तुलना करने की परंपरा को समाप्त करना होगा, बार-बार परीक्षा की तैयारी पर बल देने वाले शैक्षिक संस्थानों को 'जीवनपर्यंत सीखने' जैसी अवधारणा को महत्व देना होगा और इसी पर आधारित रोजगार सृजन के उपक्रमों में परिवर्तन लाना होगा।

किसी कौशल या दक्षता की परीक्षा न कि जीवन कौशलों की परीक्षा

दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति में कोई न कोई विशिष्ट क्षमता एवं कौशल अवश्य होता है और वे अपने दैनिक जीवन या क्षेत्र विशेष की समस्याओं के किसी न किसी पहलू को समझकर उसका सामना भी कर रहे होते हैं। उसी तरह प्रत्येक विद्यार्थी में परीक्षा उत्तीर्ण करने की क्षमता है, जो उसकी अपनी क्षमता एवं कौशल के परीक्षण के लिए बनाई गई हो। स्वाभाविक रूप से, परीक्षा की विविधता इसे और सशक्त बनाती है। परीक्षा लेने वाले संस्थानों एवं अध्यापकों के कारण लगभग प्रत्येक विद्यार्थी जीवन में किसी न किसी परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण होता है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि देश और समाज की उन्नति के लिए कोई न कोई योग्यता रखने वाले विद्यार्थी देश के लिए अमूल्य धरोहर हैं।

ऐसे में, किसी विशेष प्रकार की दक्षता या कौशल, किसी कक्षा या विषय या फिर किसी प्रतियोगिता परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने अथवा कम अंक को लेकर तनाव और चिंता के स्तर को इतना बढ़ा देना कि कोई विद्यार्थी जीवन समाप्त करने की ओर कदम बढ़ाए, यह अविश्वसनीय है। जीवन समाप्त करने तक ले जाने वाली परीक्षा की चिंता एवं तनाव, गलत धारणा या भ्रम का कारण है, क्योंकि कोई भी परीक्षा पूर्ण नहीं होती है। परीक्षार्थी के जिन कौशलों का परीक्षण किसी एक परीक्षा में होता है, वह कुछ विशेष कौशलों पर आधारित होता है। जबकि उस परीक्षार्थी में और भी कौशल निहित होते हैं। हो सकता है, किसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी उस कौशल में निपुण हो, जिसे उस परीक्षा में सम्मिलित न किया गया हो और भविष्य में, वह उस कौशल के आधार पर देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यदि बाज की परीक्षा तैराकी के लिए ली जाए और मछली की परीक्षा इस कौशल के लिए हो कि वह कितनी देर में पेड़ पर चढ़ती है तो स्पष्ट है कि ये दोनों भी अनुत्तीर्ण होंगे। क्योंकि ये क्रमशः उड़ने में और तैराकी में कुशल माने जाते हैं। इसलिए, किसी भी तरह की परीक्षा को अंतिम सत्य मान लेना गलत है, क्योंकि यह केवल एक माध्यम या मार्ग है। उदाहरण के लिए, विद्यालय पहुँचने के लिए कई मार्ग हो सकते हैं, परंतु विद्यार्थी का लक्ष्य विद्यालय तक पहुँचना है। इसलिए विद्यार्थी के लिए अधिक महत्वपूर्ण विद्यालय पहुँचना है न कि अनगिनत मार्ग।

इसी प्रकार किसी भी विद्यार्थी या व्यक्ति को कुशल बनाने या उनकी कुशलता को पहचानने के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं। इसलिए 'आत्म' या 'स्वयं का होना' ही महत्व रखता है। अपने आप को मूल्यवान समझकर हम जिस आत्मसम्मान को प्राप्त करते हैं, वह अधिक महत्वपूर्ण है और यह सोच किसी परीक्षा पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए। इसलिए, कहा जा सकता है कि आत्मसम्मान के कई रास्तों में से परीक्षा

एक रास्ता है, जिसकी चिंता व तनाव उस सीमित स्तर तक हो, जो विद्यार्थियों के आत्मसम्मान को ठेस न पहुँचा सके। इस प्रकार विद्यार्थियों में उत्पन्न जीवन को समाप्त करने की सोच केवल मिथ्या धारणा है। विद्यार्थियों में तनाव व चिंता का कुछ अंश, स्वस्थ रूप से परीक्षा में बेहतर निष्पादन करने एवं प्रतियोगिता के लिए तैयार कर सकता है।

निदान की ओर अग्रसर— 'परीक्षा पे चर्चा'

भारत के प्रधानमंत्री विद्यार्थियों की परीक्षा से जुड़ी चिंताओं एवं तनाव को दूर करने के लिए वर्ष 2018 से विद्यार्थियों के साथ 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम के माध्यम से संवाद करते हैं। वर्ष 2024 में 'परीक्षा पे चर्चा' का सातवाँ संस्करण आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम इस बात का परिचायक है कि भारत में परीक्षा की चिंता एवं तनाव एक ज्वलंत मुद्दा है। इस संवाद कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं विद्यालयी शिक्षा के सभी हितधारकों, विद्यार्थियों माता-पिता एवं शिक्षकों की परीक्षा के तनाव से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान एवं प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाता है। इस संस्करण के लिए मायगॉव पोर्टल पर 2.26 करोड़ लोगों का पंजीकरण दर्ज किया गया, जो देश भर के विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के बीच व्यापक उत्साह को दर्शाता है। यह परीक्षा के तनाव को दूर करने का एक अलग कार्यक्रम है, जिसमें प्रधानमंत्री देश के विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययनरत विद्यार्थियों, उनके माता-पिता एवं शिक्षकों से, प्रत्यक्ष एवं ऑनलाइन, दोनों माध्यमों से संवाद करते हैं।

इस प्रकार, 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम परीक्षा से जुड़े बहुआयामी उद्देश्यों के साथ शुरू किया गया एक संवाद कार्यक्रम है। इसी कार्यक्रम पर आधारित प्रधानमंत्री की पुस्तक *एग्ज़ाम वॉरियर्स* भी परीक्षा के तनाव के प्रबंधन पर बनाई गई है ।

परीक्षा की चिंता व तनाव नियंत्रण में परिवार की भूमिका

विद्यार्थी जब यह नहीं समझ पाते कि जीवन में परीक्षा बस एक मार्ग है, अंतिम लक्ष्य नहीं अर्थात जब वे किसी परीक्षा को ही अंतिम लक्ष्य मान लेते हैं, तब उनमें चिंता एवं तनाव का स्तर अधिक हो जाता है। कुछ शिक्षाविदों एवं मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि विद्यार्थियों में सीमित रूप में परीक्षा की चिंता एवं तनाव का होना, उन्हें सजग और स्वस्थ प्रतियोगिता के लिए तैयार कर सकता है (राजेश, 2022; चक्रवर्ती, 2023)। वहीं चिंता एवं तनाव अधिक होने पर यह विद्यार्थियों के लिए समस्या बन जाता है। थोड़ी-बहुत परीक्षा की चिंता एवं तनाव सबके लिए सामान्य बात है। परीक्षा की चिंता एवं तनाव को सीमित स्तर तक ले जाना, उसे बढ़ने न देना और उसी स्तर तक बनाए रखना, विद्यार्थियों के लिए एक चुनौती है।

विद्यार्थियों की परीक्षा की चिंता व तनाव का सीमित स्तर बनाए रखने में पारिवारिक एवं विद्यालयी वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवार में माता-पिता एवं बड़े-बुज़ुर्ग अपने बच्चों की तुलना अच्छे अंक लाने वाले दूसरे बच्चों से न करें एवं उनके 'अंक कम क्यों हैं' ऐसे परेशान करने वाले प्रश्न न करें बल्कि उनके द्वारा किए गए निष्पादन

को सम्मान देते हुए संबल प्रदान करें तथा उन्हें और अधिक परिश्रम करने के लिए प्रेरणादायक संदेशों से अभिप्रेरित करें।

निष्कर्ष

शिक्षा से जुड़े हितधारकों को विद्यार्थियों में परीक्षा के दौरान होने वाले तनाव एवं चिंता पर समग्र रूप में चिंतन-मनन करने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों के मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक आयामों के विषय में प्रायः सार्थक अध्ययन एवं चर्चा होती रहती है। लेकिन उनके जैविक आयाम पर प्रायः कम ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जैविक आयाम के अंतर्गत तनाव से जुड़े हार्मोन तनाव को बढ़ाते हैं, वहीं हैप्पी हार्मोन इस तनाव को कम करने में योगदान देते हैं। दोनों तरह के हार्मोनों का वैज्ञानिक विश्लेषण कई वैज्ञानिकों ने किया है। विद्यार्थियों के व्यक्तिगत, सामाजिक और जैविक आधार को आपस में जोड़कर देखना प्रस्तुत लेख का सकारात्मक पक्ष है। यह लेख स्पष्ट करता है कि 'हैप्पी हार्मोन' के स्राव को व्यक्तिगत एवं सामाजिक गतिविधियों से बढ़ाया जा सकता है, जो विद्यार्थियों में परीक्षा के तनाव को कम करने में सहायक हो सकता है।

इसी कड़ी में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की पहल 'परीक्षा पे चर्चा' जैसे उच्चस्तरीय कार्यक्रम विद्यार्थियों में परीक्षा के तनाव के भयावह होने से पहले ही निदान के लिए तैयार करने वाला सराहनीय प्रयास है। यह एक व्यापक एवं प्रभावी कार्यक्रम है, जिसमें स्वयं देश के प्रधानमंत्री परीक्षा के तनाव पर देश के समक्ष संवाद करते हैं। जिसमें वे विद्यार्थियों एवं विद्यालय के सभी हितधारकों के साथ संवाद कर 'तनाव रहित परीक्षा' के लक्ष्य को पाने का प्रयास करते हैं।

शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन के लिए बनी *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में भी इस सरोकार पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस नीति के लागू होने के बाद देश में परीक्षा प्रणाली में परीक्षा के सकारात्मक वातावरण का निर्माण हो रहा है, जिसमें चाहे वह विद्यालयी, महाविद्यालयी या प्रतियोगिता परीक्षाएँ ही क्यों न हो। इस नीति में परीक्षा संबंधी गुणात्मक एवं समग्र परिवर्तन से जुड़े कई सुझाव दिए गए हैं, जो विद्यार्थियों को 'लक्ष्योन्मुखी' बनाएँगे। जिसमें विद्यार्थी परीक्षा को अपने अध्ययन के आकलन का एक पड़ाव समझ सकेंगे तथा उन्हें रटकर याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस नीति के अनुसार पाठ्यपुस्तकों में राष्ट्रीय और स्थानीय संदर्भ एवं आवश्यकता से जुड़ी विषय-वस्तु के साथ कई रोचक एवं ज्ञानवर्धक गतिविधियाँ होंगी, जो रचनात्मक आकलन पद्धति को बढ़ावा देंगी। जिससे विद्यार्थियों में परीक्षा का तनाव कम होगा। इस प्रकार, शिक्षा में लगातार सकारात्मक परिर्वनों से विद्यार्थियों के परिवेश में (चाहे वह घर हो या विद्यालय या फिर अन्य कोई संस्थान) शिक्षकों एवं माता-पिता के सार्थक प्रयासों से परीक्षा का तनाव एवं चिंता का निदान संभव है।

संदर्भ

अहमद, ज़ैनब और अन्य. 2015. एक्ज़ाम स्ट्रेस इनडुईसेस हार्मोनल चेंजेस अमंगेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ द अल-हवीजा टेक्निकल कॉलेज. *एडवांसेज इन बायोसाइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी*. 06. पृष्ठ संख्या 744–749. 10.4236/abb.2015.612076.

कज़ाकौ, पी. और जी.पी. क्रूसोस. 2022. बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड हार्मोनल रेगुलेटर्स ऑफ द स्ट्रेस सिस्टम. *हॉर्मोन रिसर्च इन पेडियाट्रिक्स*. https://doi.org/10.1159/000523975

कल्टर, एल. 2020. द डिफरेंस बिटवीन डोपामाइन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन — एंड हाउ इच वन हेल्प्स यू फील हैप्पी. *बिजनेस इनसाइडर*. 11 फरवरी, 2024 को https://www.businessinsider.com/guides/health/mental-health/happy-hormones?IR=T से प्राप्त किया गया.

गोपीनाथ, जे. 2022. हैप्पी हॉर्मोन्स. *मेड इंडिया*. 11 फरवरी, 2024 को https://www.medindia.net/health/lifestyle/happy-hormones.htm#:~:text=The%20four%20important%20happiness-boosting%20hormones%20include%3A%201%20Serotonin से प्राप्त किया गया.

चक्रवर्ती, अभिनंदिता. 2023. एक्सप्लोरिंग द रूट कॉजेस ऑफ एग्जामिनेशन एंग्जायटी— इफेक्टिव सोलूशन्स एंड रेकमेंडेशन्स. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड रिसर्च* (आई.जे.एस.आर.). 12, पृष्ठ संख्या 1096–1102. 10.21275/SR23220002911.

पुतवेन, डेविड. 2008. एग्जामिनेशन स्ट्रेस एंड टेस्ट एंग्जायटी. *साइकोलोजिस्ट*. 21, पृष्ठ संख्या 1026–1029. 20 फरवरी, 2024 को https://www.researchgate.net/publication/288109139_Examination_stress_and_test_ anxiety से प्राप्त किया गया.

बाजपेयी, नितिन. 2023. स्नातक प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों में परीक्षा के चिंता स्तर का अध्ययन. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसीप्लिनरी रिसर्च*. 5. पृष्ठ संख्या 1–8. 10.36948/ijfmr.2023.v05i05.7616.

बैक्सौली, ऐलेना. 2017. हैप्पीनेस— रोल ऑफ डोपामाइन एंड सेरोटोनीन ऑन मूड एंड नेगेटिव इमोशंस. *इमरजेंसी मेडिसिन—ओपन एक्सेस*. 07. 10.172/2165–7548.1000350.

मोगिल्स्की, जस्टिन और अन्य. 2019. स्ट्रेस हॉर्मोन्स, फिजियोलॉजी एंड बिहेवियर. द *ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी एंड बिहेवियरल एंडोक्रॉइनोलॉजी*. ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन, ऑक्सफोर्ड, यू.के.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. भारत सरकार, नई दिल्ली. 5 मार्च, 2024 को https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf से प्राप्त किया गया.

रणबीर, एस., और के. रेणु. 2011. स्ट्रेस एंड हॉर्मोन्स. *इंडियन जर्नल ऑफ एंडोक्रॉइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म*. 15(1), पृष्ठ संख्या 18. https://doi.org/10.4103/2230-8210.77573.

राजेश ई. और अन्य. 2022. *स्ट्रेस, प्रेशर एंड एंग्जायटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्जाम्स— एन इम्पिरिकल स्टडी ऑन स्टूडेंट्स साइकोलॉजिकल अप्रोच*. 11, S. पृष्ठ संख्या 1057–1067.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 2020. *नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, 2020. करिकुलम एंड पेडगोजिक रिफॉर्म स्कूल एजुकेशन फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट. बैकग्राउंड पेपर फॉर टीचर्स* फेस्ट. रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली. 23 फरवरी, 2024 को https://www.education.gov.in/shikshakparv/docs/background_note_NCF.pdf. से प्राप्त किया गया.

वॉटसन, एस., 20 जुलाई 2021. सेरोटोनिन— द नेचुरल मूड बूस्टर. *हार्वर्ड हेल्थ*. 5 मार्च, 2024 को https://www.health.harvard.edu/mind-and-mood/serotonin-the-natural-mood-booster. से प्राप्त किया गया.

सेन, पी. 24 जनवरी, 2024. *परीक्षा पे चर्चा 2024— रिकॉर्ड 2.26 करोड़ पंजीकरण*. जानें परीक्षा पे चर्चा क्या है, आयोजन व उद्देश्य सब कुछ. 14 मार्च, 2024 को https://hindi.careerindia.com/news/pariksha-pe-charcha-2024-registrations-reach-record-2-26-crore-ppc-2024-on-january-29-know-details-014999.html से प्राप्त किया गया.

हाइपोथैलेमिक—पिट्यूटरी-एड्रेनल (एच.पी.ए.) एक्सिस. 14 मार्च, 2024 को https://www.unh.edu/pacs/sites/default/files/media/2020-07/stress-and-your-body-handout.pdf. से प्राप्त किया गया.

नेविगेटिंग द न्यूरोकेमिकल सिमफनी— ए वेलनेस गाइड फॉर द वर्कप्लेस. 1 अप्रैल, 2024 को https://wellbydesign.ca/navigating-the-neurochemical-symphony-a-wellness-guide-for-the-workplace/ से प्राप्त किया गया.

कार्यशाला के दौरान शैक्षिक भ्रमण का अनुभव

अनुज कुमार*

यात्रा-वृत्तांत चाहे स्वयं का हो या दूसरों का, यदि हम पढ़ते हुए उसके साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं तो हमें भी ऐसी अनुभूति होती है जैसे हम स्वयं ही यात्रा कर रहे हों और उस यात्रा की अनुभूति हमें ज्ञानार्जन के साथ आनंद, मौज-मस्ती एवं रोमांच भी प्रदान करती है। हमारी यह यात्रा या तो किसी आवश्यक कार्य के उद्देश्य से हो सकती है या मनोरंजन के लिए पर्यटन के उद्देश्य से। सभ्यताओं के विकास के पूर्व से आदि मानव ने एक जगह से दूसरे जगह घूमते हुए अपना जीवनयापन किया है। उनके इस आरंभिक व्यवहार से मानव विकास के अनेक आयाम बढ़ते हुए आधुनिक रूप में भी दिखाई पड़ते हैं। अतः यह कह सकते हैं कि साहित्य की यह विधा 'यात्रा-वृत्तांत' लेखकों, रचनाकारों, साहित्यकारों और इतिहासकारों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, आम पाठकों के लिए भी जीवन-अनुभव को महसूस कराने में महती भूमिका का निर्वहन करती है। अपने पेशेवर विकास कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली द्वारा आयोजित छह मास की अवधि वाली "सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक एवं पाठ्यचर्या सामग्री विकास" 21 दिवसीय कार्यशाला में दिल्ली में चयन किए जाने के उपरांत मुझे सहभागिता करने का अवसर मिला। इस लेख के माध्यम से कार्यशाला के दौरान एक दिवसीय दिल्ली परिभ्रमण के शैक्षिक अनुभवों को, जो समूह के साथ प्राप्त किए गए, को साझा करने का प्रयास किया गया है।

सीखने की प्रक्रिया जीवनपर्यंत चलती रहती है। यदि हम कुछ जानना, पता करना, मालूम करना चाहते हैं, तो इसके लिए जिज्ञासा, उत्कंठा और मन में इच्छा का होना पहली शर्त है। ज्ञान की प्राप्ति और जानकारी के स्रोत विभिन्न माध्यमों से प्राप्त किए जा सकते हैं और इन माध्यमों में यात्रा-वृत्तांत एक रोचक, मनोरंजक एवं सुलभ साधन है।

शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षक के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मैं (लेखक) अपनी अभिव्यक्ति की शक्ति में वृद्धि करने की दृष्टि से कुछ नया प्राप्त करने का अवसर ढूँढ़ता रहता हूँ तथा इन्हीं प्रयासों से मुझे अवसर भी मिलता रहता है। इसी क्रम में मैंने अनायास ही रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली (एनसीईआरटी) की वेबसाइट पर छह माह की अवधि की "सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक एवं पाठ्यचर्या सामग्री विकास" में 'सर्टिफिकेट कार्यक्रम' से संबंधित सूचना देखी, जिसका उद्देश्य सामाजिक विज्ञान के शिक्षण से जुड़े अध्यापक

**व्याख्याता,* बिहार शिक्षा सेवा, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, सहरसा, बिहार 852201

और शिक्षक-प्रशिक्षकों में पाठ्यपुस्तक लेखन कौशलों को विकसित कर अकादमिक लेखन हेतु सक्षम बनाना था, जो शिक्षाविदों के साथ अपने व्यावहारिक अनुभवों के साथ मिलकर पाठ्यपुस्तक निर्माण में सहभागी बन सकें।

मैनें सुना था— “किताबें लिखकर लोग अमर हो जाते हैं।” इसी भावना के साथ शिक्षण के बीस वर्ष और प्रशिक्षण के पाँच वर्ष के अनुभवों को आवेदन में सम्मिलित कर प्रेषित किया और एक माह के उपरांत इस कार्यक्रम में चयनित किए जाने की सूचना मेरे ईमेल पर प्राप्त हुई। कार्यक्रम की अवधि अगस्त, 2023 से जनवरी, 2024 तक थी, जिसे तीन चरणों में सम्पन्न किया जाना था। प्रथम एवं तीसरा चरण ऑनलाइन माध्यम से तथा दूसरा चरण 21 दिवसीय आमने-सामने कार्यशाला के रूप में रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली में था। चयनित प्रतिभागियों में अधिकांश शासकीय विद्यालयों एवं प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत अध्यापक पेय शिक्षक थे, जिन्हें अपने मूल विभाग से अनुमति प्राप्त कर कार्यशाला में सम्मिलित होना था। वृत्तिक विकास की इस राह में अनेक बाधाएँ, जैसे— राज्यों के चुनाव में ड्यूटी, सभी के विभागीय दायित्व और उससे जुड़े कार्यों का ससमय निष्पादन, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पूर्व निर्धारित कार्य आदि होने के बावजूद भी अधिसंख्य चयनित प्रतिभागियों ने अनुमति प्राप्त कर ली। जब हम सभी कार्यशाला के प्रथम दिन इकट्ठे हुए, तब हम जान पाए कि हमारे समूह में लगभग संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व है, जिसमें कश्मीर से केरल तक और दमन-दीव से मेघालय तक “विविधता में एकता” वाली महक है। प्रतिभागियों के पूर्व अनुभव एवं उनके उत्साह को देखकर भविष्य में उनके अकादमिक लेखन के प्रति गंभीरता का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता था।

कार्यशाला का प्रथम दिवस हम सभी के अकादमिक जीवन का अविस्मरणीय दिन था, जब भारतीय संस्कृति के अनुरूप क्षेत्रीय परिधानों में सजे एक-दूसरे से मिलकर रू-ब-रू हो रहे थे। रा.शै.अ.प्र.प. के भव्य एवं रमणीय परिसर के बीचों-बीच स्थित पुस्तकालय एवं प्रलेखन विभाग के प्रथम तल पर बने सम्मेलन कक्ष में सत्र समन्वयक एम. वी. श्रीनिवासन के द्वारा सभी का स्वागत करते हुए कार्यशाला की महत्ता और पुस्तकों की गरिमा पर प्रकाश डाला गया। परिचय-सत्र के साथ कार्यशाला की समय-सारणी के अनुरूप संस्थान के विभिन्न विभागों के विषय विशेषज्ञों सहित देश के अनेक लब्धप्रतिष्ठ विश्वविद्यालयों, स्वयंसेवी संगठनों से संबद्ध शिक्षाविदों व साधन सेवियों का ज्ञान और मार्गदर्शन हमें मिलता रहा। वहीं दूसरी ओर पाठ्यपुस्तक, पाठ्यक्रम, पाठ्यविवरण एवं पाठ्यचर्या से जुड़े लक्ष्यों व उद्देश्यों को केंद्रित कर सामाजिक विज्ञान विषय की गहराइयों और उसके विभिन्न परिप्रेक्ष्यों को गहराइयों से सुनने, जानने और चिंतन कर अंतर्दृष्टि विकसित करने का अनोखा अवसर मिला।

कार्यशाला की विशेषता यह रही कि विभिन्न राज्यों की सामाजिक विज्ञान विषय की कक्षा 5 से 12

तक की पाठ्यपुस्तकों की गहनता से समीक्षा की गई और उनके संदर्भों को समझने का भी सभी ने प्रयास किया। अलग-अलग राज्यों से आए शिक्षाविदों ने साधनसेवी (फेसिलिटेटर) के रूप में सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में राज्य की आवश्यकता, स्थानीयता, परिवेश और जनमानस की आकांक्षाओं को दृष्टिगत करके विषय के ज्ञान और कौशलों में वृद्धि करते हुए एक नई दृष्टि प्रदान की। उनका वाक्-कौशल, भाषाई समृद्धता, संप्रेषणीयता की कला और विनम्रता हमारे लिए अनुकरणीय थी। सत्र समन्वयक के द्वारा हमें निर्देश दिया गया था कि प्रत्येक प्रतिभागी सामाजिक विज्ञान के किसी भी विषय के दो शीर्षकों पर इच्छानुसार किन्हीं दो पाठों का लेखन अथवा पुनर्लेखन कर जमा करेंगे, जिसे हमने पूरी निष्ठा से पूर्ण किया। सत्र के दौरान गतिविधियों का आयोजन, जैसे— आपसी संवाद, तर्क-वितर्क, विषयों पर मत भिन्नता, सहमति-असहमति का दौर चलता रहता, परंतु अंत में सामाजिक विज्ञान विषय की प्रकृति के अनुरूप हम सामंजस्य स्थापित कर ही लेते थे। सत्र के उपरांत चाय की चुस्कियाँ, लाइब्रेरी की बुक शेल्फ से पुस्तकें निकालकर देखना, अध्यापक होकर भी विद्यार्थी जैसा व्यवहार करना हमारी दिनचर्या हो गई थी।

कार्यशाला की समय-सारणी में केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिक संस्थान द्वारा तीन दिवस का वह प्रशिक्षण भी सम्मिलित था, जहाँ हम सभी प्रतिभागियों ने पाँच समूहों में बँटकर दो-दो मिनट का ऑडियो तथा विडियो क्लिप तैयार किया। अध्यापक होकर भी बालीवुड के कलाकार का एहसास इस दौरान हम सभी को हुआ। अपनी अदाकारी स्क्रीन पर देखकर जहाँ हम रोमांचित थे, वहीं आई.सी.टी. के प्रभाव एवं उसकी महत्ता की व्यापकता को भी शिक्षा से जोड़कर हम समझने में सक्षम हुए। रा.शै.अ.प्र.प. के प्रकाशन प्रभाग के अधिकारियों और कर्मियों ने हमें पाठ्यपुस्तक निर्माण की तकनीकी और कानूनी पहलुओं से अवगत कराते हुए एक पुस्तक के साकार रूप लेने की अंतिम प्रक्रिया भी बताई। जिससे हम यह जान पाए कि हमारी बौद्धिक पूँजी का संरक्षण किस प्रकार कॉपीराइट के द्वारा संभव हो पाता है। कार्यशाला से प्राप्त अनुभव हमारे पेशेवर (वृत्तिक) विकास में एक नई कड़ी के जुड़ने जैसा था। शिक्षण पेशे से एक कदम बढ़कर लेखन पेशे से जुड़ना राष्ट्र निर्माण में एक और यज्ञ में हवन करने जैसा था।

इस 21 दिवसीय कार्यशाला की समय सारिणी में रविवार के दिन "दिल्ली परिभ्रमण" का कार्यक्रम सभी प्रतिभागियों के लिए पूर्व से निर्धारित था। कार्यशाला के आरंभिक दिन से लगातार छह दिनों तक सीखने योग्य अनुकूल परिवेश में चर्चा-परिचर्चा, संवाद, व्याख्यान के अतिरिक्त बाह्य वातावरण में जाकर प्रकृति के साथ ऐतिहासिकता, संस्कृति, आधुनिकता को जानना हम सभी के लिए आनंददायी व सुखद अनुभूति का अवसर था। सभी प्रतिभागियों से मिलकर बना समूह एक सम्पूर्ण भारत की बहुआयामी संस्कृतियों का परिदृश्य उपस्थित कर रहा था।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद परिसर से रविवार 5 नवंबर, 2023 की सुबह 9:30 बजे हम सभी बस से अपने पहले पड़ाव नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय गए। विभिन्न दृश्यों यथा सुबह की खरीदारी करते लोग, एनेक्सी और महानगरीय भवनों को बस की खिड़कियों से देखते हुए संग्रहालय के प्रवेश द्वार पर पहुँचे। हमारे समूह का नेतृत्व और समन्वय शरद जी को सौंपा गया था, वे अपना दायित्व सहजता से पूर्ण उत्साह के साथ निभा रहे थे। प्रवेश द्वार पर टिकट की खरीदी के साथ सुरक्षा जाँच के पश्चात हम सभी राष्ट्रीय संग्रहालय के तीन तलों पर अपने मित्रों के साथ छोटे उपसमूहों में बँटकर बारीकियों के साथ वीथिकाओं का गहराई से अवलोकन करते हुए आपस में चर्चा करने लगे। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के दौरान पढ़ी, देखी और समझी गई विषयवस्तु को भी उससे जोड़कर देखते हुए अपनी समझ बढ़ाने लगे। संग्रहालय की वीथिकाओं में काल, युग, शासन, कला, संस्कृति के विभिन्न पहलुओं की दुर्लभ मूर्तियों, पांडुलिपियों, चित्रों, मॉडलों, सिक्कों, वस्त्रों, जनजातीय जीवन, संगीत, बौद्धधर्म, देशी व विदेशी कलाकृतियों को देखकर एक सुखद और संतुष्टि का भाव अनुभव कर रहे थे, जैसे बहुत-सी अनसुलझी और अनकही बातों को मैंने जान लिया हो।

सामाजिक विज्ञान के अध्यापन के आरंभ के पूर्व ही देश के राष्ट्रीय संग्रहालयों का अवलोकन अनिवार्य किया जाना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा था। दो घंटे भ्रमण के उपरांत भी व्यापकता एवं समग्रता के साथ सब प्रदर्शनीय सामग्रियों की एक झलक ही प्राप्त की जा सकी थी। आप काम चाहे कुछ भी करें, भूख का एहसास अपने नियत समय पर हो ही जाता है। हम सभी ने रा.शै.अ.प्र.प. कैंटीन से उपलब्ध कराए गए भोजन का आनंद भोज के रूप में लिया और स्वच्छता तथा अपनी सार्वजनिक जीवन शैली में शिष्टता का पालन करते हुए प्लेट, ग्लास और उपयोग की गई सामग्रियों को यथा-स्थान निपटाते हुए परिभ्रमण के दूसरे पड़ाव पर पहुँच गए।

प्रगति मैदान स्थित नवनिर्मित भारत मंडपम उस अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी स्थल के रूप में पूरे भारतवर्ष में चर्चित हो चुका है, जहाँ विगत माह (9–10 सितंबर, 2023) विश्व के देशों के शासनाध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष और नेताओं का जमावड़ा G-20 की बैठक के लिए हुआ था। विशाल परिसर में स्थित भव्य एवं अलंकृत नवनिर्मित सभागार भारत की आर्थिक समृद्धि की ओर भी संकेत करता दिखाई दे रहा था। उसी स्थल पर ‘वर्ल्ड फूड इंडिया’ का तीन दिवसीय समारोह चल रहा था, जिसमें मानव की पहली आवश्यकता ‘भोजन’ को केंद्र बिंदु बनाकर देशी, विदेशी और विभिन्न क्षेत्रीय आधार पर स्टॉल लगे थे। जहाँ प्राचीन और अति आधुनिक आहार, उसके निर्माण की प्रक्रिया, आधुनिक पैकेजिंग, संरक्षण, बिक्री, व्यापार, उद्यम को लेकर चर्चा-परिचर्चा एवं व्यापार की नीतियों को लेकर संवाद भी हुआ था। उस जगह पर विज्ञान एवं आईसीटी के उपयोग एवं आधुनिक

तथा महानगरीय जीवन-शैली के जीवंत रूप भी दिखाई दे रहे थे। ग्रामीण भारत के सामान्य आहार, खाद्य-सामग्री और जैविक उत्पाद भी नये रूप में हम देख रहे थे। जहाँ संग्रहालय की वीथिकाएँ हमारे इतिहास और संस्कृति के विशिष्ट पहलुओं की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कर रही थीं, वहीं वर्ल्ड फूड इंडिया बाजारवाद, उपभोक्ता-संस्कृति एवं आर्थिक उत्थान को दर्शा रहा था। लगातार घूमते हुए और भीड़ भरे माहौल से हम थक चुके थे, परंतु अब बारी उस जगह के दर्शन की थी, जहाँ पहुँचकर सभी अपने को धन्य पाते हैं, चाहे देशी हो या विदेशी।

राष्ट्रपिता की समाधि—राजघाट, जो संपूर्ण देश के लिए पवित्र दर्शनीय राष्ट्रीय स्मारक है, जहाँ प्रत्येक नागरिक अपनी श्रद्धा-सुमन प्रकट कर राष्ट्रीय गौरव की सुखद अनुभूति करता है, वहीं उस शांत एवं प्रकृति की गोद में स्थित बापू का समाधि स्थल देश के स्वतंत्रता-संग्राम के शहीदों के प्रति नम आँखों से आध्यात्मिकता की ओर भी हमें प्रेरित करता है, जिसे हम सत्याग्रह के सिद्धांतों में पाते हैं। समाधि स्थल के निकट उद्यानों में विश्राम करते हुए सभी प्रतिभागियों ने अपनी-अपनी मातृभाषा-प्रांतीय भाषा में शब्दों की श्रद्धांजलि भी दी, जिसे हमारे साथियों द्वारा रिकॉर्ड किया गया। वह भी एक अद्‌भुत क्षण था, जब हम इसकी रिकॉर्डिंग के लिए अपनी बारी की प्रतिक्षा कर रहे थे। ऐसा लगा कुछ देर और ठहरते परंतु समय तो अपनी ही गति से चलता है। अब हम यात्रा के अंतिम चरण में थे। सुबह से चलते-चलते सभी के चेहरे पर थकान भी दस्तक दे चुकी थी, सूर्य भी अपनी देहरी लांघकर छुपना चाह रहा था। हमारा बस ड्राइवर और उसका सहकर्मी इस तरह हमें देख रहे थे, मानों इशारा मिलते ही बिना देर किए अगली मंजिल की ओर बढ़ चलें, क्योंकि उनके साथ हम सभी को पहले से पता था कि आज के दिल्ली परिभ्रमण का यह अंतिम पड़ाव है। रविवार का दिन था, इसलिए कर्तव्य-पथ पर चलते हुए हमारे बस ड्राइवर को भी अपने घर जाने की जल्दी थी।

सरपट दौड़ती हुई बस इंडिया गेट के निकट अपने निर्धारित पार्किंग स्थल पर रुकी, हम लोग जल्दी से उतरकर 'राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल' की ओर दौड़े क्योंकि साँय 6 बजे के बाद उस स्थल पर प्रवेश-निषेध हो जाता है। यहाँ पर शहीदों की याद में 'लौ' जलती रहती है, यह मैंने सुना था, अब वास्तव में आँखों ने उसे देखा, हाथों ने नमन किया और हृदय ने अनुभव किया। पीढ़ियाँ यहाँ आती रहेंगी और विरासतों को संजोते हुए हम सच्चे और आदर्श नागरिक बनने की सीख प्राप्त करते रहेंगे। सुभाष चन्द्र बोस 'नेताजी' की मूर्ति और इंडिया गेट को रोशनी में नहाता हुआ देखकर देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण एक अद्‌भूत एवं दुर्लभ नजारा भी देखने को मिला। जब विदेशी महिलाओं एवं पुरुषों का समूह भारतीय धार्मिक परिधान में इस्कॉन संस्था से प्रेरित वाद्ययंत्रों के साथ "हरे-रामा, हरे-कृष्णा, कृष्णा-कृष्णा, हरे-हरे" गाते हुए इंडिया गेट की परिक्रमा करते दिखे। भारत की राजधानी नई दिल्ली के केंद्र में इंडिया गेट और उस इंडिया गेट पर भारत और विभिन्न देशों के नागरिक उत्सव धर्मिता का परिचय देते हुए जोश,

भावना, जुनून, गौरव, राष्ट्रीयता, देशभक्ति एवं उत्साह के साथ आध्यात्मिकता और बहुआयामी संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए सर्वजनहिताय-सर्वजनसुखाय सहित 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भारतीय भावना को चरितार्थ कर रहे थे। इसके पश्चात हमारी बस उस स्थल से चलकर अंतिम पड़ाव रा.शै.अ.प्र.प. में आई। ऐसा मेरा विश्वास है कि कार्यशाला के दौरान दिल्ली परिभ्रमण का यह सुखद अवसर हम सभी प्रतिभागियों के लिए चिरस्मरणीय रहेगा।

उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि पर ऑनलाइन एवं ऑफलाइन शिक्षण का प्रभाव

मंजूषा कापड़ी*
देवेंद्र सिंह बिष्ट**

यह शोध अध्ययन उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि पर ऑनलाइन एवं ऑफलाइन शिक्षण के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। इस शोध अध्ययन में विवरणात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया था। न्यादर्श के रूप में अल्मोड़ा शहर के (वर्ष 2023) दो सरकारी तथा दो निजी विद्यालयों (कुल 04 विद्यालयों) में से कक्षा 11वीं के 25 छात्र एवं 25 छात्राओं का चयन किया गया था। इस प्रकार न्यादर्श में कुल 100 छात्र तथा 100 छात्राओं का सरल यादृच्छिक विधि द्वारा चयन किया गया था। विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि के मापन हेतु कक्षा 11वीं के अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षा के परिणामों को लिया गया था। सांख्यिकीय विधियों के लिए मध्यमान, मानक विचलन, 'टी' परीक्षण का प्रयोग किया गया था। निष्कर्षतः ऑनलाइन एवं ऑफलाइन शिक्षण के आधार पर उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्रों व छात्राओं की शैक्षणिक उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। जबकि निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि में सार्थक अंतर पाया गया है, जिसमें विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि ऑनलाइन शिक्षण में अधिक पाई गई, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों को ऑनलाइन साझा कर आधुनिक शिक्षण विधियों, एनिमेशन, पी.पी.टी., वीडियो लेक्चर जैसे तरीकों का प्रयोग कर पढ़ाया जाता है, जिससे शिक्षण प्रभावी रूप से होता है। अतः यह शोध पत्र दर्शाता है कि शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन शिक्षण में प्रयुक्त ई-संसाधनों का प्रयोग ऑफलाइन मोड में भी किया जाए। साथ ही, शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की गतिविधि आधारित शिक्षण विधियों में जोड़कर अनुभव आधारित अधिगम को बढ़ावा दिया जाए।

'विद्या धनं सर्व धनं प्रधानम्' अर्थात विद्या (शिक्षा) धन समस्त धनों में सर्वश्रेष्ठ धन होता है। प्राचीन काल से ही शिक्षा को सर्वोत्तम माना गया है, शिक्षा जीवन का समुचित मार्गदर्शन करती है, मनुष्य के सर्वांगीण विकास का माध्यम है, इससे मानसिक तथा बौद्धिक शक्ति विकसित होती है। ज्ञान, उचित आचरण, तकनीकी दक्षता आदि को प्राप्त करने की प्रक्रिया शिक्षा है, शिक्षा ही जीवन है और जीवन को ही शिक्षा माना गया है। शिक्षा वैयक्तिक व राष्ट्रीय जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करती है।

*शोधार्थी, शिक्षा संकाय, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा, उत्तराखंड 263601
**असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षा संकाय, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा, उत्तराखंड 263601

शिक्षा के बिना उन्नत राष्ट्रीय जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि यह देश में किए जाने वाले कार्यों की रीढ़ होती है। जीवन में उदारता, उच्चता, चिंतन, सृजन, सौंदर्य एवं उत्कृष्टता शिक्षा द्वारा ही संभव है। 'ज्ञानं मनुजस्य तृतीयं नेत्रं' अर्थात ज्ञान को मानव का तीसरा नेत्र माना गया है।

शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य का ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र अर्थात् अंतर्चुक्षु खुल जाते हैं। महाभारत में कहा गया है कि विद्या के समान नेत्र तथा सत्य के समान तप कोई दूसरा नहीं है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का अनावरण होता है और उनका समाजोपयोगी दिशाओं में मार्गान्तरीकरण संभव होता है। शिक्षा के अभाव में मानव विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। शिक्षा के प्रसार से ही मानव सभ्यता के उच्च शिखर पर पहुँच सका है। शिक्षा वह नींव है, जिस पर हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं अर्थात शिक्षा उस माली के समान है, जो बालक रूपी बाग को काँट-छाँट कर सुंदर बना देती है।

भर्तृहरि ने अपने *नीतिशतक* में लिखा है, 'विद्या विहीनः पशुः' 'अर्थात जिनके पास विद्या नहीं है, वे मनुष्य नहीं अपितु पशु समान हैं। मानव की मानवीयता शिक्षा के फलस्वरूप ही है, शिक्षा के माध्यम से प्रकाश की उन रश्मियों का जीवन में प्रवेश होता है, जो संपूर्ण अर्थ में पशुत्व की निम्न प्रवृत्ति को छोड़कर श्रेष्ठ आचरण युक्त मनुष्यत्व के पद को प्राप्त करने हेतु व्यक्ति को सतत प्रयत्नशील बनाती है। शिक्षा का कार्य व्यक्ति और समाज के बीच ऐसा सामंजस्य स्थापित करना है, जिसमें व्यक्ति स्वयं को मोड़ सके और परिस्थितियों को पुनर्व्यवस्थित कर ले और दोनों को अधिकाधिक स्थायी संतोष प्राप्त हो सके।

शास्त्रों में कहा गया है, 'जन्मना जायते अज्ञेय' अर्थात मनुष्य जन्म से अज्ञानी पैदा होता है, उसे प्रत्येक गतिविधि सीखनी पड़ती है, यह सीखने की प्रक्रिया ही शिक्षण अथवा ज्ञानार्जन कहलाती है। शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है, जिसका उद्देश्य अन्य व्यक्ति के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना है (गेज, 1963)। समाज के बदलते स्वरूप के कारण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनेक संभावनाओं और समस्याओं ने जन्म लिया है, जिनके निराकरण हेतु शिक्षा की प्रक्रिया में भी समय-समय पर परिवर्तन होता गया। इसके फलस्वरूप शिक्षण कार्य भी प्रभावित हुए हैं। जैसे-जैसे हम प्रौद्योगिकी के युग में आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में भी परिवर्तन आ रहा है।

वैदिक काल से लेकर वर्तमान समय तक शिक्षण की अनेक अधुनातन प्रविधियाँ अस्तित्व में आती रही हैं। भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही औपचारिक शिक्षण अथवा परंपरागत शिक्षण प्रणाली जिसे ऑफलाइन शिक्षण कहा जाता है, अनेक वर्षों के उपरांत आधुनिक काल में भी अपनी प्राचीन संस्कृति और शिक्षा को जीवंत बनाए हुए विगत वर्ष तक सफल मानी जाती थी, परंतु कोविड-19 महामारी ने कहर बरसाकर विद्यार्थियों के दैनंदिन जीवन और शिक्षण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हुए उनके भविष्य को चुनौतीपूर्ण बना डाला, जिसके फलस्वरूप वैश्विक स्तर पर शिक्षा व्यवस्था लड़खड़ा गई।

शिक्षा व्यवस्था नए परिवर्तन हेतु तैयार ही नहीं थी, जिसके उपरांत शैक्षिक स्तर में कमी आने लगी। इस समस्या के समाधान हेतु शिक्षा जगत में विकल्प के रूप में ऑनलाइन शिक्षण को अपनाया गया। इसमें इंटरनेट एवं डिजिटल उपकरणों के माध्यम से शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जाती है, इसलिए इसे इंटरनेट आधारित शिक्षा व्यवस्था कहा जा सकता है। ई-शिक्षा के विभिन्न रूप हैं, जिसमें वेब आधारित लर्निंग, मोबाइल आधारित लर्निंग या कंप्यूटर आधारित लर्निंग और वर्चुअल क्लासरूम इत्यादि सम्मिलित हैं।

ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली कई संचार माध्यमों का उपयोग करके, शिक्षकों और विद्यार्थियों को विचारों एवं जानकारियों का आदान-प्रदान करने तथा देश के किसी भी कोने से शिक्षा प्रदान करने का अवसर देती है। शिक्षक अपनी रचनात्मक शिक्षा को विद्यार्थियों तक स्काइप, व्हाट्सऐप्प, गूगल मीट और ज़ूम वीडियो कॉल के माध्यम से पहुँचाता है। वहीं कुछ विद्यार्थी इंटरनेट का अनुचित उपयोग करते हैं। क्लास के बहाने मोबाइल पर गेम खेलना, आत्म मूल्यांकन में कमी, आँखों और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव, विद्यार्थियों को समझने में समस्या, अनुशासन की कमी इसके दुष्परिणाम हैं। सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों पहलुओं के साथ कोरोना महामारी में ऑनलाइन शिक्षा एक सफल स्रोत के रूप में उभरी है। जिसने शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में परिवर्तन के साथ मूल्यांकन प्रक्रिया व उसकी विधियों में भी परिवर्तन किया है, इसके फलस्वरूप विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि भी प्रभावित हुई है। सामान्यतः शैक्षणिक उपलब्धि विद्यार्थियों की शैक्षिक योग्यता के प्राप्तांक को कहते हैं। "शैक्षणिक उपलब्धि को विद्यालय के विषयों में प्राप्त ज्ञान या विकसित कौशल के रूप में परिभाषित करते हैं, जिसे सामान्यत: शिक्षकों द्वारा दिए गए परीक्षण प्राप्तांकों या अंकों द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है (कार्टर, 1959)।" अतः शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का रूप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन वह प्रत्येक परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक उपलब्धि को प्रभावित करती है।

भारत में ऑनलाइन शिक्षण की प्रबल शुरुआत

शिक्षा व्यवस्था में स्वतंत्रता प्राप्ति के सात दशक बीत जाने के पश्चात अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। कोविड-19 में शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने के उपरांत शिक्षण प्रक्रिया बाधित हुई। ज्ञान के निर्बाध प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए समस्त शैक्षणिक संस्थानों ने वैकल्पिक शिक्षण के रूप में ऑनलाइन शिक्षण को अपनाया। यह एक नया प्रोग्राम था, जिसने समस्त शिक्षण व्यवस्था को एक नया आयाम दिया एवं मूल्यांकन की नई विधियाँ प्रयोग की जाने लगीं।

सीखने के स्तर में कमी से बचाव के लिए शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विद्यार्थियों की सीखने में वृद्धि हेतु अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से सीखने में वृद्धि के लिए दिशानिर्देशों एवं *वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर,* विकसित कर विद्यालयी शिक्षा को निरंतरता प्रदान की गई। *वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर* में कोविड-19 के दौरान जिन विद्यार्थियों के पास कोई डिजिटल संसाधन उपलब्ध नहीं थे एवं जिन विद्यार्थियों के

पास सीमित तथा उचित डिजिटल संसाधन उपलब्ध थे, के लिए विषय-वस्तु, शिक्षण-अधिगम विधियों एवं आकलन की एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इसमें कोविड-19 के दौरान व पश्चात सीखने में वृद्धि करने के लिए अनेक सुझाव दिए गए। इसके अंतर्गत संदर्भ निर्धारित करना, उपकरणों की पहुँच, शिक्षकों की क्षमता निर्माण, पाठ्यक्रम का मानचित्रण, निरंतर सीखने की योजना आदि को सम्मिलित किया गया था। इस कैलेंडर का पालन करते हुए सभी कक्षाओं के विद्यार्थी अपने शिक्षकों की सहायता से उपलब्ध तकनीकी और सोशल मीडिया उपकरणों के माध्यम से अपने विद्यालय खुलने तक व्यवस्थित रूप से घर पर विद्यालयी शिक्षा प्राप्त कर सकें। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यार्थियों के माता-पिता को मोबाइल फोन, एस.एम.एस., रेडियो, टेलीविजन या अन्य विभिन्न सोशल मीडिया का उपयोग करके बच्चों के साथ की जाने वाली गतिविधियों के बारे में शिक्षकों द्वारा निर्देशित किया गया। ये गतिविधियाँ उनके पाठ्यक्रम और सीखने के प्रतिफलों से संबंधित थीं। शिक्षकों ने भी मोबाइल फोन या सोशल मीडिया के द्वारा विद्यार्थियों से संपर्क स्थापित कर उनका मार्गदर्शन किया।

ऑनलाइन शिक्षण-अधिगम पर *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* की अनुशंसाएँ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बिन्दु 12 में सीखने के लिए सर्वोत्तम वातावरण व छात्रों का सहयोग में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि रचनात्मकता को सुनिश्चित करने के लिए संस्थानों और संकायों को पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि और आकलन आदि पर नवाचार करने के लिए स्वायत्तता देनी होगी, जिससे सभी संस्थानों, कार्यक्रमों, सभी मुक्त दूरस्थ शिक्षा (ओ.डी.एल.), ऑनलाइन और पारंपरिक कक्षाओं में समान रूप से शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, 12.2)। ऑनलाइन शिक्षा गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए एक प्राकृतिक प्रवेश द्वार प्रदान करती है (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, 12.5)। सभी कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, विषयों में शिक्षण पद्धति, कक्षा में, ऑनलाइन, ओ.डी.एल. और छात्र सहायता जैसे सभी कार्यक्रमों का लक्ष्य गुणवत्ता के वैश्विक मानकों को पूरा करना होगा (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,* 12.6)। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के अनुच्छेद 24 में ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा से कैसे लाभ उठा सकते हैं और इसके नुकसान को कम कर सकते हैं, इसके लिए सावधानीपूर्वक और उचित ढंग से तैयार किए गए अध्ययन की आवश्यकता है। साथ ही, सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए मौजूदा डिजिटल प्लेटफॉर्मों और सक्रिय आईसीटी आधारित पहलों को अनुकूलित और विस्तारित करने की आवश्यकता होगी। ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग समानता के सरोकारों को पर्याप्त रूप से संबोधित कराना है। जब तक ऑनलाइन शिक्षा को अनुभवात्मक और गतिविधि आधारित शिक्षा के साथ मिश्रित नहीं किया जाता है, तब तक यह सीखने

के सामाजिक, भावनात्मक और मनोदैहिक आयामों पर सीमित फोकस के साथ एक स्क्रीन आधारित शिक्षा बनी रहेगी। डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उद्भव और विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी स्तरों पर शिक्षण-अधिगम के लिए प्रौद्योगिकी के उभरते महत्व को देखते हुए यह नीति अनेक प्रमुख पहलों की अनुशंसा भी करती है (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,* अनुच्छेद, 24)।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुँच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही पर विशेष ध्यान दिया गया है। तकनीकी शिक्षा, भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तकनीकी के प्रयोग तथा रचनात्मक चिंतन, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय व रा.शै.अ.प्र.प.के प्रयासों से शिक्षा के निर्बाध प्रसार का कार्य किया जा रहा है। उसी प्रकार भविष्य में आने वाली प्राकृतिक आपदाएँ या ऐसा समय जब शैक्षणिक संस्थानों को बंद करना पड़े तो ऑनलाइन शिक्षण तब कारगर सिद्ध होगा या नहीं? ऑनलाइन तथा ऑफलाइन शिक्षण में से किसका उपयोग विद्यार्थियों हेतु कारगर होगा? कौन-सी शिक्षण प्रणाली राष्ट्र के विकास हेतु प्रमुख भूमिका निभाएगी? क्या केवल ऑनलाइन अथवा केवल ऑफलाइन शिक्षण विद्यार्थियों की उपलब्धि को बढ़ाएगा या दोनों शिक्षणों को मिलाकर किसी नए शिक्षण का उपयोग लाभकारी होगा, जिसमें ऑफलाइन तथा ऑनलाइन दोनों शिक्षणों के गुण उपस्थित हों? आदि प्रश्न सामने आते हैं।

शोधार्थी द्वारा ऑनलाइन तथा ऑफलाइन शिक्षा पर हुए पूर्ववर्ती भारतीय तथा विदेशी शोधों का अध्ययन किया गया। विदेशी शोधों में डेरियस और अन्य (2021), सोलोमन और अन्य (2021), सोफर तथा नाचमियास (2018), स्टैक स्टीवन (2015) व भारतीय शोधों में अमीन और अन्य (2022) ने ऑनलाइन एवं ऑफलाइन शिक्षण की सीखने की प्रभावशीलता के बीच तुलनात्मक, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन पाठ्यक्रमों में अधिगम प्रतिफलों से संबंधित कार्यों का अध्ययन किया। कोविड-19 की अवधि के दौरान विद्यार्थियों की सुविधा और प्रदर्शन पर ऑफलाइन कक्षाओं का प्रभाव, ऑनलाइन बनाम ऑफलाइन अधिगम–परिवर्तन, प्रभावशीलता, बाधाएँ और भविष्य, ऑनलाइन व ऑफलाइन स्नातक कक्षाओं के बीच जेंडर तथा ग्रेड प्रदर्शन के अंतर का अध्ययन किया गया। परंतु उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि पर ऑनलाइन एवं ऑफलाइन शिक्षण के प्रभाव की तुलना पर कोई शोध अध्ययन नहीं हुआ। इसलिए शोधार्थी द्वारा इसी शोध समस्या का चयन कर शोध अध्ययन द्वारा ऑनलाइन या ऑफलाइन शिक्षण किस सीमा तक विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि को प्रभावित करता है तथा भविष्य में कौन-सी शिक्षण प्रणाली विद्यार्थियों हेतु सर्वोत्तम रहेगी, जानने का प्रयास किया गया है।

समस्या कथन

उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि पर ऑनलाइन एवं ऑफलाइन शिक्षण के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन।

प्रयुक्त पदों की क्रियात्मक परिभाषाएँ

ऑनलाइन शिक्षण— इस शोध अध्ययन में ऑनलाइन शिक्षण से अभिप्राय कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के कोरोना काल में अप्रत्यक्ष रूप से (इंटरनेट के माध्यम से मोबाइल फोन, कंप्यूटर द्वारा) होने वाले शिक्षण कार्य से है।

ऑफलाइन शिक्षण— इस शोध अध्ययन में ऑफलाइन शिक्षण से अभिप्राय कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों की कक्षा-कक्ष में अध्यापकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होने वाले समस्त विषयों के शिक्षण कार्य से है।

शैक्षणिक उपलब्धि—इस शोध अध्ययन में शैक्षणिक उपलब्धि से अभिप्राय कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों से है, जो उनके द्वारा ऑनलाइन हेतु अर्द्धवार्षिक तथा ऑफलाइन हेतु वार्षिक परीक्षा परिणामों के माध्यम से अर्जित किए गए हैं।

अध्ययन के उद्देश्य

इस शोध अध्ययन के उद्देश्य थे—

1. ऑनलाइन व ऑफलाइन शिक्षण के आधार पर विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. ऑनलाइन व ऑफलाइन शिक्षण के आधार पर सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. ऑनलाइन व ऑफलाइन शिक्षण के आधार पर निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएँ

इस शोध अध्ययन की शून्य परिकल्पनाएँ थीं—

1. ऑनलाइन व ऑफलाइन शिक्षण के आधार पर विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है।
2. ऑनलाइन व ऑफलाइन शिक्षण के आधार पर सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है।
3. ऑनलाइन व ऑफलाइन शिक्षण के आधार पर निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है।

शोध प्रविधि

इस शोध अध्ययन में विवरणात्मक शोध की सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया था।

जनसंख्या

इस शोध में जनसंख्या से अभिप्राय अल्मोड़ा शहर में स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों से है।

न्यादर्श

इस शोध अध्ययन में न्यादर्श के रूप में अल्मोड़ा शहर के (वर्ष 2023) दो सरकारी तथा दो निजी

विद्यालयों (कुल 04) को सरल यादृच्छिक विधि की फिश बाउल विधि (लॉटरी विधि) द्वारा चयनित किया गया था। प्रत्येक चयनित विद्यालय में से कक्षा 11वीं के 25 छात्र एवं 25 छात्राओं का चयन किया गया था। इस प्रकार कुल 100 छात्र तथा 100 छात्राओं का चयन किया गया था।

शोध उपकरण

इस शोध अध्ययन में ऑनलाइन शिक्षण में शैक्षणिक उपलब्धि हेतु कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के अर्द्धवार्षिक परीक्षा तथा ऑफलाइन शिक्षण हेतु वार्षिक परीक्षा के अंकों को लिया गया था।

सांख्यिकीय विधियाँ

इस शोध अध्ययन में सांख्यिकीय विधियों के रूप में मध्यमान, मानक विचलन 'टी' परीक्षण का प्रयोग किया गया था।

परिणामों का विश्लेषण और व्याख्या

ऑनलाइन व ऑफलाइन शिक्षण के आधार पर विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन

ऑनलाइन व ऑफलाइन शिक्षण के आधार पर विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि की तुलना करने के लिए संकलित प्राप्तांकों के आधार पर मध्यमान, मानक विचलन तथा क्रांतिक अनुपात मान की गणना की गई, जिसे तालिका 1 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 1 में वर्णित ऑनलाइन व ऑफलाइन शिक्षण के आधार पर विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि के प्राप्तांकों के मध्यमान क्रमशः 287.41 तथा 265.84 है। स्पष्ट है कि कुल विद्यार्थियों की ऑनलाइन शिक्षण में शैक्षणिक उपलब्धि का मध्यमान ऑफलाइन शिक्षण के मध्यमान से अधिक है। इन मध्यमानों के अंतर की सार्थकता की जाँच के लिए 'टी' मान 0.0016 है, जो कि 'टी' तालिका मान 0.05 सार्थकता स्तर के मान 1.96 से कम है। इस प्रकार इससे संबंधित शून्य परिकल्पना "ऑनलाइन व ऑफलाइन शिक्षण के आधार पर उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि में सार्थक अंतर नहीं होता है" को स्वीकृत किया जाता है। अतः कहा जा सकता है कि ऑनलाइन व ऑफलाइन शिक्षण के आधार पर उच्चतर माध्यमिक स्तर के कुल विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया तथा मध्यमानों में जो अंतर परिलक्षित हो रहा है, वह न्यादर्श की त्रुटि के कारण हो सकता है। इन दोनों समूहों में अंतर नहीं होने के कारण विद्यार्थियों

तालिका 1—ऑनलाइन व ऑफलाइन शिक्षण के सांख्यिकीय मान

चर	शिक्षण	न्यादर्श	मध्यमान	मानक विचलन	स्वतंत्रता की कोटि	टी मान	परिणाम
शैक्षणिक उपलब्धि	ऑनलाइन	100	287.41	72.50	198	0.0016	असार्थक
	ऑफलाइन	100	265.84	63.08			

* 0.05 स्तर पर सार्थक

** 0.01 स्तर पर सार्थक

का दोनों शिक्षण विधियों के द्वारा हुए शिक्षण कार्य में सक्रिय रूप से भागीदारी करना, समान आयु वर्ग तथा समान शिक्षा स्तर हो सकता है। अमीन तथा अन्य (2022) व फोनोलाही तथा अन्य (2014) के अध्ययन में विद्यार्थियों की अधिगम उपलब्धि में ऑनलाइन तथा ऑफलाइन शिक्षण के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया, परंतु इसके विपरीत सोफर तथा नाचमियास (2018) के अध्ययन में ऑनलाइन तथा ऑफलाइन पाठ्यक्रम में शैक्षणिक उपलब्धि में सार्थक अंतर पाया गया।

ऑनलाइन तथा ऑफलाइन शिक्षण के आधार पर सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन

ऑनलाइन तथा ऑफलाइन शिक्षण के आधार पर सरकारी विद्यालयों के कुल विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि की तुलना करने के लिए संकलित प्राप्तांकों के आधार पर मध्यमान, मानक विचलन तथा क्रांतिक अनुपात मान की गणना की गई है, जिसे तालिका 2 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 2 में वर्णित ऑनलाइन तथा ऑफलाइन शिक्षण के आधार पर सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि के प्राप्तांकों के मध्यमान क्रमशः 268.88 तथा 269.98 है। स्पष्ट है कि सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों की ऑनलाइन शिक्षण में शैक्षणिक उपलब्धि का मध्यमान ऑफलाइन शिक्षण के मध्यमान से अधिक है। इन मध्यमानों के अंतर की सार्थकता की जाँच के लिए 'टी' का मान 0.905 है, जो कि 'टी' तालिका मान 0.05 सार्थकता स्तर के मान 1.96 से कम है। इस प्रकार इससे संबंधित शून्य परिकल्पना 'ऑनलाइन तथा ऑफलाइन शिक्षण के आधार पर सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि में सार्थक अंतर नहीं होता है' को स्वीकृत किया जाता है। अतः कहा जा सकता है कि ऑनलाइन तथा ऑफलाइन शिक्षण के आधार पर उच्चतर माध्यमिक स्तर के सरकारी विद्यालयों के कुल विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि में सार्थक अंतर नहीं पाया गया। इसका कारण शिक्षकों द्वारा

तालिका 2— सरकारी विद्यालयों के ऑनलाइन तथा ऑफलाइन शिक्षण के सांख्यिकीय मान

चर	शिक्षण	न्यादर्श	मध्यमान	मानक विचलन	स्वतंत्रता की कोटि	टी. मान	परिणाम
सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि	ऑनलाइन	50	268.88	67.35	98	0.905	असार्थक
	ऑफलाइन	50	269.98	63.10			

* 0.05 स्तर पर सार्थक

** 0.01 स्तर पर सार्थक

ऑनलाइन व ऑफलाइन शिक्षण के दौरान प्रत्येक विद्यार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान नहीं दे पाना हो सकता है, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी की शिक्षण के मध्य आने वाली समस्या का समाधान नहीं हो पाता और इसका प्रभाव विद्यार्थियों के परिणाम पर दिखाई देता है।

ऑनलाइन व ऑफलाइन शिक्षण के आधार पर निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन

ऑनलाइन व ऑफलाइन शिक्षण के आधार पर निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि की तुलना करने के लिए संकलित प्राप्तांकों के आधार पर मध्यमान, मानक विचलन तथा क्रांतिक अनुपात मान की गणना की गई, जिसे तालिका 3 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 3 में वर्णित ऑनलाइन व ऑफलाइन शिक्षण के आधार पर निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि के प्राप्तांकों के मध्यमान क्रमशः 305.94 तथा 261.71 है। स्पष्ट है कि निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की ऑनलाइन शिक्षण में शैक्षणिक उपलब्धि का मध्यमान ऑफलाइन शिक्षण के मध्यमान से अधिक है। इन मध्यमानों के अंतर की सार्थकता की जाँच के लिए 'टी' का मान 8.24 है, जो कि 'टी' तालिका मान 0.05 सार्थकता स्तर के मान 1.96 से अधिक है। अतः इससे संबंधित शून्य परिकल्पना 'ऑनलाइन व ऑफलाइन शिक्षण के आधार पर निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि में सार्थक अंतर नहीं होता है' को अस्वीकृत किया जाता है। अतः कहा जा सकता है कि ऑनलाइन व ऑफलाइन शिक्षण के आधार पर निजी विद्यालयों के कुल विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि में सार्थक अंतर पाया गया। ऑनलाइन शिक्षण के आधार पर शैक्षणिक उपलब्धि अधिक पाई गई, इसका कारण यह हो सकता है कि ऑनलाइन शिक्षण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों को ऑनलाइन साझा कर आधुनिक शिक्षण विधियों, एनिमेशन, पी.पी.टी., वीडियो लेक्चर जैसे तरीकों का प्रयोग कर पढ़ाया गया, जिससे शिक्षण प्रभावी रूप से हुआ। डेरियस और अन्य (2021) के शोध अध्ययन से प्राप्त परिणामों से इस कारण को बल मिलता है। ऑफलाइन में शिक्षकों द्वारा केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग कर पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाता है। जिससे शिक्षण एक समय बाद ऊबाऊ

तालिका 3— निजी विद्यालयों के ऑनलाइन व ऑफलाइन शिक्षण के सांख्यिकीय मान

चर	शिक्षण	न्यादर्श	मध्यमान	मानक विचलन	स्वतंत्रता की कोटि	टी मान	परिणाम
निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि	ऑनलाइन	50	305.94	73.05	98	8.24*	सार्थक
	ऑफलाइन	50	261.71	63.11			

* 0.05 स्तर पर सार्थक

** 0.01 स्तर पर सार्थक

लगने लगता है और विद्यार्थियों का ध्यान भी उसमें नहीं लगता है, फलस्वरूप शैक्षणिक उपलब्धि कम हो सकती है।

निष्कर्ष

इस शोध अध्ययन के निष्कर्ष इस प्रकार हैं —

- ऑनलाइन व ऑफलाइन शिक्षण के आधार पर उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है।
- ऑनलाइन व ऑफलाइन शिक्षण के आधार पर उच्चतर माध्यमिक स्तर के सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है।
- ऑनलाइन व ऑफलाइन शिक्षण के आधार पर उच्चतर माध्यमिक स्तर के निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि में सार्थक अंतर होता है।

शैक्षिक निहितार्थ

इस शोध अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ इस प्रकार हो सकते हैं—

- **प्रशासकों के लिए**— इस शोध अध्ययन के परिणामों के आधार पर प्रशासकों को सुगम शैक्षिक वातावरण की स्थापना, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों और शिक्षण के माध्यम के लिए स्पष्ट निर्देश प्रदान करने सहित विभिन्न गतिविधियों को सम्मिलित कर यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि का स्तर लगातार और निष्पक्ष रूप से उच्च हो। साथ ही, ऑनलाइन व ऑफलाइन या दोनों शिक्षण विधियों के मिश्रित रूप पर आधारित अध्यापन कार्य करने हेतु निर्देश दे सकें। भविष्य में भी ऐसी ही नीतियों का निर्माण कर सकें, जिसमें विद्यार्थियों को शैक्षिक क्रियाओं में सम्मिलित होने के अधिकाधिक अवसर प्रदान करके उनके शैक्षिक निष्पादन को उन्नत बनाया जा सके।
- **पाठ्यक्रम निर्माताओं के लिए**— इस शोध अध्ययन के परिणामों के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माता को उन्नत अध्ययन के लिए एक पाठ्यक्रम को ऐसा बनाना चाहिए, जिसे किसी भी शिक्षण विधि के प्रयोग द्वारा सरलता से पढ़ाया जा सके तथा जो विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर में भी सुधार कर सके। विद्यालयों में इस तरह का पाठ्यक्रम स्थापित किया जाना चाहिए जो ऑनलाइन व ऑफलाइन या दोनों शिक्षण विधियों के मिश्रित रूप पर आधारित हो, जिससे विद्यार्थियों पर अधिक बोझ न पड़े।
- **शिक्षकों के लिए**— इस शोध अध्ययन के परिणामों के आधार पर शिक्षक विद्यार्थियों के सीखने को बेहतर ढंग से अनुकूल बनाने हेतु पाठ्यक्रम व उपयुक्त शिक्षण विधियों का उपयोग कर सकेंगे। परंपरागत अथवा आधुनिक तकनीकी का प्रयोग कर शिक्षण कार्य को प्रभावी बना सकेंगे। विद्यार्थियों की समस्या का समाधान उचित ढंग से करके उन्हें सही ज्ञान प्रदान कर सकेंगे। कक्षा में डिजिटल सामग्री, उपकरण और संसाधनों का उपयोग कर विविध कौशल विकसित कर सकेंगे।
- **विद्यार्थियों के लिए**— इस शोध अध्ययन के परिणामों के आधार पर विद्यार्थी अपने असाइनमेंट

या होमवर्क में एक-दूसरे की सहायता कर सकेंगे तथा अपने अध्ययन के लिए सामग्री प्राप्त करने के लिए वेबसाइटों का भी उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार अधिगम कक्षा के अंदर और बाहर दोनों जगह हो सकता है।

- **शोधकर्ताओं के लिए**— इस शोध अध्ययन के परिणामों के आधार पर शोधार्थी ऑनलाइन डेटा एकत्र कर सकते हैं। यह अनुसंधानकर्ताओं को पत्रिकाओं तक पहुँचने और इंटरनेट के साथ ऑनलाइन माध्यम से उनकी समीक्षा करने में सक्षम बनाता है। शोधकर्ता कभी भी और कहीं भी ऑनलाइन माध्यम से जानकारी एकत्र कर सकते हैं। इस प्रकार ऑफलाइन माध्यम से भी प्राथमिक व द्वितीयक स्रोतों से सूचना एकत्रित कर सकते हैं।

संदर्भ

अमीन, मल्ला, मोहम्मद आदिल, मोहम्मद डार, इंशा रसूल और रूमीसा यूसुफ. कम्पेरेटिव स्टडी ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन अमंग हाइयर एजुकेशन स्टूडेंट्स इन कश्मीर. *रिसर्च गेट–डिस्कवर द वर्ल्डस रिसर्च.* 10(2), पृष्ठ संख्या 2320–2882. http:www.researchgate.net/publication/358906733_Comparaytive_Study_on_Effectiveness_of_Online_Ofline_Learning_among_Higher_Education_Students_in_Kashmir से प्राप्त किया गया.

कार्टर, वी.गुड. 1959. *डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन* (दूसरा संस्करण). मैकग्रा-हिल, न्यूयॉर्क.

कार्टर, वी.गुड और विनीफ्रेड आर. मर्केल. 1959. *डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन*. मैक ग्रा-हिल, बुक कंपनी, इंक. यूएसए. http://journalijmrr.com/wp-content/uploads2014/12/IJMRR_136541-543.pdf से प्राप्त किया गया.

गेज, एन.एल. (संपादक). 1963. *हैंडबुक ऑफ रिसर्च ऑन टीचिंग* (पहला संस्करण). पृष्ठ संख्या 1218. रैंड मैकनली, शिकागो. https://doi.org/10.1177/002248716301400317 से प्राप्त किया गया.

डेरियस, पीएचडी, गुंडाबतीनी, ई. और सोलोमन. 2021. ए सर्वे ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑनलाइन टीचिंग-लर्निंग मेथड्स फॉर यूनिवर्सिटी कॉलेज स्टूडेंट्स. *जर्नल ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया)-सीरिज वी.* वॉल्यूम 102, पृष्ठ संख्या 1325–34. http://doi.org/10.1007/s40031-021-00581-x से प्राप्त किया गया.

ताल सोफर और रफी नाचमियास. 2018. इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग इन ऑनलाइन अकेडमिक कॉर्सेज कम्पेयर्ड विद फेस टू फेस कॉर्सेज इन हाइयर एजुकेशन. *जर्नल ऑफ कम्प्यूटर असिस्टेड लर्निंग.* वॉल्यूम 34, इश्यू 5, पृष्ठ संख्या 534–543. http://doi.org/10.1111/jcal.12258

पाठक पी.डी. 2007. *शिक्षा मनोविज्ञान.* विनोद पुस्तक मंदिर.

मिश्रा, सांत्वना. 2017. *भारतीय जीवन दर्शन. विद्याधनं सर्व धनं प्रधानम्.* 22 मई, 2023 को https://santwanamishra1.wordpress.com/2017/02/05/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A4%A8%E0%A4%82-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5-%E0%A4%A7%E0%A4%A8%E0%A4%82-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A7%E0%A4%BE/ से प्राप्त किया गया.

मुसलगांवकर, आर. 1150. *श्रीभर्तृहरि विरचितं नीतिशतकम्*. चौखम्भा प्रकाशन, वाराणसी. पृष्ठ. संख्या. 22. 2 अगस्त, 2023 को https://ia803102.us.archive.org/19/items/nitishatakamofbhartrharidr.rajeshwarkumarmusalgankar/Nitishatakam%20Of%20Bhartrhari%20-%20Dr.%20Rajeshwar%20Kumar%20Musalgankar.pdf से प्राप्त किया गया.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. भारत सरकार, नई दिल्ली.

———. *राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021*. स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली. 27 अक्तूबर, 2023 को https://dsel.education.gov.in/nas से प्राप्त किया गया.

स्टैक, स्टीवन. 2015. लर्निंग आउटकम्स इन एन ऑनलाइन वर्सस ट्रेडिशनल कोर्स. *इंटरनेशनल जर्नल फॉर द स्कॉलरशिप ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग*. वॉल्यूम (9)1 अनुच्छेद 5. http://doi.org/10.20429/ijsotl.2015.090105 से प्राप्त किया गया.

हॉर्सले सोलोमन पी, जनक सिंह मीणा, प्रकाश चंद्र मीणा, गुरप्रीत सिंह छावणा और प्रवीण शाह जी भाले. 2021. कम्पेरिजन बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टीचिंग इफेक्टिवनेस-एन इम्पीरिकल स्टडी इन द कॉन्टेकस्ट ऑफ हाइयर एजुकेशन. *टर्किश ऑनलाइन जर्नल ऑफ क्वालिटेटिव इंक्वायरी*. वॉल्यूम 12, इश्यू (9), पृष्ठ संख्या 5115–82 3234–3241. http://tojqi.net/index.php/journal/article/view/6751/4812. से प्राप्त किया गया.

पुस्तक समीक्षा

शिक्षा जो स्वर साध सके

विजय कुमार यादव*

पुस्तक का नाम	—	*शिक्षा जो स्वर साध सके*
लेखक	—	आचार्य रजनीश कुमार शुक्ल
संपादक	—	ऋषभ कुमार मिश्र
प्रकाशक	—	वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली
प्रकाशन वर्ष	—	2021
मूल्य	—	₹145

शिक्षा संबंधी नीति में राष्ट्र और समाज विशेष का इतिहास एवं संस्कृति बोध प्रतिबिंबित होता है। इसके सापेक्ष शिक्षा नीतियाँ समाज के भविष्य की रूपरेखा को तय करने वाला दस्तावेज होती हैं। इसी पृष्ठभूमि में प्रस्तुत पुस्तक 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' की विवेचना करती है। यह पुस्तक एक महत्वपूर्ण कृति है। यह भारतीय शिक्षा के इतिहास से परिचित कराते हुए उसकी वर्तमान चुनौतियों के मूलभूत कारणों का विश्लेषण करती है। इसके उपरांत 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' का सम्यक विवेचन करते हुए उसके क्रियात्मक सूत्रों को भी प्रस्तुत करती है।

शिक्षा का इतिहास बोध

शिक्षा जो स्वर साध सके पुस्तक के प्रथम अध्याय में आचार्य शुक्ल ने भारतीय संदर्भों में शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए रेखांकित किया है कि शिक्षा का लक्ष्य लोक कल्याणकारी समाज की निर्मिति है, जिसमें सामंजस्य रखने वाली जीवन प्रणाली परिलक्षित होती है, इसके बिना शिक्षा प्रशिक्षण मात्र है। तदुपरांत उन्होंने बताया है कि प्रारंभ में शिक्षा को अच्छा नागरिक एवं अच्छा मनुष्य बनाने वाली प्रक्रिया के संदर्भ में देखा गया है। किंतु शिक्षा का लक्ष्य इतना सीमित नहीं है। मनुष्य का निर्माण एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, जिसका घटक स्वयं मनुष्य है। लेखक ने स्पष्ट किया है कि अच्छी शिक्षा के दो घटक हैं— प्रथम, शिक्षा जीविका के लिए तैयार करती है और द्वितीय, शिक्षा जीवों का उद्धार करती है अर्थात शिक्षा सामाजिक एवं भौतिक सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति का उपक्रम है। इस अध्याय में उल्लिखित है कि औद्योगिक क्रांति के बाद से शिक्षा

**शोधार्थी*, शिक्षा विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र 442001

को उत्पादकता बढ़ाने का संसाधन समझा गया, जिसके लिए शिक्षा को अनुशासित नागरिक बनाने की प्रक्रिया के रूप में समझा गया, किंतु इसे उच्चतर मूल्य विकसित करने के लिए प्रश्न खड़ा करने के रूप में देखने की आवश्यकता थी। इस तर्क के समर्थन में आचार्य शुक्ल उपनिषदों एवं अन्य भारतीय साहित्यों का संदर्भ लेते हैं और बताते हैं कि व्यक्ति एवं समाज को नित्य और समग्र रूप में सोचना पड़ेगा।

'शिक्षा का रमणीक वृक्ष— एक सिंहावलोकन' नामक अध्याय 2 में लेखक ने शिक्षा पर उपनिवेशवाद के प्रभाव की व्याख्या की है। इस अध्याय में स्थापित किया गया है कि प्रारंभ में भारत में शिक्षा की व्यवस्था स्वायत्त, स्वतंत्र और राज्य की व्यवस्था के समानांतर थी तथा उसमें हस्तक्षेप का अधिकार राज्य को नहीं था। 1835 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए, उसने शिक्षा को एक प्रकार से राज्य चलाने का साधन बना दिया। आगे चलकर शिक्षा का बाजार की परिधि में क्रय-विक्रय होने लगा। इस तरह से यह अध्याय समग्रता में उपनिवेशवाद जन्य परिवर्तनों को पाठकों के सामने रखता है।

'भारतीय लोक चिंतक और शिक्षा' में भारतीय लोक चिंतकों द्वारा परिकल्पित शिक्षा की संकल्पना को अध्याय 3 में प्रस्तुत किया गया है। यह अध्याय पाठकों को परिचित कराता है कि भारतीय लोक चिंतकों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य पूर्णता की खोज, पूर्णता का अनुभव, पूर्णता की अभिव्यक्ति, पूर्णता का आकारीकरण है। इस तरह से शिक्षा समग्र विकास का आधार है। हमने इस वृहद दृष्टि की उपेक्षा की और मनुष्य को मात्र उत्पादक एवं मशीन बनाने वाली औपनिवेशिक शिक्षा को स्वीकार कर लिया।

भारतीयता का पुनरुत्थान

अध्याय 4 से अध्याय 8 में *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* की आधारभूत मान्यताओं की व्याख्या की गई है। इसमें शिक्षा के लक्ष्य एवं नए प्रस्तावित परिवर्तनों की प्रासंगिकता का विश्लेषण किया गया है। ये अध्याय भारतीय ज्ञान परंपरा के पुनरुत्थान पर बल देते हैं। अध्याय 4 में लेखक ने चर्चा की है कि *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपराओं को शिक्षा का आधार मानती है तथा भारतीय चिंतकों की दृष्टियों को अंगीकार करते हुए इक्कीसवीं सदी के भारत को सशक्त बनाने की ओर अग्रसर है।

'शिक्षा का साध्य मनुष्य' नामक अध्याय 5 में उल्लिखित किया गया है कि स्वतंत्रता के बाद से शिक्षा संबंधी विभिन्न दस्तावेजों एवं शिक्षा नीतियों, जैसे— शिक्षा आयोग, *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968,* काका कालेलकर कमेटी, नरेंद्र देव कमेटी इत्यादि में दिए गए सुझावों के क्रियान्वयन न होने के कारण आज भी हमारी शिक्षा व्यवस्था में कमियाँ उजागर हो रही हैं। लेखक ने प्रकाश डाला है कि विभिन्न कारणों से हमारी व्यवस्थाएँ कहने को तो भारतीय थीं, परंतु उनके लक्ष्य भारतीयता से भटके हुए थे। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* मानव संसाधन मॉडल को खारिज करती है। यह नीति भारतीय जन, भारतीय समाज तथा भारत राष्ट्र को केंद्र में रखते हुए संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु मनुष्य निर्माण की प्रक्रिया पर आधारित है।

संस्कृत बोध एवं भारत बोध पर भारतीय शिक्षा नीति की प्रासंगिकता और उसमें निहित तत्वों की विवेचना अध्याय 6 और अध्याय 7 में की गई है। लेखक का मत है कि, *शिक्षा आयोग की रिपोर्ट, 1966* और *राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968* स्वतंत्र भारत में शिक्षा में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल थी, जिसमें शिक्षा को मूल्यपरक बनाने और भारतीय संस्कृति से जोड़ने पर बल दिया गया था, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि इस सांस्कृतिक चेतना को हम भारतीय शिक्षा का आधार नहीं बना सके। परिणामस्वरूप शिक्षा मनुष्य निर्माण के बजाय नागरिक निर्माण की भूमिका में आ गई। लेखक का मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य मात्र नागरिक निर्माण नहीं होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के अभ्यंतर का अभ्युदय होना चाहिए, जिसे गांधी, विवेकानंद और विनोबा आदि ने शिक्षा के लक्ष्य के रूप में प्रतिपादित किया था। लेखक *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* को इन भटकावों से अलग भारतीय हित चिंतकों की दृष्टि को साकार करने वाली शिक्षा नीति के रूप में देखते हैं। लेखक इस नीति का विश्लेषण करते हुए बताते हैं कि यह नीति भारतीय परंपरा के अनुरूप शिक्षा को शाश्वत मूल्यों से पोषित, जिज्ञासु मस्तिष्क के विकास का माध्यम बनाना चाहती है। इसके लिए शिक्षा नीति परीक्षा प्रणाली व शिक्षण के किसी एकमात्र साधन की बात नहीं करती है। इसमें उस प्रत्येक प्रणाली के तत्व विद्यमान हैं जो शिक्षार्थी को विद्यालयी स्तर और विषय अनुरूप सीखने का अवसर देती है। यह तारतम्यता पूर्व प्राथमिक स्तर से शोध तक विद्यमान है।

'परंपरा और आधुनिकता की बहस' नामक अध्याय 8 में लेखक विश्लेषित करते हैं कि *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित शिक्षा को पारंपरिक शिक्षा के रूप में प्रतिष्ठित करती है। यह नीति घोषित करती है कि हमारी पारंपरिक शिक्षा अपनी विषय-वस्तु और पद्धति दोनों दृष्टिकोण से पूर्णतया प्रासंगिक है। लेखक कहते हैं कि भारतीय परंपरा में निहित सिद्धांत, 'प्रत्येक पढ़ेगा और प्रत्येक बढ़ेगा' को यह शिक्षा नीति संपादित करती है, जो आज जन शिक्षा की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इस पद्धति में वरिष्ठ विद्यार्थी कनिष्ठ विद्यार्थी को पढ़ाता है। लेखक का मानना है कि यदि सबको शिक्षा देनी है तो इस परंपरागत विधि के मॉडल को हमें दुनिया के सामने लाना होगा, इस मॉडल को भी *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* पोषित करती है। लेखक का मानना है कि आज पूरी दुनिया की शिक्षा प्रणाली और शिक्षा शास्त्रियों के सामने जो समस्याएँ हैं, उसका उत्तर परंपरागत ज्ञान परंपरा में है, जिसे भारतीय ज्ञान परंपरा भी कहते हैं।

अध्याय 9 में लेखक भारतीय चिंतन परंपरा के आलोक में अधिगम, पाठ्यचर्या एवं शिक्षणशास्त्र की व्याख्या करते हैं। इसमें लेखक1857 में ब्रिटिश प्रारूप के विश्वविद्यालय बनने के साथ ही भारतीय संस्कृति, विचार और मूल्य स्थापित करने के उद्देश्य से भारतीय चिंतकों के प्रयासों को रेखांकित करते हैं। जिसमें वे भारतेंदु हरिश्चद्र और मदन मोहन मालवीय के उदाहरण देते हुए बताते हैं कि इस परिकल्पना को स्वीकार करने के लिए मदन मोहन मालवीय ने 1904 में आचार्य स्पेक्टस फॉर बनारस हिंदू

यूनिवर्सिटी का प्रकाशन करते हुए, इसमें भारतीय संस्कृति, विचार और मूल्य स्थापित किए। लेखक का मानना है कि इस नीति में पहली बार भारतीय संस्कृति के समृद्ध ज्ञान भंडार की चर्चा की गई है और उसे औपचारिक शिक्षा में सम्मिलित करने का लक्ष्य रखा गया है। लेखक नीति में चर्चित दोनों प्रकार के विश्वविद्यालयों—शोध केंद्रित विश्वविद्यालय और अध्ययन केंद्रित विश्वविद्यालय का उदाहरण लेते हुए यह रेखांकित करते हैं कि यह नीति हमें विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित करने में सहायक होगी।

अगले तीन अध्यायों में भारत की बहुभाषिकता को हमारी संभावनाओं के रूप में विश्लेषित किया गया है। इसके लिए *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में भारतीय भाषाओं की प्रतिष्ठा हेतु उल्लिखित विभिन्न संस्तुतियों का समर्थन लिया गया है।

अध्याय 10 '*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*' और हिंदी में लेखक ने यह बताया कि भारत में हिंदी का जो विस्तार हुआ है, उसमें शिक्षा की तुलना में बाजार, सिनेमा, रेल, संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका है, किंतु हिंदी के विस्तार में श्रेष्ठ कहे जाने वाले शिक्षण संस्थानों का कोई विशेष योगदान नहीं है। इसके उन्होंने दो कारण बताए हैं— पहला, त्रिभाषा सूत्र की एक व्याख्या की गई थी कि इसमें अंग्रेजी अपरिहार्य है, इसलिए प्राथमिक स्तर पर जिन राज्यों में अंग्रेजी नहीं थी वहाँ की उच्चतर माध्यमिक या पूर्व माध्यमिक या कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक अंग्रेजी को एक अनिवार्य विषय के रूप में स्वीकृत किया गया और दूसरा प्रभाव सूचना क्रांति का था। उन्होंने बताया कि 1990 के बाद से इंटरनेट के उदय के कारण गूगल सभी प्रश्नों के समाधान और जिज्ञासाओं के केंद्र में आ गया। इसके कारण भाषा पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा।

'स्थानीय भाषाएँ— लोक जीवन की प्रतिनिधि' से जुड़ा अध्याय 11 में लेखक ने स्थानीय भाषाओं को धरोहर के रूप में देखने के हमारे दृष्टिकोण की आलोचना की है। लेखक का मानना है कि यदि भाषाओं को धरोहर के रूप में देखा जाएगा तो वे भाषाएँ प्रयोजनमूलक होने के बजाय सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व की प्रतीक बनकर रह जाएँगी। इस संदर्भ में वे 'अवेस्ता भाषा' का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि, अवेस्ता एक धार्मिक ग्रंथ की भाषा है। यह पवित्रता के नाम पर जीवित है, परंतु व्यवहार में नहीं है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* भाषाओं को धरोहर बनाने के स्थान पर उन्हें जीवन का अंग बनाना चाहती है।

अध्याय 12 'विधि शिक्षा और मातृभाषा' के अंतर्गत आचार्य शुक्ल ने विधि शिक्षा में भाषा के अंतर्द्वंद्व और भाषागत असंगतता की आलोचना की है एवं उसके कारण शिक्षा के अवसरों में उत्पन्न होने वाली बाधाओं को रेखांकित करते हुए, इसके समाधान का सुझाव प्रस्तुत किया है। उनका मानना है कि शिक्षा में अवसर की समानता हो, इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को विविध प्रकार की शिक्षा में उसकी भाषा में प्रवेश प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। आचार्य शुक्ल का मानना है कि प्रवेश में भाषाई बाधा और न्यायालयों में भाषा का श्रेणीकरण संविधान की मूल भावना 'अवसर की समानता' के विरुद्ध है और यह न्यायसंगत नहीं है।

संवैधानिक मूल्यों पर विचार करते हुए अध्याय 13 'समावेशन द्वारा न्याय और अवसर की समानता' में आचार्य शुक्ल *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में उद्घाटित श्रेष्ठ भारत की निर्मिति के लिए समावेशी शिक्षा द्वारा न्याय और अवसर की समानता के लक्ष्य को रेखांकित करते हुए समावेशी शिक्षा के लिए नई विद्यालय संस्कृति के निर्माण की आवश्यकता पर बल देते हैं।

'समाज विज्ञान और मानविकी की भारतीय दृष्टि' नामक अध्याय 14 में समाज विज्ञान के संदर्भ में भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रासंगिकता का प्रतिपादन किया गया है। इस अध्याय में आचार्य शुक्ल ने उच्च शिक्षा के संदर्भ में विश्लेषित किया है कि समाज विज्ञान सहित भारत की कला, साहित्य एवं सांस्कृतिक विधाओं आदि को भी भारतीय दृष्टिकोण से न देखकर यूरोसेंट्रिक मॉडल को स्वीकार किया गया है, यह मॉडल मनुष्य को एक यांत्रिक उत्पादक व्यक्ति बनाकर उसकी क्षमताओं का मशीन की क्षमताओं की तरह उपयोग करने की भूमिका में देखता है। जबकि हमें समाज विज्ञान द्वारा समाज और उसके घटकों को समझना है, समाज की निर्मिति के आधारों को समझना है। इसका विकल्प प्रस्तुत करते हुए लेखक बताते हैं कि इसके लिए उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके भारतीय विद्वत समाज एवं उच्च शिक्षा में लगी मेधाओं को आगे आने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्रियान्वयन के सूत्र से जुड़े अध्याय 15 के अंतर्गत आचार्य शुक्ल ने भाषा, मानविकी और समाज विज्ञान के ज्ञानानुशासनों को केंद्र में रखते हुए *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के क्रियात्मक सूत्रों को प्रस्तुत किया है। इसके अंतर्गत उन्होंने हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के साथ-साथ सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन के विद्या स्थानों को भारत केंद्रित दृष्टि के अनुरूप तैयार करने पर बल दिया है। वहीं अध्याय 16 'शिक्षा दर्शन हेतु दर्शन शिक्षा' में आचार्य शुक्ल ने भारतीय दार्शनिक चिंतन परंपराओं को केंद्र में रखते हुए *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के अनुसार दर्शन के अर्थ को स्पष्ट किया है। इसके अंतर्गत लेखक ने दार्शनिक चिंतन द्वारा शिक्षा की प्रक्रिया एवं उसके घटकों से संबंधित तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसीय प्रश्नों को खड़ा करने और उनके उत्तरों को खोजने पर बल दिया है। उनके अनुसार *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* पर आधारित मनुष्य निर्माण के लिए प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक भारत की दार्शनिक परंपरा और भारत केंद्रित दृष्टिकोण को शिक्षण प्रक्रिया और विषय-वस्तु के साथ संबंधित करना आवश्यक है। इसके अंतर्गत आचार्य शुक्ल *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के अनुसार संस्कृत और दर्शनशास्त्र को विश्वविद्यालयों में अंतर-अनुशासनिक विषय के रूप में स्थापित करने का सुझाव देते हैं और स्पष्ट करते हैं कि ऐसा होने पर हमारे विद्यास्थान दार्शनिक दृष्टि से संपन्न होंगे।

शिक्षक-विद्यार्थियों की भूमिका पर आधारित अध्याय 17 के अंतर्गत आचार्य शुक्ल परिकल्पित परिर्वन को धरातल पर उतारने वाले कर्ता के रूप

में शिक्षक की पहचान करते हैं। वे बताते हैं कि शिक्षकों का मूल दायित्व श्रेष्ठ मनुष्य का निर्माण करना है। लेखक भारतीय समाज में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका बताते हुए भारतीय गुरुकुल परंपरा का उल्लेख करते हैं, जिसमें शिक्षक को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, लेखक पुष्ट करते हैं कि *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* शिक्षक को पुनः शिक्षा के केंद्र में प्रतिष्ठित करने का लक्ष्य रखती है और शिक्षक को मनुष्य निर्माता की भूमिका के रूप में देखती है।

यह पुस्तक भारतीय शिक्षा की ऐतिहासिक धरोहर का संदर्भ लेते हुए उसकी वर्तमान चुनौतियों की पहचान करती है और *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* को आधार बनाते हुए उक्त चुनौतियों के समाधान की संभावनाओं पर चर्चा करती है। यह पुस्तक भारतीय शिक्षा के उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने के लिए क्रियात्मक सूत्र भी बताती है। पुस्तक की भाषा पठनीय, सरल, बोधगम्य और प्रवाहमय है। यह पुस्तक आरंभ से अंत तक पाठक को बाँधे रखती है। इस पुस्तक में लेखक की सूक्तिपरक शैली और सरल हिंदी भी अवलोकनीय है। निश्चित रूप से यह पुस्तक *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* का एक सांगोपांग भाष्य है, जो पाठक को भारतीय शिक्षा को समझने में सहायक होगी।

रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा प्रकाशित कुछ अन्य प्रकाशन

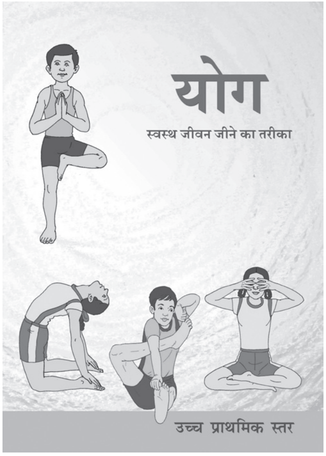

योग स्वस्थ जीवन जीने का तरीका

₹65.00 / पृष्ठ 100

कोड— 13127

ISBN 978-93-5007-345-2

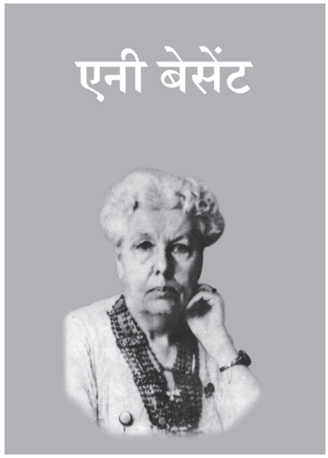

एनी बेसेंट

₹40.00 / पृष्ठ 94

कोड— 1913

ISBN 978-93-5292-003-7

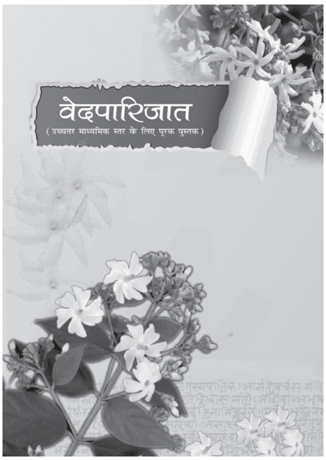

वेदपारिजात— उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए पूरक पुस्तक

₹90.00 / पृष्ठ 134

कोड— 21028

ISBN 978-93-5007-291-2

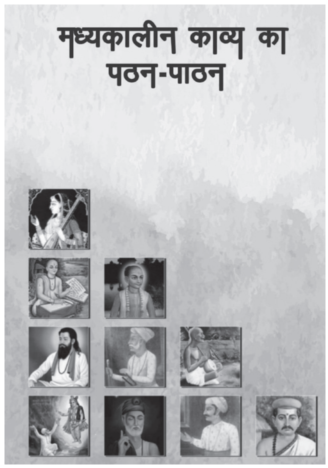

मध्यकालीन काव्य का पठन-पाठन

₹130.00 / पृष्ठ 138

कोड— 13248

ISBN 978-93-5292-513-1

About our Journals

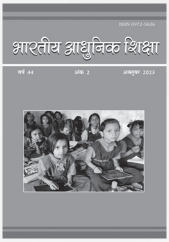

भारतीय आधुनिक शिक्षा

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की त्रैमासिक पत्रिका है। यह पत्रिका शिक्षाविदों, शैक्षिक प्रशासकों, शिक्षक-प्रशिक्षकों, शिक्षकों, शोधार्थियों, विद्यार्थी-शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को विद्यार्थियों को विद्यालयी शिक्षा एवं अध्यापक शिक्षा पर अपने मौलिक शैक्षिक विचार रखने का एक मंच प्रदान करती है।

The Indian Educational Review

A biannual journal which publishes articles and researches on educational policies and practices and values material that is useful to practitioners in the contemporary times. The journal also provides a forum for teachers to share their experiences and concerns about schooling processes, curriculum, textbooks, teaching-learning and assessment practices.

The Journal of Indian Education

A reviewed periodical and provides a forum for teachers, teacher educators, educational administrators and researchers through presentation of novel ideas, critical appraisals of contemporary educational problems and views and experiences on improved educational practices. The journal reviews educational publications other than textbooks.

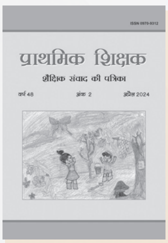

प्राथमिक शिक्षक

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की एक त्रैमासिक पत्रिका का मुख्य उद्देश्य है, शिक्षकों और संबद्ध प्रशासकों तक केंद्रीय सरकार की शिक्षा नीतियों से संबंधित जानकारियाँ पहुँचाना, उन्हें कक्षा में प्रयोग में लाई जा सकने वाली सार्थक और संबद्ध सामग्री प्रदान करना और देशभर के विभिन्न केंद्रों में चल रहे पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों आदि के बारे में समय पर अवगत कराते रहना। शिक्षा जगत में होने वाली गतिविधियों पर विचारों के आदान-प्रदान के लिए भी यह पत्रिका एक मंच प्रदान करती है।

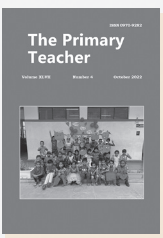

The Primary Teacher

A quarterly journal that carries articles and research papers on educational policies and practices, and values material that is useful for practitioners in contemporary times. The journal also provides a forum to teachers to share their experiences and concerns about the schooling processes, curriculum, textbooks, teaching-learning and assessment practices.

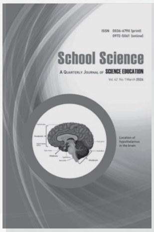

School Science

A peer-reviewed quarterly journal that aims to bring within easy reach of teachers and students the recent developments in the areas of science, mathematics, and environmental education by serving as a platform to disseminate research findings, sharing innovative pedagogies, theoretical work and other advances towards improving teaching-learning in sciences.

Firkee Bachchon Ki

A half yearly bilingual magazine (Hindi and English) consisting of poems, prose and activities which appeal to children. It aims to develop reading habits among children at the Foundational Stage.

Indian Journal of Educational Technology

A bi-annual online peer reviewed journal that aims at covering disciplinary areas of educational technology (ET) for school and teacher education. It also promotes research on the integration of technology in school and teacher education. The PDF format of the journal is available for free access on the NCERT portal.

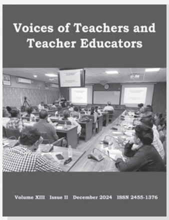

Voices of Teachers and Teacher Educators

A bi-annual peer reviewed e-journal that highlights the vital role of teacher education in India. It aims to facilitate the dissemination of ideas of various stakeholders and make their engagement visible. It is a bilingual journal and the PDF format of the journal is available for free access on the NCERT portal.

Bank details for making payment through NEFT/RTGS

Account Number : 10137881342
Account Name : NCERT Publication Deptt.
Bank Name : State Bank of India
Bank Location : NCERT, New Delhi
IFSC Code : SBIN0001690
GSTIN : 07AAOCS9078D2ZT
Pan No.: AAOCS9078D
E-mail: ncertpdacctts@gmail.com

Please take a printout of the proforma in the next page, fill it and send it via post to **Chief Business Manager, Publication Division, B.R. Ambedkar Khand, NCERT, New Delhi–110 016** or email a scanned copy to **cbm.ncert@nic.in.**

If there is any change in the address of the subscriber, then it may be intimated to NCERT.

विद्ययाऽमृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

Phone No.: 011- 26592345

NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

Sri Aurobindo Marg, New Delhi 110 016

Form for Subscribing NCERT's Journal(s)

Sl No.	Name of Journals	ISSN	Single Copy (₹)	Annual (₹)	Triennial (₹)
1.	भारतीय आधुनिक शिक्षा (A **Quarterly** Journal of Education in ***Hindi***) Print Month: January, April, July, October.	0972-5636	155 ☐	620 ☐	1860 ☐
2.	**Indian Educational Review** (A **Half Yearly** Research Journal in ***English***) Print Month: January, July.	0019-4700 (Print) 0972-561X (Online)	175 ☐	350 ☐	1050 ☐
3.	**Journal of Indian Education** (A **Quarterly** Journal of Education in ***English***) Print Month: February, May, August, November.	0377-0435 (Print) 0972-5628 (Online)	210 ☐	840 ☐	2520 ☐
4.	प्राथमिक शिक्षक (A **Quarterly** Journal for Primary Teachers in ***Hindi***) Print Month: January, April, July, October.	0970-9312	230 ☐	920 ☐	2760 ☐
5.	**The Primary Teacher** (A **Quarterly** Journal for Primary Teachers in ***English***) Print Month: January, April, July, October.	0970-9282	130 ☐	520 ☐	1560 ☐
6.	**School Science** (A **Quarterly** Journal for Secondary Schools in ***English***) Print Month: March, June, September, December.	0036-679X (print) 0972-5061 (online)	205 ☐	820 ☐	2460 ☐
7.	फिरकी बच्चों की / **Firkee Bachchon Ki** (A **Bilingual** (**Hindi** and **English**) **Half Yearly** Magazine) Print Month: June, December.	2582-8606	100 ☐	200 ☐	600 ☐

**Please tick the appropriate box(es) of the journal(s) you would like to subscribe.*

Particulars of Subscriber

Contact Person's Name: ______________________________

Organisation: ______________________________

____

Designation: ______________________________

Mailing Address: ______________________________

______________________________ Pin code/Digi PIN: ______________________________

Phone (Office): ____________________ Phone (Residence): ____________________

E-mail: ____________________ Mobile: ____________________

Address for Dispatch: ______________________________

____

NEFT/RTGS Remittance Details

Bank Name: ______________________________ Ref./UTR: ____________________

Amount: Rs. ______________________________

Dated: ______________________________

लेखकों के लिए दिशा-निर्देश

लेखक अपने मौलिक लेख या शोध पत्र सॉफ्ट कॉपी (हिंदी यूनिकोड— कोकिला फोंट में) के साथ निम्नलिखित पते या ई-मेल journals.ncert.dte@gmail.com पर भेजें—

अकादमिक संपादक
भारतीय आधुनिक शिक्षा
अध्यापक शिक्षा विभाग
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110 016

लेखक या शोधार्थी अपना लेख या शोध पत्र प्रकाशन हेतु भेजने से पूर्व सुनिश्चित करें कि—

1. लेख या शोध पत्र सरल एवं व्यावहारिक भाषा में हो, जहाँ तक संभव हो लेख या शोध पत्र में व्यावहारिक चर्चा एवं दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरणों का समावेश करें।
2. यदि आप अपने लेख या शोध पत्र को ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से हिंदी यूनिकोड फ़ोंट में बदलते हैं, तो बदले हुए लेख या शोध पत्र को अच्छी तरह से पढ़कर एवं संपादित कर भेजें।
3. लेख की वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर आधारित सार्थक प्रस्तावना लिखें, जो आपके लेख के शीर्षक से संबंधित हो।
4. शोध पत्र की वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर आधारित सार्थक प्रस्तावना एवं औचित्य लिखें, जो आपके शोध पत्र के शीर्षक या शोध समस्या से संबंधित हो।
5. लेख या शोध पत्र में वर्तमान में विद्यालयी शिक्षा एवं अध्यापक शिक्षा पर राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर जो नीतिगत परिवर्तन हुए हैं, उन नीतियों, योजनाओं, दस्तावेजों, रिपोर्टों, शोधों, नवाचारी प्रयोगों या अभ्यासों आदि को समावेशित करने का प्रयास करें।
6. लेख या शोध पत्र देश के किसी भी नागरिक की धर्म, प्रजाति, जाति, जेंडर, जन्म स्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर विभेद न करें।
7. लेख या शोध पत्र देश के नागरिकों की धर्म, जाति, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं शारीरिक विशेषताओं का बिना भेदभाव करते हुए न्यायसंगत सम्मान करें।
8. लेखक या शोधार्थी अपने लेख या शोध पत्र की मौलिकता प्रमाणित करते हुए अपना संक्षिप्त परिचय दें।
9. लेख या शोध पत्र की विषयवस्तु लगभग 2500 से 3000 शब्दों में हिंदी यूनिकोड—कोकिला फोंट में टंकित हो।
10. यदि लेख या शोध पत्र की विषयवस्तु में तालिका एवं ग्राफ़ हो, तो तालिका की व्याख्या में उन तथ्यों या प्रदत्तों एवं ग्राफ़ का उल्लेख करें। ग्राफ़ अलग से Excel File में भेजें।
11. लेख या शोध पत्र की विषयवस्तु में यदि चित्र हो, तो उनके स्थान पर खाली बॉक्स बनाकर चित्र संख्या लिखें। चित्र अलग से JPEG फ़ार्मेट में भेजें, जिसका आकार कम से कम 300 dots per inch (dpi) हो।
12. संदर्भ सूची में वही संदर्भ लिखें, जिनका उल्लेख लेख या शोध पत्र की विषयवस्तु में किया गया हो।
13. यदि लेख या शोध पत्र में ऑनलाइन अध्ययन सामग्री का उल्लेख किया गया है, तो संदर्भ सूची में वेबसाइट लिंक और पुन: प्राप्त (Retrieved date) करने की तिथि लिखें।
14. संदर्भ सूची में संदर्भ एन.सी.ई.आर.टी. के निम्न प्रारूप के अनुसार लिखें—

    पाल, हंसराज. 2006. *प्रगत शिक्षा मनोविज्ञान*. हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली.

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016 के द्वारा प्रकाशित तथा शगुन ऑफ़सेट प्रैस, प्लॉट न. 82, इकोटैक -12, ग्रेटर नोएडा 201 009 (उ.प्र.) द्वारा मुद्रित।

रजि. नं. 42912/84

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित शैक्षिक पत्रिकाओं के मूल्य

Rates of NCERT Journals and magazines

पत्रिका	प्रति कॉपी शुल्क	वार्षिक सदस्यता शुल्क	त्रैवार्षिक सदस्यता शुल्क
School Science (Quarterly) A Journal for Secondary Schools *स्कूल साइंस (त्रैमासिक)* *माध्यमिक विद्यालयों के लिए पत्रिका*	₹ 205.00	₹ 820.00	₹ 2,460.00
Indian Educational Review A Half-yearly Research Journal *इंडियन एजुकेशनल रिव्यू (अर्द्ध वार्षिक शोध पत्रिका)*	₹ 175.00	₹ 350.00	₹ 1,050.00
Journal of Indian Education (Quarterly) *जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन (त्रैमासिक)*	₹ 210.00	₹ 840.00	₹ 2,520.00
भारतीय आधुनिक शिक्षा (त्रैमासिक) *Bharatiya Aadhunik Shiksha (Quarterly)*	₹ 155.00	₹ 620.00	₹ 1,860.00
Primary Teacher (Quarterly) *प्राइमरी टीचर (त्रैमासिक)*	₹ 130.00	₹ 520.00	₹ 1,560.00
प्राथमिक शिक्षक (त्रैमासिक) *Prathmik Shikshak (Quarterly)*	₹ 230.00	₹ 920.00	₹ 2,760.00
फिरकी बच्चों की (अर्द्ध वार्षिक पत्रिका) *Firkee Bachchon Ki (Half-yearly)*	₹ 100.00	₹ 200.00	₹ 600.00

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की पत्रिकाओं की सदस्यता लेने हेतु शिक्षाविदों, संस्थानों, शोधार्थियों, अध्यापकों और विद्यार्थियों को आमंत्रित किया जाता है।

अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए पते पर संपर्क करें।

मुख्य व्यापार प्रबंधक, प्रकाशन प्रभाग
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110 016

ई-मेल – gg_cbm@rediffmail.com, फ़ोन – 011-26562708, फ़ैक्स – 011-26851070

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016 के द्वारा प्रकाशित तथा शगुन ऑफ़सेट प्रैस, प्लॉट न. 82, इकोटैक -12, ग्रेटर नोएडा 201 009 (उ.प्र.) द्वारा मुद्रित।

विद्यया ऽ मृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING